अंक : 78 जुलाई-सितंबर 1997

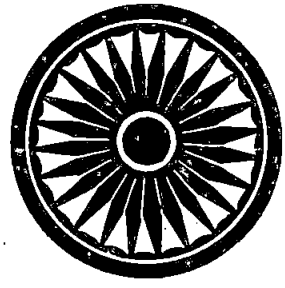

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

हिंदी दिवस 1997

50

सत्यमेव जयते

गृह मंत्री
भारत
HOME MINISTER
INDIA

संदेश

स्वाधीनता की 50 वीं वर्षगांठ और हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर कृपया मेरी हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें ।

2. भारत के संविधान के लागू होने से पहले देश की संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था । उसी दिन की याद में हर वर्ष 14 सितम्बर को हिंदी दिवस मनाया जाता है ।

3. हमारे संविधान में देश की सभी 18 भारतीय भाषाओं को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है । हिंदी देश की राजभाषा है । सभी राज्यों की भाषाएं हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं और हिंदी देश की प्रमुख राष्ट्रभाषा और सम्पर्क भाषा है । सैंकड़ों वर्षों से हिंदी भाषा जनसम्पर्क की भाषा रही है । अमीर खुसरो, कबीर, गुरू नानक, गुरू गोविंद सिंह, मुगल शहज़ादा दारा, स्वामी दयानन्द सरस्वती , महात्मा गांधी, पण्डित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और आचार्य विनोबा भावे जैसे महापुरूषों ने अपनी देशव्यापी गतिविधियों व साहित्यिक कृतियों के लिए हिंदी को अपनाया ।

4. देश की स्वतंत्रता की जिस स्वर्णिम जयंती को हम इतने उत्साह से मना रहे हैं उस स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो स्वदेशी आन्दोलन चलाया था उसका माध्यम भी हिंदी ही था । स्वाधीनता आन्दोलन में महात्मा गांधी के पदार्पण से उसे एक देशव्यापी स्वरूप मिला । पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल और दक्षिण के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने आपसी सम्पर्क-सूत्र के रूप में हिंदी को अपनाया । असहयोग आन्दोलन,

शेष कवर पृष्ठ 3 पर

भारति जय विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे —निराला

राजभाषा की त्रैमासिकी

वर्ष : 20
अंक : 78

आषाढ़-भाद्रपद, 1919 जुलाई-सितंबर, 1997

□ संपादक :
प्रेम कृष्ण गोरावारा
निदेशक (अनुसंधान)
फोन: 4617807

□ उप संपादक :
नेत्र सिंह रावत
फोन: 4698054
सुरेन्द्र लाल मल्होत्रा
फोन: 4698054

□ संपादन सहायक :
शांति कुमार स्याल
फोन: 4698054

निःशुल्क वितरण के लिए

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

पत्र-व्यवहार का पता :

संपादक, राजभाषा पुष्पमाला,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन, (दूसरा तल)
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

अनुक्रम

		पृष्ठ
□ संपादकीय		3
□ चिंतन		5
1. हिंदी साहित्य का विकासः अपभ्रंश साहित्य की परम्परा का विकास	— डॉ० एस०जे० दिवाकर	
2. राष्ट्रीय एकता और हिंदी	— श्रीमती वन्दना सक्सेना	7
3. प्रशासनिक हिंदी भाषा का व्याकरण	— डॉ एन०ई० विश्वनाथ अय्यर	8
4. हिंदी व्याकरण : कुछ भूली-बिसरी बातें	— हरि ओम मनचन्दा	12
5. प्रचार माध्यम और हिंदी	— डॉ दामोदर खड़से	14
6. भाषा में शब्द-ग्रहण की प्रक्रिया और हिंदी	— रमेश चन्द्र	16
7. कंप्यूटर ज्ञान	— राजेन्द्र सिंह राजपूत	21
□ साहित्यिकी		23
8. संस्कृत साहित्य का परिचयात्मक इतिहास	— डॉ शशि तिवारी	
9. आज की कविता : सहज कविता	— डॉ अंजनी कुमार दुबे 'भावुक'	29
□ पुरानी यादें : नए परिप्रेक्ष्य		31
10. दो जन्मशताब्दियों का मिलन : नेताजी तथा 'नवीन'	— डा० लक्ष्मी नारायण दुबे	
□ संस्कृति दर्शन		34
11. तीर्थ स्थलों में संरक्षित पुरातत्व	— डॉ कृष्ण नारायण पाण्डेय	
□ भाषा संगम		36
● उड़िया कविता — लंका कांड	अनुवादः प्रद्युम्नदास 'वैष्णव' 'विद्या वाचस्पति'	
● तेलुगु कविता — उस पार	अनुवादः वी० वेंकटेश्वरा	
□ प्रेरणापुंज		37
शैरे-कश्मीर शेख अब्दुल्ल का हिंदी	—मनसाराम 'चंचल'	

☐ पुस्तक समीक्षा

39

(इस स्तम्भ में पुस्तक के लेखक का नाम/समीक्षक का नाम पूर्वावर क्रम से दिया गया है)

समर्पित है मन, (डॉ॰ गोपाल बाबू शर्मा/नन्दन); हिंदी और उसकी उपभाषाएं: (डॉ॰ विमलेश कांति वर्मा/डॉ॰ मुकेश अग्रवाल); विकल्प (त्रैमासिक) (डॉ॰ दिनेश चमोला/अलका); प्रेरणा पुरूष (डॉ॰ राधाकृष्णन/डॉ॰ कमल नारायण बहुखंडी); आधुनिक यशस्वी हिंदी साहित्यकार (डॉ॰ नरेश कुमार/कंवर सिंह); पर्यावरण क्विज़ (शमशेर अ॰ खान/शान्ति कुमार स्याल); गुणवत्ता के संगः श्रमिक और प्रबंध (रामेश्वर दूबे/रेणु अरोड़ा); जंह जंह चरन परे गौतम के (तिक न्यात हन्ह/अफरोज अहमद खान); अल्पना स्मृति (शोक काव्य) (डॉ॰ इन्द्र सेंगर/मीनाक्षी रावत);

☐ राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियां

47

1. रेलपथ आधुनिकीकरण — तकनीकी संगोष्ठी
2. तसर उद्योग आज के संदर्भ में — तकनीकी सेमिनार
3. अंतर-बैंक राजभाषा संगोष्ठी
4. हिंदी सेमिनार

☐ हिंदी कार्याशालाएं

50

☐ हिंदी दिवस

55

☐ समिति समाचार

57

☐ विविधा

61

△ समाचार दर्शन
△ प्रोत्साहन/पुरस्कार
△ प्रशिक्षण

सम्पादकीय

राजभाषा भारती का 78वां अंक (जुलाई-सितम्बर, 1997) आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस त्रैमासिक के दो माह अगस्त तथा सितम्बर भारतीय इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए एक सम्पर्क भाषा की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से देशवासी अपने भावों एवं विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान सहजता से कर सकें। भारत में सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग सदियों से होता आ रहा है। इस लिए हमारे महापुरूषों, नेताओं आदि ने बड़ी सूझबूझ से भारतीय संविधान में 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया। सितम्बर माह में केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, संस्थानों आदि द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिनसे सारे देश का वातावरण हिंदीमय बन जाता है और अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने की भी प्रेरणा मिलती है।

यह वर्ष भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती का वर्ष है। भारत की स्वतंत्रता के स्मरणोत्सव के रूप में विभाग द्वारा विविध कार्यक्रमों को आयोजित करने की रूपरेखा तैयार की गई है। इन कार्यक्रमों से राजभाषा के प्रचार-प्रसार को और अधिक बल मिलेगा।

राजभाषा विभाग का सौभाग्य रहा है कि उसे समय-समय पर अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारियों का नेतृत्व प्राप्त होता रहा है। विभाग के सचिव श्री चंद्रधर त्रिपाठी, आई॰ए॰एस॰ 31 जुलाई, 1997 को सेवा-निवृत्त हुए। श्री त्रिपाठी जी के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित की गई। उनके स्थान पर राजभाषा विभाग के सचिव के रूप में श्री अशोक पाहवा, आई॰ए॰एस॰ ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि नयें सचिव जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में राजभाषा विभाग को एक नई दिशा मिलेगी।

हिंदी के महान साहित्यकार एवं विद्वान लेखक डॉ॰ धर्मवीर भारती का 5 सितम्बर 1997 को निधन हो गया। डॉ॰ धर्मवीर भारती न केवल हिंदी साहित्य के शिखर पुरूष थे बल्कि उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपना एक अनन्य स्थान बनाया। डॉ॰ धर्मवीर भारती ने हिंदी साहित्य की लगभग सभी विधाओं यथा नाटक, उपन्यास, काव्य, कहानी, पत्रकारिता आदि में रचनाएं की। 'धर्मयुग' के सम्पादक के रूप में उन्होंने उक्त पत्रिका को एक गया कलेवर और तेवर दिया। साहित्य और पत्रकारिता में विशिष्ट योगदान के लिए डॉ॰ भारती को 1971 में पदमश्री से विभूषित किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठित 'व्यास सम्मान'' और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने भी उन्हें पुरस्कारों से सम्मानित किया। ''राजभाषा भारती परिवार'' डॉ॰ धर्मवीर भारती के प्रति अपनी श्रद्धांजलि ससम्मान अर्पित करता है।

—प्रेम कृष्ण गोरावारा

हिन्दी अपनाइए इसे अपना बनाइए
50
स्वतंत्रता का मान बढ़ाइए

हिन्दी साहित्य का विकास अपभ्रंश साहित्य की परम्परा का विकास

—डॉ एस॰ जे॰ दिवाकर

हिन्दी साहित्य का प्रारंभिक युग सं॰ 1050 से 1375 तक माना जाता है। इस युग में दो प्रकार की रचनाएं हुईं—एक अपभ्रंश में और दूसरी देश भाषा में। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदि काल के भीतर इन अपभ्रंश रचनाओं को भी ग्रहण किया है क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अन्तर्गत मानी जाती रही हैं। कवि परम्परा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे भाषा कवियों के नाम गिनाती चली आई है, जो अपभ्रंश में हैं—जैसे कुमारपाल चरित्र और शारंगधर कृत हम्मीर रासो। इसके पूर्व ही प्रसिद्ध विद्वान् पं॰ चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने नागरी प्रचारिणी पत्रिका के नवीन संस्करण (भा॰2) में बहुत जोर देकर बताना चाहा था कि अपभ्रंश को पुरानी हिन्दी ही कहना चाहिए। आपने हिन्दी काव्य धारा में अपभ्रंश के अनेक कवियों की रचनाओं का संकलन करके महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपभ्रंश को हिन्दी का ही अंग या पूर्व रूप माना है।

यदि हिन्दी के विद्वानों की इन मान्यताओं को स्वीकार कर लिया जाय तो हिन्दी साहित्य का इतिहास बहुत लम्बा हो जाता है, उसका आरंभ 11वीं शताब्दी में न मानकर उसे खींच कर पीछे छठी शताब्दी में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर अब यह भली भांति सिद्ध हो चुका है कि अपभ्रंश भाषा में रचनाएं छठी शताब्दी में होने लग गई थीं। साहित्यिक भाषा के रूप में अपभ्रंश का उल्लेख सर्वप्रथम भामह ने (छठी शताब्दी) किया है। आगे फिर दंडी ने भी इसका उल्लेख किया और इसे आभीरों से सम्बद्ध बतलाया। आगे चलकर रुद्रट ने अपभ्रंश के भेदों का वर्णन किया। राजशेखर (880—920) के समय तक उनके काव्य मीमांसा से हमें ज्ञात होता है, अपभ्रंश पतित भाषा न समझी जाकर राजदरबारों में सम्मान पाने लगी थी। अपभ्रंश का आरंभ इस प्रकार विक्रम की आठवीं शती के पहले तक जाता है और 16वीं-17वीं शती तक इसमें रचना होती रही। यों भाषा के रूप में विकसित और प्रचलित होने का इसका इतिहास ईसा की तीसरी शती तक पीछे जाता है क्योंकि अपने नाट्यशास्त्र में भरत ने सात प्राकृतों के नाम गिनाने के पश्चात् शबर, आभीर, चाण्डालादिकों की भाषा को अलग स्थान दिया है। निश्चय ही यह भाषा और कोई न होकर अपभ्रंश का ही प्रारंभिक रूप रही होगी।

अपभ्रंश को हिन्दी से सर्वथा अभिन्न मानने में पर्याप्त कठिनाई उपस्थित हो सकती है। इस प्रकार तो हम पालि, प्राकृत, संस्कृत आदि साहित्य को भी हिन्दी साहित्य का अभिन्न अंग मान सकते हैं। हिन्दी का अपने पूर्ववर्ती साहित्यों से जो घनिष्ठ सम्बन्ध है, वह किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं करता परन्तु उनसे हिन्दी की अभिन्नता सिद्ध करने में इतिहास और भाषाशास्त्र द्वारा उपस्थित कठिनाइयों से भी हम आंख नहीं मूंद सकते। वास्तविकता यह है कि विशुद्ध भाषाशास्त्र की दृष्टि से अपभ्रंश और हिन्दी दो भिन्न भाषाएं हैं और ऐतिहासिक क्रम में अपभ्रंश का स्थान हिन्दी से पहले है। अपभ्रंश आर्य भाषा के मध्यकालीन तीन रूपों—पालि, प्राकृत, अपभ्रंश में अन्तिम है। इसी अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से आधुनिक आर्य भाषाओं-बंगाली, महाराष्ट्री, गुजराती, हिन्दी आदि का विकास हुआ।

हिन्दी का जन्म और उसमें साहित्य रचना आरंभ होने के पश्चात् भी कई शताब्दियों तक अपभ्रंश में साहित्य निर्माण का क्रम चलता रहा। विद्यापति के समान ऐसे भी कवि हुए जिन्होंने देश भाषा और अपभ्रंश दोनों में रचना की। इस काल की अपभ्रंश रचनाओं का समावेश हिन्दी साहित्य के इतिहास में हो तो वह कुछ युक्ति-युक्त जान पड़ता है क्योंकि हिन्दी साहित्य का निर्माण आरंभ हो जाने पर अपभ्रंश में रचना केवल परम्परा पालन मात्र कही जाएगी परन्तु समूचे अपभ्रंश साहित्य को, जो अपने परिमाण और कालव्याप्ति में इतना विपुल है, हिन्दी में समाहित कर देना अधिक तर्क संगत प्रतीत नहीं होता।

भाषा-शास्त्रीय दृष्टि से न देखकर साहित्यिक, परम्पराओं, काव्य रूपों, रूढ़ियों, रूप विधानों की दृष्टि से विचार करने से हिन्दी साहित्य अपभ्रंश की ही श्रृंखला प्रतीत होगा। दोनों में अभिन्नता लक्षित होगी, भाव धारा के लिए हिन्दी कवियों ने चाहे संस्कृत की ओर देखा हो, पर बाह्यरूपों के लिए वे अधिकांशतः अपभ्रंश की ओर ही झुके। अपभ्रंश के प्रबन्ध, खण्ड मुक्तक आदि काव्य भेदों के अन्तर्गत जितने प्रकार के भी प्रयोग हुए, उन सबकी अनुकृति हम परवर्ती हिन्दी साहित्य में पा सकते हैं। उदाहरणों द्वारा इस कथन को पुष्ट करने की आवश्यकता है।

हिन्दी के आदि काल में ही हमारा परिचय 'रासो' ग्रंथों से होता है। 'खुमानरासो', 'बीसलदेव रासो', 'पृथ्वीराज रासो', 'परमाल रासो' आदि हिन्दी के रासो ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। 'रासो' की यह रसवती धारा वस्तुतः अपभ्रंश से बहती हुई हिन्दी में आई। अपभ्रंश में पाये जाने वाले जैन काव्यों में बहुत सी रचनाएं 'रास' नाम से प्राप्त होती है। जैनों द्वारा रचित 'रास' धर्म के समीप और ऐहिकता से अलग होने के कारण उतने सरस नहीं हैं। जैसे 'उपदेश-रसायन रास' जो गुरु निन्दा या स्तुति आदि से सम्बन्धित है पर अपभ्रंश में सन्देश रासक जैसी ऐहिकतापरक वियोग श्रृंगार-पूर्ण रचना भी हुई, जिसका सीधा प्रभाव हिन्दी के 'रासो' ग्रंथों पर पड़ा।

हिन्दी में प्रेमाख्यानक काव्यों की दो श्रेणियां हैं। एक वर्ग तो उन रचनाओं का है जिनमें प्रेमाख्यान के साथ जीवन के गंभीर पक्ष की ओर ध्यान है और आध्यात्मिकता का भी पुट है। दूसरे वर्ग में प्रेम की परीक्षा कराते हुए प्रेमी-प्रेमिका का संयोग मात्र है। पहले वर्ग की रचनाओं में 'पद्मावती', 'मधुमालती', 'पुहुपावती' आदि हैं जो सूफी मुसलमान कवियों द्वारा निर्मित हुई। दूसरे वर्ग में 'ढोला मारू रा दूहा', चतुर्भुज दास निगम की 'मधुमालती' और गणपति की 'कामकन्दला' है। ये दूसरे वर्ग की कोरी ऐहिकतामूलक रचनाएं अपभ्रंश के इस प्रकार की काव्यों की परम्परा में हैं। जैन लेखकों की 'वसुदेव हिन्दी' आदि रचनाएं इनकी प्रेरणा के मूल में कहीं आ सकती हैं।

अपभ्रंश में स्वयंभू का 'पउमचरिउ' प्रसिद्ध चारित काव्य है जिसका सम्बन्ध रामकथा से है। पुष्पदन्त के महापुराण में भी यही कथा है। तुलसी का 'रामचारितमानस' इन्हीं की परम्परा की रचना है। 'मानस' के छन्दों की रूप-रेखा का अपभ्रंश के चारित्रकाव्यों के बंध से आश्चर्यजनक साम्य है।

हिन्दी में विशुद्ध महाकाव्य लिखने का सर्वप्रथम प्रयास 'रामचन्द्रिका' में मिलता है। छन्द विविधता 'रामचन्द्रिका' की अपनी विशेषता है। अपभ्रंश में रचित नयनन्दि का 'सुदर्शन चरिउ' तथा लालू का 'जिनदत्तचरिउ' अपनी इन्हीं विशेषताओं के लिए प्रख्यात हैं।

सूर के किंचित् कथा-सभन्वित पद गोरख, विद्यापति, कबीर, तुलसी, मीरा के मुक्तक पद इन सभी पर बौद्ध सिद्धों के गानों का प्रभाव परिलक्षित हुए बिना नहीं रहता। रामरागिनियों का निर्वाह दोनों में है, अन्तर केवल विषय विवेचन में है।

हिन्दी की रचना-शैली अपभ्रंश से प्रभावित है। दोनों के काव्यों में आरंभ में वन्दना, सज्जन-दुर्जन स्मरण तथा विनम्रता आदि मिलती है। स्वयंभू से 'पउमचरिउ' तथा तुलसी के 'रामचरितमानस' एवं जायसी के 'पद्मावत' में ये समानताएं देखी जा सकती हैं। जायसी ने देशादि तथा ऋतुओं का जो वर्णन किया है, वे भी अपभ्रंश के काव्यों में हैं। जायसी का वियोग वर्णन 'सन्देशरासक' के वियोग वर्णन के बहुत समीप है।

हिन्दी काव्य पर सर्वाधिक प्रभाव अपभ्रंश छन्दों का पड़ा है। अपभ्रंश छन्दों की सभी विशेषताएं हिन्दी में मिल जाती हैं। यहां आकर हिन्दी संस्कृत की अपेक्षा अपभ्रंश के अतिनिकट पहुंच जाती है। वर्णवृत्तों का संस्कृत में प्राधान्य है जबकि अपभ्रंश को मात्रिक छन्द ही अधिक प्रिय हैं। हिन्दी की रूचि अपभ्रंश की सी है। दोहा अपभ्रंश का अपना छन्द है। हिन्दी ने इस छन्द को ऐसा अपनाया कि उसे अभिव्यक्ति माध्यम के रूप में उच्चातिउच्च पद पर उठाकर प्रतिष्ठित कर दिया। दोहों में निर्मित हिन्दी में सतसइयों का एक सप्तक ही है जिसमें श्रृंगार, नीति, उपदेश, मत-विवेचन, वीरकाव्य आदि सभी कुछ मिल जाएगा। हिन्दी में विशेषता से प्रयुक्त चौपाई, सोरठा, छप्पय, वीर, रोला गीतिका, सार, ताटक, रूपमाला, मनहरण आदि जितने भी छन्द हैं, वे सभी अपभ्रंश में मजकर हिन्दी में पहुंचे हैं। सवैया, कवित्त, कुण्डलियों की धारा प्राचीन अपभ्रंश में नहीं मिलती किन्तु हिन्दी में इन छन्दों का प्रयोग विरल नहीं है।

अपभ्रंश के कवियों ने परम्परा से प्राप्त अलंकारों को तो अपनाया ही, साथ ही अपने चारों ओर के जीवन से भी नवीन सामग्री लेकर अप्रस्तुत योजना में मौलिकता प्रदर्शित की। हिन्दी के कवियों में भी ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। कबीर के जुलाहे आदि के रूपक इसी प्रकार की नवीनताओं की श्रेणी में आते हैं। ध्वन्यात्मक शब्दों के प्रयोग की विशेष प्रवृत्ति सर्वप्रथम अपभ्रंश में मिलती है। भौरों की गुंजार, संगीत की ध्वनि तथा वर्षा वर्णन के लिए प्रायः ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। हिन्दी में ही युद्ध, वायु, वर्षा आदि के वर्णनों में कवियों ने ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग करके अपनी मौलिक प्रवृत्ति का परिचय दिया किन्तु प्रभाव यहां भी उन्होंने अपभ्रंश से ही ग्रहण किया।

मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में प्रयुक्त कथानकों को दो वर्गों में रखा जा सकता है, एक तो पौराणिक (राम-कृष्ण आदि) और दूसरा लोक प्रचलित (पद्मावती, मृगावती आदि)। अपभ्रंश में भी यही दो प्रधान भेद मिलते हैं। पौराणिक कथानकों को हिन्दी ने चाहे संस्कृत से अपनाया हो परन्तु लोक कथानक अवश्य अपभ्रंश से विशेष रूप से प्रभावित हैं। सूफी काव्यों में सिंहलद्वीप की सुन्दरियों का वर्णन स्पष्टतः ही अपभ्रंश की 'भविसहत कहा', 'रत्नशेखर नरपति कहा' आदि रचनाओं में आये हुए वर्णनों से प्रभावित है। जायसी के 'ओगी खण्ड' ओगी वर्णन में 'जसहर-चरिउ' की प्रेरणा प्रत्यक्ष ही है। हिन्दी कृष्ण काव्य में कृष्ण के कुछ चित्र पुष्पदन्त के कृष्ण वर्णन से अत्यधिक साम्य रखते हैं। इस प्रकार हिन्दी के कथानक पर अपभ्रंश के कथानकों का पर्याप्त प्रभाव है।

आधुनिक हिन्दी काव्य की भाव धारा का भी बहुत कुछ साम्य अपभ्रंश से है। जैन, बौद्ध तथा शैव साधकों का अपभ्रंश में व्यक्त स्वर वाद में नाथपन्थ तथा सन्तों की हिन्दी रचनाओं में दिखाई देता है। ये सभी जप, तप, पूजा, अर्चना, तीर्थ, वर्ण, अवतार तथा शास्त्र के विरोधी थे। वैदिक युग से ही विरोध का यह स्वर गुंजित होता आया था। अपभ्रंश ने भी बारी आने पर यह धरोहर आगे बढ़ा दी, हिन्दी ने इसे स्वीकार किया और वही परम्परा अब तक किसी न किसी रूप में चली आ रही है। 'गुरू' के विषय में भी हिन्दी साहित्य अपभ्रंश से बहुत प्रभावित है।

सारांश यह है कि साहित्यिक परम्पराओं की दृष्टि से हिन्दी साहित्य पर अपभ्रंश का इतना अधिक प्रभाव है कि यह कहने में कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि हिन्दी साहित्य का विकास अपभ्रंश साहित्य की परम्परा का ही विकास है।

सरस्वती सदन, इन्दिरा कालोनी, (जे० एन० मार्शल) माला रोड, कोटा जंक्शन-2 (राजस्थान) पिन 324002

राष्ट्रीय एकता और हिंदी

—श्रीमती वन्दना सक्सेना

"मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना
हिन्दी है, हम वतन हैं, हिन्दोस्तां हमारा,
सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा"

"सर मुहम्मद इकबाल"

"हिन्दी ही एकमात्र भाषा हैं, जो समूचे देश को एक कड़ी में पिरोती है, हिन्दी यदि कमजोर होती है, तो देश कमजोर होता है, हिन्दी मजबूत होगी तो राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी।"

भारत उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 2000 किलोमीटर से अधिक तथा पश्चिमी क्षेत्र में द्वारका से लेकर पूर्वी क्षेत्र तक 2500 किलोमीटर से अधिक भू-भाग में फैला हुआ है। इतने विशाल भू-भाग पर 179 भाषाएं एवं 544 बोलियां बोली जाती हैं। इस विस्तृत भू-भाग को एकता में बांधे रखने में सिर्फ हिन्दी ही सक्षम है क्योंकि प्रांतीय भाषाएं सिर्फ उस प्रांत विशेष के लोगों को बांध सकती हैं, समस्त राष्ट्र को नहीं। इसीलिए सम्पूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए हिन्दी ही राष्ट्रभाषा के रूप में सक्षम हैं।

भाषा की इजाद मनुष्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं, जहां तक राष्ट्रीय एकता का सवाल है, भाषा इसमें अत्यधिक मदद करती हैं। प्राचीनकाल में संस्कृत ने राष्ट्रीय एकता को बांधे रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। संस्कृत के बाद हिन्दी राष्ट्रीय एकता को बनाये रखने का काम बड़े लगन से कर रही हैं। आज जबकि देश की एकता पर लगातार कुठाराघात हो रहे हैं। हर प्रांत अपने को अलग राष्ट्र व अपनी भाषा को सर्वोपरि बनाना चाहता है, तो हिन्दी ही एकमात्र भाषा है, जो समूचे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोये हैं।

राष्ट्र के एकीकरण एवं सर्वमान्य भाषा से बलशाली तत्व और कोई नहीं है। हिन्दी राष्ट्रीयता का मूल सींचती और दृढ़ करती है। राजर्षि टंडन के शब्दों में "हिन्दी ही देश की राष्ट्रीय एकता को सूत्रबद्ध करके संभाले रखने में सक्षम हैं।" डॉ॰ शिवसागर रामगुलाम के शब्दों में "हिन्दी प्यार और राष्ट्रीय एकता की भाषा है, यह हमेशा से जनता की भाषा रही है; और रहेगी"। राष्ट्रीय एकता को बनाये रखने में हिन्दी "वसुधैव कुटुम्बकम्" की भावना की ओर प्रेरित करती हैं। यह एक राष्ट्र एक मानव परिवार के लक्ष्य को सिद्ध करती हैं।

संत कन्फ्युसियस के शब्दों में "अपनी भाषा हीन होने से कोई देश आजाद नहीं रह सकता।" यदि किसी देश को गुलाम बनाना है, तो उसकी भाषा छीन लीजिये। अतः अपनी भाषा का होना हर देश के लिए जरूरी है, क्योंकि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, वरन् वह दिलों को जोड़ती हैं, मैत्री और राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करती है। राष्ट्रीयता के लिए मन-मस्तिष्क को सींचती है। हिन्दी ही ऐसी समृद्ध भाषा है, जो हर पहलू पर देश की एकता की पृष्ठभूमि पुख्ता कर रही है।

सर्वाधिक विशाल बहुभाषी लोकतंत्र होने की वजह से हमारे संविधान ने भी हिन्दी को राजभाषा घोषित किया है। क्योंकि हिन्दी सर्वाधिक समृद्ध भाषा है। इसमें एक करोड़ से भी अधिक शब्द हैं। साथ ही इसमें किसी भी भाषा के शब्दों को अपने में मिलाने की अद्‌भुत क्षमता निहित हैं। इसके अलावा हिन्दी सबसे अधिक सरल एवं सहज भाषा है, जो सबको एकता के सूत्र में बांधे रखती हैं। क्षेत्रीय भाषाओं की प्रवृत्ति क्षेत्रीयता को बढ़ावा देने की ही रही है, लेकिन हिन्दी ही है जो सारे देश को समुन्नत करने में सर्वाधिक सुयोग्य व सक्षम है। हिन्दी ही क्षेत्रीयता की समस्या को मिटाने एवं समस्त भाषा-भाषियों के मध्य परस्पर सौहार्द की भाषा को बढ़ाने में सर्वाधिक उपयुक्त हैं।

राष्ट्रीय एकता का बलशाली तत्व समृद्ध राष्ट्रभाषा है। राजभाषा हिन्दी है, क्योंकि वह अत्यधिक प्रयोजनी भाषा है। साथ ही हिन्दी सार्वभौमिक उपयोगी भाषा भी है। अतः हिन्दी ही राष्ट्रीय एकता बनाये रखने में योगदान का परिणाम शब्दों में आंकना संभव नहीं है। समस्त राष्ट्रीय एकता का आधार सिर्फ हिन्दी भाषा ही है। यही भाषा है, जो घर-घर पहुंच कर राष्ट्रीय एकता दृढ़ कर रही है। हिन्दी के बिना राष्ट्र गूंगा है और राष्ट्रीय एकता शून्य। सच तो यह है कि हिन्दी सिर्फ हिन्दी भाषियों की भाषा ही नहीं वरन् सारे राष्ट्र की हृदय वाणी है।

"महर्षि दयानन्द सरस्वती" के शब्दों में "हिन्दी ही राष्ट्रीय एकता को शाश्वत् तथा अक्षुण्ण बना सकती है"।

एम॰आई॰जी॰ एक (1) सरस्वती नगर, जवाहर चौक, भोपाल—462003

प्रशासनिक हिंदी भाषा का व्याकरण

—डॉ॰ एन॰ ई॰ विश्वनाथ अय्यर

बच्चे दूसरों से भाषा सुनते-सुनते सीखते हैं। भाषा-विद्वान किशोर छात्रों को भाषा का सही प्रयोग सिखाते हैं। हम लिखित भाषा में ज्यों-ज्यों अधिक कुशलता पाना चाहते हैं त्यों-त्यों भाषा का शुद्ध रूप समझने की उत्सुकता बढ़ती है। व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप बताने वाला शास्त्र है। शब्दों के हिज्जे एवं उच्चारण शब्दकोश या निघंटु में मिलते हैं। प्राचीन युग में अमरकोश अर्थबोध कराता था। युगों के दौरान भारतीय भाषाओं के व्याकरण का स्वरूप संशोधित होता रहा। बीसवीं सदी में खासकर स्वातंत्र्योत्तर युग में अंग्रेजी व्याकरण से नितराम प्रभावी व्याकरण ही भारतीय भाषाओं में मिलता है।

भाषा के प्रयोजनमूलक भेद

भाषा मूलतः मानव मन के भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम जरूर है। किंतु प्रकार्यात्मक दृष्टि से भाषा के कई भेद होते हैं। सांस्कृतिक व वैज्ञानिक प्रगति के अनुपात में भाषा का व्यवहार मंडल विस्तृत होता जाता है। भाषा विकास के नये आयामों के अनुसार—(अ) वैज्ञानिक (आ) तकनालजिक (इ) वाणिज्यिक (ई) धार्मिक (ङ) साहित्यिक आदि कोटियों का निर्धारण किया गया है। विदेशों में ऐसी कोटियों का स्वतंत्र पाठ्यक्रम तक होता हैं। पाठ्य-क्रम, पाठ्यग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ आदि अलग-अलग होते हैं। विदेशों से इन देशों में उच्च शिक्षार्थ पहुंचने वाले अपने क्षेत्र के अनुसार इनमें अन्यतम कोटि चुन लेते हैं। मेरा विनम्र विचार है कि प्रशासनिक हिन्दी की एक स्वतंत्र कोटि को स्वीकारने का समय आ गया है।

अब प्रशासनिक हिन्दी के व्याकरण की बात लें। प्रारंभ में व्याकरण की सामान्य चर्चा हो। भाषा व व्याकरण में से किसको अधिक महत्व एवं वरीयता दी जाय? यह सवाल उतना ही टेढ़ा है जितना कि आम सवाल— मुर्गी पहले हुई या अंडा? किंतु ज़रा सोचने पर हम अनुमान कर सकते हैं कि भाषा ही पहले रूपायित होती है, व्याकरण बाद में निर्धारित होता है। भारत की भाषाओं की गणना से स्पष्ट है कि यहां सैकड़ों बोलियां विविध विकास-स्तर पर पहुंची हैं। वे व्याकरणयुक्त एवं साहित्यिक या मानक भाषा के विकसित होने का प्रमाण भी है। जब भाषा में कोई प्रवृत्ति समाज द्वारा "साधु" (सही) स्वीकार की जाती है तब उसे व्याकरणिक साधुता की मुहर लगाते हैं। यह मुहर सार्वकालिक नहीं है।

व्याकरण एवं मुनित्रय

भारतीय भाषाओं के क्षेत्र में हमारा मानक संस्कृत भाषा का व्याकरण रहा है। संस्कृत भाषा में शब्दों के साधु रूप की व्याख्या व्याकरण द्वारा होती है— "व्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम्"। संस्कृत के व्याकरणों में "पाणिनीय" सब से अधिक प्रचलित एवं प्रामाणिक रहा। व्याकरणों के नाम बतानेवाला एक श्लोक है जिसमें ऐंद्रं चांद्रं काशकृत्स्नं काणादं शाकटायनं सारस्वतं चाणिशलं..... नाम हैं। पाणिनीय व्याकरण में यत्र-तत्र इन आचार्यों के नाम लिये जाते हैं। इनमें कोई-कोई अंशतः मिला था। पाणिनि ने व्याकरण को आठ अध्यायों के सूत्रों से (अष्टा ध्यायी) एवं धातुपाठ से प्रतिष्ठित किया। पाणिनि के काफी वर्ष बाद वररूचि हुए। उन्होंने देखा कि भाषा के कई प्रयोगों पर पाणिनि का निष्कर्ष असंगत है। अतएव उन्होंने उक्तानुक्त दुरूक्त चिंतन वार्तिकों से किया। सूत्रों के आधार पर वार्तिक रचे गये — "वाच्यम्" उनकी मुद्रा है। भाषा के विकास की धारा बहती गई। युगों के बाद पतंजलि ने 'भाष्य' लिखा। पाणिनि और वररुचि की असंगतियों पर विचार कर उचित विश्लेषण के बाद अंतिम रूप निर्धारण करना पतंजलि का कार्य रहा। विद्वान लोग इन तीनों को समान महत्व देकर "मुनित्रय" पुकारते हैं।

संस्कृत व्याकरण मुनित्रय द्वारा निर्धारित हुआ। इसके बाद लिखने बढ़ने का काम जिन्होंने संस्कृत में किया वे बड़े ध्यान से व्याकरण-नियमों का पालन करते रहे। कालिदास की भाषा और आधुनिक संस्कृत लेखन की भाषा—दोनों संस्कृत के प्रचालित व्याकरण का अनुसरण करती मिलेंगी। मुनित्रय के आदेश का उल्लंघन करने की धृष्टता प्रायः नहीं की जाती थी। संस्कृत व्याकरण का यह इस्पाती ढांचा उसे शुद्धता तो दे सका। किंतु जापानी या चीनी लोगों के पैरों की तरह बंधन से छोटा ही बनने दिया। नयी उक्तियों प्रयोगों के लिए संस्कृत को थोड़ा बहुत लचीला बनाने में बाधाएं आ गई। अब संचार माध्यमों की समाचार-बुलेटिन में संस्कृत को जोड़ तोड़कर बोलते देखकर हमें कुतूहल अनुभव होता है। किंतु उससे आगे बढ़कर संस्कृत भाषा लिखने का साहस बिरले ही लोग करते हैं। इस्पाती व्याकरणिक ढांचा इसका एक कारण है। जो व्यावहारिक भाषाएं बहता नीर हैं, विकासशील हैं। वे युगों के बीतते-बीतते काफ़ी रूपान्तर को प्राप्त करती हैं। भाषा को बहकने से बचाने के लिए बीच-बीच में मानक रूप एवं व्याकरण गढ़े जाते हैं। तथापि विकास की बाढ़ मानवकृत व्याकरण की बांध को बहा ले जाती है। नये व्याकरण की नई बांध बनानी पड़ती है।

प्रशासनिक हिन्दी

मैंने अपने इस नये मजमून पर नये भाषाचिंतक मित्रों से बातचीत की तो वे प्रयोजनमूलक हिन्दी या प्रकार्यात्मक हिन्दी पर ज़ोर देते थे। उनके

मन में प्रशासन भी भाषा का एक प्रयोजन है। अतएव प्रयोजनमूलक भाषा की चर्चा अपने आप प्रशासनिक की भी चर्चा हो जाएगी। उनकी दलील बिलकुल सही है। मगर इस आलेख में मैं केवल राजभाषा अर्थात प्रशासन की भाषा के ही व्याकरण पर अपनी चर्चा केंद्रित करना चाहता हूं। प्रशासन एक विस्तृत और तकनीकी विषय है। अतएव प्रशासनिक हिन्दी व्याकरण भी ऐसा विषय है जिस पर स्वतंत्र ग्रंथों की रचना आवश्यक है। यह हाल ही में विद्वानों द्वारा किये जाने वाले उपहास के उत्तर में भी आवश्यक हो गया है। साहित्य के प्रेमी आचार्य प्रशासनिक भाषा की विशिष्टता पर व्यंग कर के इसे "अष्टावक्र" की उपाधि देते हैं। यह पढ़ते हुए मुझे बिहारी का एक दोहा याद आया। वे त्रिभंगीलाल मुरली मनोहर से कहते हैं कि मुझ जैसे कुटिल को अपने भीतर स्थान देने तुम्हें त्रिभंगीलाल होना ही पड़ेगा। वहां भक्त के पापी होने का निवेदन है। भाषा का प्रयोग जब विभिन्न तकनीकी व प्रशासनिक क्षेत्रों में किया जाता है तब उसमें कितनी ही बारीकियां जोड़नी पड़ती हैं। यों करते हुए अगर भाषा अष्टावक्र सी लगे तो लाचारी है। अमरकोश में नानार्थवाची प्रकरण पढ़ते समय हमें आश्चर्य होता है—

—व्याकरण में एक पंक्ति स्मरण आती है—

"अंतरमवकाशावाधि परिधानान्तर्धि भेदवादर्थ्ये।"

एक 'अंतर' शब्द कितने अर्थों में प्रयुक्त होता है।

भाषा के विकास के दौरान ऐसा परिवर्तन-परिवर्धन अवश्य होता है। जब भाषा के प्रयोक्ताओं की संख्या हजारों से लाखों की होती है तब और भी नाजुक प्रसंग उपस्थित होता है।

भारत की प्रशासनिक भाषा—ऐतिहासिक पीठिका

भारत के पुराने इतिहास में हम अंग, वंग, कालिंग आदि अनेक छोटे बड़े राज्यों का वर्णन पढ़ते हैं। हर राज्य में अपने ढंग का शासन अवश्य चलता था और शासन के लिए शासन की भाषा अनिवार्य रही। अपनी सीमित जानकारी के आधार पर लिखना चाहता हूं कि तमिल भाषी दक्षिण भारत के खंड में तमिल शासन-भाषा थी। ट्रावंकोर, कोचिन, कालिकट आदि केरलीय राज्यों में अच्छे ढंग से मलयालम में शासन-संबंधी प्रत्राचार चलता था। राजा लोग मुख्यतः संस्कृत में लिखे कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मनुस्मृति आदि ग्रंथों से मार्ग दर्शन लेते थे। देश की परंपरा, अनुभवी नागरिकों का उपदेश आदि भी सहायता देते होंगे। सुशासन था। मैंने मलयालम व तमिल के उदाहरण ही दिये हैं। देश के अन्य भागों में-खासकर रियासतों में गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला, तेलुगु, कन्नड़ आदि स्थानीय भाषाएं प्रशासन के काम में आती थीं।

इसी सिलसिले में हिन्दी भाषी राजस्थान जैसे प्रदेश में उन दिनों प्रचलित हिन्दी प्रशासनिक भाषा रही थी। इसका प्रमाण डा० महेशचन्द्र गुप्त ने अपने शोधग्रंथ में प्रस्तुत किया है। उसके कुछ अंश (हिन्दी सदियों से राजकाज में) यहां उद्धृत हैं—

"पृथ्वीराज के राज्यरोहण का उल्लेख हमें जहां सन 1178 ई० के हिन्दी शिलालेखों में मिलता है। वहां मोहम्मद गोरी द्वारा चलाए गए सिक्कों पर भी देवनागरी लिपि अंकित दृष्टिगत होती है।

----कालान्तर में मराठों के शासनकाल में राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग पर्याप्त व्यापकता के साथ हुआ। उनके समय के उत्तर भारत के नरेशों के साथ हुए हिन्दी के पत्राचार के भी प्रचुर प्रमाण मिलते हैं। बड़ौदा नरेश ने तो अपने शासनकाल में न केवल हिन्दी का प्रचलन ही किया, प्रत्युत प्रशासकीय कार्य-व्यवहार में आनेवाला 'शासन-शब्द-कल्पतरू' नामक शब्दकोश भी तैयार कराया था जिसमें गुजराती, बंगला, मराठी तथा फारसी के अतिरिक्त हिन्दी शब्दों के विविध रूप दिए गए हैं। इस शब्दकोश को देखने से विदित होता है कि आज के प्रशासनिक कार्यों में जो शब्द प्रचलित है उनमें से अनेक उस समय भी व्यवहृत थे।------ग्वालियर के महाराजा सिंधिया ने तो 1853 में दीवान शेख गुलाम हुसैन को पत्र द्वारा आदेश दिया था कि सरकारी कामकाज में फारसी अरबी शब्दों का प्रयोग करने पर दंड की व्यवस्था रखी जाए और जयपुर के दीवान ने उर्दू के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग करने की आज्ञा जारी की थी।'

राजकाज में उर्दू

हम यह भी पढ़ते हैं कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में पहले उर्दू का बोलबाला रहा था। प्रशासन के अनेक क्षेत्रों में जिनसे आम जनता का संबंध था— उर्दू का प्रयोग करते थे। दक्खिन की हैदराबाद आदि रियासतों में उसका उपयोग अदालतों में भी किया जाता था। दक्षिण की हिन्दीतर भाषी मैसूर, ट्रावंकोर व कोचिन जैसी रियासतों के राजा उर्दू या दक्खिनी भाषी दक्षिण की बड़ी रियासतों के नवाबों से तथा दिल्ली के मुगल बादशाहों से उर्दू में पत्राचार करने थे। हिन्दुस्तानी की जानकारी कई अफसर रखते थे। पत्राचार और तर्जुमा के काम के लिए उर्दू मुंशी दुभाषी होते थे।

प्रशासनिक भाषा का युगे-युगे परिवर्तन

"प्रशासन" और "सरकार" शब्दों की व्याख्या राजनीति विज्ञान में बड़ी विस्तृत है। यहां हम शुद्ध व्यावहारिक चर्चा करेंगे। राजा या राष्ट्रपति या उसी तरह के कोई परम अधिकारी अपने देश/राज्य में जनता के जीवन को सुखी, शांतिपूर्ण और विकासशील बनाने के ध्येय से कुछ नियम, सरकारी प्रबंध आदि की व्यवस्था करते हैं। इस काम के लिए कई लोगों को वेतन पर नियुक्त करते हैं। लोगों की आर्थिक लेनदेन के लिए सरकारी टकसाल में सिक्के व मुद्राएं ढालते हैं। उन पर शासन का कोई प्रतीक चिह्नित होता है। महाभारत के विदुरवाक्य में राजा के सुशासन का सुन्दर विश्लेषण है। सिर्फ एक उदाहरण दूं। विदुर कहते हैं— विवेकी राजा को उपवन में खिले-खिले फूल ही तोड़ना चाहिए। धन लोभी माली तो खिली, अनखिली नवांकुरित सभी कलियों-फूलों को तोड़ लेता है। इसी तरह राजा को धनी एवं निर्धन सभी नागरिकों से लगान एवं अय सरकारी शुल्क जबर्दस्ती वसूल करना नहीं चाहिए।

मुझे केरल में शासन के तीन दौर देखने को मिले हैं। ट्रावंकोर राजा का शासन, ब्रिटिश सरकार का शासन तथा आज़ाद भारत की सरकार का शासन, इन तीनों के दौर में प्रशासन की मूल व्यवस्था में भारी परिवर्तन नहीं हुआ है। कारण यह कि अंग्रेज सरकार भारत का मुख्य शासन करती आई तो उसी का मार्गदर्शन रियासतों व अन्य प्रांतों में रह सकता था। फिर भी शासन के छोटे-छोटे क्रम बदलते गये हैं। मैं कोई क्रमबद्ध विवेचन नहीं कर रहा हूं। केवल कुछ फुटकल उदाहरण दे रहा हूं।

(क) प्राचीन काल में जनता स्वयं गांवों में पंचायत का इंतजाम कर लेती थी। यह अपने में शासन के कुछ धर्मों का निर्वाह करती थी। रियासती सरकार ने पंचायत का सरकारी विभाग स्थापित किया। आगे इनके विकास पर नगरपालिकाओं की व्यवस्था हुई। स्वतंत्र भारत में नगर निगमों की व्यवस्था की गई। इस विकास-दिशा के अनुसार शासन-प्रबंधन का विस्तार भी किया जाता था। भारत की प्राचीन संकल्पना में वन और आवास भूमि, नदी-तालाब और स्थल, ग्राम और नगर, ये अंतर थे। किंतु नगरपालिका व नगर निगम नवीन एकक हैं। नवीन एककों का शासन-प्रबंध दिल्ली में तैयार किये जाने वाले नियम-विनियम से शासित होता है।

(ख) रियासतों के परंपरागत जीवनक्रम में राजा से प्रजा का संबंध पारिवारिक-सा था। मलयालम की प्रसिद्ध कहावतें हैं— "तिरुवायूक्कु एतिर्वायिल्ला" (महाराजा के आदेश का प्रतिवाद कोई नहीं कर सकता) तथा "कल्पना कल्ले पिलर्क्कु" (राजा का आदेश शिलाखंड को फोड़ सकता है)। बीसवीं सदी तक आते-आते पूरे भारत में जो नवजागरण हुआ उसने रियासत के राजा को भी कुछ सुधार लाने को मजबूर किया। ट्रावंकोर में श्रीमूलम प्रजा सभा तथा बाद में श्री चित्रा स्टेट कौंसिल दोनों स्थापित हुई जो न्यूनाधिक मात्रा में रियासत की लोक सभा एवं राज्य सभा का काम करती थी। इन सभाओं ने शासन के लिए "अधिनियमों और अन्य उपायों की व्यवस्था करना शुरू किया। यों महाराजा के एकाधिकार से नियंत्रित अधिकार का विकास हो गया।

(ग) दैनिक जीवन में उथलपुथल-सी मचाने वाले कुछ सुधार भी रोचक हैं। ट्रावंकोर की मुद्राएं थीं—एक काशु (तांबे का), आठ काशु का अरच्चक्रम्, सोलह काशु का चक्रम, चार चक्रम का एक पणम, (तांबा) सात चक्रम का पाव रुपया, चौदह चक्रम का आधा रुपया। रियासत को रुपये का सिक्का ढालने का अधिकार नहीं था। पणम और ऊपर के सिक्के चांदी में ढलते थे। सरकारी रुपया हिसाब-किताब में था। ब्रिटिश रुपया 28½ चक्रम था तो सरकारी रुपया 28 चक्रम। अंग्रेज़ शासन में 1 दमड़ी, 3 दमड़ी—एक पैसा, छः दमड़ी-अधन्नी, 12 दमड़ी—एक आना, दुअन्नी, चवन्नी, अठन्नी और एक रुपया—इतने सिक्के थे।

स्वतंत्र भारत में संकल्पना में एक पैसा—दो पैसे, पांच पैसे, दस पैसे, बीस पैसे, पच्चीस पैसे, पचास पैसे, एक रुपया दो रुपये व पांच रुपये के सिक्के हैं। सिक्के कागज़ी नोट के रूप में अधिक चालू हैं।

तौल में केरल में कपंचु, पलं, रात्तल, सेर, मन आदि एकक थे। ये सभी स्वतंत्र भारत के दिनों में अखिल भारतीय नव कलेवर पा गये हैं। जब प्रथम बार माप तौल में ग्राम व किलोग्राम आये तब सब्जी खरीदते बड़ी शान अनुभव होती थी—दूकानदार को बताते—पांच सौ टमाटर, दो सौ हरी मिर्च आदि। ग्राम शब्द "अश्वत्थामा हतः कुंजरः" के कुंजर शब्द की तरह निगल जाते थे। अब वह चमत्कार फीका हो चुका।

ट्रावंकोर रियासत के पदाधिकारी और शासनक्रम में कई अखिल भारतीय हिन्दुस्तानी शब्द थे जो मुगल-शासन व दक्षिण के नवाबों के शासनक्रम के प्रभाव को सूचित करते थे। उन शब्दों के चालू होने के पहले तमिल व मलयालम के शब्द थे। (दस्तावेज) **तमिल-मलयालम** नीट्टु, तीट्टूरम, ओप्पुकु, संप्रति, विचारिप्पु (दो अधिकारी) **हिन्दुस्तानी :—जमाबंदी, किश्त, कोतवाली पेशकार, आमीन, सरिश्तेदार।**

अन्तरिम युग

आज़ादी का आंदोलन 1930-1947 में ज़बरदस्त रहा। 1949 में स्वतंत्र भारत का संविधान बना, हिन्दी को राजभाषा स्वीकार कर नये राजभाषा शब्दों का निर्माण होता गया। अंतरिम युग या संक्रमणकाल करीब पच्चीस वर्ष का था। उन दिनों खासकर भाषावार राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् सारी प्रशासनिक बातों को अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में पुनर्गठित करने का दौर सा चल पड़ा। इस दौर में लोग हमारे देश में परम्परा से प्रचलित हिन्दुस्तानी प्रशासनिक भाषा की बात ही मानों भूल गये। अगर यह भूल न होती तो स्वतंत्र भारत की राजभाषा में जो क्लिष्टता है उसकी नौबत न आती। नये अंग्रेज़ी पदनाम व शब्द स्वीकार करने के लिए लोग लालायित थे। गांव के अंश अधिकारी को विल्लेज अफसर पुकारा जाना प्रिय था। चपरासी, मोची, चौकीदार, दफेदार सभी क्लास फोर अधिकारी के शानदार नाम को तरजीह देने लगे।

इस अंतरिम युग के बाद 14 सितम्बर 1949 को संविधान ने राजभाषा का प्रावधान स्वीकार किया। अन्य भाषा भाषियों की खुशामद करने के लिए एक धारा जोड़ी गई कि अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को भी हिन्दी में लेकर उसका विकास किया जाएगा। एक सुविधाजनक शर्त जोड़ दी कि वे शब्द हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल हों। कई स्वार्थी पिता कमाऊ कन्या को घर से विदा कराना नहीं चाहते। वे जाहिर तो यही करते हैं कि लड़का हमारी शान व कन्या के गुणों के अनुरूप हो तो हमें विवाह कराने में कोई आपत्ति नहीं। मगर कोई जवान उनकी नजर में स्वीकार्य नहीं होता। चतुर व साहसी कन्या किसी सहयोगी को पटाकर रजिस्ट्रार के कार्यालय में पहुंच जाती है। इसके बाद कुछ हाय-तोबा मचने के पश्चात समझौता होता है। राजभाषा हिन्दी को अखिल भारत की सामासिक प्रकृति देने के लिए भी कुछ साहसी लोग आगे बढ़े। परंपरावादी तो नुक्स निकालते रहेंगे। खैर।

प्रशासनिक भाषा का व्याकरण

"प्रशासनिक हिन्दी भाषा का व्याकरण" शीर्षक सुनकर कोई पूछ सकता है कि क्या हिन्दीतर भाषी नया व्याकरण लिख डालोगे। नहीं बाबा, ना। मेरा मतलब इतना ही है कि भाषा के विकास को पहचानकर उसे बढ़ने का मौका देना चाहिए। यह नया शोध विषय है। दो तीन वर्ष और फील्ड वर्क (व्यावहारिक उदाहरण-संग्रह) मांगता है। सुदूर तिरुअनंतपुरम में रहते हुए मैं कर नहीं सकता। फिर भी मेरे विचार के कुछ बिंदु पेश हैं। नक्शे की पहली रूपरेखा मानिए।

हिन्दी की वर्णमाला में जितने वर्ण अभी हैं उनमें ज़, फ़, ड़, ढ—ये चार हिन्दी के रगास वर्ण प्रसिद्ध हैं। अखिल भारतीय वर्णमाला के रूप में परिवर्धित करने केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने एक परिवर्धित देवनागरी गठित की है। इसी को प्रशासनिक भाषा की वर्णमाला माना जा सकता है। उसमें अंग्रेजी लिपि ऑ (कॉलेज) आदि भी प्रावधान हो सकता है। "ऋ", आदि की मुद्राएं अभी न होने से भाषा की दुर्गति होती है, उसे दूर करना चाहिए। यह अखिल भारतीयता की मांग है, प्रशासन से सीधा संबंध नहीं।

वर्णमाला के बाद संधि प्रकरण आता है। हिन्दी भाषा परंपरागत संधि को वैसे भी तोड़ती आई है। नयी मुद्रण विधि आदि में यह सरासर संधि क्रम तोड़ती है। अतः प्रशासनिक भाषा के क्षेत्र में इसको निकाल दिया जा सकता है।

संधि और वर्णमाला के साथ हिज्जे की बात आती है। अंग्रेजी शब्द और अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द हिन्दी लिपि में लिखते हैं। प्रशासनिक भाषा में इनकी बहुलता है। इन्हें अधिकांश अन्य भाषाओं में जिस लहज़े से (ढंग से) लिखते हैं उसे अखिल भारतीय भाषा हिन्दी में भी स्वीकार करना ही उचित लगता है। सिर्फ "ऐ" "औ" के उदाहरण लें। संस्कृत व्याकरण के अनुसार "एदैतोः कंठनालु" और "ओदौतोः कंठोष्ठम्" ही उच्चारण स्थान है। हम केरल में Identity लिखेंगे "ऐडेंटिटि"। House लिखेंगे "हौस"। हिन्दी भाषी टकसाली लेखन में आइडेंटिटि और "हाउस" पसंद करते हैं। यह हमें नकली लगता है। तुरंत इस का जवाब मिलेगा "नहीं, नहीं हमारे लिए सहज है।" साथ ही यह स्मरण रहे कि अब अखिल भारतीय दृष्टि से हिन्दी को देखना चाहिए। अंग्रेजी-इंग्लैंड व अमरीका के लिए एक ही है। पर अमरीकी हिज्जे इंग्लैंड के हिज्जे से भिन्न भी होते हैं। मेरा निवेदन है कि अन्य भाषाओं जो हिन्दी में वैकल्पिक मानें। ऐडेंटिटि और हौस को भी सही लिप्यंतरण स्वीकार करें।

संज्ञाप्रकरण में मैं केवल एकाध बिंदु की ही चर्चा इस आलेख में करना चाहता हूं। प्रशासन की भाषा को प्रजातंत्रीय रूप मिला है तो अंग्रेजी में। अर्थात हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में आदरबोधक बहुवचन की प्रवृत्ति है। वह अंग्रेज़ी में बिल्कुल नहीं है अफ़सर आता है। चपरासी भी आता है। हिन्दी में अफसर आते हैं (पधारते हैं) चपरासी आता है। यह भाषा की परंपरागत प्रवृत्ति है। यदि इस बिंदु पर सारी प्रमुख भारतीय भाषाओं की प्रवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो अवश्य ही एक अखिल भारतीय ढांचा निकल सकेगा।

वचन के संबंध में यह बात मुझे बारबार अटकती है। दस्तखत (हस्ताक्षर), धन्यवाद और दर्शन शब्द प्रशासन में बारंबार आते हैं। अंग्रेज़ी में इसकी संकल्पना एक वचन में है। मलयालम व तमिल में भी एकवचन है। यदि अधिकांश भारतीय भाषाओं में यही स्थिति हो तो प्रशासनिक हिन्दी में भी इसे क्यों न चालू करें?

बड़े बाबू ने हस्ताक्षर किया।

हमने धन्यवाद दिया। आदि।

सर्वनामों के विषय में भाषा की अपनी परंपरा मानना जरूरी है। फिर भी अभी संबोधन के विषय में एक अखिल भारतीय ढांचा नहीं बन सका है। विस्तार से इस पर अध्ययन होना चाहिए। अन्य भारतीय भाषाओं की स्थिति भी विचारणीय है। "सर" "मैडम" दोनों ब्रिटिश सरकार ने चालू कर दिये। अंग्रेज़ भी अंग्रेजी में सर का स्त्रीलिंग रूप न पाकर फ्रेंच रूप स्वीकार करने के लिए मज़बूर हुए। हमारे देश में शासन में स्त्रियों को अधिकाधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग है। इस संबोधन को शानदार बनाने का भी प्रयास अवश्य करना चाहिए।

प्रशासन जब अंग्रेज़ों से हमने लिया तब झटपट प्रशासनिक हिन्दी गढ़ने की ज़रुरत पड़ी। उचित यही था कि पंचायती स्तर से लेकर देशभर में चालू प्रशासनिक भाषा की काफी सामग्री इकट्ठा करके उनसे चुना जाय। किंतु दिल्ली व अन्य महानगरों के विद्वान, भाषावैज्ञानिक और एकाध प्रशासक की समिति बैठकर फटाफट तत्सम शब्दों की सूची बनाती गई। हैदराबाद में आज़ादी के पहले जब उर्दू शब्द भंडार तैयार किया तब उन्होंने संस्कृत शब्दों से दूर रहने का हठ किया। उसी तरह हम उर्दू शब्दों से परहेज़ करते रहे। भाषा की सहजता कम हुई। अब सारी बातों को पलटना तुगलकवाली नीति होगी। परंतु अखिल भारतीय चिंतन से कुछ सरल शब्द निकल आएं तो प्रामाणिक शब्दावली में उन्हें जोड़ना व चालू करना उपयोगी रहेगा।

क्रियाशब्द भाषा के सब से महत्वपूर्ण अंग हैं। संस्कृत में क्रियाशब्द धातुओं से बनते हैं। धातुओं के प्रारंभ में उपसर्ग जोड़ते-जोड़ते अर्थविशेष आते हैं। विकासशील भाषाओं में क्रियाशब्द प्रसंगों से जुड़कर अर्थबोध कराते हैं। ऐसे शब्द-युगल या शब्द गुच्छ अंग्रेजी में मिल सकते हैं, जिनका सामान्य पर्यायवाची हिन्दी शब्द एक ही होता है। हम भिन्नता आने के लिए अलग शब्द गढ़ते हैं तो कृत्रिमता अपने आप आती है। इसे दूर करने के लिए बोलियों के शब्दों को भी जो जोड़ते हुए "क्रिया-समांतर कोश" तैयार करना चाहिए। वस्तुतः खड़ीबोली के पीछे इन बोलियों की उपेक्षा हो गई है। इसके बदले बोलियों के नये राज्य खड़ा करके देश का फिर से विघटन कराना भी आत्मघाती काम है। चाहिए तो यही कि बोली खड़ीबोली कोश खूब तैयार हों। उन शब्दों को भी हिन्दी में चालू करें। भाषा समृद्ध होगी।

उपसर्ग व प्रत्यय प्रकरण में व्याकरणकारों ने अभी-अभी विदेशी उपसर्गों की व्यवस्था की है। प्रत्ययों में अंग्रेजी शब्द व तत्सम प्रत्यय या देशी प्रत्यय जोड़ने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। प्रशासनिक व्याकरण में प्रशासन में काम आने वाले शब्दों को उदाहरण बनाना होगा-एक उदाहरण sterilisation निर्जर्मीकरणः- Globalisation-वैश्वीकरण आदि समाचारपत्रों से इनके उदाहरण इकट्ठे करना उचित होगा।

समास प्रकरण की प्रासंगिकता प्रशासन में नहीं रही है। संस्कृत में अव्ययी-भाव से लेकर बहुव्रीहि तक के समास शब्दों पर केंद्रित हैं। हिन्दी के समस्त पदों को भी काट-काटकर अलग लिखने की परंपरा चल पड़ी है। छोटे-छोटे संस्कृत शब्द ही समस्त रूप में लिखे जाने हैं — गजानन, त्रिवेणी आदि। यदि दो भाषाओं के पदों के समास बनाऐं तो बढ़िया रहेगा। वहां पुरानी पद्धति चालू नहीं रह सकती। अतः समासप्रकरण केवल सैद्धांतिक व्याकरण का महत्व रखता है।

हिन्दी प्रशासनिक एवं तकनीकी भाषा की स्थिति से कंप्यूटर पर प्रयोग करने की स्थिति में आ गई है। इसमें पुराने पूर्णविरामचिह्न की जगह अंतर्राष्ट्रीय विरामचिह्नों प्रयोग करना अधिक सुविधाजनक लगता है। इसी प्रकार अन्य विरामचिह्नों को प्रकरण व्याकरण के अंग के रूप में जोर देने का समय आ गया है। कालेजों-स्कूलों का पाठयक्रम तैयार करनेवाले विशेषज्ञों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रयोजनमूलक हिन्दी संक्षेपण, पल्लवन आदि को जैसा महत्व दिया जाता है। वैसा ही महत्व विरामचिह्नों के प्रयोग को देना होगा। पूरे पृष्ठ की सामग्री को अनेक अनुच्छेदों में बांटना, दिये हुए लंबे अवतरणों में मुख्य बिंदु पकड़ना आदि भी प्रशासनिक हिन्दी के व्याकरण के अंग होंगे।

प्रशासनिक हिन्दी व्याकरण का अध्ययन और अध्यापन केवल व्याकरण से पूरा नहीं होगा। उसके प्रयोग का अध्ययन पाठ्यग्रंथ से कराना होगा। प्रबंधन, मानव-संसाधन, विपणन, बैंकिंग, प्रसिद्ध न्यायालय निर्णय आदि का चयन करके उन्हें पाठ्यग्रंथ में दें। ऐसी सामग्री का प्रकाशन अब विकासप्रभा जैसी पत्रिकाएं करती हैं। इस दिशा में चिंतन अपेक्षित है।

प्रशासनिक भाषा, अनुवाद सरलीकरण आदि के विषय में कई व्यक्ति गंभीर अध्ययन करते आये हैं। सर्वश्री हरिबाबू कंसल, डा० कैलाशचन्द्र भाटिया, डा० ललिताप्रसाद बहुगुणा, डा० कृष्णाकुमार गोस्वामी आदि इनमें प्रमुख हैं। इनके और निजी प्रकाशकों के प्रयास से कुछ संदर्भ ग्रंथ भी निकले हैं। श्री अरविंदकुमार का हिन्दी समांतरकोश" भी इस दिशा में अत्यंत उपयोगी होगा। हमारे देश के उपक्रमों में प्रतिभाशाली हिन्दी अधिकारी इन बातों पर नये विचार दे सकते हैं। कुछ नया चिंतन कराने का समय आ गया है। यदि ठोस कदम उठाये जाऐं तो कम से कम 2000 तक प्रशासनिक हिन्दी की क्षेत्र में हम अच्छी प्रगति कर सकेंगे।

26/2035 कालेज लेन, तिरुअनंत पुरम, मद्रास

हिन्दी व्याकरण: कुछ भूली-बिसरी बातें

— हरि ओम मनचन्दा

भाषा विचारों के सम्प्रेषण का एक आधार है। इसके माध्यम से ही कोई व्यक्ति अपने उद्‌गारों को बोलकर अथवा लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति को सम्प्रेषित कर सकता है।

किन्तु, प्रत्येक भाषा का 'व्याकरण' उसके लिए एक 'कसौटी' का काम करता है। भाषा का विकास/बदलाव उसके बोलने वालों/लिखने वालों/प्रयोग करने वालों के सहयोग से सतत होता रहा है। जब कोई व्यक्ति किसी भाषा के शब्द/वाक्य आदि को लिखते/बोलते/प्रयोग करते समय असावधानी बरतता है तो उस भाषा का 'व्याकरण' तत्काल उसे टोकता/रोकता है और सुधार लाने के लिए मार्गदर्शन करता है। अतः व्यकरण 'प्रहरी' है जो हर समय त्रुटियों/गलतियों के बारे में सचेत करता रहता है।

किसी भी भाषा के 'व्याकरण" में सामाजिक, राजनैतिक तथा साहित्यिक परिस्थितियों के परिणामतः उसका विकास/परिवर्तन होना अपरिहार्य है। परन्तु, प्रामाणिकता इसी तथ्य में होती है कि कोई अच्छा व्याकरण दीर्घ समय तक अविरल गति से अपरिवर्तित रहे। अतः किसी व्याकरण की सजीवता ही उसकी 'पहचान' होती है और वह पहचान उस व्याकरण की वैज्ञानिकता पर 'खरा उतरने' से ही हो सकती है।

लिपि अंकित तथा दृश्य होती है अर्थात् वह चक्षुग्राही होती है, जबकि भाषा मुख से उच्चरित होती है तथा कर्णग्राही अर्थात् कानों से सुनी जाती है अथवा श्रवण की जाती है।

हिन्दी भाषा के व्याकरण का इतिहास अति प्राचीन है। इसकी लिपि 'देवनागरी' है, जिसका उद्‌गम 'ब्राह्मी' लिपि से हुआ है। उत्कृष्ट लिपि से ही किसी भाषा को स्थायित्व मिल सकता है। सार्वभौमिक सर्वविदित एवं प्रमाणित है कि इस भाषा का स्रोत दैववाणी 'संस्कृत' है। 'ब्राह्मी' लिपि के आविष्कारक ईसवी-पूर्व छठी शताब्दी में ब्रह्मा अर्थात् ऋषभदेव माने जाते हैं। इसी लिपि से ही बाद में अन्य सभी लिपियों का विकास हुआ। तदुपरान्त 'पाणिनि' एक ऐसे विख्यात मुनि एवं व्याकरण-विद् हुए हैं, जिन्होंने ईसवी-पूर्व चतुर्थ शताब्दी में 'अष्टाध्यायी' नामक प्रसिद्ध सूत्र-बद्ध व्याकरण ग्रंथ बनाया। कहा जाता है कि उन्हें भगवान शंकर के 'प्रसाद' से व्याकरण विषयक अगाध ज्ञान के साथ-साथ व्याकरण लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। उन्हीं का बनाया हुआ व्याकरण आधुनिक रूप में हम सभी के समक्ष प्रस्तुत है।

पाणिनि-कृत 'अष्टाध्यायी' व्याकरण एक अकाट्य, अविछिन्न एवं अमर कृति है। कारण कि यह प्रत्येक दृष्टि से वैज्ञानिकता पर आधारित है। तब से लेकर पिछले कुछ वर्षों तक उसमें लेशमात्र भी परिवर्तन/संशोधन नहीं हुआ है। उनका व्याकरण ध्वनि पर आधारित है, जिसमें एक सांकेतिक चिह्न से केवल एक ही ध्वनि का बोध होता है। यहां तक कि ह्रस्व-दीर्घ सभी स्वरों के लिए अलग-अलग संकेत-चिह्न हैं तथा स्वरों की मात्राएं भी निश्चित हैं। हिन्दी भाषा की वर्णमाला अपने आप में पूर्ण, स्पष्ट तथा सम्पन्न है। उच्चारण एवं लेखन में एकरूपता है, जिसके कारण यह व्याकरण 'सर्वोत्तम' की कोटि में आता है।

किसी भी देश की विकासशीलता एक सतत प्रक्रिया है। किन्तु, इस प्रगतिशीलता की गतिमयता में प्राचीन सांस्कृतिक एवं साहित्यिक धरोहर लुप्त-सी होने लगती है। हिन्दी भाषा के व्याकरण के साथ भी ऐसा हो रहा है। इस व्याकरण के प्रयोगकर्त्ता आज इसके प्रावधानों/बंधनों/सीमाओं से तीव्र गति से विमुख होते जा रहे हैं। शायद आधुनिकता की 'रेल-पेल' के कारण! शायद भौतिकवाद की 'चहल-पहल' के कारण।

आज हिन्दी भाषा को राजभाषा का गौरव प्राप्त है, किन्तु लोग आधुनिक चकाचौंध में समयाभाव के कारण हिन्दी भाषा के व्याकारण को भूलते-से जा रहे हैं। व्याकरण की कुछ भूली-बिसरी बातों से यहां अवगत कराने का प्रयास किया गया है।

1. पंचमाक्षरों का लोप:

हिन्दी भाषा की वर्णमाला (अकार से लेकर हकार तक) में सभी वर्णों (कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग) के अन्त में आने वाले सभी पंचमाक्षरों (ङ्,ञ,ण्, न् तथा म्) का आज लोप-सा हो गया है और उसके स्थान पर अनुस्वार (ं) का प्रयोग किया जाने लगा है। हालांकि इसे कई लोगों ने प्रयोग में सरलता लाने के नाते मान्यता भी प्रदान की है, तथापि हिन्दी के क्षेत्र में कामकाज करने वाले व्यक्तियों के निमित्त जानकारी अवश्य अपेक्षित है। व्याकरण के मापदण्डों के अनुसार किसी 'वर्ग' के अंत में आनेवाला पंचमाक्षर उस वर्ग के अन्तर्गत आनेवाले किसी भी व्यंजन के तत्काल-पूर्व होना अपेक्षित है। जैसे-

अङ्क, चञ्चल, ठण्डा, सन्ध्या, सम्पादक।

इसी प्रकार आज नासिक्य व्यंजन की बजाए केवल बिन्दु (ं) का ही प्रयोग होने लगा है।

2. हलंत का लोप:

तत्सम शब्दों से विमुख होते हुए अब तद्‌भव शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा है और तत्सम शब्दों के अंतिम व्यंजन के नीचे हलंत लगाने की प्रथा समाप्त होती जा रही है। उदाहरणार्थ—

अशुद्ध	शुद्ध
श्रेयस	(श्रेयस्)
सम्यक	(सम्यक्)
विद्धान	(विद्धान्)
महान	(महान्)
विधिवत	(विधिवत्)

3. उच्चारणगत अशुद्धियां:

यदि शब्दों अथवा व्यंजनों के उच्चारण में ध्यान नहीं दिया जाता तो उस शब्द के अर्थ तक बदल जाते हैं। आम तौर पर देखने में आता है कि तालव्य एवं दन्तोष्ठ्य व्यंजनों का प्रयोग करते समय लोग उच्चारण-स्थान बदल-से देते हैं। इसे उच्चारण-दोष कहा जाता है। जैसे—

(क) 'व' व्यंजन (केवल निचला होंठ दांतों से टकराता है) के स्थान पर 'ब' व्यंजन (दोनों होंठ जोड़कर)।

(ख) 'श' (तालव्य) तथा 'स' (दन्तोष्ठ्य) के उच्चारण-स्थान में अदला-बदली बहुधा देखी जाती है।

जैसे—

अशुद्ध	शुद्ध
सासन	(शासन)
सोसण	(शोषण)
रमेस	(रमेश)
इस्टेशन	(स्टेशन)
इस्कूल	(स्कूल)
रिस्ते ही रिस्ते	(रिश्ते ही रिश्ते)
राशीफल	(राशि-फल)

उच्चारण-स्थान में इस प्रकार का परिवर्तन प्रादेशिकता तथा आंचलिकता के कारण अनायास हो जाता है।

4. वर्तनी (Spelling) में त्रुटियां:

हिन्दी भाषा के शब्दों की वर्तनी ध्वनि अथवा उच्चारण के अनुरूप है, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। अंग्रेज़ी तथा अन्य भाषाओं के कुछ शब्दों के उच्चारण में अधिकांशतया गलतफहमी हो जाती है। किन्तु, यदि हिन्दी के व्याकरण के नियमों/सीमाओं/बंधनों का थोड़ा-सा भी ध्यान रखा जाए तो त्रुटियों से बचा जा सकता है। आम त्रुटियों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं:—

अशुद्ध	शुद्ध
पहलु	(पहलू)
मंजू	(मंजु)
घरेलु	(घरेलू)
हुये	(हुए)
किये	(किए)
स्थाई	(स्थायी)
उपरोक्त	(उपर्युक्त)
सरोजनी	(सरोजिनी)
उज्वल	(उज्ज्वल)
पुरुस्कार	(पुरस्कार)
प्रमाणिक	(प्रामाणिक)
अनुयाई	(अनुयायी)
मितव्ययता	(मितव्ययिता)
अनाधिकार	(अनधिकार)
करिये	(करिए)
रोड़	(रोड)
परवीन	(प्रवीण)

5. अन्य छोटी-छोटी त्रुटियां:

(क) एकवचन-बहुवचन:

एकवचन शब्दों का बहुवचन बनाते समय दीर्घ का ह्रास्व होता है, किन्तु कुछ त्रुटियों का उदाहरण नीचे देखिए:—

अशुद्ध	शुद्ध
कठिनाईयां	कठिनाइयां
मिठाईयां	मिठाइयां

(ख) शब्दों की संधि तोड़ना:

कभी-कभी दो संयुक्त शब्दों की संधि तोड़ने में आम तौर पर होने वाली त्रुटियों का अवलोकन कीजिए:—

'निराकरणोपरान्त' शब्द को तोड़ते समय 'निराकरणो-परान्त' कर दिया जाता है।

(ग) व्यक्ति के नाम को तोड़ना:

व्यक्ति का नाम सदैव एक ही पंक्ति में रखा जाना अपेक्षित है। किन्तु, यह देखने में आया है कि यदि किसी व्यक्ति का पूरा नाम एक पंक्ति में नहीं आ पाता है तो उसे गलत ढंग से तोड़ दिया जाता है तथा उसके दो टुकड़े करके दो पंक्तियों में अलग-अलग लिख दिया जाता है अथवा टाइप कर दिया जाता है जोकि अटपटा-सा लगता है अर्थात् उस व्यक्ति के नाम की गरिमा में ह्रास होता है। जैसे—

(i) भारत के प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति डॉ० शंकर दयाल शर्मा हैं।

(ii) सुप्रसिद्ध विद्वान विचारक, आत्मानुभूति-सम्पन्न अध्यत्मजगत के सुविख्यात तत्ववेत्ता श्री सतपाल जी महाराज।

(घ) अल्प विराम का उपयोग न करना:

बहुधा किसी विषय पर टिप्पणी तैयार करते समय यह देखा गया है कि पूरे वाक्य के बीच में ही पूर्ण विराम (।) लगा दिया जाता है। जैसे—

'चूंकि अध्यक्ष के पास समय कम था। इसलिए बैठक नहीं हो पाई।'

(ङ) पूर्ण विराम का लोप:

हिन्दी में प्रयोग में लाये जाने वाले पूर्ण विराम (।) का धीरे-धीरे लोप होता जा रहा है और उसके स्थान पर अब पूर्ण विराम के लिए अंग्रेज़ी के बिन्दु (.) का ही प्रयोग होना प्रारम्भ हो गया है।

निष्कर्षतया यह कहना होगा कि इस 'राकेट-नुमा युग' में हिन्दी भाषा एवं हिन्दी व्याकरण की अस्मिता को बनाए रखने हेतु नियमों को 'ताक' (अर्थात् काम में न लाना) में नहीं रख देना चाहिए। समयानुसार चलना सही बात है, किन्तु उचित एवं ग्राह्य सुधार अथवा संशोधन ही वरेण्य होता है।

देवनागरी लिपि तथा इसके व्याकरण का मूल ध्वन्यात्मकता है, जिसके आधार पर यह लिपि अन्य सभी भाषाओं/लिपियों से उत्कृष्ट है। इस लिपि ने अन्तर्राष्ट्रीय लिपि बनने की क्षमता संजो ली एवं अब अग्रसर हो रही है। अतः इसके व्याकरण की वैज्ञानिकता को भली-भांति पहचानना अपेक्षित है। □

प्रचार माध्यम और हिन्दी

— डॉ॰ दामोदर खड़से

हम यदि हमारे वर्तमान को विज्ञापन युग कहें तो गलत नहीं होगा। व्यापारिक संबंध सारी दुनिया को एक "वैश्विक गांव" में परिवर्तित कर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां देशों की सीमाओं को लांघकर अपना उत्पाद बेचने के लिए नये बाजारों की तलाश में हैं। गैट जैसे समझौतों के कारण अब यह संभव हो गया है कि दुनिया के तमाम देश अपने उत्पाद के लिए सारी दुनिया में खरीदारों की खोज करें, उन्हें रिझाएं और अपनी ओर आकर्षित करें। ज़ाहिर है, इससे स्पर्धा बढ़ेगी। स्पर्धापूर्ण बाज़ार में अपना उत्पाद बेचने का एकमात्र प्रभावी माध्यम है—प्रचार। जगमगाती दुनिया की चकाचौंध में विज्ञापन एक चमत्कार कह सकते हैं।

आज यदि हम सहज ही अपनी दृष्टि घुमाएं तो तरह-तरह के विज्ञापन हमें लुभा रहे होते हैं। समाचार-पत्र, रेडियो, दूरदर्शन हम न भी पढ़ें, सुनें, देखें तब भी विज्ञापनों से बच पाना आज असंभव है। हमारा समूचा जीवन विज्ञापनमय हो गया है। सड़कों पर, दुकानों के बाहर, बिजली के खंभों, रेलवे स्टेशनों, वाहनों, सार्वजनिक स्थानों, विविध कार्यक्रमों, खेलों आदि तमाम अवसरों-स्थानों पर विज्ञापनों की उपस्थिति अब सामान्य बात है। जन्म-मृत्यु, विवाह-उपलब्धियों के अवसर भी विज्ञापन की चपेट में हैं। साहित्यिक एवं गंभीर प्रकृति के कार्यक्रम भी विज्ञापन को समुचित स्थान देते हैं। विमानतलों के सौंदर्यीकरण, रेल-विमान के टिकट आदि ने भी विज्ञापन के माध्यम से अपने आपको "अर्थपूर्ण" पाया है। अर्थात् सुबह आंख खुलने से लेकर अपने आपको निद्रादेवी के हवाले करने तक आदमी तमाम विज्ञापनों के बीच सांस लेता है। इसीलिए इस विज्ञापन युग में बड़े-बड़े और महत्वपूर्ण उत्पादों के निर्माण के साथ यदि विज्ञापन पर ध्यान नहीं दिया तो उसके लिए ग्राहक खोजना एक असंभव काम हो जाएगा। अतः नमक से लेकर विमान तक के विज्ञापनों के बीच से हमें रोज गुजरना पड़ता है।

वैसे देखा जाए तो विज्ञापन का काम वस्तु को ग्राहक तक केवल "पहुंचना" मात्र है लेकिन कालांतर में, स्पर्धाओं के बीच उसकी भूमिका निर्णायक की हो चुकी है। वस्तु के चयन और विशिष्ट वस्तु की खरीद के लिए विज्ञापन "सलाहकार" का भी काम कर रहे हैं। निर्माताओं के लिए वस्तु को अधिक लाभदायी बनाने की दलाली भी विज्ञापन करते हैं। कहा जाता है कि विश्व के बुद्धिमान लोग आज साबुन के विज्ञापन में व्यस्त हैं। यह सही भी हो सकता है। पिछले दिनों एक घटना सामने आई है—एक कंपनी बालों के तेल का निर्माण करती है। प्रारंभ में उसका मूल्य रखा गया था—केवल ग्यारह रुपये। उत्पाद नहीं बिका। किसी ने विज्ञापन के लिए सुझाया। एक बड़े कंपनी के बैनर में उस तेल का धुंआधार प्रचार किया गया। उसका मूल्य रखा गया एक सौ बीस रुपये। देखते-देखते उत्पाद खपने लगा। बीच-बीच में व्यावसायिक तिकड़मों का सहारा लेकर उत्पाद समाप्त होने के बहाने बनाते हुए, निर्माता ने अपने उत्पाद को रेत से तेल निकालने वाली कहावत से चरितार्थ कर दिया।

प्रचार के इस युग में कार्यालय, संस्थान, कंपनी आदि के लिए पत्रशीर्ष, लिफाफे, फाइलें, फर्नीचर, स्टेशनरी, विजिटिंग कार्ड, नोटिस बोर्ड, कार, वाहन, भवन यहां तक कि कर्मचारियों की वर्दियों तक में प्रचार की तमाम सामग्री लगी रहती है। प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ये अपने संस्थान का प्रचार करते हैं। इसके अतिरिक्त कैलेंडर, डायरी, बोर्ड, बैनर, होर्डिंग भी सशक्त माध्यम के रूप में हैं। पत्र-पत्रिकाएं, रेडियो, फिल्में, दूरदर्शन तो स्थायी एवं लोकप्रिय माध्यम के रूप में है ही। विज्ञापन अब इतने आक्रामक हो चुके हैं कि जहां भी थोड़ी जगह दिखाई दी महानगरों की बस्तियों की तरह फैल रहे हैं। पेन, पेनस्टैंड, उपहार वस्तुएं, राखदानी आदि भी विज्ञापनों को ढो रहे हैं।

जहां कहीं रुचि, आकर्षण पैदा करने, लुभाने का अवसर होता है प्रचार के लिए उपयोगी समझा जाता है। इसीलिए खेलों के बीच विज्ञापन, उत्सवों में, मेलों में, सम्मेलनों और धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रमों में भी विज्ञापनों की उपस्थिति देखी जा सकती है।

कुल मिलाकर देखा जाए तो तरह-तरह के विज्ञापन किसी चीज़ के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज विज्ञापन एक शास्त्र के रूप में उभर रहा है। इसमें मनोविज्ञान का असाधारण महत्व है। आदमी की भीतरी इच्छाओं, आदतों, जिज्ञासाओं और आकर्षणों पर सवार होकर यह कार्य अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। अतः विज्ञापन को सफलता सौंपने का काम भाषा करती है। भाषा ही वह माध्यम है, जो विज्ञापन के संपूर्ण उद्देश्यों को सही अंजाम देती है। भाषा विज्ञापन की आत्मा होती है। कभी-कभी दिखाई देनेवाली सभी आकृतियों से भी भाषा का महत्व दुगुना होता है। विज्ञापन की भाषा अत्यंत सधी हुई होती है। कम-से-कम समय में अधिक-से-अधिक संदेशों को वह वहन करती है। पैने शब्द, तेज-तर्रार वाक्य और सीधे बयान आकर्षित करते हैं। कहा जाता है कि कोई भी विज्ञापन पहले पांच सेकंड में यदि दर्शक, श्रोता या वाचक को अपने पक्ष में कर ले तो ही वह सार्थक है। इसलिए इसमें उलझनपूर्ण, लंबे वाक्यों की बजाय सीधे-सपाट, बोलचाल की भाषा का उपयोग लाभप्रद समझा जाता है। शब्द बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। शब्द संयोजन, एक सृजनात्मकता की मांग करता है। शब्दों में, समाज की आस्थाएं, श्रद्धा, विश्वास, मनोवृत्ति, आचार-व्यवहार आदि समाहित होते हैं। इसलिए शब्दों को अर्थों के लिए, हीरों की तरह तराश कर विज्ञापन की भाषा निखरती है।

जहां तक हिन्दी का सवाल है, हिन्दी हमारे देश की मुख्य-प्रचार-भाषा है। हिन्दी भाषा के आलोचक भी इस बात को मानेंगे कि इस देश में उत्पादों को लोकप्रिय बनाने में हिन्दी का महत्वपूर्ण योगदान है। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यह बात बहुत पहले जान ली। उन्होंने अपने विज्ञापन हिन्दी में बनवाये। हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की उम्र ज्यादा नहीं है। इनके आने से पहले केवल समाचारपत्रों और रेडियो के

माध्यम से प्रचार किया जाता था। टीवी पर हिन्दी माध्यम से साबुन और टूथपेस्ट जैसी दैनिक चीजों की बिक्री में आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ोतरी हुई है।

हिन्दी गानों को रेडियो ने हिन्दी-हिन्दीतर भाषा-भाषियों में लोकप्रिय बनाया। हिन्दी फिल्मों ने प्रदेशों की दीवारें तोड़ दी और विदेशों में भी लोकप्रियता हासिल की। इस तरह दृश्य-श्रव्य माध्यमों ने हिन्दी को अपने लक्ष्य के लिए चुना। कई विज्ञापन तो हैं अंग्रजी में लेकिन उनकी भाषा हिन्दी है—"मोगांबो खुश हुआ...." महाकोला .... अंग्रेजी में भी लिखा गया। अंडरगारमेंट्स के अंग्रेजी विज्ञापन में— "ये अंदर की बात है....", या "फॉर .... हम कुछ भी करेगा...."। अधिक लाभप्रद सिद्ध हुआ। साथ ही, बाजार सर्वेक्षण में भी यह पाया गया कि दूरदर्शन पर दिए जाने अंग्रेजी विज्ञापनों के ठोस परिणाम नहीं आ पा रहे हैं। फिर इनका हिन्दी रूप दिया गया। सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार इसका उल्लेखनीय परिणाम हासिल हुआ। एक टीवी सेट के अंग्रेजी घोषवाक्य का अनुवाद कुछ इस तरह बना—"पड़ौसी की जले जान, आपकी बढ़े शान!"

भाषा किसी भी समाज की संस्कृति की धरोहर होती है। भाषा, विशिष्ट मुहावरों में ढलकर जन-जीवन का प्रतिबिंब बन जाती है। इन प्रतिबिंबों का उपयोग जब प्रचार कार्य के लिए किया जाता है तब सब कुछ भीतर से सहज-स्वाभाविक रूप से प्रस्फुटित होता है। सरकारी प्रचार-तंत्र भी सार्वजनिक हित में प्रचार करने के लिए हिन्दी और भारतीय भाषाओं को आधार बनाना अधिक उपयोगी पाता है। प्रौढ़-शिक्षा, परिवार नियोजन, सुरक्षा आदि के प्रचार कार्य में भारतीय भाषाओं का प्रयोग इस बात का जीवंत उदाहरण है। निजी संस्थाएं भी हिन्दी का प्रयोग उतनी ही आस्था के साथ कर रही हैं। नागरिकों की सामूहिक उत्कट अभिलाषाओं का उत्खनन कर अपने उत्पादों के साथ जोड़कर लाभप्रदता की ओर बढ़ने का उदाहरण है—स्कूटर का विज्ञापन—"बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर...." या "आम के आम गुठलियों के दाम...."और पेय पदार्थ के शब्दों और चित्रों के पार्श्व में धीमी पर अकर्षक धुन-गीत—"सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा!"

कुछ वाक्यांश अनुवाद से आए हैं, जो भारतीय जनमानस की सहज अभिव्यक्ति नहीं हैं। परंतु वस्तुओं की तासीर के अनुरूप उन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बना ली है। जैसे, "इसकी ठंडक बेमिसाल" या "तूफानी ठंडा"। अर्थात् भाषा को निरंतर जीवंत बनाये रखने के लिए जन-जीवन में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों के अनुकूल कुछ नये मुहावरे और अनुरूप शब्दावली का निर्माण करते रहना होता है। इस कसौटी पर हिन्दी ने अपने आपको खरा सिद्ध कर दिया है।

इधर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, आकाश से खूबसूरत खतरे की तरह भाषायी आक्रमण के तेवर लेकर आया है। स्टार सहित अन्य केबल कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसा लगा था कि युवा-वर्ग में हमारी भाषायी इयत्ता और सांस्कृतिक पहचान को धूमिल करने के लिए ही क्यों यह सब सायास किया जा रहा है। परंतु प्रायोजकों ने पाया कि भारतीय जन-मानस तक पहुंचने के लिए जनभाषा को ही अपनाना होगा। स्टार टीवी भी "जी" के अलावा हिन्दी सीरियल में जुट रहे हैं। कनाडा एयरलाइन्स ने पहले ही अपनी उड़ान-पत्रिका में हिन्दी खंड का समावेश कर लिया है। नये समाचारों के अनुसार अब अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका "टाइम" अपना हिन्दी संस्करण निकट भविष्य में बंबई से प्रकाशित करेगी। जाहिर है, दुनिया में अधिकतम बोली जाने वाली तृतीय क्रमांक की भाषा को अनदेखा कर कोई भी प्रचार-प्रसार माध्यम अपने ईष्टतम लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। अब भारत में शेयर बाजार में आम आदमी की रूचि को ध्यान में रखकर "सेबी" ने भी अपने प्रकाशनों में हिन्दी को समाविष्ट कर लिया है। इसलिए हिन्दी अब साहित्य के दायरे से निकलकर व्यवहारमूलक क्षेत्रों में भी अपनी विजय पताका फहरा रही हैं। जैसे-जैसे आर्थिक विकास के लाभ सामान्य जन तक पहुंचेंगे हिन्दी और भारतीय भाषाएं निरंतर उर्ध्वमुखी होती रहेंगी।

प्रसार माध्यम अपने को सुदृढ़ बनाने के लिए एक ओर हिन्दी की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, वहीं इन माध्यमों ने हिन्दी को भी व्यापकता प्रदान की है। यह निर्विवाद सत्य है कि हिन्दी को अहिन्दी भाषियों के बीच लोकप्रिय और सहज ग्राह्य बनाने में रेडियो, टीवी और फिल्मों की भूमिका अत्यंत प्रभावी रही है। भाषा की शुद्धता और विशिष्ट रूप का आग्रह-दुराग्रह रखने वाले भी इस बात को मानेंगे कि व्याकरण, भाषा की अनुगामी होता है। इसलिए जिस रूप में भाषा अभी विकसित हो रही है वह-जनभाषा के रूप में है। लिखित रूप में आते-आते वह अपना परिष्कार करती हुई निखरती रहेगी। रेडियो, टीवी, फिल्मों में प्रादेशिक उच्चारणों, लहजों और शैलियों में ढली हिन्दी एक दिन अपने अपेक्षित रूप को प्राप्त कर लेगी। आखिर अंग्रेजी को भी इन सारे संकटों से गुजरना पड़ा था।

विश्व में पर्यटन एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में उदित हो रहा है। पर्यटक विशिष्ट प्रचारक होता है। हिन्दी संमर्क भाषा के रूप में अपना ली गई है। देश के अधिकांश पर्यटन स्थलों के दर्शन हिन्दी करवा सकती है। धुर दक्षिण में भी बोलने में कुछ कठिनाई लगती दिखाई दे सकती है, परंतु अधिकांश लोग बात समझ जाते हैं।

नवीनतम रिपोर्टों से पता चलता है कि इंग्लैंड की दूसरी भाषा हिन्दी है। इंग्लैंड में एशियाई लोगों की संख्या लगभग 26 लाख है। जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगला देश, नेपाल, भूटान के लोगों का बाहुल्य है। सड़कों पर, इन लोगों से हिन्दी में पता पूछने पर हिन्दी में जवाब मिल सकता है। यह हिन्दी की ग्राह्यता का ताजा उदाहरण है।

अतः सर्वांगीण प्रचार माध्यम के रूप में हिन्दी को अपनाने के लिए आवश्यक है कि हमारी आस्थाएं राष्ट्रीयता को सुदृढ़ करने की अभिलाषा से ओतप्रोत हों। यह सब तभी आसान होगा जब देश का उच्च-वर्ग भी इस आस्था में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगा। निष्ठा के साथ नागरिकों द्वारा अपनायी जाने वाली भाषा के सामने सारे अवरोध अपने आप समाप्त हो सकते हैं।

उप मुख्य प्रबंधक (राजभाषा), बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, पुणे 5

भाषा में शब्द-ग्रहण की प्रक्रिया और हिन्दी

—रमेश चन्द्र

शब्द-ग्रहण का महत्व

भाषा के अनेक गुणों में से एक गुण यह भी होता है कि वह जिस भाषा के सम्पर्क में आती है, उसे प्रभावित करती है और उससे प्रभावित होती है। भाषा का यह गुण उसके सर्वश्रेष्ठ गुणों में से एक होता है। इसी गुण के कारण उसका निरन्तर विकास होता जाता है। ऐसी भाषा विशाल-हृदय होती है और वह किसी एक ही भाषा के शब्दों को नहीं, वरन् अपने सम्पर्क में आने वाली सभी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात् करती हुई उसी प्रकार वृहदतर रूप धारण कर लेती है, जैसे नालों को आत्मसात् करके नदी विशाल रूप में प्रवाहित होती है। ऐसी भाषा सामाजिक स्वीकारोक्ति की दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्वग्रहणशील होती है। उसमें अन्य भाषाओं के शब्द होने के कारण वह उन भाषाओं के प्रयोक्ताओं को जल्दी समझ में आने लगती है और उस समाज में शीघ्र मान्य हो जाती है। आधुनिक युग में विश्व-लोक के सिमट आने और विभिन्न देशों के मध्य सूचना-संक्रमण तथा व्यापार-व्यवहार अधिक तीव्र गति से होने के कारण इस युग की यह सबसे बड़ी आवश्यकता है। जो भाषा अन्य भाषाओं में घुल-मिल जाने का जितना अधिक गुण रखती है, वह भाषा उतनी ही उन्नत होती है। भाषा के साथ उसका समाज भी उतना ही अधिक उन्नत होता है और वह विश्व-समुदाय में अधिक तीव्रता से विकास करता है। अतः भाषा सामाजिक और राष्ट्रीय उन्नति का सबल माध्यम होती है और भाषा का यह लचीलापन उस भाषा के विकास का माध्यम होता है।

इस प्रकार भाषा का लचीलापन जहां उसे व्यापक रूप प्रदान करता है, वहीं वह एक समाज के व्यक्ति को दूसरे समाज के व्यक्ति से और एक देश को दूसरे देश से जोड़ता है। जिस व्यक्ति की भाषा की जितनी अच्छी पकड़ होती है, वह उतना ही अधिक उत्साही और आत्म-विश्वासी होता है और निस्संदेह उपर्युक्त प्रकार की भाषा के व्यक्ति तो और अधिक उत्साही एवं आत्म-विश्वासी होते हैं।

सौभाग्य से हिन्दी में अन्य भाषाओं के शब्दों को समा लेने का गुण विद्यमान है। यह वर्षों से तुर्की, अरबी, फारसी, फ्रांसीसी आदि जिस विदेशी भाषा के सम्पर्क में रही, उसके शब्दों को आत्मसात् करती हुई अधिक विकसित रूप को प्राप्त हुई है। इसके इस विकास को और व्यापक बनाने के लिए संविधान में भी यही अपेक्षा की गई है कि वह मुख्यतः संस्कृत और अन्य देशी भाषाओं के प्रचलित शब्दों को आत्मसात् करती हुई देश की सामाजिक-सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का सबल माध्यम हो। इस प्रकार हिन्दी जहां एक राजभाषा का रूप प्राप्त कर चुकी है, वहां यह रूप प्रायः सर्वमान्य भी हो चुका है।

शब्द-ग्रहण के स्वरूप

किसी भाषा में उपर्युक्त गुण दो स्वरूपों में देखने में आते हैं—तत्सम रूप में और तद्भव रूप में। हिन्दी भाषा में भी यह गुण इन दो रूपों में देखने में आता है, परन्तु इसमें "तद्भव" रूप भी आगे दो और रूपों में परिलक्षित होता है—तद्भव रूप में और अनुकूलित रूप में। तत्सम रूप में जहां दूसरी भाषा के शब्दों को ज्यों का त्यों ग्रहण करके अपनी लिपि में लिख लिया जाता है, वहां तद्भव रूप में शब्दों को दूसरी भाषा के शब्दों के आधार पर नियत किया जाता है। साथ ही, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, जो न तो तत्सम होते हैं और न ही तद्भव, वरन् दूसरी भाषा के शब्दों को अपने भाषा-व्यवहार के अनुकूल नया रूप दे दिया जाता है। यह रूप दूसरी भाषा की व्यवस्था के आधार पर नहीं होता तथा अपने आप में स्वतंत्र होता है। ऐसी व्यवस्था से बने शब्दों को अनुकूलित शब्द कहते हैं। शब्दों का अनुकूलन तद्भव शब्दों का ही और अधिक विससित रूप होता है तथा यह रूप दूसरी भाषा के मूल शब्दों से मिलता-जुलता होता है। यह अनुकूलन न केवल संज्ञादि में होता है, बल्कि काल, क्रियादि में भी होता है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि किसी भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा में निम्नलिखित रूप में ग्रहण किया जाता है:

रूप	लिखित भाषा में शब्द-ग्रहण	उच्चरित भाषा में शब्द-ग्रहण
1) तत्सम	√	√
2) तद्भव	√	√
3) तत्सम		
क) संज्ञानुकूलित	√	√
ख) क्रियानुकूलित	√	√
ग) वचनानुकूलित	√	√
4) संकर	×	√
5) प्रतिध्वनि	×	√

तद्भव रूप मुख्यतः तभी ग्रहण किया जाता है, जब स्रोत भाषा और ग्राही भाषा दोनों की लिपि एक ही हो और/अथवा दोनों में शब्द-निर्माण की प्रक्रिया मिलती-जुलती हो। उदाहरणार्थ, संस्कृत के शब्दों के आधार पर हिन्दी और भारत की अन्य भाषाओं में विद्यमान शब्द, अरबी/फ्रांसीसी के शब्दों के आधार पर फारसी/अरबी में विद्यमान तद्भव शब्द और अंग्रेजी/फ्रांसीसी के शब्दों के आधार पर फ्रांसीसी/अंग्रेजी में विद्यमान

तद्भव शब्द। इस बात को यानी शब्द-ग्रहण के उपर्युक्त स्वरूपों को हम आगे अंग्रेजी/हिन्दी से हिन्दी/अंग्रेजी में अपनाए गए शब्दों के आधार पर क्रमानुसार स्पष्ट कर रहे हैं।

अंग्रेजी से हिन्दी में अपनाए गए शब्द

1. लिखित हिन्दी में शब्द-ग्रहण

(1) अंग्रेजी के तत्सम रूप में गृहीत शब्द

लिखित हिन्दी में अनेक शब्द ऐसे हैं, जो अन्य भाषाओं के शब्दों के ही तत्सम रूप हैं। कई बार ऐसे रूप स्वयं स्रोत भाषा ने भी किसी अन्य भाषा से ग्रहण किए हुए होते हैं तथा शब्द-ग्रहण की यह प्रक्रिया एक भाषा से दूसरी भाषा में तथा दूसरी से तीसरी भाषा में और इससे आगे चलती रहती है। भाषाओं में शब्द-ग्रहण की यह प्रक्रिया अनायास ही होती है तथा इसी से वे समय के साथ-साथ और अधिक विकसित होती जाती हैं। इसी प्रक्रिया से धीरे-धीरे उनका रूप भी बदलता रहता है तथा कुछ समय बाद उनके रूप में काफी परिवर्तन आ जाता है। उर्दू भाषा का विकास इसी परिवर्तन का ज्वलन्त उदाहरण है। इस भाषा का विकास अरबी, फारसी और खड़ी बोली के शब्दों को ग्रहण करके हुआ।

इस परिवर्तन को और अधिक स्पष्ट ढंग से समझने के लिए किसी भी भाषा का व्यतिरेकी अध्ययन किया जा सकता है। आधुनिक हिन्दी को ही लें। इसका वर्तमान रूप कोई सद्य-स्फूर्त रूप नहीं है, बल्कि यह भी परिवर्तन की दीर्घ परम्परा का एक परिणाम है। परिवर्तन की यह परम्परा संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली आदि से होकर हिन्दी तक पहुंची है। इस प्रकार यदि प्राकृत की तुलना आधुनिक हिन्दी से की जाए, तो ये दोनों भाषाएं एक ही परम्परा की कड़ी हो कर भी दो स्वतंत्र भाषाएं लगेंगी और आधुनिक हिन्दी का कोई विद्वान विशेष रूप से सीखे बिना प्राकृत तो दूर, अपभ्रंश आदि को भी नहीं समझ सकता, क्योंकि इनमें होने वाले परिवर्तनों के परिणामस्वरूप इनसे अब तक हिन्दी के अलावा और कई-कई भाषाओं का विकास हो चुका है। इस प्रकार भाषा अपने आस-पास की भाषा के शब्दो को ग्रहण करके अपना रूप बदलती रहती है। हिन्दी में अंग्रेजी से अपनाए गए ऐसे कुछ शब्दों के उदाहरण हैं:

एडवोकेट, एरियल, एंटीना, एजेंसी, एजेंट, एयर-कंडीशन्ड, एयरकंडिशनिंग, एयरपोर्ट, एयरफोर्स, एयरमेल, अलार्म, एल्कोहल, एम्बुलेंस, अमीर, अमोनिया, अनीमिा, अनानास, अपील, एरिया, एटम बम्ब, एटलस, आटो, आथॉरिटी, ट्रंक, मास्टर, स्टेशन, स्टैंड, सेंटर, रेल, रेलवे, इंजीनियर, डॉक्टर, मिस्त्री, मास्टरी, पैंट, पेंट, पेन, पेंसिल आदि।

(2) अंग्रेजी से अनुकूलित शब्द

चूंकि अंग्रेजी तथा हिन्दी की लिपियां पृथक-पृथक हैं, अतः हिन्दी भाषा में अंग्रेजी भाषा के शब्दों के आधार पर निर्मित तद्भव शब्द नहीं मिलते। फिर भी, हिन्दी में अंग्रेजी के कुछ शब्दों को अनुकूलित करके अपनाया गया है। यह अनुकूलन संज्ञा, क्रिया आदि शब्द के अनेक भेदों तथा वचनादि में हुआ है। नीचे इनमें से प्रत्येक के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं:

(क) संज्ञा के स्तर पर अनुकूलन

Academy	अकादमी
Pantaloon	पतलून
Grease	ग्रीस
Fee	फीस
Gaol	जेल
Depot	डिपो
Boycott	बॉयकॉट
Contour	कंतूर
Monitor	मानीटर करना
Condemn	कंडम करना
Column	कॉलम
Nitrozen	नत्रजन
Oxyzen	ऑक्सीजन
Hydrozen	हाइड्रोजन, और
Dandy	डांडी

सभी अंग्रेजी महीनों के नाम, इत्यादि।

यहां एक बात और ध्यान देने लायक है। हिन्दी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी हैं, जो उच्चारण में अंग्रेजी शब्दों से मिलते-जुलते होने के कारण अनुकूलित शब्द का आभास देते हैं, परन्तु वे शब्द वस्तुतः अनुकूलित न होकर हिन्दी भाषा के स्वतंत्र शब्द होते हैं और उनका निर्माण भी हिन्दी भाषा की शब्द-निर्माण प्रक्रिया के अनुसार ही हुआ होता है। ऐसे शब्द अंग्रेजी शब्दों या उनसे अनुकूलित शब्दों से संयोगवश ही मिलते-जुलते होते हैं, उदाहरणार्थ—

interim	अंतरिम
inter-	अंतर-
upper	ऊपरी
name	नाम
un-	अन-
new	नव
glass	गिलास
bull	बैल
mix	मिश्र
mixture	मिश्रण
box	बक्सा
tomato	टमाटर
anchor	लंगर
tank	टंकी
hospital	अस्पताल

(ख) क्रिया के स्तर पर अनुकूलन

क्रियानुकूलन में अंग्रेजी के क्रियावाचक शब्दों का पहला भाग ज्यों का त्यों रख कर उनके क्रियार्थक अंश में ही अनुकूलन किया गया है, उदाहरणार्थ—

Plated	प्लेटित
Coated	कोटित
Coded	कोडित
Noted	नोटित
Fused	फ्यूज हुआ
Centred	सेंटरित
Laminated	लेमिनेटित
Plasticised	प्लास्टिकृत

(ग) वचन के सतर पर अनुकूलन

क्रियानुकूलन की भांति वचनाकूलन में भी अंग्रेजी शब्दों के पहले भाग

को ज्यों का त्यों रख कर उनके वचनसूचक अंश में ही अनुकूलन किया गया है, यथा—

Centres	सेंटरों, न कि सेंटर्ज
Teachers	टीचरों, न कि टीचर्ज
Masters	मास्टरों, न कि मास्टर्ज
Pantaloons	पतलूनों, न कि पतलून्ज
Gaols	जेलो, न कि जेल्ज
Depots	डिपो, न कि डिपोज
Cards	कार्ड या कार्डों, न कि कार्ड्ज

II. उच्चरित हिन्दी में शब्द-ग्रहण

उच्चरित हिन्दी में अंग्रेजी के शब्दों को तत्सम एवं अनुकूलित दोनों रूपों में अपनाया गया है। यूं भी कहा जा सकता है कि हिन्दी में बोलचाल के स्तर पर अंग्रेजी के शब्दों का अधिक स्वच्छन्द रूप से प्रयोग किया जाता है। हिन्दी के एक ही वाक्य में अंग्रेजी के कई-कई शब्दों का प्रयोग देखा जाता है। यदि बोलचाल की हिन्दी के कुछ अंश को लिखित रूप दे दिया जाए, तो बोलचाल की हिन्दी में अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग की मात्रा का अधिक अच्छी तरह ज्ञान हो जाता है और हिन्दी का उच्चरित रूप भाषा की चम्पू अवस्था को भी पार करता हुआ लगता है। हिन्दी कहलाने पर हमें गर्व हो सकता है, लेकिन बोलचाल में नितान्त रूप में शुद्ध हिन्दी का प्रयोग करने वाले हिन्दी अधिकारी तक भी बहुत कम संख्या में मिलते हैं। उदाहरण के लिये यहां अंग्रेजी से हिन्दी में अपनाए गए तत्सम शब्दों के कुछ नमूने दिये जा रहे हैं। ये नमूने भी केवल "a" से आरम्भ होने वाले कुछ शब्दों के ही हैं, कोई व्यापक या समष्टिपरक अध्ययन नहीं हैं। फिर भी इनके देखने मात्र से ही हिन्दी में अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग की व्यापकता का अनुमान लगाया जा सकता है:

(1) उच्चरित हिन्दी में अंग्रेजी के तत्सम शब्दों के उदाहरण

absent, absorb, academic, accident, account, accurate, actor, add, ad-hoc, admission, admit, adverb, advice, advise, advisory, advocate, advertise, arcial, antenna, afford, age, aged, age group, agency, aim, air, airy, aid, air-conditioned, air-conditioning, air-craft, air-mail, airman, aeroplane, airproof, airtight, alarm, alcohal, alert, algebra, all, allergy, allied, allocate, alocation, allow, allowance, almost, already, alternate, ambassador, ambulance, ameer, amonia, amendment, ammunition, amount, anaemia, ananas, and, animal, announce, annual, answer, anti-biotic, anti-clockwise, any, apology, appeal, architect, area, arm, artillery, arrange, arrest, article, atom, attach, attack, attempt, attend, attention, atest, attitude, attorney, attract, audience, aunt, author, auto, authority, automatic, automobile, autonomy, autograph, avail, avenue, avoid, axle, axis, etc.

(2) उच्चरित हिन्दी में अंग्रेजी के अनुकूलित शब्द

अंग्रेजी के शब्दों का हिन्दी में उच्चारण के स्तर पर भी अनुकूलन हुआ है और यह अनुकूलन लिखित भाषा की भांति वाक् में भी संज्ञा, क्रिया, वचनादि सभी स्तरों पर मिलता है। उच्चारण के स्तर पर अनुकूलन अधिकतर ग्रामीण स्तर पर हुआ है। यहां अंग्रेजी के शब्दों के उच्चारण में होने वाली कठिनाई से बचने के लिए उनको अपनी सुविधानुसर निर्धारित कर लिया गया है, उदाहरणार्थ—

(क) संज्ञानुकूलन

Doctor	डाक्दर
Director	डैरेक्टर
Government	गोरमिन्ट
Driver	ड्रैवर
Superintendent	सुपरिंडेंट
Side	सैड
Sales tax	सेल टैक्स
Labourer	लेबर
Sepoy	सिपाही
Compounder	कंपोडर
Helmet	हैल्मट
Pen	पैन
Headmaster	हेडमास्टर

सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो वस्तुतः अंग्रेजी भाषा का समग्र भारतीय उच्चारण ही उसका अनुकूलित रूप है, क्योंकि अंग्रेजी का जैसा उच्चारण इंग्लैंड में होता है, वैसा भारत में नहीं होता। यह अनुकूलन क्षेत्रीय भाषा से भी प्रभावित होता है। अतः हर क्षेत्रीय स्तर पर इसका भिन्न-भिन्न रूप में अनुकूलन हुआ है। यही कारण है कि किसी भाषा का उच्चारण अलग-अलग जगह पर अलग-अलग होता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी के कुछ शब्दों का इंग्लैंड और भारत में तुलनात्मक उच्चारण देखा जा सकता है:

शब्द	इंग्लैंड में उच्चारण	भारत में उच्चारण
Monitor	मॉनिट्ट	मानीटर
Boycott	बाइकॉट	बॉयकॉट
Bear	वे अ	बियर
Indirect	इन्-डि-रे क्ट	इनडायरेक्ट

(ख) वचनानुकूलन

उच्चरित भाषा में वचनानुकूलन क्षेत्रीय भाषा की उच्चारण प्रवृत्ति के अनुसार होता है, यथा—

Doctors डाग्दरां Sepoys सिपाइयां Quarters क्वार्टरां

(3) संकर शब्द

हिन्दी भाषा में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग न केवल वाक्य या शब्द स्तर पर ही बहुतायत रूप में होता है, बल्कि अब यह एक और सीमा पार कर रहा है—हिन्दी शब्द के भीतर अंग्रेजी ध्वनि का प्रयोग, यानी किसी हिन्दी शब्द के कुछ भाग में हिन्दी ध्वनि और कुछ भाग में अंग्रेजी ध्वनि का होना। इससे वह शब्द किसी भाषा का नहीं रह जाता, फिर भी ऐसा प्रयोग बढ़ता जा रहा है। पहले-पहल इसका प्रयोग केवल मजाकिया तौर पर होता था, परन्तु अब यह प्रयोग भी मजाक के स्तर को पार कर व्यापक सामाजिक स्वीकृति प्राप्त कर रहा है। फिल्मों में इसका प्रयोग अधिक देखने में आता है। ऐसे शब्दों के उदाहरण हैं: गड़बड़ेशन, करिंग, आइंग इत्यादि।

(4) प्रतिध्वनि शब्द

उच्चरित हिन्दी में अंग्रेजी के कुछ संज्ञा शब्दों को निम्नानुसार प्रतिध्वनित रूप में भी अपनाया गया है:

एयर-वेयर, बस-वस, रेल-वेल, कार-वार, ट्रंक-ब्रंक, सेंटर-वेंटर।

हिन्दी से अंग्रेजी में अपनाए गए शब्द

प्रत्येक भाषा अपने आस-पास की भाषा से प्रभावित होती है और उसे प्रभावित भी करती है, इसके लिए हमने अंग्रेजी द्वारा प्रभावित, लिखित तथा उच्चरित हिन्दी के उदाहरण देखें हैं, परन्तु भाषा की प्रवृत्ति के अनुकूल हिन्दी भी न केवल अंग्रेजी से प्रभावित हुई है, बल्कि उसने अंग्रेजी को प्रभावित भी किया है। इसे पूरी तरह समझने के लिए हिन्दी से अंग्रेजी में अपनाए गए कुछ शब्दों के उदाहरण भी दखे जा सकते हैं:

बुलबुल	bulbul	कोस	kos
बन्द	bund	कोयल	koel
खड्ड	khadd	कोहनूर	koh-i-noor
पक्का	pucca	कोतवाल	kotwal
रेहड़ी	rehri	कोतवाली	kotwali
डाक	dak	लंगूर	langur
पर्दा	purdah	सिपाही	sepoy
चौखट	chowkhat	राई	rye

शब्द-ग्रहण के स्तर

ध्वनि, शब्द, वाक्य और व्याकरण—ये चार घटक किसी भाषा को अन्य भाषाओं से भिन्न रूप में प्रकट करने के मुख्य माध्यम होते हैं। इन्हीं घटकों में उच्चारण, शैली, तान, सुर, आघात आदि सूक्ष्म स्तर पर शामिल होते हैं। उच्चारण के स्तर पर जब किसी भाषा का दूसरी निकटवर्ती भाषा से मेल बढ़ता है, तो वे एक-दूसरी को ध्वनि, शब्द, वाक्य और व्याकरण के स्तर पर क्रमिक रूप से प्रभावित करती हैं और उससे प्रभावित होती हैं। लिखित स्तर पर ध्वनि-प्रतीक ध्वनि का स्थान ग्रहण कर लेते हैं और वे ही किसी लिपि का अंग बनते हैं। अतः जब तक कोई भाषा किसी दूसरी भाषा की लिपि भी ग्रहण न कर ले, तब तक वह उस भाषा से ध्वनि के स्तर पर लिखित रूप में व्यापक रूप में प्रभावित नहीं होती। कोई भाषा जब दूसरी भाषा के शब्दों को तत्सम रूप में ग्रहण करती है, तब भी उन्हें वह अपनी ही लिपि में लिखित रूप देती है। दूसरी भाषा के कुछ छुट-पुट शब्दों को जब उसी की लिपि में किसी अन्य भाषा में लिख लिया जाता है, तो उनका वह रूप लिप्यंतरण कहलाता है, परन्तु यह भी लिपि-ग्रहण का उदाहरण नहीं कहा जा सकता।

इस प्रकार भाषा का लिखित रूप दूसरी भाषा से शब्द-स्तर पर ही प्रभावित होता है। ध्वनि-स्तर पर प्रभावित न होने का कारण तो ऊपर बताया ही गया है, वह वाक्य या व्याकरणिक स्तर पर भी प्रभावित नहीं होती। कारण, एक तो हर भाषा का कोई न कोई मानक लिखित रूप होता है। दूसरे, वाक्य और व्याकरण ही वे माध्यम होते हैं, जो उसके उस मानक लिखित रूप को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। इस कारण शब्द-स्तर पर प्रत्येक भाषा अन्य भाषाओं के शब्दों का समूह होती है।

भाषा की विशुद्धता

कोई भी भाषा अपने उद्‌भव काल में भी नितान्तः अपना ही कोई विशुद्ध रूप लेकर नहीं चलती; कालान्तर में उसके विशुद्ध बने रहने की बात तो दूर। भिन्न भाषा-भाषी व्यक्ति भी जब अपने विचार व्यक्त करते हैं, तब भी वे अपनी भाषा में एक-दूसरे की भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाषा के "विशुद्ध" रूप से केवल यही समझा जा सकता है कि किसी काल विशेष में भाषा का अमुक रूप प्रचलित था, न कि केवल उसी के शब्दों से बना उसका प्रचलित रूप, क्योंकि भाषा का "विशुद्ध" रूप भी कुछ समय बाद विशुद्ध नहीं रह जाता। इस प्रकार यदि यह कहा जाए कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र शुद्ध हिन्दी में लिखते थे, तो इससे तात्पर्य यह नहीं कि वे आधुनिक शुद्ध हिन्दी में लिखते थे, बल्कि यह कि उस समय जो हिन्दी प्रचलित थी, उसके शुद्ध रूप में लिखते थे।

हिन्दी का एक उदाहरण देखिए—स्वयं "हिन्दी" शब्द हिन्दी भाषा का नहीं है और इसकी लिपि भी मूलतः अपनी नहीं है, बल्कि संस्कृत की है। संस्कृत की "स" ध्वनि को फारसी में "ह" के रूप में बोला जाता है। इस प्रकार संस्कृत के "सिन्धी", "सिन्धु" शब्दों को ही फारसी में हिन्दी, हिन्दु कहा गया। हिन्दी में इस प्रकार गृहीत शब्द अनेक भाषाओं के हैं, परन्तु मोटे तौर पर वे इन तीन वर्गों के हैं—भारतीय आर्य भाषाओं के शब्द, भारतीय अनार्य भाषाओं के शब्द और विदेशी भाषाओं के शब्द।

शब्द-ग्रहण के कारण

यह कहा जाता है कि प्रत्येक भाषा अपने आप में सम्पूर्ण होती है, फिर भी उसमें अन्य भाषाओं के शब्द-ग्रहण की आवश्यकता पड़ती है। भाषा की सम्पूर्णता से यह तात्पर्य नहीं होता कि वह समूचे विश्व की सभी ध्वनियों, भावों और वस्तुओं को प्रकट करने में सक्षम है, बल्कि यह कि वह अपने समाज की सभी ध्वनियों, भावों और वस्तुओं को प्रकट करने में सक्षम है। यही कारण है कि संस्कृत जैसी प्राचीनतम और समृद्धतम भाषा में भी बर्फ के विभिन्न रूपों के नाम विद्यमान नहीं हैं, जबकि टुंड्रा प्रदेशवासियों की भाषा में ये सभी नाम मिलते हैं। कारण स्पष्ट है—ये नाम संस्कृत भाषा-भाषियों की आवश्यकता नहीं हैं, जबकि टुंड्रावासियों की हैं। परन्तु आधुनिक युग में परिवहन तथा संचार के साधनों के विकास, विभिन्न देशों के लोगों के मध्य बढ़ते सम्बन्ध, तीव्र-प्रौद्योगिकीय विकास, नई-नई मंडियों खोजने की आवश्यकताओं तथा एकीकृत विश्व-अर्थ व्यवस्था की अवधारणा को साकार रूप देने में सबसे पहले भाषा ही अड़चन बनती है। अतः हर देश की भाषाओं में विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, विशेषकर इन परिस्थितियों में, जब पश्चिम की खोजों और आवष्किारों के फलस्वरूप इन भाषाओं में ऐसे शब्द आने लगे, जो उनमें पहले नहीं थे। जब ये आविष्कार भारत में अपनाए गए, तो भारत में भी उसी शब्दावली की आवश्यकता तो पड़ी, परन्तु भारतीय भाषाओं में उनके पर्याय मौजूद नहीं थे। फलस्वरूप विदेशी भाषाओं का एक विशाल शब्द-समूह हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में ग्रहण कर लिया गया।

हिन्दी भाषा में शब्द-ग्रहण एक और कारण से भी हुआ। भारत प्राचीन काल से ही अंग्रेजों, डच, फ्रांसीसियों, तुर्कों, मुगलों, मंगोलों, हूणों, अफगानों आदि के अधीन रहा। अतः इनके अधीन रहने के कारण भारतीयों को इनकी सांस्कृतिक विरासत भी मिली और भारतीय भाषाओं में उनके विशाल शब्द-समूह का समावेश हो गया।

शब्द-ग्रहण के सिद्धान्त

भारतीय भाषाओं में विदेशी भाषाओं के ऐसे विशाल तथा मनमाने शब्दों का समावेश तो हो गया, परन्तु उन्हें सही ढंग से लिखने की जानकारी के अभाव में उनका रूप बिगड़ने लगा। अधिकाधिक शब्दों की वर्तनी में अशुद्धियां होने लगी। मसलन, लोग यह नहीं समझ पा रहे कि सेंटर को सेंटर, सन्टर या सेन्टर तथा फैक्टरी को फैक्टरी, फैक्टरी या फैक्टरी में से कौन-सा लिखा जाए। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने शब्द-ग्रहण के कुछ सिद्धान्त निर्धारित किए, ताकि परभाषा के शब्दों को हिन्दी में अपनाने और उन्हें लिखने में कोई विरोधाभास न हो तथा इन्हें अपनी विभिन्न भाषाओं की प्रकृति के अनुरूप ढाल कर इनका राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयोग किया जा सके। ये सिद्धान्त इस प्रकार हैं:

(1) अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों को ज्यों का त्यों रखा जाए, अर्थात् उनका केवल लिप्यंतरण किया जाए। इस कोटि में वे शब्द आते हैं, जिनका प्रचलन विश्व-व्यापी स्तर पर हो गया है।

(2) नए शब्दों का निर्माण संस्कृत धातु से किया जाए।

(3) क्षेत्रीय स्तर के बहुप्रचलित हिन्दी शब्द अपना लिए जाएं।

(4) हिन्दी पर्याय ढूंढते समय सहजता, यथार्यता एवं सुबोधता पर विशेष ध्यान दिया जाए। रूढ़िवादी तथा विशुद्धतावादी प्रवृति से बचा जाए।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों के बहु-प्रचलित देशी शब्दों का प्रयोग जारी रखा जाए, यथा telegram के लिए तार, post के लिए डाक, continent के लिए महाद्वीप।

(6) विदेशी भाषाओं के प्रचलित शब्द अपना लिये जाएं, यथा टिकट, ब्यूरो, डीलक्स, पुलिस आदि।

(7) अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों का लिप्यंतरण उनके उच्चारण के अनुरूप किया जाए।

(8) अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों को, जब तक अत्यधिक अनिवार्य न हो, पुल्लिंग रूप में ही लिखा जाए।

(9) संकर शब्दों (यथा guaranteed के लिए गारंटित, classical के लिये क्लासिकी, codifier के लिये कोडकार) को अपना लिया जाए।

(10) सामासिक शब्दों का प्रयोग उनके मध्य हाइफन लगा कर किया जाए।

(11) जहां आवश्यक हो, नए शब्दों के निर्माण में हल-चिह्न का प्रयोग किया जाए, और

(12) शुद्ध पंचम वर्ण के बदले अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, परन्तु lens, patent आदि को लेन्स, पेटेन्ट रूप में ही लिखा जाए, न कि लेंस, पेटेंट या पेटेण्ट रूप में।

उप-निदेशक (हिन्दी), भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, नई दिल्ली 110002.

किसी भी भाषा का विकास तब होता है, जब वह जनसाधारण के हृदय में स्थान पाती है। हमने अपने संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए हमें देखना है कि सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग हो ।

— राजीव गांधी

कंप्यूटर ज्ञान

— राजेन्द्र सिंह राजपूत

ास्तव में कंप्यूटर क्या है?

विश्व के कुछ चुने हुए शब्दकोशों में कंप्यूटर की परिभाषा एक इलैक्ट्रॉनिक संयंत्र के रूप में दी गई है जो कि गणना अथवा प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के उपयोग में आता है। यह यंत्र ऐसी गणनाओं एवं प्रक्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है जिसे सीधे गणितीय अथवा तार्किक रूप में व्यक्त किया जा सकें।

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि कंप्यूटर एक इलैक्ट्रॉनिक यंत्र है ऐसा कहना वर्तमान स्थिति में तो सही है परन्तु इतिहास को देखते हुए ऐसा कहना पूर्णरूप से सही नहीं है। शुरू में कंप्यूटर मैकेनिकल थे, बाद में इलैक्ट्रो-मैकेनिकल यंत्र के रूप में भी इनका निर्माण हुआ। कंप्यूटर के द्वारा मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में उपयोगी कार्य किया जा सकता है, जो कि डाटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटर साधित नियंत्रण अथवा आपरेशन हैं। एक बात बताना बहुत ही आवश्यक है कि कंप्यूटर कुशाग्रबुद्धि का जीव नहीं है किन्तु यह ऐसा यंत्र है जो कि बिना थके लम्बे समय तक कार्य कर सकता है। यह जो कार्य करता है उसमें त्रुटि की कोई संभावना नहीं होती, जब तक कि कंप्यूटर में कोई विशेष खराबी न आ गई हो। लेकिन क्या कंप्यूटर मनुष्य की तरह कार्य कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर हां और नहीं दोनों में देना ही उपयुक्त न होगा। आप किसी भी मनुष्य से अपनी या उसकी भाषा में आदेश देकर कोई भी कार्य करवा सकते हैं लेकिन उस स्थिति में यदि कोई दूसरा मनुष्य आपकी भाषा नहीं समझ पा रहा हो तो आपके द्वारा दिया हुआ कार्य वह नहीं कर पाएगा। कंप्यूटर केवल वही प्रक्रियाएं एवं गणनाएं कर सकता है जिन्हें तार्किक अथवा गणितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए कंप्यूटर के द्वारा कोई भी कार्य करवाने के लिए एक निश्चित रूप में निर्देश देना होता है जो कि कंप्यूटर समझ सके। हालांकि वर्तमान कंप्यूटर में निर्देश देने की क्रिया अत्यन्त सरल है, एवं आने वाले समय में कम्पयूटर के द्वारा कार्य और भी सुगमता से किया जाएगा। दूसरी ओर हम देखें कि विश्व के अनेक विकसित देशों में ऐसे मशीनी मानव बनाए जा चुके हैं जो कि कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित होते हैं एवं व्यापक तौर पर वांछित कार्य कर सकते हैं। फिर भी अभी तक सम्पूर्ण विश्व मनुष्य के समतुल्य मशीनी मानव नहीं बना पाया है।

कंप्यूटर द्वारा प्रोग्राम का कार्यान्वयन एवं उसका आधारभूत कार्यः

प्रोग्राम निर्देशों का एक ऐसा क्रमबद्ध संकलन है जो कि उपलब्ध डाटा पर प्रक्रिया करके वांछित कार्य करने में कंप्यूटर को सक्षम बनाता है। आधुनिक डिजीटल कंप्यूटर में डाटा को द्विभाषी अंकों (0, 1) द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इन्हें बाइनरी डिज़ीट अथवा सिर्फ बिट्स बोला जाता है। सामान्यतः जो डाटा हम प्रयोग करते हैं, उनके लिए हम अंकों (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), अक्षरों A से Z तक, गणितीय चिह्नों (+, –, × आदि), तुलना दर्शाने के लिए आपरेटर (–, >, < आदि) और कई अतिरिक्त विशेष चिन्ह (, [,) आदि) का प्रयोग करते हैं। समस्या यह है कि कंप्यूटर को इन्हें कैसे ग्रहण कराया जाए? कंप्यूटर में साधारणतौर पर उपर्युक्त एक चिन्ह, जिसे हम प्रचलित तकनीकी भाषा में कैरेक्टर कहते हैं, को आंतरिक रूप से दर्शाने के लिए 8 बिट्स का प्रयोग किया जाता है। इन 8 बिट्स के द्वारा 256 अलग-अलग चिह्न को दर्शाया जा सकता है, दूसरे शब्दों में 8 बिट्स के द्वारा 256 आइटम्स को अलग-अलग चिह्न को दर्शाया जा सकता है, दूसरे शब्दों में 8 बिट्स के द्वारा 256 आइटमस को अलग-अलग प्रस्तुत किया जा सकता है। इन 8 बिट्स के समूह को एक बाइट कहा जाता है। इसलिए वास्तव में कंप्यूटर को एक करैक्टर को आंतरिक रूप से ग्रहण कराने के लिए एक बाइट की आवश्यकता पड़ती है। अधिकतर कंप्यूटर ऋणात्मक तथा घनात्मक संख्याओं को आंतरिक रूप से ग्रहण करने के लिए 2 या 4 बाइट का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में एक और अन्य शब्द का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है जिसे वर्ड (Word) कहते हैं। वर्ड वास्तव में वह इकाई सूचना है जिसको कंप्यूटर एक ही समय में प्रोसेस अथवा स्थानांतरित कर सकता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि वर्ड उन बिट्स की संख्या के बराबर होता है जिनका गमन एक ही बार में सी०पी०यू० और मेन मैमोरी के बीच में होता है। वर्ड एक आधारभूत मैमोरी की इकाई भी है जो कि अंकों को कंप्यूटर में संग्रहीत करती है। आमतौर पर वर्ड 8, 16, 32 या 64 बिट्स के बराबर हो सकता है। जब कभी आप यह सुनते हैं कि यह 32 बिट्स का कंप्यूटर है या 64 बिट्स का कंप्यूटर है, तो इसका तात्पर्य कंप्यूटर के वर्ड आकार से होता है।

जैसा कि आपको बताया ही जा चुका है कि कंप्यूटर का कार्य निर्देशों का कार्यान्वयन है, लेकिन ये निर्देश कंप्यूटर को कैसे दिए जाते हैं? कंप्यूटर किस तरह से इन निर्देशों को समझता है तथा उन पर कार्यान्वयन करता है? आइए इन प्रश्नों के उत्तर कंप्यूटर प्रणाली की चर्चा करने के बाद ढूंढने की कोशिश करें।

कंप्यूटर में एक भाग अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट (ए०एल०यू०) कहलाता है। यह ए०एल०यू० डाटा पर गणितीय तथा तार्किक प्रक्रियाएं करता है। निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए एक तरीका यह है कि कंप्यूटर निर्देशानुसार

विभिन्न लॉजिक घटकों को इस प्रकार जोड़े ताकि वांछित परिणाम प्राप्त हो सके। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर को निर्देशानुसार कार्रवाई करने के लिए विभिन्न लॉजिक घटकों को ऐसी संरचना में जोड़ना होता है जिससे दिए गए इनपुट के फलस्वरूप वांछित आउटपुट प्राप्त हो सके। प्रोग्रामिंग वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न लॉजिक घटकों को एक विशेष संरचना में जोड़कर वांछित परिणाम प्राप्त किया जाता है। लेकिन यह थोड़ा कठिन कार्य है एवं हर निर्देश के लिए लॉजिक घटकों की संरचना व्यापक तौर पर बदलना दुष्कर कार्य है। आइए ऐसी स्थिति पर विचार करें जब केवल गणितीय तथा लॉजिक क्रियाओं के लिए एक साधारण संरचना भी उपलब्ध हो। ऐसी स्थिति में एक कंट्रोल सिगनल की आवश्यकता होगी जो कि ए॰एल॰यू॰ को विशेष वांछित गणितीय या लॉजिक क्रिया को डाटा पर कार्यान्वियन हेतु निर्देशति करें। इसलिए ऐसी प्रणाली में कंट्रोल सिगनल में परिवर्तन कर डाटा पर वांछित प्रक्रिया करवाई जा सकती है। यदि किसी डाटा पर कोई प्रक्रिया की जानी है तो उसके लिए कंट्रोल सिगनलों का एक सैट बनाना होगा, एवं नई प्रक्रिया के लिए कंट्रोल सिगनलों के सैट को फिर बदलना होगा।

इन कंट्रोल सिगनलों को कंप्यूटर को कैसे ग्रहित करवाया जाता है? प्रोग्राम निर्देशों का एक क्रमबद्ध संकलन है। हर निर्देश के लिए डाटा पर कोई न कोई गणितीय अथवा तार्किक अथवा इनपुट / आउटपुट प्रक्रिया की जानी होती है। इसीलिए हर निर्देश के लिए एक नए कंट्रोल सैट के सिगनलों की आवश्य्कता पड़ती है। क्या यह संभव है कि हर कंट्रोल सिगनल सैट के लिए अलग से एक कोड भी उपलब्ध हो? हां यह संभव है। लेकिन इन कोडों के द्वारा क्या किया जाता है? हार्डवेयर किस तरह से इस कोड को स्वीकार करता है एवं वांछित कंट्रोल सिगनलों को जनित करता है? वह यूनिट जो कि कोड को समझती है तथा वांछित सिगनल को जनित करती है, यह यूनिट क़ंट्रोल यूनिट कहलाती है इस तरह से प्रोग्राम वास्तव में इन कोडों का क्रमबद्ध संकलन है। कंप्यूटर एक बहुत लचीली मशीन है जिसमें नए प्रोग्राम के लिए केवल कोडों का एक नया क्रमबद्ध संकलन प्रदान करना पड़ता है। प्रत्येक कोड वास्तव में कंप्यूटर के लिए एक निर्देश है। कंप्यूटर के हार्डवेयर खण्ड इन निर्देशों को समझते हैं तथा वांछित कंट्रोल सिगनलों को जनित करते हैं। अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट दोनों को मिलाकर सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सी॰पी॰यू॰) कहा जाता है। सी॰पी॰यू॰ कंप्यूटर के हार्डवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ए॰एल॰यू॰ विभिन्न गणितीय प्रक्रियाएं करता है। जैसे योग करना, घटाना, गुणा करना अथवा संख्याओं का विभाजन करना। ए॰एल॰यू॰ तार्किक प्रक्रियाएं भी करता है जैसे $x=y$? यहां x और y न्यूमेरिक अथवा एल्फा न्यूमेरिक दोनों प्रकार का डाटा हो सकता है। कंट्रोल यूनिट निर्देश को समझती है तथा उसी के अनुसार कंट्रोल सिगनल को जनित करती हैं। सारी गणितीय तथा तार्किक क्रियाएं सी॰पी॰यू॰ के विशेष भण्डारण क्षेत्र में होती हैं जिन्हें रजिस्टर कहा जाता है। किसी भी कंप्यूटर के लिए उसके रजिस्टर के आकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर की सी॰पी॰यू॰ की प्रोसेसिंग क्षमता रजिस्टर के आकार पर निर्भर करती है। रजिस्टर के आकार से यह तात्पर्य है कि प्रोसेसिंग के समय कितनी सूचना की मात्रा एक ही समय में रखी जा सकती है। जितना ज्यादा बड़ा रजिस्टर का आकार होगा, उतनी ही प्रोसेसिंग की गति भी तेज होगी। सी॰पी॰यू॰ की प्रोसेसिंग क्षमता 10 लाख निर्देश प्रति सेकिण्ड (M.I.P.S) में मापी जाती है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की क्षमता मिली सेकिण्ड (सेकिण्ड का 10000 वां भाग) में मापी जाती थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की क्षमता माइको सेकिण्ड (एक सेकिण्ड का 10 लाख वां भाग) में मापी जाती है। तीसरी पीढ़ी के कम्प्यूटरों की क्षमता नैनो सेकिण्ड (10-9 S) में मापी जाती है और अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि निमार्णाधीन कम्प्यूटरों में पीको सेकिण्ड (10-12 sccond) में मापी जाएगी। निर्देशों और डाटा को बाहरी वातावरण द्वारा कंप्यूटरों को दिया जाता है। इसे इनपुट कहते हैं और कंप्यूटर को ग्रहित करवाने के लिए इनपुट माड्यूल की आवश्यकता पड़ती है। इनपुट माड्यूल का मुख्य कार्य डाटा को ऐसे सिगनलों के रूप में स्थापित करना है जिनको कम्प्यूटर प्रणाली पहचान सके, ग्रहित कर सके। इसी तरह से वांछित परिणाम या आउटपुट के लिए भी [illegible] की आवश्यकता पड़ती है। इन दोनों घटकों [illegible] आउटपुट घटक कहा जाता है। इसके अतिरि[illegible] को स्थानांतरित करने के लिए आंतरिक परिपथों [illegible] कंप्यूटर में आमतौर पर इनपुट कुंजीपटल (की-[illegible] है तथा आउटपुट मॉनीटर पर देखा जा सकता है[illegible] छपाई भी लेनी हो तो कम्प्यूटर के साथ प्रिंटर को [illegible] को छापा जा सकता है।

आपने मैमोरी के विषय में अवश्य सुना होगा? [illegible] आइए इसे समझने का प्रयास करें। इनपुट उपकरणों [illegible] निर्देश और डाटा क्रमबद्ध रूप में दिए जा सकते हैं। [illegible] नहीं कि प्रोग्राम क्रमबद्ध रूप में ही कंप्यूटर द्वारा कार्यान्वित किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि अलग हटकर निर्देश प्रोग्रामिंग में प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि कई डाटा एक ही समय में उपस्थित हों। ऐसी स्थिति में कंप्यूटर को निर्देशों तथा डाटा को एक ऐसा भण्डारण स्थान चाहिए जहां कि डाटा और निर्देशों को अस्थाई रूप से रखा जा सके। इस घटक को मैमोरी कहा जाता है। मैमोरी के द्वारा डाटा और निर्देशों दोनों का भण्डारण किया जा सकता है। यहां डाटा और निर्देशों को अलग-अलग समझना आवश्यक है। डाटा वह डाटा है जिस पर प्रोसेसिंग की जाती है और निर्देश वह डाटा है जिसके द्वारा कंट्रोल सिगनलों को जनित किया जा सकता है। मैमोरी यूनिट सारी सूचना मैमारी सेलों के समूह में संग्रहीत करती हैं, इन्हें मैमोरी लोकेशन्स अथवा मैमोरी स्थान कहा जाता है। इसमें भण्डारण द्विधारी अंकों के रूप में होता है। हर मैमोरी स्थान पर एक अलग पता होता है, अर्थात दो मैमोरी के पते एक नहीं हो सकते। दूसरे शब्दों में हर मैमोरी स्थान का पता दूसरे मैमोरी स्थान से अलग होता है। यदि किसी मैमोरी स्थान में संग्रहीत सूचना सी॰पी॰यू॰ को प्राप्त करनी हो तो उसे मैमोरी स्थान का पता दिया जाना आवश्यक है। मुख्य मैमोरी में जितनी मात्रा में सूचना संग्रहीत की जा सकती है उसे मैमोरी केपेसिटी कहा जाता है। मैमोरी क्षमता अथवा मैमोरी केपेसिटी को किलोबाइट्स अथवा मैगाबाइट्स में मापा जाता है। एक किलो बाइट्स का अर्थ है 1024 बाइट्स (2^{10}) एक मैगाबाइट लगभग 10 लाख बाइट्स (2^{20}) से कुछ अधिक होता है। इसीलिए सामान्यतः हम एक किलोबाइट्स 1000 बाइट्स मान लेते हैं तथा एक मैगाबाइट्स को 10 लाख बाइट्स के बराबर मान लेते हैं।

इस तरह से कंप्यूटर के मुख्य भाग इस प्रकार कहे जा सकते हैं:—

(1) सी॰पी॰यू॰, जिसमें अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट (ए॰एल॰यू॰) और कंट्रोल यूनिट दोनों शामिल हैं।

(2) मुख्य मैमोरी प्रणाली।

(3) इनपुट एवं आउटपुट प्रणाली।

सहायक निदेशक (तक॰) राजभाषा विभाग

संस्कृत साहित्य का परिचायत्मक इतिहास (8)

दर्शन-साहित्य

—डॉ॰ शशि तिवारी

जीवन का दर्शन से अटूट सम्बन्ध है। उस परम श्रेय का अन्वेषण करना दोनों का लक्ष्य है। उस अन्वेषण का व्यावहारिक रूप 'जीवन' है तो सैद्धान्तिक रूप 'दर्शन'। जीवन की मीमांसा करना दर्शन का एकमात्र उद्देश्य है। हम कौन हैं? कहां से आए हैं? क्यों आए हैं? इत्यादि सूक्ष्म जिज्ञासाओं से दर्शन की उत्पति होती है। इस प्रकार के दार्शनिक चिन्तन के दृटिकोण भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। इससे विचार-विश्लेपण की अनेक पद्धतियों का जन्म होता है, अनेक दार्शनिक सिद्धान्त और विभिन्न सम्प्रदाय बनते हैं। पर 'वेद' शब्द की भांति ही 'दर्शन' नाम में एक बहुत बड़ी ज्ञान-परम्परा समाविष्ट रहती है, इसमें सन्देह नहीं।

भारतवर्ष में दार्शनिक चिन्तन का प्रारम्भ अति प्राचीन काल से ही हो गया था। वैदिक संहिताओं में दर्शन के प्रमुख एवं मूलभूत तत्वों—ईश्वर, जीव, प्रकृति, सृष्टि-उत्पत्ति, जन्म, मृत्यु, मोक्ष, स्वर्ग, नरक आदि पर विचार किया गया है, जो उत्तरोत्तर बढ़ता गया है। ऋग्वेद में कुछ दार्शनिक सूक्त उपलब्ध हैं, जैसे पुरुपसूक्त हिरण्यगर्भसूक्त, नासदीयसूक्त आदि। यजुर्वेद में परमात्मा और ईश्वर पर अपेक्षाकृत अधिक चिन्तन हुआ है। इसी वेद में 'ईशावास्योपनिषद्' मिलता है। अथर्ववेद का तो लगभग पांचवा भाग दार्शनिक चिन्तन से समवेत है। उपनिषद्-साहित्य सम्पूर्ण रूप से दार्शनिक साहित्य ही है। इनमें प्रामाणिक ग्यारह उपनिषदें वैदिक दर्शन का मूल हैं। अद्वैत आचार्य शंकर ने उन पर ही अपना दार्शनिक सिद्धान्त स्थापित किया है। उपनिषद्-विद्या को ब्रह्मविद्या या पराविद्या भी कहते हैं। पुनर्जन्म के चक्र से बचाकर मानव को मोक्ष प्राप्त करना इसका उद्देश्य है।

वैदिक दर्शन की विशेपता है कि वहां चिन्तक मनीपियों को 'ऋपि' कहा गया है। ऋपि वे है, जो दिव्य प्रतिभासम्पन्न और सत्यतत्त्व का साक्षात्कार करने वाले हैं। मले ही वे मनुष्य हो, देवता हो या असुर, या फिर उच्चवर्ण के हों या निम्नवर्ण के, स्त्री हो या पुरुप। उपनिषद् की दृष्टि में ज्ञानी ही परम विचारक, दार्शनिक 'ऋपि' है। दर्शन का अर्थ है-देखना। दार्शनिक समदृष्टि वाला होता है। ऋपि का भी मुख्य अर्थ है—द्रष्टा, तत्त्वदर्शी। इसीलिए दर्शननिद्या ही तत्वज्ञान है। तत्व को विभिन्न दृष्टियों से देखने के कारण दर्शन के अनेक विभाग हो जाते हैं।

जब दार्शनिक चिन्तन का विकास हुआ, तो उसकी दो धाराएं चली—**आस्तिक दर्शन** और **नास्तिक दर्शन**। आस्तिक दर्शन वेदों को प्रमाण मानते हैं। इनकी छह मुख्य शाखाएं हैं— सांख्य, योग, न्याय, वैशेपिक, मीमांसा और वेदान्त। नास्तिक दर्शन वेदों को प्रमाण नहीं मानते। नास्तिक दर्शन मुख्य रूप से तीन हैं—बौद्ध, जैन और चार्वाक। मनु और पाणिनि ने भी 'आस्तिक' और 'नास्तिकों नामो' का आधार क्रमशः वेद को प्रमाण मानना और न मानना ही माना है।

(अ) आस्तिक दर्शन

(1) सांख्य-दर्शन

सांख्य का सिद्धान्त भारतीय दर्शन-परम्परा का प्राचीनतम मत प्रतीत होता है। परवर्तीकाल के उपनिपदों में 'सांख्य' शब्द का प्रयोग मिलता है। उपनिपदों, महाभारत और गीता में सांख्या के सिद्धान्त प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्पि कपिल हुए, जो उपनिपत्कालीन ऋपि थे। उन्होंने सांख्य के प्राचीनतम बिखरे हुए विचारों को सुसंगत कर व्यवस्थित करने का कार्य किया। भागवत पुराण में कपिल को चौबीस अवतारों में गिना गया है।

सांख्य के आचार्य

भारतीय परम्परा के अनुसार सांख्यदर्शन के आदि प्रवर्तक **कपिल** मुनि हैं। सांख्यकारिका में कहा गया है कि इस ज्ञान को परमर्पि कपिल ने कहा था। कुछ विद्वान् कपिल को काल्पनिक नाम मानते हैं। किन्तु यह भ्रान्त धारणा है क्योंकि कपिल मुनि के नाम का उल्लेख उपनिपदों, सूत्रग्रन्थों, पुराणों आदि में स्थान-स्थान पर हुआ है। परम्परा के अनुसार सांख्य का प्रतिपादन करने के लिए कपिल मुनि ने 'सांख्यसूत्र' की रचना की थी, जो अब लुप्त हो चुका है। वर्तमान में उपलब्ध सांख्य सूत्र को बहुत बाद की, लगभग 14वीं शताब्दी की, रचना माना जाता है। कुछ विद्वानों के विचार में कतिपय प्रक्षिप्त अंशों को छोड़कर वर्तमान में उपलब्ध 'सांख्यसूत्र' कपिल की ही रचना है। कपिल मुनि के शिष्य **आसुरि** थे, इनका कोई ग्रन्थ नहीं मिलता है। आसुरि के शिष्य **पञ्चशिख** थे, इनका कोई ग्रन्थ

उपलब्ध नहीं है। सांख्यदर्शन के प्रवर्तकों में **विन्ध्यवास** का नाम भी आता है। इनका कोई ग्रन्थ नहीं मिलता है। कुछ ग्रन्थों में इनके नाम से उद्धरण मिलते हैं। वर्तमान समय में सांख्यदर्शन का मूलाधार **ईश्वर कृष्ण** रचित **सांख्य कारिका** है। कहा जाता है कि इसके द्वारा उन्होंने सांख्यदर्शन का पुनरुद्धार किया। ईश्वर कृष्ण का समय 400 ई०पू० से 100 ई०पू० के बीच माना जाता है।

सांख्य साहित्य

सांख्य कारिका सांख्यदर्शन की व्यवस्थित व्याख्या है। ईश्वरकृष्ण प्रणीत इस ग्रन्थ को सबसे प्रामाणिक माना जाता है। इसमें 70 कारिकाएं हैं। सांख्यकारिका पर सबसे प्रसिद्ध टीका वाचस्पति मिश्र की 'तत्वकौमुदी' है। सांख्यकारिका पर अनेक टीकाएं लिखी गई, जिनमें मुख्य हैं— अज्ञात लेखक कृत **माठरवृत्ति**, अज्ञात लेखक कृत **युक्तिदीपिका**, परमार्थ भिक्षु लिखित **हिरण्यसप्तति**, अज्ञात लेखक कृत **जयमंगला**, गौडपादकृत **गौडपादभाष्य**। उत्तरकाल में लिखे गए **तत्वसमास**, **सांख्यतत्व विवेचन**, **सांख्यतत्त्वयार्थाध्यदीपन** आदि अनेक ग्रन्थ भी महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में सांख्य का साहित्य परिणाम में थोड़ा ही है।

सांख्या के सिद्धान्त

'सांख्य' पद संख्या शब्द से अण-प्रत्यय करके निष्पन्न होता है। संख्या पद का अर्थ है— गणना करना। सांख्यादर्शन में 25 तत्वों की गणना की गयी है, इसलिए इसको सांख्य' कहते हैं। ये पच्चीस तत्व है— प्रकृति (प्रधान), महत् (बुद्धि), अहंकार, मन, पांच ज्ञानेन्द्रिया , पांच कर्मोन्द्रियां, पांच तन्मात्राएं। पांच महाभूत और पुरुष। इन पच्चीस तन्मावों की विवेचना सांख्य दर्शन में की जाती है।

दुःखत्रय की निवृत्ति सांख्यदर्शन का लक्ष्य है। दुःख तीन प्रकार का होता है—आध्यात्मिक, आधिदैविक, और आधिभौतिक। इन दुःखों का थोड़ा बहुत उपचार लौकिक प्रयत्नों से सम्भव है, किन्तु उनसे पूर्ण मुक्ति ज्ञान द्वारा ही साध्य है।

सांख्य दर्शन में तीन प्रमाण माने जाते हैं— प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। सांख्यमत में प्रकृति तीन गुणों-सत्त्व, रजस्, और तमस्-से विशिष्ट होती है। उसकी साम्य अवस्था प्रकृति है। असाम्य होने पर विकृति उत्पन्न होकर सृष्टि-रचना की प्रक्रिया प्राम्भ होती है।

सांख्यसिद्धान्त के अनुसार पुरुष का प्रकृति से संयोग होने पर सृष्टि-रचना की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। चेतन तत्त्व पुरुष है। यही आत्मा है। यह अनेक है। यह स्वभाव से शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और विकार से रहित है। प्रकृति के साथ संयोग होने के कारण वह दुःख का अनुभव करता है। समस्त सृष्टि का मूल उपादान कारण अव्यक्त प्रकृति है। सांख्य दर्शन में सृष्टि का प्रयोजन पुरुष को कैवल्य प्रदान करना है। पुरुष अकर्ता और असंग है। अविद्या जनित संस्कारों के कारण वह अपने को कर्ता समझता है। कैवल्य या मोक्ष का अर्थ है—व्यक्त और अव्यक्त का ज्ञान होने से दुःखों की ऐकान्तिक और आत्यन्तिक निवत्ति का होना। सांख्यदर्शन सत्कार्यवादी है। उसके अनुसार सत् से सत् की उत्पत्ति होती है, असत् से नहीं। सृष्टि का मूल कारण प्रकृति सत् है। सत कारण से सत् कार्य की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार सांख्य की तत्त्वांमीमांसा गम्भीर, विस्तृत और जटिल है।

(2) योग-दर्शन

षड् आस्तिक दर्शनों में योगदर्शन का बहुत महत्व है। योगदर्शन के विचार अपने मूलरूप में बहुत प्राचीन है। अथर्ववेद में योग द्वारा प्राप्त अलौकिक शक्तियों का वर्णन हुआ है। कठ, तैत्तिरीय और मैत्रायणी उपनिषदों में 'योग' की परिभाषा की गयी है। गीता और महाभारत में योग सम्बन्धी प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है। अतः इसकी प्राचीनता का अनुमान लगाया जा सकता है।

योग के आचार्य:

योगदर्शन के प्रवर्तक आचार्य **पतञ्जलि** हुए हैं, जिन्होंने विभिन्न प्राचीन ग्रन्थों में बिखरे हुए योग सम्बन्धी विचारों को संग्रह करके और अपनी प्रतिभा से संजोकर **'योगसूत्र'** नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ की रचना की। इसे ही 'पातंजल योग दर्शन' भी कहते हैं। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इसकी रचना बौद्ध-युग से पूर्व हो चुकी थी।

योग शास्त्र के प्रवर्तकों में **महेश्वर, सनत्कुमार, विवस्वान्, मनु, नारद, मार्कण्डेय, जनक, वसिष्ठ, दत्तात्रेय, जैगीक्षव्य, असितदेवल, विश्वक्सेन, पराशर, व्यास, भीष्म शुक, याज्ञवल्क्य** आदि के नाम मिलते है। इनके वचन विविध ग्रन्थों में उद्धृत हैं। योग के आचार्यों में भगवान् कृष्ण प्रसिद्ध हैं।

योग का साहित्य

'योग सूत्र' के अतिरिक्त कुछ प्राचीन अप्रकाशित ग्रन्थों की बात विद्वानों द्वारा की जाती है, जिनसे जनककृत **योगप्रभा** अंगिराकृत **योगप्रदीप**, कश्यपकृत **योगरत्नाकर**, मरीच कृत **योगसिद्धान्त** आदि विशेष हैं। योगसूत्र पर लिखी गई टीकाएं योग दर्शन के साहित्य का प्रमुख अंग है। कुछ टीकाएं व्याख्याप्रधान हैं और कुछ वृत्तिप्रधान। पातञ्जल योग दर्शन पर सबसे प्रामाणिक भाष्य व्यास ने लिखा है। यह अति विस्तृत और दुरुह, ग्रन्थ है। इसी व्यास भाष्य के आधार पर योगसूत्रों पर राजा भोज की **'भोजवृत्ति'** है। तदनन्तर व्यासभाष्य पर **वाचस्पति मिश्र** की **तत्त्ववैशारवी** और **विज्ञानभिक्षु** का **योगवार्तिक** प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। हठयोग पर लिखे गए ग्रन्थों में **शिवसंहिता** महत्वपूर्ण है। योग के ग्रंथों की संख्या अत्यन्त अल्प है।

योग के सिद्धान्त

'योग' शब्द युज् धातु में अच् प्रत्यय लगकर बना है। इसका अभिप्राय हैं आत्मा और परमात्मा का मिलन। पतञ्जलि ने चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहा है—**योगाश्चित्तवृत्ति निरोधः** (योगसूत्र 1/2)। ये वृत्तियां पांच प्रकार की होती हैं — प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इन पांच चित्तवृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। चित्त को स्थिर करने वाले प्रयत्न अभ्यास हैं और भोगों से विमुख होना वैराग्य है। ईश्वर का प्रणिधान उसके वाचक ओम् के जप से होता है। समाधिलाभ के लिए ईश्वर-प्रविधान आवश्यक है।

अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश—ये पांच क्लेश हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि-ये योगाभ्यास के आठ अंग हैं। योगदर्शन के अनुसार संसार दुःखमय है। जीवात्या की मोक्षोपलब्धि के लिए एकमात्र उपाय 'योग' है। ईश्वर, नित्य, अद्वितीय और त्रिकालातीत है। योग का उद्देश्य है कि मनुष्य पंचविध क्लेशों नानाविध कर्मफलों से विमुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करे। आत्मा और जगत् के सम्बन्ध में सांख्यदर्शन ने जिन सिद्धान्तों को सुस्थिर किया है योगदर्शन भी उनका ही समर्थन करता है। इसलिए प्राचीन साहित्य में सांख्य और योग को एक ही सिद्धान्त के दो पक्ष माना गया है।

(3) न्याय-दर्शन

भारतीय दर्शनों की परम्परा में न्याय का क्षेत्र अति विस्तृत है। यह वस्तुवादी दर्शनों में अन्यतम है। न्याय दर्शन के तत्व वैदिक और वैदिकोत्तर

साहित्य में प्रचुर परिमाण में मिलते है। इस दर्शन को प्राचीन समय में वाक्योवाक्य विद्या, तर्कविद्या, तर्कशास्त्र, या आन्वीक्षिकी भी कहा गया है। 'न्याय' शब्द की निष्पति 'नि' उपसर्ग पूर्वक गतिअर्थक 'इ' धातु से हुई है, अर्थात् जो नियम से चलता है, वही 'न्याय' है। न्यायदर्शन का मुख्य प्रयोजन है-प्रमाणों से अर्थ की परीक्षा करना।

न्याय के आचार्य और ग्रन्थ

न्याय के प्रवर्तक आचार्य हैं—मेधातिथि अक्षपाद गौतम। ये न्याय के प्रवर्तक ग्रन्थ न्यायसूत्र के रचयिता है। न्याय सूत्र में कुल 528 सूत्र हैं।

न्यायसूत्र की रचना के अनन्तर उस पर भाष्य और वार्तिक आदि की रचना हुई। इसमें कुछ आचार्यों के नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है। न्यायसूत्र पर 'न्याय भाष्य' लिखने वाले आचार्य **वात्स्यायन** को सूत्रकार के समान ही महत्व दिया जाता है। इनके न्यायभाष्य पर **उद्योतकर** नामक आचार्य ने न्यायवार्तिक नामक टीका लिखी। उद्योतकर को प्राचीन न्याय का सबसे बड़ा आचार्य माना जाता है। न्याय वार्तिक पर **वाचस्पति मिश्र** नामक आचार्य ने **न्यायवार्तिकतात्पर्य** नामक टीका लिखी थी। वाचस्पति भारतीय दर्शनों के परम प्रवीण आचार्य थे। इनकी टीका पर **उदयनाचार्य** नामक आचार्य ने टीका लिखी और कुछ दूसरे ग्रन्थ भी प्रणीत किये। न्याय दर्शन के आचार्यों में **उदयाचार्य** का नाम अग्रगण्य है।

गौतम द्वारा प्रवर्तित न्याय की कई शाखाएं हुई और उसके ग्रन्थ भी रचे गए। इनमें बौद्धन्याय में **दिङ्नाग**, जैन न्याय में **आचार्य सिद्धसेन दिवाकर** और नव्यन्याय में **गणेश उपाध्याय** का नाम उल्लेखनीय हैं। गणेश उपाध्याय का **तत्वचिन्तामणि** प्रसिद्धि ग्रन्थ है। नव्य न्याय में वाचस्पति मिश्र, वासुदेव सार्वभौम, और रघुनाथ शिरोमणि **प्रसिद्धि** आचार्य हैं।

न्याय के प्रतिपाद्य विषय

न्याय तर्क श्रेणी का दर्शन है। उसमें पदार्थ विवेचन और प्रमाण विश्लेपण बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। न्याय दर्शन की दो शाखाएं है — **पदार्थ मीमांसा**, जिसमें प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवव्यव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रहस्थान — इन सोलह पदार्थों का सम्यक विवेचन है। दूसरी शाखा है - **प्रमाणमीमांसा**, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन चार प्रमाणों का गम्भीर विवेचन किया जाता है।

न्याय दर्शन की चरमपरिणति निःश्रेयस् अर्थात मुक्ति के सम्यक्, अवबोधन में है। मुक्तावस्था पर बिना तत्वज्ञान के नहीं पहुंचा जा सकता है। और तत्वज्ञान सोलह पदार्थों के सम्यक् बोध में है। न्याय दर्शन के अनुसार चार प्रमाण है। यह दर्शन यथार्थवादी सिद्धान्तों पर आधारित है। परमाणु, आत्मा और ईश्वर, जगत् के इन तीन आधारभूत कारणों का सम्यक्, प्रतिपादन न्याय का विपय है। ज्ञान को न्याय दर्शन में, सर्वोच्च समझा जाता है। मिथ्या ज्ञान को जीनन्मुक्त का सबसे बड़ा अवरोधक माना जाता है। ऋते ज्ञानत् न मुक्तिः — ज्ञान के बिना जीवन्मुक्ति असम्भव है। न्याय दर्शन का यही मूलवाक्य है। प्रमाण की विवेचना न्याय का मुख्य विपय है। वैशेपिक के समान न्याय परमाणुवादी दर्शन है। उसमें न केवल विचार एवं तर्क के नियम वर्णित हैं, वरन् प्रमेयों पर भी व्यापक प्रकाश डाला गया है।

(4) वैशेषिक-दर्शन

सम्पूर्ण विश्व की व्याख्या देने का प्रयत्न करने वाले दर्शनों में वैशेपिक दर्शन अन्यतम है। यह दर्शन मनुष्य की सहजबुद्धि के निकट है। यह दर्शन वस्तुवादी है और इस गोचर जगत् को सत्य मानता है। वैशेपिक दर्शन का नामकरण 'विशेप' के आधार पर हुआ है। विशेप का अर्थ है — एक वस्तु को दूसरे से पृथक् करने वाला गुण। संसार का प्रत्येक पदार्थ विशेप है क्योंकि उसमें निजी विशेपताएं हैं। वैशेपिक दर्शन सप्त पदार्थों को मानता है। जिनमें 'एक' विशेप भी है। इन सात पदार्थों के अन्तर्गत विश्व की प्रत्येक वस्तु आ जाती है। ये पदार्थ हैं—द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेप, समवाय और अभाव। पांच महाभूत, काल, दिक् आत्मा और मन — ये नौ द्रव्य हैं। गुणों की संख्या चौबीस बताई गई है। कर्म के चार भेद हैं। वास्तव में भौतिक जगत् की व्याख्या वैशेपिक और सांख्य — इन दोनों दर्शनों में हुई है। यह दर्शन भी परमाणुवादी दर्शन है।

वैशेपिक के आचार्य और ग्रन्थ

वैशेपिक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य **कणाद** मुनि कहे जाते हैं। उनको काश्यप, उलूक, औलूक, पैलूक आदि नामों से भी जाना जाता है। उस दर्शन का दूसरा एक नाम **'औलुक्य दर्शन'** भी है। जनश्रुति है कि ईश्वर ने उलूक का रूप धारण करके कणाद को विशेप पदार्थों का उपदेश स्वयं दिया था, इसलिए कणाद का नाम **'उलूक'** और दर्शन का नाम **'औलुक्य'** पड़ा। कणाद का समय 400 ई०पू० माना गया है। इन्होंने वैशेपिक सूत्रों की रचना की थी। वर्तमान वैशेपिक सूत्र में दस अध्याय हैं। बौद्ध और जैन साहित्य से ज्ञात होता है कि वैशेपिक सूत्र पर वाक्य, रावणभाष्य, कटन्दी भाष्य, आत्रेय-भाष्य आदि व्याख्याएं लिखी गयी थी परन्तु ये आज मिलती नहीं है। **प्रशस्तणाद का पदार्थ धर्मसंग्रह** वैशेपिक का पुराना और प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ पर कई टीकाएं लिखी गई जिसमें से कई अपूर्ण है'। व्योमवती, न्यायकन्दली, किरणावाली सूक्ति और सेतु आदि प्रसिद्ध टीकाएं हैं। **श्रीवल्लभ** का न्यायलीलावती वैशेपिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। **उदयनाचार्य** की संक्षिप्त लक्षणावलि और **शंकर मिश्र का कणादरहस्य उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं।**

वैशेपिक के प्रतिपाद्य विषय

सभी भारतीय दर्शनों के समान वैशेपिक का उद्देश्य भी मोक्ष या अपवर्ग की प्राप्ति है। कणाद के अनुसार द्रव्य आदि पदार्थों के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है।

वैशेपिक दर्शन विश्व के स्रष्टा के रूप में ईश्वर को मानता है। प्रशस्तपाद भाष्य में ईश्वर का अस्तित्व निर्विवाद रूप से प्रतिपादित है। ईश्वर की इच्छा से सृष्टि - रचना की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। यह रचना जीवों के भोग के लिए है। मनुष्य जो अच्छे-बुरे कार्य करता है वे उनके अदृष्ट का निर्माण करते हैं। इस अदृष्ट के फलों का भोग कराने के लिए सृष्टि की रचना होती है।

वैशेपिक के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति धर्म से होती है। जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस हो-वही धर्म है। पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को समझना ही धर्म है। वैशेपिक दर्शन परमाणुवादी है, जिसके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के कारण 'परमाणु' हैं।

(5) मीमांसा-दर्शन

वेद के दो भाग हैं—कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड। ब्राह्मण ग्रन्थों में याज्ञिक क्रियाओं का विशेप विवरण है; अतः कर्मकाण्ड उनका विपय है। उपनिपदों का मुख्य प्रतिपाद्य ब्रह्मज्ञान है अतः उनका विपय ज्ञानकाण्ड है। बादरायण का ब्रह्मसूत्र **'उत्तरमीमांसा'** कहलाता है क्योंकि उसमें उपनिपदों की शिक्षाओं को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैमिनि का मीमांसा दर्शन **'पूर्वमीमांसा'** कहलाता है क्योंकि उसमें वैदिक कर्मकाण्ड का विशद विवेचन है। अतः मीमांसा दर्शन मुख्यरूप से वैदिक और श्रौत

कर्मकाण्डों का विधि-विधान करता है।

'मीमांसा' पद का प्रयोग प्राचीनतम ग्रन्थों से देखा जा सकता है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों में यह पद प्रयुक्त हुआ है। इस पद का अर्थ है— जिज्ञासा या विषय का विवेचन। जिस शास्त्र में धर्म और अध्यात्म के प्रति जिज्ञासा की गयी उसको 'मीमांसा शास्त्र' कहा गया। पहले कर्मकाण्ड धार्मिक जीवन का अंग था। बाद में अध्यात्म का उसमें समावेश हुआ, इसीलिए यह विवेचन दो भागों में बट गया। धार्मिक कर्मकाण्ड पूर्वमीमांसा और आध्यात्मिक विवेचन उत्तरमीमांसा कहलाया। बाद में ये क्रमशः मीमांसा और वेदान्त दर्शन कहलाए।

मीमांसा के आचार्य और ग्रन्थ

महर्षि जैमिनि मीमांसा सूत्रों के निर्माता है। इस सूत्र-ग्रन्थ का निर्माण विक्रम से लगभग पांच-छह सौ वर्ष पहले हो चुका था। इस दर्शन के सूत्र अन्य दर्शनों के सूत्रों से संख्या में अधिक है। महाभाष्य में काशकृत्स्न आचार्य की लिखी मीमांसा का उल्लेख भी हुआ है किन्तु इनके सूत्रों का पता नहीं चलता है। जैमिनि के बाद मीसांसा-दर्शन के विख्यात आचार्य **शबरस्वामी** हुए, जिन्होंने **'द्वादशलक्ष्मी'** नाम से मीमांसा पर प्रामाणिक भाष्य लिखा। शबरस्वामी मीमांसा के प्राणभूत आचार्य माने जाते हैं। शबरस्वामी के तीन टीकाकारों ने तीन सम्प्रदाय चलाए। **भाट्टमत** के उद्भावक आचार्य **कुमारिलभट्ट** है। इस मत के प्रधान आचार्यों में **प्रार्थसारथि मिश्र**, माधवाचार्य और खण्डदेव मिश्र अधिक प्रसिद्ध हुए। **गुरुमत** के अधिष्ठाता आचार्य **प्रभाकर मिश्र** हुए। इन्होंने 'बृहती' नामक **टीका लिखी**। तृतीय सम्प्रदाय **मुरारिमत** के प्रवर्तक मुरारि मिश्र हुए। **मीमांसा के प्रधान सिद्धान्तों** के विषय में इनका भट्ट और गुरु से भिन्न एक **स्वतंत्र मत था। तभी से कहावत चल पड़ी—मुरारेस्तृतीयः पन्थाः।**

मीमांसा-साहित्य में कुमारिल भट्ट के तीन ग्रन्थ—श्लोक वार्तिक, तन्त्र **वार्तिक** और **दुप्टीका**, मण्डनमिश्र के विधिविवेक, मीमांसानुक्रमणी, **भावनाविवेक** आदि उल्लेखनीय हैं।

मीमांसा के प्रतिपाद्य विषय

मीमांसा दर्शन में प्रमाण, प्रमेय आदि का वर्णन उसी प्रकार है, जिस **प्रकार न्याय, वैशेषिक** आदि दर्शनों में। परन्तु इसकी विशेषता धर्माचरणरूप **कर्मकाण्ड के प्रतिपादन** में है। जैमिनि ने प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द-तीन **प्रमाण माने हैं, तो उत्तरकालीन मीमांसकों ने छह प्रमाण माने हैं। मीमांसा दर्शन में जगत् को यथार्थ माना गया है।** जगत् शक्ति, अपूर्व, आत्मा, **धर्म, ईश्वर,** मोक्ष आदि विषयों पर इसमें चिन्तन किया गया है। **मीमांसा दर्शन वेद को परम प्रमाण मानता है। वेद अपौरुषेय है, इसका प्रमाण अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता, धार्मिक कर्मकाण्ड करने का वेदों का आदेश है। वैदिक शब्द नित्य है। अपने अर्थों के साथ इन शब्दों का नित्य और स्वाभाविक सम्बन्ध है। शब्द-ज्ञान मीमांसा दर्शन का प्रधान सिद्धान्त है। मीमांसकों की सिद्धान्त-प्रतिपादन शैली बहुत ही अद्भुत् और** तर्कपूर्ण है। मीमांसा कर्मप्रधान-दर्शन है।

(6) वेदान्त-दर्शन

उपनिषद ग्रन्थों की ज्ञानभावना को लेकर उत्तर मीमांसा अर्थात् वेदान्त दर्शन का निर्माण हुआ है। उपनिषद वेदों का अन्तिम भाग है, इसलिए इस **दर्शन का** नाम 'वेदान्त-दर्शन' है। 'अन्त' शब्द का एक अर्थ सार या सिद्धान्त भी होता है, तदनुसार वैदिक ज्ञान का साररूप या सिद्धान्तरूप होने **से** इस दर्शन को 'वेदान्त' कहते हैं।

वेदान्त भारतीय अध्यात्म शास्त्र की मुकुटमणि है। वेदान्त दर्शन के सूत्र ग्रन्थ **ब्रह्मसूत्र** के रचयिता **कृष्णद्वैपायन वेदव्यास** थे। इनका ही एक नाम वादरायण भी था। इसलिए 'वेदान्त-सूत्र' का दूसरा नाम **बादरायण-सूत्र** भी है। वेदव्यास ने उपनिषद-ग्रन्थों की स्थापनाओं में जो वैभिन्य दिखायी देता है, उनको दूर करके यह प्रतिपादित किया है कि सारे उपनिषद् एक ही दार्शनिक मत को प्रस्तुत कर रहे हैं। वेदान्त को संन्यासयोग और मोक्षशास्त्र भी कहते हैं।

वेदान्त के आचार्य और ग्रन्थ

बादरायण का **ब्रह्मसूत्र** वेदान्त का मुख्य आधार ग्रन्थ है। इसके सूत्र दार्शनिक दृष्टि से इतने संक्षिप्त है कि किसी भी भाष्य के बिना इनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। इसीलिए व्याख्याकारों ने विभिन्न प्रकार से इसकी व्याख्या की है और नये-नये सम्प्रदाय बन गए हैं। इनमें आचार्य **शंकर** का अद्वैत वेदान्त, **भास्कर** का भेदाभेद, रामानुज का विशिष्टाद्वैत, **मध्व** का द्वैत, **निम्बार्क** का द्वैताद्वैत, **वल्लभ** का शुद्धाद्वैत आदि प्रमुख है। इन सब भाष्यकारों में सबसे अधिक भेद का विषय है—जीव और ईश्वर का संबंध। शंकर के अनुसार जीव और ब्रह्म में अभेद है—इसलिए उनका मत 'अद्वैत' कहलाता है—**जीवो ब्रह्मैव नापरः।**

आचार्य **गौडपाद** ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर उसे पल्लवित किया। इनकी मुख्य कृति **'माण्डूक्यकारिका'** है। शंकर ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, उपनिषदों पर भाष्य लिखा और गीता पर भाष्य लिखा। शंकर के उत्तरवर्ती आचार्यों ने भी भाष्य और ग्रन्थ लिखे, जिनमें विभिन्न सम्प्रदायों के प्रवर्तक आचार्यों के भाष्यों के अतिरिक्त आनन्दगिरि, वाचस्पति मिश्र, पद्मपाद, सुरेश्वराचार्य, विद्यारण्य, अखण्डानन्द, श्रीहर्ष आदि प्रसिद्ध हैं।

वेदान्त के प्रतिपाद्य विषय

वेदान्त में अद्वैत वेदान्त या शांकर वेदान्त सर्वप्रमुख माना जाता है। आचार्य शंकर को शीर्षस्थ विचारकों में गिना जाता है। उनका मुख्य सिद्धान्त है **'ब्रह्मसत्य जगन्मिथ्या'**। वेदान्त का मुख्य प्रतिपाद्य ब्रह्म है। यह सारा जगतब्रह्म का विवर्त है। आत्मा और ब्रह्म एक है। शंकर के अनुसार ब्रह्म जब माया से युक्त होता है, तब ईश्वर कहलाता है। माया ब्रह्म की शक्ति है। अविद्या से विशिष्ट चेतन जीव कहलाता है। माया या अविद्या का नाश हो जाने पर जीव और ब्रह्म एक हो जाते हैं—यही मोक्ष की अवस्था है। 'तत्त्वमसि' ज्ञान ही मोक्ष का स्वरूप है। वेदान्त दर्शन में कर्म को भी मान्यता दी गयी है। कर्मफल को भोगने के लिए पुर्नजन्म होता है। वेदान्त में छह प्रमाण माने गये हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। वेदान्ती वेदों को स्वतः प्रमाण मानते हैं।

वेदान्त में कुछ **महावाक्य** स्वीकार किये जाते हैं। इनमें अहं ब्रह्मास्मि, **अयमात्मा ब्रह्म,** एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म, सर्व खल्विदं ब्रह्म आदि प्रमुख हैं।

अन्य दार्शनिक विचारधाराएं

वेदों को प्रमाण मानकर षडदर्शन प्रसिद्ध हुए। उनका पुराणों से सम्पर्क होने पर कुछ अन्य दर्शन भी विकसित हुए। ब्रह्मसूत्र पर वैष्णव आचार्यों ने जो भाष्य लिखे वे **'वैष्णव दर्शन'** कहलाए। शिव को परब्रह्म मानकर अनेक दार्शनिक विचारों का प्रारम्भ हुआ। इस मत को मुख्य रूप से **शैव दर्शन** कहा गया, पर इसके अन्तर्गत प्रत्यभिज्ञादर्शन, रसेश्वरदर्शन, ब्रह्मदर्शन, पाशुपतदर्शन, त्रिपुरादर्शन आदि नामों से कई दर्शन विकसित हुए।

(आ) नास्तिक दर्शन

(10) बौद्ध दर्शन

गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिष्ठित धर्म बौद्धधर्म कहलाता है और उनके द्वारा

प्रवर्तित दर्शन बौद्ध दर्शन कहलाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में 563 ई॰पू॰ में राजा शुद्धोदन के घर हुआ था और इनका पहले का नाम सिद्धार्थ था। अनन्तर घर छोड़कर तपस्या करके उन्होंने बुद्ध दशा को प्राप्त किया। घूम-घूम कर अपने सिद्धान्तों का मौखिक रूप में पालि भाषा में प्रचार किया।

इनके मूल ग्रन्थ **त्रिपिटक** के नाम से विख्यात हैं। इनमें विनय, सुत्त और अभिधम्म नामक तीन पिटक अर्थात् ज्ञान की पेटियां हैं। **विनयपिटक** में अनुशासन सम्बन्धी बातें हैं। **सुत्तपिटक** में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। **अभिधम्मपिटक** में दार्शनिक विचारों की चर्चा है। बुद्ध के शिष्यों ने उनके उपदेशों को भिन्न-भिन्न अर्थों में ग्रहण किया। फलतः आगे चलकर उसकी दो शाखाएं मुख्य रूप से चली—**हीनयान** और **महायान**। पालिभाषा में लिखे गए त्रिपिटक ही हीनयान के मौलिक ग्रन्थ हैं। यह बौद्ध मत का प्राचीनरूप है। इसमें क्षणिकवाद पर बल दिया गया है जिससे संसार के प्रति एक विरक्ति की भावना पनपती है। महायान ने एक उदार धार्मिक दृष्टिकोण अपनाया था। अशोक से लेकर कनिष्क तक फैली धार्मिक प्रवृत्तियों से महायान का जन्म हुआ। महायान धर्म के ग्रन्थ संस्कृत में लिखे गये।

बौद्ध दर्शन का जिस रूप में विकास हुआ, उस आधार पर इसके दर्शन को चार भागों में बांटा जाता है—वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार और माध्यमिक। इन चार सम्प्रदायों में वैभाषिक का संम्बन्ध हीनयान से हैं और शेष तीन का सम्बन्ध महायान से। कुछ विद्वान सौत्रान्तिक दर्शन का सम्बन्ध भी हीनयान से मानते हैं।

बुद्ध के उपदेश की चार बातें चार आर्य सत्य के नाम से प्रसिद्ध हैं- (१) यह संसार दुःखों से भरा है। (२) दुःखों के कारण होते हैं। (३) दुःखों का अन्त सम्भव है। (४) दुःखों का अन्त करने के उपाय हैं—आर्य अष्टागिक मार्ग। ये आठ अंग हैं—सम्यक दृष्टि, सम्यक, सकंल्प, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्म, सम्यक् जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध भगवान् ने सबके लिए समानता का उपदेश दिया था। अहिंसा के पालन पर उनका बल था। उनके अनुसार सदाचरण परम आवश्यक है। बुद्ध के अनुसार जीवन का लक्ष्य निवार्ण पद को प्राप्त करना है।

बौद्ध दर्शन का साहित्य बुहत ही विशाल है। कुछ ग्रन्थ तो मूल संस्कृत में उपलब्ध होते हैं परन्तु अधिकांश साहित्य संस्कृत में नष्ट हो गया है। चीन और तिब्बत की भाषाओं में किए गये अनुवादों से ही उनका परिचय मिलता है। वैभाषिक सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का ज्ञान हमें **वसुबन्ध** के ग्रन्थ **अभिधर्मकोष** से होता है। आचार्य वसुबन्ध तृतीय शतक के प्रौढ़ दार्शनिक थे। इनके प्रसिद्ध शिष्य **दिङ्नाग** थे। जिनका **प्रमाण समुच्चय** नामक ग्रन्थ बौद्ध न्याय का प्रतिष्ठापक है। विज्ञानवाद के सिद्धान्त जानने के लिए सप्रम शताब्दी के **धर्मकीर्ति** का **प्रमाणवार्तिक** प्रामाणिक रचना है। शून्यवाद के आचार्यों में **नागार्जुन, आर्यदेव स्थविर बुद्धिपालित, भाववविवेक, चन्द्रकीर्ति** और **शान्तरक्षित** आदि मुख्य हैं।

(2) जैन दर्शन

जैन मत बौद्धमत से भी प्राचीन है। जैन मतावलम्बियों के अनुसार जैन धर्म अनादि काल से प्रवर्तित है। समय-समय पर तीर्थंकरों का आविमान होता रहा जो इस मत के धार्मिक सिद्धान्त और सदाचार का प्रचार करते रहे। जैनियों के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर **ऋषभदेव** थे। 24वें और अन्तिम तीर्थंकर **महावीर स्वामी** जैन दर्शन के प्रवर्तक थे। वर्धमान महावीर का समय ई॰पू॰ षष्ठ शताब्दी माना जाता है। 'जैन' शब्द का अर्थ होता है जिसने अपने मनोवेगों को जीत कर वश में कर लिया है।

वर्धमान महावीर के शिष्यों की संख्या विशाल थी। उनके निर्वाण के बाद जैनसंघ धर्म प्रचार का कार्य करने लगा। आगे चल कर इसके दो सम्प्रदाय हो गए—**दिगम्बर** वस्त्र धारण न करने वाले और **श्वेताम्बर**, वस्त्र धारण करने वाले। दोनों सम्प्रदायों के मूल सिद्धान्तों और दार्शनिक विचारधारा में अधिक मतभेद नहीं है। केवल व्यवहारिक दृष्टि से भेद है। उत्तरकाल में जैन सम्प्रदाय अन्य भी अनेक उपभेदों में विभाजित हो गया। ये उपभेद 84 थे। ये उपभेद अधिक विकसित न हो सके। जैस धर्म के मुख्यतः दो ही सम्प्रदाय रहे—**श्वेताम्बर** और **दिगम्बर**।

जैन धर्म के मूल सिद्धान्त अर्धभागधी भाषा में निबद्ध है। जैन आगम ग्रन्थों की संख्या 45 है। ये छह विभागों में विभक्त हैं—11 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेदिसूत्र, 4 मूलग्रन्थ, और 2 स्वतन्त्र ग्रन्थ। जैनियों का दार्शनिक सिद्धान्त विशाल और विद्वत्तापूर्ण है। आरम्भ काल के आचार्यों में **तत्वार्थसूत्र** के रचयिता **उमास्वामि, प्रपञ्चसार** आदि के निर्माता **कुन्दकुन्दाचार्य** तथा **आप्तमीमांसा** के कर्ता **समन्तभद्र** मुख्य थे। इनका समय ईसा की तीसरी शताब्दी तक समाप्त हो जाता है। मध्य युग के आचार्यों में **सिद्धसेन दिवाकर, हरिभद्र, भट्ट अकलंक,** तथा **विधानन्द** हैं। **हेमचन्द्र** ने बाहरवीं शताब्दी में निखिल शास्त्र निष्णात होने से कलिकाल-सर्वज्ञ की उपाधि प्राप्त की थी। उनका **प्रमाणमीमांसा** महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रन्थ है। जैन आचार्यों की परम्परा विस्तृत है।

जैन दर्शन सारे जगत् को दो द्रव्यों में विभाजित करता है—जीव और अजीव। जीव आत्मा है और अजीव अनात्मा है। जीवों की संख्या अनन्त है पर सब समान और नित्य है। जीव दो प्रकार का होता है—बद्ध और मुक्त। मुक्त जीव पूर्ण ज्ञानी होता है। जैन दर्शन में मोक्ष के तीन साधन है—सम्यक् दर्शन (श्रद्धा, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चरित्र। चरित्र की सिद्धि के लिए अंहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह—इन पांच व्रतों का पालन नितान्त आवश्यक है। जैन दर्शन की आचार-मीमांसा मार्मिक और उपादेय है। प्रकारान्तर से जैन दर्शन छह द्रव्यों को मानता है। एक देशव्यापी द्रव्य काल है। बहुदेशव्यापी द्रव्यों को 'अस्तिकाय' कहते हैं। सत्ता धारण करने के कारण वे 'अस्ति' और शरीर के समान विस्तार से समन्वित होने के कारण 'काय' कहलाते है। दुःख के निवारण और अनन्त सुख की प्राप्ति के लिए मोक्ष की आवश्यकता है। जैन दर्शन में 'नयवाद' एक विशेष विषय है। इसके आधार पर जैनदर्शन के प्रसिद्ध स्याद्वाद, अनेकान्तवाद या सप्तभंगीन्याय के सिद्धान्त प्रतिष्ठित हुए हैं।

(3) चार्वाक दर्शन

चार्वाक दर्शन अन्य सभी दर्शनों से पर्याप्त भिन्न है। यह नितान्त भूतवादी दर्शन है। खाओ, पिओ और मौज उड़ाओं के सिद्धान्त के प्रचार के कारण इसे 'चार्वाक' नाम दिया गया है। कुछ लोग चार्वाक नामक आचार्य को इस दर्शन का प्रवर्तक मानते हैं जबकि एक दूसरे मत के अनुसार चारुवाक् से लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने वाले और सांसारिक सुख को ही जीवन का अन्तिम ध्येय मानने वाले 'चार्वाक' हैं। इस दर्शन के मूलसूत्र के स्वचयिता कोई **आचार्य बृहस्पति** थे। दर्शन ग्रन्थों में यत्र-तत्र ये सूत्र उद्धृत मिलते है। या फिर **माधवाचार्य** द्वारा रचित **सर्वदर्शन संग्रह** से इस दर्शन का ज्ञान प्राप्त होता है। इसका सूत्रग्रन्थ आज अनुपलब्ध है।

चार्वाक दर्शन पूर्णरूप से नास्तिक दर्शन है। चारपुरुषार्थों में धर्म और मोक्ष को यह नहीं मानता है। केवल अर्थ और काम इसे स्वीकार है। इसका एकमात्र सिद्धान्त है—

यावज्जीवेत् सुखं जीवेद् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं किम्।।

यह वेद विरोधी दर्शन है। परलोक और स्वर्ग को भी नहीं मानता है। यह यज्ञ- यागादि में विश्वास नहीं करता है। यह ईश्वर को नही मानता है। ये स्वभाववादी दर्शन है। तदनुसार स्वभाव से जगत् उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। चार्वाक प्रत्यक्षवादी है। अनुमान और शब्द—प्रमाण की सत्ता नहीं मानता। उसके अनुसार पृथ्वी, जल, तेज और वायु-इन चार भूतों से संसार की उत्पत्ति होती है। चार भूतों के सम्मिश्रण से शरीर की उत्पत्ति होती है। चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। इस दर्शन के अनुसार जिस प्रकार पान, सुपारी, चूना, कत्थे आदि के संयोग से पान की लालिमा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार चार भूतों के मिलने से चैतन्य स्वयं उत्पन्न हो जाता है। इस के मत में मृत्यु ही मोक्ष है। पुर्नजन्म और कर्मसिद्धान्त में इनका विश्वास नहीं है। इस दर्शन को वस्तुवाद या जड़वाद भी कहते है।

इस प्रकार छह आस्तिक और तीन नास्तिक दर्शनों के विवरण से प्रकट होता है कि भारतीय दर्शन साहित्य बहुविध चिन्तन पर आधारित है। इसकी परम्परा प्राचीन काल से उदभूत हुई है। अनेक आचार्यों ने इसे अपने विचारों और सिद्धान्तों से पुष्ट किया है। विशाल ग्रन्थ-राशि इसकी धरोहर है। इनमें साध्य मुख्यतया एक ही है—सुखप्राप्ति, आनन्दलाभ। इनमें अलग-2 सिद्धान्तों पर आधारित साधन मार्ग अनेक हैं। मूलतया सर्वत्र दार्शनिक चिन्तन का धरातल समान है। अनेकता के भीतर एकता को खोज निकालना भारतीय तत्वज्ञान की महती विशेषता है। आधुनिक काल में भी भारतीय दर्शन की प्रतिष्ठा करने वाले कुछ उल्लेखनीय दार्शनिक हुए—स्वामी विवेकानन्द, बालगंगाधर तिलक, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, श्री अरविन्द, कृष्णचन्द्र भट्टाचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्णन् आदि।

---

54 साक्षर एपार्ट, ए-3 पश्चिम विहार, नई दिल्ली।

"हिन्दी समस्त आर्यावर्त (भारत) की भाषा है। यद्यपि मैं बंगाली हूं। तथापि मेरे दफ्तर की भाषा हिन्दी है। इस वृद्धावस्था में मेरे लिए यह गौरव का दिन होगा जिस दिन मैं हिन्दी स्वच्छन्दता से बोलने लगूंगा। उसी दिन मेरा जीवन सफल होगा जिस दिन मैं सारे भारतवासियों के साथ साधु हिन्दी में वार्तालाप करूँगा।"

जस्टिस शारदाचरण मित्र

चूंकि भारतीय एक होकर समन्वित संस्कृति का विकास करना चाहते हैं। इसलिए समस्त भारतीयों का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि वे हिन्दी को अपनी भाषा समझ कर अपनाएं ।

डा०भीमराव अम्वेडकर

आज की कविता : सहज कविता

—डा॰ अंजनी कुमार दुबे 'भावुक'

आज की कविता पर विचार करने पर यह तय करना कठिन हो जाता है कि सही कविता क्या है, अथवा जनप्रिय कविता क्या है? यह तो निर्विवाद सत्य है कि छायावाद के बाद कविता वादों के भंवर में फंस कर सम्प्रेषणहीन ही नहीं हुई है, बल्कि जनता से भी कटी है। साठोत्तरी कविता में अनास्था और आक्रोश की आड़ में रचनात्मक कबाड़ का ढेर लगाया गया। इसी कारण यदि इस कालखण्ड को कविता - इतिहास का अंधकार काल मान लिया जाये, तो कोई अत्युक्ति न होगी। इस दौर में कविता का नारा प्रत्येक दिन बदला है, किन्तु कविता का वास्तविक स्वरूप जनता के सामने नहीं आ पाया। इस दौर में काव्यान्दोलनों के लगभग चार दर्जन नाम प्रकाश में आये, किन्तु कवियों और उनके प्रशंसक आलोचकों तक ही सीमित रह कर अस्तित्वहीन हो गये और आजकल वे गर्त में समा गये हैं। इन काव्यान्दोलनों में आज नई कविता, नवगीत और सहज कविता की ही चर्चा है।

नवगीत काव्यान्दोलन के एक प्रमुख हस्ताक्षर डा॰ रवीन्द्र भ्रमर ने सन् 1968 में "सहज कविता" नाम से एक काव्य संकलन का सम्पादन किया। 'सहज कविता' के प्रकाशन के पूर्व कई काव्य गोष्ठियों में डा॰ भ्रमर ने कविता में क्लिष्टता और दुरूहता को त्याग कर, सहजता की भरपूर वकालत की थी। 'सहज कविता' के प्रकाशन को अनेक विद्वानों ने हिन्दी कविता की यथार्थ वापसी माना। इनमें आचार्य नंददुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, कुंतल कुमार जैन और रामधारीसिंह 'दिनकर' आदि हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'सहज कविता' पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था —"हमारे कवि इधर उन्मुख हों तो अच्छा है। काव्य रचना कठिन कर्म है। अनुभूति और अभिव्यक्ति की सहजता के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। कृत्रिम-आरोपित अनुभूति के स्तर पर वह प्रायः गूढ़ रूप में प्रतिफलित होती है और तब काव्य का मूल उद्देश्य ही खण्डित हो जाता है।" .... डा॰ रवीन्द्र भ्रमर ने सहज कविता के रूप को स्पष्ट करते हुए "सहज कविता" (सम्पादित काव्य संकलन) की भूमिका में लिखा—"यह जो सहज की मांग है, सरलता या सुविधा की मांग नहीं है। इसे युग जीवन की जटिलता और संघर्षों से पलायन मान लेने की धारणा पूर्वाग्रह युक्त और अवैज्ञानिक होगी। रचना गत परिप्रेक्ष्य में सहज का दायित्व, अनुभूति और अभिव्यक्ति की अनपेक्षित कृत्रिमताओं से बचने का दायित्व है, जो अपने आप में कला साधना का प्रतिमान बनता है।"

वादों-विवादों के मध्य सहज कविता की आवाज सन् 1980 के बाद लगभग हर ओर से उठने लगी और यह प्रश्न उठाया जाने लगा कि आज की कविता जनता में लोकप्रिय क्यों हो रही है? यदि इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार करें तो यह तथ्य सामने आ जाता है कि सम्प्रेषणीयता के अभाव में हिन्दी कविता जनमानस से कट कर कुछ स्वयंभू आलोचकों तक ही सीमित रह गयी थी। एयरकंडीशण्ड कमरे में बैठ कर ये आलोचक भारत की गरीबी ही नहीं, जनतांत्रिक ढांचा सुधारने की कल्पना भी कर लेते हैं और पारदर्शी शीशे की तरह से अपना जनवादी फार्मूला उडेल देते हैं। वे यह समझते हैं कि साहित्य या समाज का सबसे बड़ा हित वे ही कर रहे हैं, किन्तु आज की नई पीढ़ी इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है कि इन तथाकथित आलोचकों ने हिन्दी साहित्य का इतना अधिक अहित किया है कि उसकी भरपायी भविष्य में शायद ही हो पाये। इन्हीं कुछ छद्म कवियों और आलोचकों के कारण हिन्दी कविता गेयता और सम्प्रेषणीयता के अभाव में प्रायः शुष्क, नीरस और गद्यात्मक बनकर रही गयी है।

किन्हीं कारणों से 'सहज कविता' का दूसरा अंक (रवीन्द्र भ्रमर द्वारा सम्पादित) प्रकाशित नहीं हो पाया। किन्तु दिल्ली, अलीगढ़ और बनारस की गोष्ठियों में 'सहज कविता' की आवाज़ बराबर उठती रही। इस आवाज़ का ही परिणाम था डा॰ सुधेश (दिल्ली) द्वारा सन् 1994 से 'सहज कविता' नामक एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन। अब तक इसके आठ अंक प्रकाशित हो चुके हैं और इसका व्यवस्थित ऐतिहासिक रूप भी स्पष्ट हो चुका है। प्रत्येक अंक में कविता से संबंधित उसके सैद्धांतिक और कलात्मक पक्षों पर गंभीरता से विचार किया गया है जिनमें 'सहज कविता की आवश्यकता', सहज कविता की भाषा, छंद, लय, कला, ग़ज़ल, दोहा आदि प्रमुख हैं। 'सहज कविता' के प्रथम अंक में 'सहज कविता की आवश्यकता' शीर्षक से डा॰ सुधेश ने लिखा है कि—पिछले कुछ दशकों की हिन्दी कविता पर दृष्टि डालने से यह बात साफ दिखाई देती है कि कविता के घटाटोप में कृत्रिम कविता अधिक लिखी गयी और सहज, स्वभाविक, सही और वास्तविक कविता कम लिखी गयी।...साहित्य-लेखन में हृदय और बुद्धि का बंटवारा करके नहीं चला जा सकता।...कुछ स्वनामधन्य साहित्यिक पत्रिकाएं, सम्पादकों के गुटों से जुड़े कवियों को बराबत उछालती रहीं। व्यावसायिक पत्रिकाओं में मध्यवर्ग की रूचियों को तुष्ट करने वाली प्रेम कविताएं या शाकाहारी किस्म की अहिंसक कविताएं छपती रहीं। या उनमें मध्य वर्ग को परेशान करने वाले प्रश्नों को उछाला जाता रहा है। ...आज हिन्दी में लिखना बहुत आसान मान लिया गया है। जिन्हें हिन्दी भाषा की प्रकृति का भी ज्ञान नहीं है, छंद और लय का ज्ञान नहीं है, जिनके पास न पर्याप्त शब्द भण्डार है, और न अनुभव की पूंजी, वे कैसे भी शब्दों को जोड़-तोड़ कर उसे कविता घोषित कर देते हैं। इसलिए आज हिन्दी कविता में छद्म कवियों ने कविता और गद्य के भेद को मिटा दिया है। आज हिन्दी कविता की लोकप्रिय हीनता का एक बड़ा कारण उसकी गद्यात्मकता है। ऐसी गद्यात्मकता, जिसमें न गद्य की स्पष्टता और तार्किकता है और न कविता की लय और अभिन्यंजना की सहजता तथा सम्प्रेषणीयता।...इसलिए मेरा विचार है कि आज हिन्दी में सहज कविता की बड़ी आवश्यकता है अथवा कविता में सहजता अपेक्षित है।"

बिना छंद की वापसी के कविता में सहजता और सम्प्रेषणीयता नहीं आ सकती। राग कविता का प्राण तत्व है। राग से कविता में लयात्मकता आती है और लय से कविता में प्रवाह आता है। प्रवाहहीन साठोत्तरी कविता में मात्र नवगीतों ने ही जनमानस को प्राभावित किया क्योंकि वे रागों को लेकर चले। कविता तुकांत हो, अतुकांत हो, अगर उसमें प्रवाह है, सहजात है, रागात्मकता है, तो वह सहज कविता है। महाप्राण कवि निराला ने कविता में छंदों के बंधन को तोड़ा जरूर, काव्यात्मक प्रवाह और लय को कहीं भी खंडित नहीं होने दिया। इसलिए वे आज भी जिंदा हैं। किन्तु छायावाद के बाद हज़ारों कवि आये और हाशिये पर लगते गये। दो-चार को छोड़ कर आज उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। इस दृष्टि से निश्चित ही सहज कविता का एक भविष्य है। किन्हीं रूढ़-परम्परागत अर्थों में सहज कविता को सपाट बयानी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सपाट बयानी सम्प्रेषण हीनता और गद्यात्मकता के अधिक नज़दीक होती है।

आज का समय निश्चित ही सहज कविता का है, क्योंकि इसमें न तो किसी प्रकार का ढकोसला है और न ही विदेशी आयातित नंगापन। कविता के नाम पर बुझौवल और पहेली भी नहीं है सहज कविता। सहज कविता में जो कुछ भी है, अपने ही परिवेश का यथार्थ है। सहज कविता किसी वाद या सीमा में बंधी हुई नहीं है, इसका आयाम इतना विस्तृत है कि परिवेश का हर कोना इसमें समाया हुआ है। कवि वेद प्रकाश 'अभिताभ' अगर आर्थिक शोषण की अभिव्यक्ति करते हैं—

—'आधी सदी काट दी उसने, खाकर चना चबेना जी।
मेहनत उसकी मौज तुम्हारी, यह सब और चले ना जी।'

(सहज कविता : अंक—1)

तो कवि अंजनी कुमार दुबे 'भावुक' आज के परिवेश में बढ़ती हुई अजनबीयत को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि—

—"आज अजनबी सा, सहमा-सहमा मन है।
कब हमदर्दी, लौटेगी अपने गांव में।
होंठ मुस्कराने की आदत, भूल गये।
मुक्त हंसी कब फूटेगी, अपने गांव में।"

(सहज कविता : अंक 5)

कवयित्री रेखा व्यास प्रातः के सौंदर्य पर मुग्ध होती हुई कहती है कि—

"थक कर चूर होकर
विश्रांति पाती
संध्या-गोद में नित भोर।"

(सहज कविता : अंक 4)

अपने वैचारिक जन्म के बाद से सहज कविता नितन्तर परिवेश के विस्तृत फलक को पकड़ने का प्रयास करती रही है। यही कारण है कि गुटविहीन अनेक रचनाकार निरंतर सहज कविता से जुड़ कर इसे समृद्ध बनाते रहे हैं। आज सहज कविता से जुड़े महत्वपूर्ण कवियों में सुधेश, दिनेशचन्द्र द्विवेदी, वेदप्रकाश अमिताभ, अंजनीकुमार दुबे 'भावुक', दिविक रमेश, रेखा व्यास, गोपाल गर्ग, सुरेन्द्र चतुर्वेदी, राजकुमार सैनी, वीरेन्द्र सक्सेना, चिरंजीत, देवेन्द्र शर्मा 'इन्द्र', फूलचंद 'मानव', कृष्ण बिहारी 'सहल' और पुरूषोत्तम 'प्रशांत' आदि हैं।

प्रवक्ता—नेहरू कालेज, पोस्ट—पैलापुल, जिला—कछार—788098 (असम)

जब तक हमारे देश का राज काज अपनी भाषा में नहीं चलेगा, तब तक हम यह नहीं कह सकते कि देश में स्वराज्य है।

मोरारजी देसाई

किसी दूसरी भाषा को जानना सम्मान की बात है, लेकिन दूसरी भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा के बराबर दर्जा देना शर्म की बात है।

महादेवी वर्मा

दो जन्मशताब्दियों का मिलन: नेताजी तथा 'नवीन'

—डा० लक्ष्मीनारायण दुबे

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस तथा कविवर बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' समवयस्क एवम् समकालीन ही नहीं थे अपितु घनिष्ठ मित्र भी। दोनों की जन्मशताब्दियों का इस वर्ष (1997) मिलन हो चुका है। दोनों असिधारा पथगामी थे और विप्लव गायन के पुरस्कर्त्ता। 'नवीन' जी की ये पंक्तियां सुभाष बाबू के लिए ही प्रतिफलित होती है—

हे क्षुरस्यधारा पथगामी, हे जगमोहन जय, जय हे,
यद्धवीर है, रुद्धधीर हे, नीति-विदोहन, जय जय हे।।

'नवीन' ने सुभाष बाबू में 'विद्रोह रूप, प्रलयंकर' की प्रतिमूर्ति को पाया था—

तू नाशक ध्वनियों का गायक, तू विकराल क्रांति द्रष्टा,
तू विद्रोह प्रलयंकर, तू है अनल-राग-स्रष्टा।।

'नवीन' ने 'अनल गान' मानों सुभाष बोस के लिए लिखा था—

अनल गीत सुन ले, ओ यौवन के मदमाते वीर बली,
अग्निगीत की यह स्वर लहरी, अंतरिक्ष के चीर चली,
तार कमाला-सी स्फुलिंग स्वर श्रुतियां सब दिशि फैल रही,
अनल-कुमार, आज तू पावक स्वर-तरंग से खेल यहीं।

दोनों स्वामी विवेकानंद के भक्त थे। 'नवीन' जी सुभाष बोस से प्रभावित थे। वे क्रांतिकारी विचार धारा के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने राष्ट्रीय काव्य तथा तेजस्वी पत्रकारिता में क्रांतिधारा को प्रमुखता दी है। वे तिलक युग तथा गांधी युग के अद्‌भुत संगम थे। दोनों परम विद्रोही थे। 'नवीन' जी ने लिखा है—

"हम ज्योति पुंज दुर्दम, प्रचण्ड, हम क्रांति वज्र के घन प्रहार,
हम विप्लव-रण-चण्डिका-जनक, हम विद्रोही, हम दुर्निवार,
हम वज्रपाणि, हम कुलिश हृदय, हम दृढ़ निश्चय, हम अचल अटल,
हम महाकाल के व्याल रूप, हम शेषनाग के अतुल गरल।
हम दुर्गा के भीषण-नाहर, हम सिंह-गर्जना के प्रसार,
हम जनक प्रलय-रण-चण्डी के, हम विद्रोही, हम दुर्निवार।।

दोनों ने विद्रोह-मार्ग को बलिदानी पथ बनाकर, भारत माता के प्रति अपना सर्वस्व उत्सर्ग कर दिया। 'नवीन' जी कहते हैं—

विद्रोही ही जग में करते, हैं सुधर्म-निर्माण नया,
शुष्क अस्थियों में संचारित, करते हैं वे प्राण नया,
नवधारा वाही विद्रोही, नूतन काल-प्रवर्त्तक हैं,
महानाश-ताण्डव का गतिमय, विद्रोही ही नर्तक हैं।

'नवीन' जी की नेताजी से प्रथम भेंट कलकत्ता में हुई थी और प्रथम मिलन में ही, उनकी आस्था नेताजी के प्रति गहरी हो गयी। दोनों ही गांधी की आंधी में राष्ट्रीय आन्दोलन में एक साथ कूदे। ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी की कारागृह यात्रा 1921 से शुरू होती है और 1940 तक चलती है। वे भारत में अपने थोड़े से राजनैतिक जीवन में ग्यारह बार बन्दी जीवन में रहे। 'नवीन' जी भी 1921 से 1945 तक बन्दी जीवन के यात्री रहे और उन्होंने अपना यौवन राष्ट्रहित में समर्पित कर दिया। दोनों की प्रथम जेल यात्रा में भी विचित्र साम्य है। नेताजी की प्रथम कारागृह यात्रा 10 दिसम्बर, 1921 को शुरू होती है तो 'नवीन' जी की 13 दिसम्बर, 1921 को।

'नवीन' अपने उज्जैन के उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्ययन-काल में ही क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो जाना चाहते थे परन्तु उनके प्राचार्य के सुझावों के कारण वे ऐसा न कर सके। कानपुर क्रांतिकारियों का अड्डा था और 'प्रताप' प्रेस उनका शरणस्थल। कानपुर में ही 'नवीन' अनेक क्रांतिकारियों के निकट सम्पर्क में आए। 'नवीन' जी ने अनेक षड्‌यंत्रकारियों एवम् क्रांतिकारियों को प्रश्रय प्रदान किया था, उन्हें सक्रिय सहयोग दिया था और सदा-सर्वथा उनके प्रति सहानुभूति रही थी। बंगाल के क्रांतिकारियों में उनके शचीन्द्रनाथ सान्याल, जोगेशचन्द्र चटर्जी, अजय घोष, राजकुमार सिन्हा, विजयकुमार सिन्हा, बटुकेश्वर दत्त, सुरेशचन्द्र भट्‌टाचार्य, शचीन्द्रनाथ बक्शी आदि के साथ घनिष्ठ सम्बंध थे। इसलिए 'नवीन' सुभाष बाबू के समर्थक बने रहे। सुभाष बाबू मध्यप्रदेश के सिवनी कारागृह में भी रहे।

मध्य प्रदेश में 1939 में त्रिपुरी में सुभाष बोस ने नया इतिहास रचा था। उस समय कांग्रेसाध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता था। इस कांग्रेस में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने चुनाव में खड़े होने से इंकार कर दिया। गांधीजी के प्रतिनिधि के नाते चुनाव में पट्टाभि सीतारैमया खड़े हुए और सुभाष बोस के विरोध में हार गए। 'नवीन' जी ने अपनी क्रांतिकारी भावना के अनुकूल सुभाष बोस को अपना अमूल्य वोट प्रदान किया था। त्रिपुरी कांग्रेस में जो कवि सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता भी 'नवीन' जी ने ही की थी। क्रांति के अलबेले कवि तथा मतवाले पत्रकार 'नवीन' ने अपनी 'क्रांति' कविता में लिखा है—

आओ क्रांति बलायें ले लूं, अनाहूत आ गया भली,
वास करो मेरे घर-आंगन, विचरों मेरी गली-गली।।

'नवीन' ने स्वाधीनता-समर में सुभाष-युग को अपनी कविता 'आज क्रांति का शंख बज रहा' को साकार किया था—

आज क्रांति का शंख बज रहा, क्यों न संकुचितता जन त्यागे?
क्यों न आज मत-मतांतरों के लघु विचार जन-मन से भागे?

'नवीन' नेताजी से राष्ट्रीय आन्दोलन तथा कांग्रेस अधिवेशनों में अनवरत रूप में मिलते रहे। उनका पत्रकार कानपुर के अग्निवर्षक 'प्रताप' में उनकी विचार-धारा के पोषण में सतत् रूप से लिखता रहा। उनकी लेखनी आजाद हिन्द फौज पर भी चली। 'नवीन' अत्यंत साधारण, निर्धन एवम् वैष्णव परिवार से आए थे जबकि नेताजी प्रबुद्ध-प्रभावी खानदान तथा शाक्त परम्परा के थे। नेताजी का उद्भव व विकास कलकत्ता जैसे महानगर में हुआ जबकि 'नवीन' मध्यप्रदेश के शाजापुर जैसे मामूली कस्बे से उठकर, कानपुर एवम् उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उत्कर्ष को प्राप्त हुए।

परवर्तीकाल में सुभाष बोस 'नवीन' के प्रेरणा स्रोत बन गए। कानपुर विप्लवियों का नाभि-केन्द्र था। 'नवीन' अग्निशिखा बने सदैव प्रज्वलित रहे। लोकनायक कबीर तथा सुभाष बोस का मिला-जुला स्वरूप औघड़दानी तथा मस्त फकीर 'नवीन' के व्यक्तित्व में प्रतिबिम्बित होने लगा।

'नवीन' जी ने बंगाल के नेताओं पर भी काफी लिखा है। 1925 में देशबंधुदास के निधन पर उन्होंने मार्मिक सम्पादकीय लिखा था। बड़े दादा परम पूजार्द्र महर्षि श्री द्विजेन्द्र ठाकुर के देहांत पर भी उन्होंने कविता लिखी थी। कानपुर के मासिक 'प्रभा' के सम्पादक के रूप में, 'नवीन' ने रवीन्द्र-गीतांजलि का धारावाहिक हिन्दी अनुवाद उसमें प्रकाशित किया था। नेताजी तथा 'नवीन' में काफी समानताएं थीं परन्तु अंतर भी। सुभाष हिन्दुस्तानी को राष्ट्रभाषा मानते थे जबकि 'नवीन' उसके विरोध में थे। नेताजी ने रोमन लिपि को महत्व दिया परन्तु 'नवीन' देवनागरी लिपि के परम पक्षधर थे। दोनों के राष्ट्रीय चरित्र ने परवर्ती पीढ़ियों को प्रभावित किया और उसका मार्गदर्शन किया। दोनों एक दूसरे के अनु-पूरक थे। नेताजी राष्ट्रपुरूष थे तो 'नवीन' राष्ट्रकवि। नेताजी ने यूरोप में भारतीय स्वतंत्रता की मशाल जलायी और 'नवीन' स्वदेश में स्वातंत्र्य-युद्ध में डटे रहे। दोनों ने कभी हार नहीं मानी। दोनों का एक ही लक्ष्य रहा—भारत की आजादी। नेताजी का नारा राष्ट्रीय मंत्र बन गया—तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 'नवीन' ने राष्ट्रीय कविता दी—कवि कुछ ऐसी तान सुनाओं जिससे उथल-पुथल मच जाए। दोनों की शतवार्षिकी पर राष्ट्र का सादर नमन एवम् तर्पण। सुभाष बोस के अगस्त, 1945 में तथाकथित वायुयान दुर्घटना में निधन की खबर पाकर, 'नवीन' का मानस उद्वेलित हो गया। सुभाष बोस तो अष्टम चिरंजीवी बन गए। 'नवीन' के प्रखर तथा निर्भीक पत्रकार ने कानपुर के 'प्रताप' में 30 अगस्त, 1945 को जो सम्पादकीय लिखी—वह इतिहास में अमर है और सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि है-'अमर सुभाष की जय' यह सम्पादकीय ही 'नवीन' का नेताजी को महनीय एवम् वंदनीय प्रणाम है—

अंततः तुम महाप्रयाण कर ही गये वीरवर! तुम्हारे बिना तुम्हारी इस वृद्ध भारत माता की गोद सूनी हो गयी है और हम, तुम्हारे सहकर्मियों और अनुयाइयों के हृदय में एक विचित्र गौरवपूर्ण हाहाकार भर गया है। तुम जन्मजात विद्रोह विप्लवी, तुम एक निपट क्रांतिकारी, तुम भारतीय स्वतंत्रता के अनन्य उपासक, तुम महा कल्पनाशील, तुम वीर श्रेष्ठ नर-शार्दूल-तुम जिस शान से जिये उसी शान से मरे। हमारे राष्ट्र के इतिहास में सदा-सर्वदा तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा। आगे आने वाली भारतीय पीढ़ियां तुम्हारा स्मरण करते समय आत्यंतिक गौरव और आत्माभिमान का अनुभव करेंगी। हम तुम्हारे समकालीन जन आज नतमस्तक एवं सजल नयन होकर तुम्हारी वन्दना करते हैं। तुम महान थे, तुम लोकोत्तर पुरूष थे, तुमने भारतीय नव यौवन के सम्मुख जिस अद्भुत कल्पना-शीलता का उदाहरण उपस्थित किया है, वह युग-युग हमें अनुप्राणित एवं उत्प्रेरित करता रहेगा। गांधी युग के तुम अद्भूत क्रातिकारी थे। आज हम निःसंकोच यह कहते हैं कि हमारे राष्ट्र की नेता मण्डली में तुम्हारे सदृश क्रांतिकारी कठिनता से मिलेगा। तुमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापना के द्वारा भारतीय क्रांति का जो महान स्वप्न देखा, उसे देखने में सहसा अन्य लोचन समर्थ नहीं हो सके। जिन्होंने सिद्धांतवादिता की संकुचित परिधि में आबद्ध होकर तुम मनस्वी के कर्मों की कटु आलोचना की, उनके संबंध में हम आज कटुतापूर्ण शब्दों का प्रयोग न करके केवल इतना ही कहें कि उनकी बुद्धि ने उन्हें तुम्हारे प्रयत्नों के महान क्रांतिमूलक एवं स्वातंत्र्य पुरःसर तत्वों के दर्शन कर सकने में असमर्थ बना दिया था। वे तुम्हे, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारे विचारों को समझ नहीं सके। हमारे देश के इतिहास में तुम्हारा गौरवपूर्ण स्थान सदा सुरक्षित हैं। हमारे हृदयों में, हम भारतवासियों के कोटि-कोटि हृदयों में, तुम्हारा उच्च स्थान सदैव सुरक्षित है। तुम पर, तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे प्रयत्नों पर, तुम्हारी लगन पर, तुम्हारी वैदनादात्री मृत्यु पर हमें गर्व है सुभाष दा!

हम विवश, आज तुम्हारा गुण-स्तवन भी नहीं कर सकते। परन्तु क्षणिक विधानों के बंधन क्या तुम्हारे देशवासियों को तुम्हारे प्रति, तुम्हारी पुण्य स्मृति में, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने से रोक सकेंगे? आज हमारी जिह्वा पर ताले पड़े हुए हैं। आज तुम्हारे देशवासियों के पद श्रृंखलाबद्ध है। फिर भी हमारी कल्पना मुक्त है। हमारे विचार स्वतंत्र हैं। हम यदि आज तुम्हारे प्रति कृतज्ञता का भी प्रकाश करें, तो है अज्ञात, अनन्त पथ के पथिक, यह न समझना कि हम कृतघ्न हैं। आज हमारी यह अवस्था नहीं है कि हम अपने विचारों और कार्यों द्वारा तुम्हारे प्रति अपनी हृदय-स्थिति भक्ति-भावना की अभिव्यक्ति कर सकें। तुम स्वयं इस विवशता में रह चुके हो। अतः उस पार से आज तुम हमारी इस विवशता उत्पन्न मनोव्यथा को समझोगे—ऐसा हमारा विश्वास है। हम, तुम्हारे देशवासी, तुम्हारे महाप्रयाण के समाचारों को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हम उस समय की कल्पना कर रहे थे, जब हम इस योग्य होते कि भारत भूमि पर तुम्हारे उतरते समय हम तुम्हारे स्वागत में अपनी आंखें बिछा देते। हमारी यह साधना मन की मन ही में रह गयी। तुम महायात्रा कर गये।

सुभाषचन्द्र बोस के संबंध में हमारे देशवासियों ने ही भ्रणपूर्ण धारणाएं प्रचारित करने का प्रयत्न किया है। उनके ऊपर नाना प्रकार के आक्षेप किये गये हैं। सुभाष फाशिस्टवादी थे, सुभाष जापानी सैनिकवाद के पोषक थे। सुभाष धुरी राष्ट्रों के पंचम अंग थे। इस प्रकार की अनेक बातें उनके संबंध में कही गयी है। सुभाष महाप्रयाण के इस पुनीत एवं गंभीर अवसर पर हम तिक्त आलोचनात्मक शैली का आश्रय नहीं लेना चाहते। जिन

बन्धुओं ने इस प्रकार की बातें कह कर अपनी मनोवृत्ति का परिचय दिया हैं, उन्हें हम भ्रांत विचारक मानते हैं। सुभाष यदि फाशीस्टवादी या नात्शीवादी थे, तो क्या स्टालिन भी फाशीस्ट हैं, जो उन्होंने जर्मनी से अनाक्रमणकात्मक संधि कर ली? और जब तक संचार व्यापी महायुद्ध चला तब तक जापान के साथ तटस्थता संधि बनाये रखने के कारण क्या स्टालिन जापानी सैनिकवाद के पोषक हो गये? यदि इन घटनाओं से, जो गत 6 वर्षों के भीतर घटित हुई, हर कोई इस प्रकार का निष्कर्ष निकालता है, तो हम उसे भ्रांत विचारवादी ही कहेंगे। आज, यदि रूस की वैदेशिक नीति का पिष्टपेक्षण और समर्थन किया जा सकता है, यदि जर्मनी और जापान से संधि कर लेने मात्र ही से वीरश्रेष्ठ स्टालिन नात्सीवादी या जापानी से सैनिकवाद का समर्थक नहीं बन जाता तो कोई कारण नहीं है कि सुभाष बोस ही, जापान-जर्मनी से संधि समझौता कर लेने के कारण प्रतिक्रियावादी समझ लिए जायं। सुभाष प्रतिक्रियावादी, नात्सीवादी या जापानी सैनिकवादी नहीं थे। वे मानव मुक्ति के उपासक एवं भारतीय स्वतंत्रता के पुजारी थे। उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए विदेशों से संधि की। उन्होंने नात्सीवाद के पोषण के लिए नहीं, भारतीय शोषण की मूलोचोद करने के लिए ही अंतराष्ट्रीय परिस्थिति से लाभ उठाना चाहा था।

आज पासा पलट गया है। इसलिए लोग जो चाहें कहें। पर हम पूछते हैं उन लोगों से, जो इस युद्ध को प्रजातंत्रात्मक सिद्धान्तों की स्थापना के लिए लड़ा गया युद्ध समझते हैं, कि एशिया की स्वतंत्रता कहां है? हांगकांग पर ब्रिटिश अधिकार, और इस प्रकार चीन में ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र रहेगा। सुमात्रा, जापान, बोर्नियो में डच शासन रहेगा। सिंगापुर, ब्रह्मदेश, में ब्रिटिश शासन रहेगा। ईरान, ईराक, फिलीस्तीन, मिश्र, ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत रहेंगे। हम पूछते हैं, जनतंत्रवाद, साम्राज्यवाद का विनाश, ये सब कहां हैं? बढ़-बढ़ कर सैद्धांतिकता की बातें करना व्यर्थ है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि सुभापचन्द्र बोस न नात्सीवादी थे, न फाशीस्टवादी थे और न जापानी सैनिकवाद के समर्थक थे। इस अपूर्ण विश्व की राजनीतिक मूलभुलैया में सैद्धांतिक माप से संकुचित, तोतारटन्त सिद्धांतवाद की दृष्टि से — व्यक्तियों और घटना चक्रों का मूल्यांकन करना एक उपहासास्पद प्रयत्न है। हम लोकोत्तर मानव, वीर श्रेष्ठ, महामहिम क्रांतिकारी सुभापचन्द्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता का अन्यतम उपासक समझते हैं। शत-शत बंधनों और विंवशताओं के होते हुए भी हम यह कहने में तनिक संकोच अनुभव नहीं करते कि हमें सुभाष पर गर्व है। उनकी मृत्यु को हम एक अमर बलिदानी हुतात्मा की मृत्यु समझते हैं और उनकी कार्यशैली को अभिनव पथ-प्रदर्शिका।

जाओ सुभाष दा। हमें जो आज यह कहने का अधिकार भी नहीं है कि तुम खूब जिये और खूब मरे। हमें तो आज 'शुभास्तु पन्थानः' कह कर एक दीर्घ निःश्वास छोड़ने का भी अधिकार नहीं है। कहां तुम, कहां हम। हम तुम्हारे बलिदान का मूल्य कैसे आंकें? हां, इतना विश्वास रखो कि तुमने जो अग्नि पथ निर्मित किया है, वह हमारे दृष्टि-पथ को, तुम्हारे इस देश की पूर्ण स्वतंत्रता की ज्योति से सदा जाज्वल्यमान किये रहेगा। तुम रुक नहीं सके। जाते हो? जाओ सुभाष! पर अपने देशवासियों की, हम अल्प प्राण जनों की भक्ति प्रणामांजलि ग्रहण करते जाओ।

"भारत के विभिन्न प्रदेशों के बीच हिन्दी प्रचार द्वारा एकता स्थापित करने वाले व्यक्ति ही सच्चे भारतीय बन्धु हैं" ।

"भाषा भेद से देश की एकता में बाधा नहीं पड़ेगी । सब लोग अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए हिन्दी को साधारण भाषा के रूप में अपनाकर इस भेद को नष्ट कर देंगे" ।

महर्षि अरविन्द घोष

संस्कृति दर्शन

तीर्थ स्थलों में संरक्षित पुरातत्व

— डा० कृष्ण नारायण पाण्डेय

पौराणिक ऐतिहासिक घटनास्थल कालान्तर में तीर्थस्थान के रूप में प्रसिद्धि पाते हैं। सम्पूर्ण इतिहास दूर अतीत का अंश बन कर पुराण हो जाता हैं। प्रसिद्ध भारतविद्याविद् डा० वासुदेव शरण अग्रवाल के इस कथन के अनुसार भारतवर्ष के समस्त तीर्थ स्थल प्राचीनकाल की किसी न किसी ऐतिहासिक घटना से अवश्य ही सम्बद्ध हैं।

विश्व की प्राचीनतम जीवन्त भारतीय संस्कृति जीर्णोद्धार की परम्परा से आधुनिकता का समावेश करती रहती है। जीर्णशीर्ण पवित्र वस्तुओं को विसर्जित करके नया रूप प्रदान कर दिया जाता है। आयोध्या के नन्दिग्राम में राम की खड़ाऊ त्रेतायुग की नहीं है, न ही पंचवटी के पांच वृक्ष प्राचीनकाल के हैं। यथासमय भक्तों के द्वारा इनको नया रूप दिया जाता रहा है। ब्रह्माण्ड के आकार का शिवलिंग (ईश्वर प्रतीक) प्रागैतिहासिक काल से पूजा जा रहा है। कदाचित नये मंदिर के निर्माण के समय पुरानी मूर्ति के अलावा नई मूर्ति की स्थापना कर दी जाती है। तमिलनाडु के रामेश्वरम् मंदिर में मुख्य शिव लिंग के अलावा महर्षि अगस्त्य के द्वारा स्थापित 'अत्रपूर्वम्' (यहां पहले से ही था) भी विद्यमान है।

मंदिरों की वास्तुकला पर्वतों की अनुकृति है क्योंकि मनुष्य का प्रारम्भिक निवास पर्वतों के ऊपरी भागों में गुफाओं में ही था। जम्मू कश्मीर का श्री अमरनाथ गुफा मंदिर इस तथ्य का प्रत्यक्ष उदाहरण है। हैम्पी विजयनगर कर्नाटक में किष्किन्धा तीर्थ में फटिकाशिला माल्यवन्त स्वामी राममंदिर मूलतः गुफा में निर्मित है। कालान्तर में गुफा की ऊपरी शिला पर शिखर निर्माण कर दिया गया।

केवल भारत वर्ष में ही नहीं विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का भी प्रथम राजा मनु, मौन मैन, आदम (आदी मनु) है। भारतवर्ष के इतिहास संशोधन में स्वायम्भुव मनु की ऐतिहासिकता पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि भारत के क्रमबद्ध इतिहास का क्रम बुद्धकाल से निर्धारित किया गया है।

पाश्चात्य शोध कर्ताओं ने पुराणों की वंशावलियों से मगध वंश, मौर्यवंश तथा गुप्तवंश के राजाओं का क्रम निर्धारित किया है जो कि भविष्य काल में वर्णित है। भूतकाल में वर्णित लम्बे इतिहास को बिना प्रमाण अनैतिहासिक घोषित करने का प्रयास किया है।

प्रत्यक्ष अनुमान और आगम (साहित्य) इन प्रमाणों की उपलब्धि तीर्थस्थलों में है। मध्यकाल की धर्मान्धता के कारण बहुत सी मूर्तियां भूमिगत हो गईं। भूगर्भ से कालान्तर में प्राप्त इन मूर्तियों को बड़ी श्रद्धा के साथ पुनः स्थापित किया गया है परन्तु इस प्रत्यक्ष पुरातत्व का मूल्यांकन पूरी तरह से नहीं किया गया है।

अयोध्या नगर में नागेश्वर शिवमंदिर में संरक्षित टूटे शिलालेख को हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान बाबू श्यामसुन्दर दास ने अपने हाथ से नकल किया था। कालान्तर में जीर्णशीर्ण शिलालेख सरयू में प्रवाहित कर दिया गया। बाबर के आक्रमण के समय रामजन्मभूमि मंदिर की रामपञ्चायतन मूर्ति सरयूतट के कालाराम मंदिर में स्थापित कर दी गई थी। इतिहासज्ञों ने इस मूर्ति का भी मूल्यांकन नहीं किया। रामजन्मभूमि की विवाद ग्रस्त इमारत में लगे कसौटी के प्रसिद्ध स्तम्भों का वास्तुशिल्प निश्चित रूप से गुप्तकालीन अवश्य ही है।

मथुरा क्षेत्र में मधुवन में ध्रुवमूर्ति, भक्तराज ध्रुव की तपोभूमि पुराणों के अनुसार है। लवणासुर की गुफा रामायणकाल की घटना का प्रमाण है। इनका मूल्यांकन नहीं किया गया है। जिसके नाम पर ध्रुवतारा सदियों से प्रसिद्ध है उसे किस आधार पर अनैतिहासिक कह सकते हैं।

स्मारक—ब्रह्मावर्त विठूर (कानपुर) में स्वायम्भुव मनु के पौत्र ध्रुव का किला ध्रुवमंदिर से युक्त उच्च भूमि पर स्थित है। इससे मनु की राजधानी 'वर्हिष्मती' के निकट होने का अनुमान लगता है। नैमिषारण्य में दो स्तम्भों के माध्यम से स्वायम्भुव मनु और शतरूपा की समाधि पृथ्वी तल के प्रथम मनुष्य का प्रत्यक्ष प्रमाण क्यों नहीं है। इसी प्रकार माहिष्मती नगरी (म०प्र०) नर्मदा तट पर सहस्त्रार्जुन का समाधि मंदिर माहुर क्षेत्र (यवतमाल-महाराष्ट्र) में महर्षि जमदग्नि की समाधि और सीतापुर (उ०प्र०) में कीचक-समाधि क्या पुराणोतिहास को प्रमाणित नहीं करते हैं?

जम्मू कश्मीर मार्ग में शुद्धमहादेव के मंदिर में भगवान शंकर के त्रिशूल के दो खण्ड हैं। उत्तरकाशी नगर में देवासुर संग्राम के समय की शक्ति (त्रिशूल) संरक्षित है।

श्री बद्रीनाथ धाम बसुधारा मार्ग पर सरस्वती नदी पर शिलापुल-भीम निर्मित कहा जाता है। शिमला-तिब्बत राजमार्ग में श्रीखण्ड महादेव के मंदिर में पत्थर के विशाल दरवाजे पाण्डव भीमसेन के द्वारा स्थापित हैं। इन तथ्यों का मूल्यांकन अभी तक नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश के अनूप शहर के कर्णवास क्षेत्र में महाभारत के कर्ण का दान करने के समय का आसन "कर्णशिला" विद्यमान है। गंगा के

इंजीनियर राजा भगीरथ की तपस्थली "भागीरथ शिला" कही जाती है। रामेश्वरम् क्षेत्र में नवग्रहों के प्रतीक राम के द्वारा स्थापित स्तम्भ "नव पाषाणम" कहे जाते हैं। आदि सेतु पति का रामायणकालीन वर्गाकार शिला आसन "रामलिंग विलास शिला", रामनाथपुरम् के राजमहल में आज भी संरक्षित है। यह राजसिंहासन का प्राचीनतम उपलब्ध उदाहरण है। रामायण, महाभारत, पुराणों के महापुरुषों के पद चिन्ह कई तीर्थों में संरक्षित हैं। ओंकारेश्वर नर्मदा तट पर राम द्वारा स्थापित शिवलिंग रामेश्वरम् वन यात्रा के समय राम के वहां जाने का प्रमाण है। इस प्रकार के रामेश्वरम् शिवालय अयोध्या से रामेश्वरम् (तमिलनाडु) की यात्रा में कई स्थलों पर संस्थापित हैं। इससे राम की दक्षिण यात्रा का मार्ग चिह्नित हो जाता है।

जिस प्रकार दक्षिण भारत में लम्बोदर महर्षि अगस्त्य की मूर्ति, अगस्त्य के व्यक्तिव को प्रमाणित करती है उसी प्रकार सप्तर्षियों, पाण्डवों, ध्रुव, मान्धाता, वाल्मीकि, व्यास, श्रृंगी, शुकदेव, शंकराचार्य जैसे महापुरुषों की मूर्तियां भी तीर्थों में संस्थापित हैं परन्तु इनका मूल्यांकन नहीं किया गया है।

कई बार एक ही घटनास्थल कई स्थानों पर मिलते हैं परन्तु सत्यशोधन से तथ्य प्रमाणित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए वाल्मीकि आश्रम भारत में 25 से अधिक हैं परन्तु रामायण के अनुसार जिस आश्रम में लव कुश का जन्म हुआ वह आश्रम गंगा तट पर विठुर ब्रह्मावर्त-परिसर (कानपुर-उन्नाव) क्षेत्र में ही प्रमाणित होता है। अन्य आश्रम वाल्मीकी के जीवन की अन्य गतिविधियों से सम्बंधित हैं। रामायण के वर्णन के अनुसार जिस आश्रम में सीताजी रहीं वह अयोध्या से गोमती नदी पार करते हुए रथ से 18 घण्टे की यात्रा के पश्चात् गंगा के पार था। यह आश्रम अयोध्या मथुरा मार्ग में रात्रि विश्राम स्थल के रूप में था।

महाभारत काल के दुर्ग अवशेष

डा० एस० आर० राव, निदेशक, सामुदिक पुरातत्व शोध संस्थान, गोवा ने द्वापर युग की द्वारिका के अवशेष समुद्र गर्भ में खोज निकाले हैं। दिल्ली में यमुना तट पर पुराना किला इन्द्रप्रस्थ कहा जाता है। शेरशाह सूरी के समय के वर्तमान दुर्ग में कुन्तीमाता का मंदिर, भीमस्थापित भैरव मंदिर तथा मस्जिद के पांच द्वार पंच पाण्डवों की परम्परा की याद दिलाते हैं। कुन्तीमंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार 100 वर्ष पूर्व हुआ था। पुरानी मूर्तियां चोर ले जा चुके हैं।

मध्य प्रदेश के अंकारेश्वर मान्धाता द्वीप में स्थित भीम निर्मित विशाल शिला भित्ति का मुख्यद्वार धर्मराज युधिष्ठिर द्वार कहा जाता है। किले में कुन्ती मंदिर तथा हिडिम्बा क्षेत्र भी है। किले की दीवालों का गारा समाप्त हो चुका है फिर भी विशाल शिलाखण्डों की ईंटें दीवाल का रूप लिए हुए हैं। महाभारत की लाक्षागृह घटना के पश्चात् मां कुन्ती सहित युवक पाण्डवों का आतंकवादी दुर्योधन से रक्षा के लिए यह प्राकृतिक दुर्गम किला रहा होगा।

अक्तूबर 93 में लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डे के पास युगनिर्माण योजना हरिद्वार द्वारा आयोजित विशाल अश्वमेघ यज्ञ स्थल पर जाकर केवल पुरातत्व के माध्यम से 1008 यज्ञ कुण्डों के स्थान का भी पता अब नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि साहित्य के माध्यम से पुरातत्व को मुखर न किया जाय।

वैज्ञानिक तिथि निर्धारण

कार्बन-14 की कालमापन पद्धति से भूगर्भ से प्राप्त यज्ञ भस्म की, किष्किन्धा में बाली की चिताभस्म की, बेल्लारी (कर्नाटक) में दुःदुभि की हड्डियों के तीन लुघु टीलों की तिथि का निर्धारण किया जा सकता है।

महात्मा बुद्ध के अवशेषों से महात्मा बुद्ध का निश्चित समय निकाला जा सकता है।

राम कथा से सम्बंधित तीर्थस्थलों के विवेचन से राम की वनयात्रा का मार्ग सहज ही निर्धारित हो जाता है। इसी प्रकार महाभारत से सम्बंधित स्थलों के मानचित्र से महाभारत के ऐतिहासिक स्थलों की स्थिति का निर्धारण सम्भव है।

आवश्यकता है कि तीर्थ स्थलों में संरक्षित ऐतिहासिक सामग्री का विधिवत पुरातात्विक मूल्यांकन किया जाय।

531-सी शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110 001

हिन्दी जानने वाला आदमी सम्पूर्ण भारत में यात्रा कर सकता है और उसे हर जगह हिन्दी बोलने और समझने वाले व्यक्ति मिल सकते हैं। हिन्दी सीखने का कार्य एक ऐसा त्याग है जिसे दक्षिण भारत के निवासियों को राष्ट्रीय एकता के हित में अवश्य करना चाहिए।

श्रीमती एनी बेसेंट

लंका कांड

मूल - श्री प्रसन्न पाट्टसाणी
अनुवादः प्रद्युमत्र दास 'वैष्णव'
राष्ट्रभाषा महाविद्यालय, पझसपाली जिला रायपुर म० प्र० 493558

सभी कह रहे यह बात
कि - मैं दंडित हुआ हूं आज
मैंने किया जो पाप
किंतु कहता नहीं कोई
कि मैं गधा बन गया हूं
क्योंकि मैंने किया था कुछ पुण्य।

और अंतस्तल में तुम्हारे
व्याप्त है जो गहन अंधकार
जिसे तुम पाते नहीं हो देख
उसी में घुस गया हूं मैं
और कर रहा अनुभूत
कि वहां; रहते नहीं
भगवान।

एक दानव घोर निद्रामग्न
निश्चिंत सा निद्रित
तुम्हारा मन हो गया है मग्न
बोध होता अटपटा दुःस्वप्न।
रात का चेहरा लग रहा रावण
मेरे उभय नेत्र कोणों को रहा है बींध
तुम्हारी देह की लंका पुरी में
प्रणय की स्वर्ण सीता
हरण होकर व्यथित व्याकुल मन
आकुलित एंव दुखित हैं रघुनाथ
दंडित हुए थे वे
मिला था तमग्रसित वनवास
तव वहां क्या?
नहीं थे कोई पुरुष महान।
मैं देखता हूं विहग कुल के कंठ में
किस प्रकार शांव सा गतिशील
स्रवित रहता है मधुर संगीत
एवं हारमोनियम सा
ध्वनित होता है प्रातः काल।
मैंने देखा
सभी पशुओं में भरा है
मनुज का वह हिंस्र आचरण
पचित पशु आत्मा फूट पड़ने को बाहर
लगती है व्याकुल मन।
मानवी अस्थियों के मध्य
श्वेत हड्डियों के बीच
गरल का होता है कैसा रंग।
मनुष्य का आक्रोश
तक्षक से भी होता है भयंकर
देख रहा हूं मैं एक शत्रु
बोध करता हूं मनुष्य है
मनुष्य का दुश्मन
ईश्वर है ईश्वर का स्वजन्।
है! अंधकार दिखा दो मुझे
आलोक के देवता को बस एक बार।

तेलुगु कविता

उस पार

मूलः श्री श्री
अनुवादः बी० वेंकटेश्वरा

(1)

— क्यों यह डर?
— सब ओर अंधकार
— यह क्या अपस्वर?
— तंत्री कटी!
— ये क्या बिरंगी परछायियां?
— जीवन व मरण!
— कहां जाओगे इस रात को?
— उस पार!

(2)

आग बरसता हुआ जब मैं
ऊर्ध्व-गामी रहा
आश्चर्य चकित तब ये —
खून बिछडना हुआ जब मैं
अधोन्मुखी बना
कारूण्य रहित तब ये ही!

राजभाषा प्रभाग, दक्षिण रेलवे

शेरे-कश्मीर शेख अब्दुल्ला का हिन्दी प्रेम

— मनसाराम 'चंचल'

बात सन् 1980-81 की है।

बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु, आन्ध्र प्रदेश के एन०टी० रामाराव और तमिलनाडु के जी०एम० रामचन्द्रन ने एक मैमोरैण्डम तैयार किया, जिसमें कहा गया था कि देश के अधिकांश प्रदेश, विशेषकर दक्षिण और पूर्व के, हिन्दी नहीं जानते और न इसे पढ़ना पसंद करते हैं। इसलिए स्थायी रूप से अंग्रेजी को ही राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए।

मित्रता के कारण मैमोरैण्डम की एक प्रति स्व० शेख मुहम्मद अब्दुल्ला को भी हस्ताक्षर के लिए भेजी गई। चूंकि शेख साहेब उन दिनों भारत सरकार के कुछ निर्णयों की आलोचना के ख्यात थे। इसलिए प्रारूप तैयार करने वालों को आशा थी कि शेख साहेब इस पर अवश्य हस्ताक्षर कर देंगे। लेकिन उनकी आशा पूरी नहीं हुई।

शेख साहेब ने न केवल मैमोरैण्डम पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया, अपितु एक-लम्बा चौड़ा पत्र साथ लगा दिया। अपने वक्तव्य में शेख साहेब ने कहा कि हर स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है। और भारत की भी अपनी एक राष्ट्रभाषा है हिन्दी। चूंकि भारत की अधिकांश जनता हिन्दी जानती, समझती और पढ़ती है, इसलिए राष्ट्रभाषा के पद पर इसका आसीन होना आवश्यक है। अलबत्ता इसके स्वरूप पर बैठ कर बहस हो सकती है।

शेख साहेब के इस तथ्यपूर्ण वक्तव्य की जहां चारों ओर प्रशंसा हुई, वहां समाचार पत्रों के अग्रलेख और सम्पादकीय टिप्पणियां शेख साहेब के नाम अर्पित होने लगीं।

मैं उन दिनों जम्मू व कश्मीर के सूचना-निदेशालय में सूचनाधिकारी था और हिन्दी-विभाग का इंचार्ज और मासिक 'योजना' का सम्पादक भी। निदेशालय में वे सारे समाचार पत्र पहुंचे। मैंने उनके तराशे इकट्ठे किए और हर नोट के साथ सूचना-निदेशक की मार्फत शेख साहेब (मुख्यमंत्री) को भेज दिए।

शेख साहेब ने नोट और तराशे देखे और मुझे डायरेक्टर साहेब की मार्फत वापिस भेजे और आदेश दिया कि इन सारे अग्रलेखों और टिप्पणियों को उर्दू अक्षरों में अनूदित करके पेश किया जाए।

मैंने वैसे ही किया और एक सप्ताह बाद फाइल लेकर स्वयं शेख साहेब के पास गया और उन्हें उर्दू अक्षरों में अनूदित लेख व टिप्पणियां प्रस्तुत कीं। उन्होंने बड़े ध्यान से एक-एक अक्षर पढ़ा और साथ में तराशे भी। उनकी प्रसन्नता उन के चेहरे पर झलक रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ, वे हिन्दी भी अच्छी तरह पढ़ सकते थे। तभी एका-एक उन्होंने प्रश्न किया कि जम्मू व कश्मीर में कोई हिन्दी पत्र नहीं है? मैंने उत्तर दिया कि "नहीं"। इस पर उन्हें आश्चर्य हुआ और बोले, यहां के लोग हिन्दी पत्र-पत्रिका कोई नहीं प्रकाशित करते? तब मुझे सम्बोधित करते हुए बोले, तुम स्वयं एक दैनिक पत्र हिन्दी में प्रकाशित करो।

मैंने हां तो कर दी; लेकिन कहा कि इसमें अड़चनें फण्डस, स्टाफ और प्रैस की हैं। उन्होंने कहा कि फण्डस और स्टाफ तो हो जाएगा; लेकिन छपवाई तो सरकारी प्रेस में हो सकती है।

मैंने कहा, "वहां हिन्दी की छपवाई का प्रबंध नहीं है।" "तो किसी प्राइवेट प्रेस में इसका प्रबंध हो सकता है।" "यह भी संभव नहीं, क्योंकि जम्मू में ऐसा कोई प्रेस नहीं है, जो कि एक दैनिक पत्र छाप सके।" मैंने कहा।

"तो अपना प्रेस नहीं लगा लेते? कितना खर्च आएगा?

मैंने कहा, "एक अच्छा प्रेस लगाने के लिए पच्चीस लाख की आवश्यकता होगी; लेकिन एक काम चलाऊ प्रेस तो एक लाख में लगा सकता हूं।"

उन्होंने दोनों में अन्तर पूछा तो मैंने बताया, 25 लाख में एक आफसेट प्रेस लगेगा और एक लाख में परम्परागत कम्पोजिंग और ट्रेडल मशीन पर छपवाई।

शेख साहेब ने तुरन्त कहा कि "मिस्टर एडीटर, एक लाख रुपया दिया। मगर तुम उसका इंतजार मत करो। फौरन पेपर छापना शुरू कर दो। इसके लिए फण्डस की कमी नहीं आने दी जाएगी। यह जिम्मेवारी मि० अहमद (सूचना-सचिव) की होगी।" वहीं बैठे योजना-आयुक्त ने कहा कि सर, यह एक लाख रुपया कहां से आएगा? शेख साहेब ने उनकी बात काटते हुए कहा : दस विभागों से दस-दस हजार की बचत करो। एक लाख पूरा हो जाएगा। मैं वायदा कर चुका हूं।

हम उसी समय दफ्तर में आए और सूचना-निदेशक से विचार-विमर्श किया। और दैनिक के बजाय एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करने का निर्णय किया। हालांकि फण्ड्स का अभी केवल वायदा ही था। नाम का निर्णय हुआ : 'जम्मू व कश्मीर समाचार'। उसी दिन, छपाई के लिए प्रेस

के नाम टेण्डर नोटिस निकाला गया। स्टेशनरी डिपो से पचास रिम कागज भी उठा लिया गया, हालांकि डिपो बिना कैश पेमैंट के कागज नहीं दे सकता था। वहां भी शेख साहेब का नाम इस्तेमाल किया गया।

दस दिनों बाद प्रथम अंक छप गया और निदेशक के साथ मैं शेख साहेब के पास गया। उन्होंने उसका विमोचन किया। वे बड़े खुश हुए। हमें मुबारिक बाद दी और कहा : विभाग के दूसरे प्रकाशन छपें न छपें, यह पत्र नियमित रूप से प्रकाशित होना चाहिए। प्रेस लगते ही इसे दैनिक कर दो और कम से कम 10 हजार प्रतियां छपनी ही चाहिए। यह पत्र राज्य के बाहर तकरीबन हर राज्य में जाना चाहिए।

अब रही प्रेस की बात।

एक मास के भीतर एक लाख रुपये की स्वीकृति भी आ गई; लेकिन वह मार्च में आई इसके बावजूद टेण्डर मंगवाए गए। स्थान का भी फैसला हो गया; लेकिन प्रशासनिक अनुमति नहीं आई। फलस्वरूप-प्रेस ना लग सका और विभागाध्यक्ष के स्थानांतरण और शेख साहेब के बीमार हो जाने के कारण, प्रेस का मामला सदा-सदा के लिए समाप्त हो गया। वास्तव में जहां एक और प्रेस लगने की तैयारियां हो रही थीं, वहीं दूसरी ओर इसका विरोध भी उतना ही तीव्र था। इस प्रकार शेख साहेब की यह योजना धरी की धरी रह गई।

शेख साहेब का लगाव, हिन्दी के प्रति, जैसे मैंने उन के सान्निध्य से पाया, सदा से ही रहा। वे हिन्दी भलीभांति पढ़ लेते थे और मुझे उन्होंने अपने हस्ताक्षर करके भी दिखाए।

इससे पूर्व जब 'योजना' का पुनः प्रकाशन आरंभ हुआ तो वह भी शेख साहेब के परामर्श पर ही हुआ था। इसकी प्रशासनिक अनुमति में भी बहुत सी अड़चनें आई। यह काम भी मुझे ही सौंपा गया था।

जब 'योजना' का प्रथम अंक शेख साहेब को पेश किया गया तो उन्होंने मेरे नोट पर ही बड़े मोटे शब्दों में अपने हाथ से लिखा था "मुबारिक" और साथ में आदेश दिया कि अधिक से अधिक हाथों में यह पत्रिका पहुंचे, इसका प्रबंध भी करना चाहिए।

मुझे याद है कि शेख साहेब के समय जो भी प्रकाशन होते या प्रचार-सामग्री प्रकाशित होती, शेख साहेब उसके बारे में विशेष निदेश देते कि यह हिन्दी मे भी छापी जानी चाहिए।

शेख साहेब की राष्ट्रभाषा हिन्दी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण देन राज्य की भाषा-नीति है। राज्य में उस समय स्थिति यह थी कि जम्मू में बच्चे हिन्दी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते थे और उर्दू से अनभिज्ञ ही रहते थे और घाटी के बच्चे उर्दू में शिक्षा ग्रहण करते थे और वे हिन्दी से अपरिचित ही रहते थे। परिणामस्वरूप दोनों क्षेत्र भाषा की दृष्टि से नदी के दो पाटों की भांति थे।

शेख साहेब ने इस विकट स्थिति को भांपा और उसके लिए एक औचित्यपूर्ण-भाषा नीति को लागू किया, जिसमें स्कूलों में दोनों भाषाओं का पढ़ना आवश्यक कर दिया गया। इसके आधीन हिन्दी माध्यम वाले छात्रों और छात्राओं का पांचवीं में उर्दू भी पढ़ना पड़ता और इसी प्रकार उर्दू माध्यम वाले विद्यार्थियों को पांचवीं के बाद हिन्दी पढ़ना अनिवार्य था। यही नहीं, प्रत्येक अध्यापक-अध्यापिका के लिए भी यह आवश्यक था कि वे दोनों भाषाएं सीखें।

इस प्रकार, वे राज्य में हिन्दी को उसका गौरवपूर्ण स्थान देना चाहते थे, लेकिन जीवन ने उसका साथ न दिया।

('योजना'—जम्मू-कश्मीर के सौजन्य से)

हिन्दी देश के बड़े हिस्से में बोली जाती है । हमें इस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना ही चाहिए ।

रवीन्द्र नाथ ठाकुर

समर्पित है मनः एक विहंगम दृष्टि

[पुस्तकः समर्पित है मन, कविः डॉ० गोपाल बाबू शर्मा, प्रकाशकः अरविंद प्रकाशन, 14/5 द्वारकापुरी, अलीगढ़, मूल्यः 30 रुपए]

डॉ० गोपाल बाबू शर्मा साहित्य-जगत के चिरपरिचित हस्ताक्षर हैं। इन्होंने विभिन्न प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में विविध विधाओं की रचनाओं के प्रकाशन से अपनी पहचान स्थापित की है। समीक्षा, निबन्ध तथा व्यंग्य-संग्रहों के अतिरिक्त 'ज़िन्दगी के चाँद-सूरज' तथा 'कूल से बंधा है जल' (काव्य-संग्रह) के प्रकाशन के बाद सद्यः प्रकाशित मुक्तक-संग्रह करगत हुआ है। मुक्तक-संग्रह का नाम 'समर्पित है मन' हृदय का असीम प्रेम और कोमल भावनाओं को व्यंजित करने में सक्षम है, किन्तु 14 पृष्ठ पलटने के पश्चात् कवि का मनोभाव ज्ञात होता है—'सच के लिए समर्पित है मन, चाटुकारिता नहीं सुहाती, हम तो अपनी धुन के पक्के, किसी लहर में बह न सकेंगे।' अन्य मुक्तकों में भी 'सच तो आखिर सच ही रहता, भला कभी वह छिप पाता है'? लिख कर सत्य पर विशेष बल दिया गया है। कवि की सत्य के श्रद्धा और गहरी आस्था प्रकट होती है।

'समर्पित है मन' मुक्तक-संग्रह को दो सोपानों में सहजता व सुविधापूर्वक विभक्त कर सकते हैं। प्रथम सोपान में प्रखर चिन्तक, गम्भीर सर्जक तथा जीवन की समग्र व सरल प्रस्तुति है। द्वितीय सोपान में प्रेम-प्रसंग की मानवीय संवेदना से परिपूर्ण संयोग का सुख संक्षिप्त और वियोग का दुख विस्तृत है। सभी मुक्तक प्रभावकारी हैं।

जीवन के अतीत और वर्तमान में कवि अपने सृजन-कर्म के उपक्रम में अपने परिवेश से प्रभावित होता है। कवि सरल और सहृदय है। वह अपने परिवेश के स्वार्थ वे अन्याय से आहत एवं दुखी रहता है।

प्रश्नवाचक बनी आज की जिन्दगी' से प्रारम्भ होकर 'समर्पित है मन' में अनेक प्रकार के प्रश्नों का क्रम अविरल रूप से सम्मुख आ जाता है। यथा—

कब?

जिन्दगी ग़मगीन धागों से सिली है।
इसलिए जीना बड़ी ज़िन्दादिली है।
प्रश्न टाले हैं जिन्होंने ज़िन्दगी के,
ज़िन्दगी में कब उन्हें मंज़िल मिली है?

कहां?

स्नेह और सौहार्द कहां अब,
बदल गए सब भाव हृदय के?
किसी दूसरे की चिन्ता क्या,
नारे अपनी-अपनी जय के।

क्या करे कोई?

डूबता है देश सारा, क्या करे कोई?
दूर है लेकिन किनारा, क्या करे कोई?

क्या पाएँगे?

बात यदि हक़ की करेंगे, झिड़कियां खाएंगे आप।
हर तरफ़ शोषण खड़ा है, बच कहां जाएंगे आप?
संवेदनाएँ मर गई हैं, व्यवस्था बीमार है,
चोर खुद राजा जहां हो, न्याय क्या पाएंगे आप?

कैसे सम्भव है?

समझ-बूझ जब नहीं परस्पर,
समझौता कैसे सम्भव है?
दरवाज़े खटकाए जाते,
बात-बात पर न्यायालय के?

कौन कहे?

बिगड़ी है हर बात यहाँ पर, कौन कहे?
है खूनी बरसात यहाँ पर कौन कहे?
चोर और पहरेदारों में मिली भगत,
सुधरेंगे हालात यहां पर, कौन कहे?

सुविज्ञ कवि ने प्रायः प्रश्न तो उठाए हैं, किन्तु ये वस्तुतः प्रश्न नहीं हैं, वरन् व्यंजना की अभिव्यक्ति ही है। कवि को मानवीयता का मूल्य और महत्व अधिक मान्य है—

हो गए धनवान् यदि, तो क्या हुआ?
बन गए विद्वान यदि, तो क्या हुआ?
आदमीयत के बिना कुछ भी नहीं,
मिल गया सम्मान यदि, तो क्या हुआ?

कवि के लिए कविता का माध्यम परख, प्रखर और पारदर्शी है, किन्तु वास्तविक सुख-दुख का सामना तो जीवन में करना ही पड़ता है। सामाजिक विघटन, टूटती मान्यताएं तथा परिवर्तित परिस्थितियां परिलक्षित होती हैं, समाज के धनात्मक पक्ष को भी उजागर करती हैं—

बदल गई सब शैलियाँ, /खास चीज़ हैं थैलियाँ।
भीड़ किराए की जुटा, /होती हैं अब रैलियाँ।

'पहले जैसी कहां शराफ़त आजकल,.....कहाँ मुहब्बत आज कल?' आदि मुक्तक उल्लेखनीय परिवर्तनों के साथ विकसित होते हैं। चहुँ दिशि मानवता के हित में, सामंजस्य रखने में तथा सार्थकता प्रदान करने में कवि प्रयत्नशील है। अपनी विश्लेषणात्मक, बुद्धि, तथा विवेक से उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान खोजने का कवि का प्रयास सराहनीय है। कतिपय मुक्तक दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किए गए हैं—

ज़िन्दगी हम जी सकें इसके लिए,
खूब सूरत वजह होनी चाहिए।
काँच सा टूटे नहीं यह मन कभी,
परस्पर यह सुलह होनी चाहिए।
स्नेह के बल पर लड़ेगा जब दिया,
आँधियों से तभी पाएगा विजय;
गोद जो तम की उजालों से भरे,
वह सुहानी सुबह होनी चाहिए।

कवि का स्पष्ट कथन है कि जीवन को जीने योग्य होना चाहिए और यह भी जरूरी है कि—

महक देने के लिए मन, सुमन होना चाहिए।
जहाँ श्रद्धा हो वहां पर, नमन होना चाहिए।

कवि लक्ष्य पर दृढ़ रहने, विचलित न होने और सहनशील बनने के लिए प्रेरित करता है—

लक्ष्य से अपने कभी विचलित न हो।
जो मिलें कठिनाइयाँ उनको सहो।
जल नदी का कह रहा—'मेरी तरह,
मत रुको, निर्मल बनो, कल-कल बहो।'

गीत, मीत और जीवन में प्रीति के प्रभाव व महत्व का दिग्दर्शन कराते हुए उनकी सार्थकता इन शब्दों में सिद्ध की गई है—

गीत वही जो मरघट में भी,
जीवन की रस-धार बहा दे।
गीत वही जो सच्चे मन से,
सुख में, दुख में साथ निभा दे।
यों तो जीवन में पग-पग पर,
होता है परिचय का अभिनय;
प्रीति वही जो पानी पर भी,
निष्ठा के पत्थर तैरा दे।

भारतीय राजनेताओं के आचरण को चित्रित करना तथा जनता की विवशता को सरल भाषा में अभिव्यंजित करना कवि का उद्देश्य है, जिसमें वह सफल हुआ है—

वे संसद में पहुंचे, उनके ठाट हो गए।
राजमार्ग में बिछे गलीचे टाट हो गए।
हमं तो भाई आम आदमी हैं जनता के,
हाट-बाट खो बैठे बारहबाट हो गए।

देश की स्थिति शोचनीय है, 'जंहा संविधान धू-धू जलता हैं, 'कानूनों की उड़ें धज्जियां, मंत्री जी तो पिये बिसलरी', 'जनता पीती पानी गन्दा', चारों और अराजकता है', त्योहार भी लगता नहीं त्योहार, 'कुटियों में छाया अंधियारा', 'बस महलों में दीवाली' है। अतीत के गौरव-गान का स्मरण कर देश की वर्तमान अराजकता की दुर्दमनीय स्थिति से त्रस्त कवि नैराश्य-भाव प्रकट करता है—'क्या होगा भगवान् मेरे देश का?'

काश्मीर प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए सतत प्रयत्नशील कवि की भावना बलवती हो उठती है—

काश्मीर है मुकुट देश का,/इस पर वार न होने देंगे।
केसर की हंसती क्यारी को,/नहीं ज़रा भी रोने देंगे।

सर्दी-गर्मी, वर्षा-धूप सब कुछ सहने और आंधी-तूफान में डटे रहने वाले सीमा-प्रहरियों के लिए भी कवि के मन में अपार श्रद्धा है—

मुंह तोड़ हमेशा उत्तर दें, दुश्मन से लोहा लेते जो,
उन बांके वीर जवानों का, श्रद्धा से सौ-सौ बार नमन।

कृति के सम्भावित द्वितीय सोपान में प्रेम, प्रसंग की सुखानुभति, मानवीय संदेनाओं तथा संयोग के क्षण संक्षिप्त, किन्तु वियोग में दुखानुभूति विस्तृत तथा हृदय स्पर्शी है। कवि के साहचर्य की अविरलता टूटती रहती है और भावावेग की गहराई विकलता में बढ़ जाती है—

1. सिहरे-सिहरे से मन थे।
बिखरे-बिखरे से क्षण थे।
लेकिन वे दिन जीवन के,
स्वर्गागमि नन्दन उपवन थे।

2. किन्तु छोड़ा अकेला हमें बीच में,
छाँव में भी तुम्हारे बिना हम जले।

अनेकानेक घटनाओं ने कवि की भावनाओं को आन्दोलित किया है। संग्रह के मुक्तक सहज-सरल और समतल पर चलते प्रतीत होते हैं। इनका स्मरण रह जाना स्वाभाविक है, यही मुक्तक की सरलता, सहजता, सत्यता और सौभ्यता के गुणों से युक्त होने का प्रमाण है। कविता की संरचना में, व्यक्ति होने वाली विडम्बना के संघर्ष में तीक्ष्ण व्यंग्य अपेक्षित है। सार्थकता सौन्दर्य तथा संवेदनाओं के धरातल पर कवि डा० गोपाल बाबू शर्मा की यह पुस्तक सराहनीय है।

—'नन्दन'
भारती नगर, मैरिस रोड,
अलीगढ़—202001 (उ०प्र०)

हिंदी और उसकी उपभाषाएं : संग्रहणीय महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ

[पुस्तक : हिंदी और उसकी उपभाषाएं, एक सर्वतोमुखी सर्वेक्षण, लेखक : डॉ विमलेश कांति वर्मा, प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मूल्य : 200 रु०]

हिन्दी भाषा और उसकी उपभाषाओं, बोलियों पर आज पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। आचार्य ग्रियर्सन से प्रारम्भ हुए भाषायी सर्वेक्षण को कुछ विद्वानों, संस्थाओं ने आगे बढ़ाया है परन्तु ऐसे ग्रंथ आज भी कम ही हैं जिनमें हिन्दी भाषा और बोलियों से सम्बन्धित समस्त जानकारी प्रामाणिक तो है ही, साथ ही, भारतीय संविधान में हिन्दी की स्थिति, विश्व परिप्रेक्ष्य में हिन्दी की स्थिति तथा हिन्दी की समस्त बोलियों की पूर्ण जानकारी एक स्थान पर एकत्रित मिलती हो। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित डा० विमलेश कांति वर्मा का ग्रंथ हिन्दी और उसकी उपभाषाएं इसी कमी को दूर करने के लिए किया गया एक प्रयास है। ग्रंथ तीन खण्डों में विभाजित है। प्रथम खण्ड में हिन्दी भाषा और उसके स्वरूप की चर्चा है। हिन्दी भाषा के उद्भव और विकास के साथ ही उसके साहित्यिक और ग्रामीण रूपों को लेखक ने सोदाहरण स्पष्ट करने का सफल प्रयास किया है। यथा, आदिकाल की साहित्यिक भाषा 'डिंगल' के नामकरण के आधार पर विचार करने और उसकी रचनाओं का विवरण देने के बाद उसका उदाहरण भी दिया गया है। इसी प्रकार हिन्दी की विभिन्न लिपियों-नागरी, कैथी, महाजनी के उदाहरण तो दिए ही गए हैं, कैथी के तिरहुती, भोजपुरी तथा मगही रूपों की तुलनात्मक स्थिति तथा महाजनी और बनियाउटी के तुलनात्मक रूपों को भी तालिका-रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे इनका साम्य और यत्किंचित् वैषम्य एकदम प्रत्यक्ष हो जाता है। भारतीय संविधान में हिन्दी की स्थिति और व्यावहारिक दृष्टि से भारत भर में हिन्दी तथा हिन्दी भाषियों की द्विभाषिकता पर लेखक ने तार्किक चिंतन प्रस्तुत किया है। हिन्दी के

विरोधी हिन्दी भाषियों की अन्य भाषाओं को सीखने में अरुचि का प्रश्न प्रायः उठाते हैं। इस संदर्भ में लेखक कहता है — "अक्सर यह प्रश्न उठाया जाता है कि अन्य भाषा-भाषी हिन्दी सीखते हैं किन्तु हिन्दी भाषा-भाषी अन्य भारतीय भाषाओं के सीखने में कोई रूचि नहीं लेते। वस्तुतः भारत में ऐसे द्विभाषी हिन्दी भाषा-भाषी संख्या में सबसे अधिक हैं जो हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाएं जानते हैं।" (पृ॰ 29-30) हिन्दी में बोली जाने वाली भाषाओं के मूल परिवारों को भी इस खण्ड में स्थान मिला है जो हिन्दी भाषा से सम्बन्धित ग्रंथों में कम ही देखने को मिलता है। हिन्दी के भाषिक स्वरूप पर भी यहां विचार किया गया है और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अत्यंत संक्षिप्त रूप में हिन्दी व्याकरण से सम्बन्धित लगभग सभी विषय इसमें स्पष्ट रूप से आ गए हैं।

इस ग्रंथ का दूसरा खण्ड हिन्दी की विभिन्न उपभाषाओं और इन की बोलियों के विवेचन से सम्बन्धित है। इसमें भी लेखक का चिंतन स्पष्ट और विवेचन-पद्धति तार्किक है। इसमें विभिन्न उपभाषाओं के प्रमुख बोली रूपों का विवेचन तो है ही, साथ ही, भारतीय जनगणना के अनुसार उनके जितने भी रूप पता लगे हैं, उनकी सूची भी लेखक ने दी है। उसके अनुसार, "भारतीय जनगणना 1961 के अनुसार हिन्दी के 97 भाषा रूप हैं। बिहारी के अंतर्गत 34, राजस्थानी में 73, पहाड़ी के अंतर्गत (गढ़वाली और कुमाउंनी) 16 भाषा रूपों की गणना की गई है। इन सभी भाषा-रूपों को सम्मिलित करके हिन्दी की बोलियों का योग 220 हो जाता है।" इन सभी बोलियों को तालिका में दिया भी गया है। प्रमुख बोलियों के विवेचन में भी लेखक ने उन बोलियों के नामकरण, स्थान, बोलने वालों की संख्या आदि के सम्बन्ध में ग्रियर्सन, लल्लू लाल, डा॰ धीरेन्द्र वर्मा से लेकर कृष्ण लाल हंस और डा॰ नानकचंद जैसे अपेक्षाकृत अल्पज्ञात भाषाविदों के शोध प्रबंधों से मत उद्धृत करते हुए अपनी मान्यताएं प्रस्तुत की हैं। इसकी एक बड़ी विशेषता यह है कि एक उपभाषा की प्रमुख बोलियों के शब्दों, परसर्गों, मूल एवं विकारी रूपों, वचन आदि के एक साथ तथा मानक भाषा हिन्दी के साथ तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। इससे पाठक के सम्मुख यह भी सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि मैथिली जैसी बोलियों के सम्बन्ध में कभी-कभी जो यह प्रवाद फैलाया जाता है कि वे हिन्दी की अपेक्षा में बंगला भाषा के अधिक निकट है, वह सत्य से बहुत दूर है। इन बोलियों में उपलब्ध साहित्य और उनकी उपबोलियों के सम्बन्ध में भी प्राप्त चर्चा इस ग्रंथ में देखी जा सकती है। इन सभी बोलियों के नमूने कहानी आदि के रूप में ग्रंथ में दिए गए हैं जो उसे प्रामाणिक के साथ-साथ रोचक भी बनाते हैं।

इस ग्रंथ का तीसरा एवं अत्यंत महत्वपूर्ण खण्ड हिन्दी के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप से सम्बन्धित है। हिन्दी को प्रायः भारत के एक विशेष भू-भाग और उसमें भी मात्र हिन्दुओं की भाषा कहकर खारिज करने का असफल प्रयास होता रहा है जबकि आज लगभग सभी विद्वान इस बात का भी जिक्र करने लगे हैं कि हिन्दी आज भी विश्व के अनेकानेक देशों में बसे भारतीयों की भाषा है, यद्यपि उसके स्वरूप में न्यूनाधिक परिवर्तन अवश्य आया है। मॉरिशस, त्रिनिदाद, दक्षिण अफ्रीका, गुयाना, सूरिनाम तथा फीजी जैसे देशों में जब भारतीय पहुंचे तो वहां के स्थानीय निवासियों तथा अंग्रेज अफसरों से सम्पर्क के कारण उनकी शब्दावली में भी परिवर्तन हुआ, परन्तु आज भी वह हिन्दी से बहुत दूर नहीं गई है। इसके प्रमाणस्वरूप लेखक ने फीजी भाषा, सूरिनाम की सरनामी, दक्षिण अफ्रीका की नैताली, रूस की पाद्या के भाषा-नमूने भी दिए हैं—"तब तक लग गय घंटी। पहिला राइन खलासा देखा के चमचा लोगन ओके उठाय के लाइन रिंग के भीतर अडर बुदांगो रेफरी से चुगली करे लगिन। हम देखा उधर चमगदुरा ससुरा भी खड़ा रहा। हम अपने मन में सोचा— अच्छा सरऊ अब की मिलना तब हम तुमको देखेगा। सारा चुगुलखोर।" (फीजी हिन्दी का नमूना, पृ॰ 321)

इसी खण्ड में लेखक ने विदेशी विद्वानों द्वारा हिन्दी भाषा-अध्ययन के इतिहास पर प्रकाश डालने के बाद आज विदेशों में हिन्दी शिक्षण की स्थिति को रेखांकित किया है। विदेशों में हिन्दी-शिक्षण दो रूपों में होता है—प्रवासी भारतीयों के हिन्दी-शिक्षण और विदेशियों के लिए हिन्दी-शिक्षण। प्रवासी भारतीयों के लिए हिन्दी भाषा-अध्ययन का यह क्रम स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक है। कहीं ये पाठ्यक्रम स्वयं प्रवासी भारतीयों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और कहीं अन्य संस्थाओं अथवा सरकार के सहयोग से। फीजी, मारिशस आदि के अतिरिक्त भी अन्य अनेक एशियाई और अफ्रीकी देशों में ये पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे—अफगानिस्तान, बहरीन, भूटान, कनाड़ा, ईरान, केन्या, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, ओमन, कतार, साइदी अरेबिया आदि। विदेशियों के लिए हिन्दी-शिक्षण आज फ्रांस, रूस, जर्मनी, चैकोस्लोवाकिया, स्वीडन, अमरीका, कनाडा जैसे देशों में प्रगति पर है। लेखक के अनुसार, "आज जर्मनी के दस, इटली के सात, फ्रांस के पांच, इंगलैंड, हालैंड, पोलैंड तथा हंगरी के तीन, बेल्जियम के दो तथा बल्गारिया, आस्ट्रिया, रोमानिया, युगोस्लाविया, नार्वे, फिनलैंड के राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में उच्च स्तर पर हिन्दी का अध्ययन हो रहा है। (पृ॰ 347)

भाषा के समान ही विदेशों में हिन्दी भाषा में साहित्य-सर्जन की अच्छी परम्परा देखने को मिलती है जिसका ज्ञान हिन्दी के सामान्य पाठक तथा विश्वविद्यालय के छात्रों को भी कम ही है। इस पुस्तक में लेखक ने प्रवासी ही नहीं, विदेशी हिन्दी साहित्यकारों की सूची और उनके द्वारा रचित कुछ साहित्यिक रचनाओं का भी उल्लेख किया है। यह एक ऐसा विषय है, जिसे पढ़कर इस सम्बन्ध में और अधिक जानने अथवा शोध करने की ललक पैदा होती है। हिन्दी का पर्याप्त साहित्य ऐसा है जो विदेशी भाषाओं में अनूदित है, इसकी भी संक्षिप्त जानकारी इस खण्ड में है। साथ ही, विदेशों में हिन्दी पत्रकारिता की स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। इंग्लैंड मॉरिशस, फीजी, सूरिनाम, गुयाना, त्रिनिदाद-टुबेगो, बर्मा, नेपाल, रूस जापान आदि अनेक देशों में हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है जो वहां के हिन्दी भाषियों को आज भी साहित्यिक-सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के साथ जोड़े हुए हैं।

हिन्दी और उसकी उपभाषाएं नामक यह ग्रंथ हिन्दी, उसकी उपभाषाओं और बोलियों का विवेचन-ग्रंथ मात्र नहीं है। लेखक ने अत्यंत अध्यवसायपूर्वक इसे एक संदर्भ-ग्रंथ ही बना दिया है। पुस्तक के विवेचन-खण्ड में जितने आंकड़े दिए गए हैं वे सभी किसी न किसी सर्वेक्षण अथवा प्रमाणिक स्रोत से प्राप्त जानकारी के आधार पर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त पहले और दूसरे खण्ड के पश्चात् संदर्भ रूप में जो मानचित्र, वंशवृक्ष, तालिकाएं तथा आरेख दिए गए हैं वे इस ग्रंथ को विशिष्ट बना देते हैं। भारत के मानचित्र में अलग-अलग बोलियों के क्षेत्र के चित्र भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण, प्रमुख भाषा-वर्गों के उपवर्ग और उनके अंतर्गत परिगणित भारतीय भाषाएं, भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में हर शताब्दी में अनुसूचित भाषाओं का प्रतिशत परिवर्तन, गृहभाषा तथा मातृभाषा-भाषियों की संख्या पर आधारित अनुसूचित भाषाओं की तुलनात्मक स्थिति, भारत और विभिन्न राज्यों में प्रतिशत बल के आधार पर प्रथम तीन प्रधान अनुसूचित भाषाओं तथा हिन्दी की स्थिति (तालिका तथा आरेखों के माध्यम से) हिन्दी भाषा-भाषियों की लिंग और ग्राम/नगर के आधार पर प्रतिशत बल,

भारतीय भाषाएं और द्विभाषिकता, विभिन्न राज्यों में द्विभाषिकता और हिन्दी की स्थिति के साथ ही अनुसूचित भाषाओं के प्रयोक्ताओं की भी संख्या और प्रतिशत तक इसमें दिए गए हैं। भारतीय राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में हिन्दी भाषा-भाषियों, द्विभाषी हिन्दी भाषा-भाषियों का संख्या बल तथा द्विभाषी हिन्दी भाषा-भाषियों द्वारा बोली जाने वाली प्रथम चार भाषाओं को भी तालिका और आरेख के रूप में दिया गया है। हिन्दी स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण, विभिन्न उपभाषाओं, बोलियों और उपबोलियों की तालिकाओं के अतिरिक्त भारत में मातृभाषा के रूप में बोली जाने वाली अन्य देशी-विदेशी भाषाओं, उपभाषाओं, बोलियों की सूचियां, भारतीय जनगणना के अनुसार हिन्दी के अंतर्गत परिमाणित मातृभाषाओं और ग्रामों तथा नगरों में उनके बोलने वालों की संख्या के साथ ही विदेशों में बसे भारतीय मूल के व्यक्तियों की संख्यात्मक स्थिति को परिशिष्ट में तालिका-रूप में प्रस्तुत किया गया है। परिशिष्ट में ही राजभाषा संबंधी सांविधानिक उपबंध भी अविकल रूप में दिए गए हैं, जो हिन्दी भाषा से संबंधित किसी ग्रंथ में संभवतः पहली बार प्रकाशित हुए हैं।

इस प्रकार कुल मिलाकर यह एक ऐसा संदर्भ ग्रंथ बन गया है जो हिन्दी भाषा के प्रत्येक शोधार्थी और विद्यार्थी के लिए संग्रहणीय है। इसमें अधिकाधिक सूचनाएं एक स्थान पर एकत्रित रूप में है जो भारत तथा विश्व में हिन्दी तथा इतर भाषा-भाषियों की जिज्ञासाओं का शमन तो करेंगी ही, उन्हें भारत तथा विश्व-मानचित्र पर हिन्दी की स्थिति का दिग्दर्शन कराएगी। इस ग्रंथ का कागज तथा छपाई तो उत्कृष्ट है ही, मूल्य भी आम आदमी की पहुंच से बाहर नहीं है। इस अध्यवसायपूर्ण प्रयास के लिए लेखक निश्चय ही साधुवाद का पात्र है।

—डा० मुकेश अग्रवाल

42, कादम्बरी अपार्टमेंट्स, सैक्टर 9, रोहिणी
दिल्ली-110085

राजभाषा हिंदी को समर्पित 'विकल्प' का राजभाषा विशेषांक

[पत्रिकाः विकल्प (त्रैमासिक), अक्तूबर-मार्च, 96, संपादकः डॉ० दिनेश चमोला, प्रकाशकः राजभाषा यूनिट, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून, मूल्यः निःशुल्क]

'विकल्प' भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून की राजभाषा यूनिट द्वारा युवा साहित्यकार डॉ० दिनेश चमोला के सम्पादन में 5 वर्षों से नियमित प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। यूं तो 'विकल्प' पत्रिका का हर अंक ही अपनी विशेषता लिए हुए होता है लेकिन इस बार का 'राजभाषा विशेषांक' सरकारी संस्थानों से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं में अपनी तरह का अनूठा विशेषांक है। विशेषांक की शुरूआत ही महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से हुई है। विशेषांक में भारत के उन उत्कृष्ट विद्वानों की रचनाओं का संकलन किया गया है जो या तो सर्वोच्च पदों पर आसीन हैं या फिर जिन्होंने राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है इनमें—डॉ० श्याम सिंह 'शशि', राजकुमार सैनी, विष्णु प्रभाकर, स्व० डॉ० शंकरदयाल सिंह, प्रो० महावीर शरण जैन, हरिबाबू कंसल, डॉ० इंदु बाली, डॉ० सुरेश चन्द शुक्ल (नॉर्वे), प्रो० इन्दु कांत शुक्ल (यू एस ए), कृष्णा अनुराधा (इंग्लैण्ड), डॉ० शेरजंग गर्ग, डॉ० नारायण दत्त पालीवाल आदि प्रमुख हैं। विद्वान लेखकों की यह रचनाएं केवल भावनाओं का विस्तार नहीं बल्कि यथार्थ की कसौटी पर कसी हुई प्रयोग व व्यवहार की रचनाधर्मिता को उजागर करती हैं। अधिकारी विद्वानों ने राजभाषा हिन्दी के विभिन्न पहलुओं को अपने-अपने दृष्टिकोणों से रुपायित करने का सफल प्रयास किया है।

'विकल्प' यद्यपि एक सरकारी संस्थान से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है लेकिन पत्रिका को भारत के शीर्षस्थ विद्वानों के अतिरिक्त विदेश के विद्वानों की भी रचनाएं प्रकाशित करने का गौरव प्राप्त है। नॉर्वे से विद्वान समीक्षक डॉ० सुरेश चन्द्र शुक्ल का वक्तव्य है कि — 'ट्रिनिडाड तथा टुबैगो में 5वां विश्व हिन्दी सम्मेलन सम्पन्न हो रहा है तब आपकी पत्रिका का यह अंक और भी मूल्यवान, सार्थक व सामयिक हो गया है। 'विकल्प' को भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की पत्रिका होने के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका होने का भी गौरव मिला है।' प्रख्यात आलोचक डॉ० रामदरश मिश्र का कथन है — "पत्रिका लगातार समृद्ध होती जा रही है और लगता है कि यह विभागीय पत्रिका न होकर अखिल भारतीय पत्रिका है। जिसमें अनेक विशिष्ट चिंतकों और सर्जकों की भागीदारी है। अब तो हर अंक हिन्दी भाषा का एक दस्तावेज बनता जा रहा है।" कैंब्रिज विश्वविद्यालय के हिन्दी आलोचक डॉ० सत्येन्द्र श्रीवास्तव का कथन है — "विकल्प जैसी पत्रिकाएं हिन्दी, भाषा और साहित्य के प्रचार में ही सहयोग नहीं करती बल्कि अच्छे साहित्य की संरचना में अपना पूरा योगदान देती हैं।" राजभाषा हिन्दी के क्षेत्र में एक अग्रणी व्यक्तित्व प्रो० कैलाश चन्द्र भाटिया का कथन है — 'विकल्प का प्रस्तुत अंक अन्य संस्थानों की पत्रिकाओं को पीछे छोड़ गया है। प्रारंभ ही महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से किया गया है। सभी सामग्री ठोस व स्तरीय है। वैविध्य होते हुए भी सभी आलेख हिन्दी का समन्वयात्मक पक्ष प्रबल करते हैं।" पत्रिका में हिन्दी में "विज्ञान लेखन कठिन क्यों?" नामक परिचर्चा जहाँ जिज्ञासु पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है वहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के 5 दशकों के उपरांत भी राजभाषा हिन्दी की पहचान न बन सकने वाली बात को भी रेखांकित करती है। कविताओं में राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कवियों एवं रचनाकारों की रचनाओं को संकलित किया गया है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के संयुक्त सचिव (प्रशासन) श्री दिलीप कुमार का मानना है कि "पत्रिका अपने पिछले सभी अंकों से श्रेष्ठ लगी जो इस बात का द्योतक है कि आंतरिक परिवेश की दृष्टि से शुरू की गई पत्रिका का प्रचार-प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। पत्रिका में प्रकाशित भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी से लेकर देश के मूर्धन्य विद्वानों की रचनाएं देख कर लगा कि पत्रिका अपने उद्देश्य में सफल हुई है।"

अतः युवा आलोचक पद्म का यह कथ्य शतप्रतिशत सटीक बैठता है कि — "वस्तुतः 'विकल्प' ने स्वतंत्रता के उपरांत जो नेक नियति से हिन्दी के जनमानस में स्थापना, धारणा का सत् प्रचार किया है वर्तमान तक तो उसके केवल हकदार हैं आप"

अतः निःसंदेह ही कहा जा सकता है कि पत्रिका "विकल्प" ने केवल सरकारी सस्थानों से अपितु अखिल भारतीय स्तर पर प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं में रचनाशिल्प, रचनाकर्मियों, सफल सम्पादन एवं प्रस्तुति की दृष्टि से उत्कृष्ट पत्रिका है। इस सबका श्रेय साहित्यकार संपादक की पैनी कलम को जाता है।

—डॉ० दिनेश चमोला
2/25, आई०आई०पी० कालोनी, देहरादून-248005

प्रेरणा पुरुष

[पुस्तकः प्रेरणा पुरूष, लेखकः डॉ॰ राधाकृष्णन, प्रकाशकः राजपाल एंड सन्स, प्रथम संस्करणः 1996, मूल्यः 60/-रुपए]

प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय समाज के चिंतनधारा के अलग कालखंडों में दीप्तमान भारतीय मनीषियों, राजनीतिज्ञों, साहित्यकारों समाज और धर्म प्रर्वतक वैज्ञानिकों के जीवन पर भारतीय दर्शन के महापंडित सर्वपल्ली डॉ॰ राधाकृष्णन के सारगर्मित विचार हैं। इस पुस्तक में 14 महापुरूषों की जीवनी पर प्रकाश डाला गया है। जिन महापुरूषों का जीवन फ्लक विराट रहा हो, उनके जीवन के बारे में संक्षेप में "सार-सार को गई रहे" की कहावत को चरितार्थ करना बहुत ही कठिन कार्य है। इस कार्य को डॉ॰ राधाकृष्णन ने बहुत ही सटीक ढंग से किया है। हिन्दी साहित्य जगत के लिए यह स्वागत योग्य पुस्तक है।

'प्रेरणा-पुरूष' पुस्तक में उल्लिखित महापुरूषों के बारे में प्रत्येक रबुद्ध भारतीय अवश्य जानता होगा और उसे जानना भी चाहिए लेकिन उनके जीवन के बारे में किसी दार्शनिक और चिंतक द्वारा व्यक्त किए गए विचार विशेष महत्व रखते हैं। यही नहीं, बल्कि किसी एक पुस्तक में भारतीय मनीषा के अनेक विद्वानों में से केवल 14 विद्वानों का एक ऐतिहासिक क्रम के रूप में प्रस्तुत करना भी इस पुस्तक की विशेषता है। इस पुस्तक में वर्णित महापुरूषों में क्रम से कालिदास, गुरूनानक, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस, गोपाल कृष्णा गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मोती लाल नेहरू, लाला लाजपत राय, रवीन्द्र नाथ ठाकुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद, आचार्य तुलसी, मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं।

इन महापुरूषों पर चर्चा करते हुए लेखक ने साहित्य, संस्कृति, समाज व जीवन के बारे में अपने विशिष्ट विचार व्यक्त किए हैं। महाकवि कालिदास पर अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉ॰ राधाकृष्णन कालजयी रचनाओं के बारे में भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि श्रेष्ठ कालजयी रचनाओं में देश काल की सीमाओं से परे गुण होते हैं। महाकवि कालिदास की रचनाएं निश्चय ही कालजयी रचनाएं हैं। वर्णनातीत चित्रण के लिए सदैव पढ़ी जाती रहेंगी, क्योंकि कोई महान कवि ही ऐसी प्रस्तुतियां दे सकता है। इसी प्रकार एक स्थान पर राधाकृष्णन लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति तब तक महिमामंडित नहीं हो सकता जब तक कि वह मानव जीवन से इतर जीवन की महिमा और मूल्यों को नहीं जानता। हमें जीवन के समग्र रूपों के प्रति संवेदना विकसित करनी चाहिए। सृष्टि केवल मनुष्य के लिए नहीं रचनी गई है।

इस पुस्तक को पढ़ते हुए पाठकों को भारतीय मनीषा के प्रमुख महापुरूषों के जीवन के बारे में नए दृष्टिकोण से पढ़ने व सोचने की प्रेरणा मिलेगी। उन्हें नए दृष्टिकोण से समझने की अनुभूति होगी। पुस्तक की भाषा में सहज गतिशीलता है। विशिष्ट व क्लिष्ठ शब्द परिलक्षित होते हैं जोकि लेखक के दार्शनिक चिंतन के परिचायक हैं। यह पुस्तक प्रबुद्ध वर्ग एवं उच्च शिक्षा अध्ययन करने वाले पाठकों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगी।

— डॉ॰ कमल नारायण बहुखंडी
सहायक प्रबंधक,
दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कं॰ लि॰,
ए-25/27 आसफ अली रोड,
नई दिल्ली-110002

आधुनिक यशस्वी हिंदी साहित्यकार

[पुस्तकः आधुनिक यशस्वी हिन्दी साहित्यकार, (प्रथम भाग) लेखकः डॉ॰ नरेश कुमार, प्रकाशकः इण्डोविज़न प्रा॰ लि॰, 2-ए 220 नेहरू नगर, गाजियाबाद (उ॰प्र॰), मूल्यः रु॰ 150/-मात्र]

प्रस्तुत पुस्तक में डॉ॰ नरेश कुमार ने अकारादि क्रम से सन् 1800 ई॰ के बाद के छियानवे हिन्दी साहित्यकारों के कृतित्व और व्यक्तित्व पर संक्षेप में प्रकाश डाला है। पुस्तक में उल्लिखित साहित्यकार विभिन्न विधाओं से जुड़े हैं तथा इन्होंने अपनी सामर्थ्य अनुसार हिन्दी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

पुस्तक में वर्णित सभी साहित्यकार यशस्वी एवं स्थापित तो नहीं कहे जा सकते क्योंकि कुछ लेखकों का कृतित्व पाठकों के सामने व्यापक रूप में नहीं आ पाया है। इस पुस्तक की परिधि से कई जाने-माने साहित्यकारों के बाहर रह जाने से हिन्दी के पाठकों के लिए भ्रांति होगी। आलोच्य पुस्तक में कुछ प्रख्यात साहित्यकारों का शामिल न किया जाना सन्दर्भ और शोध की दृष्टि से एक बड़ी कमी कही जा सकती है।

मुद्रण की दृष्टि से पुस्तक में कई स्थानों पर लेखकों के चित्र अस्पष्ट हैं और कई साहित्यकारों के तो चित्र ही नहीं है। कई लेखकों का उल्लेख बहुत संक्षेप में है तथा अन्य कई का विस्तार में है जो एक आलोचना का मुद्दा है। पुस्तक में एकरूपता की कमी भी रही है।

समीक्ष्य कृति से एक ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति तथा पाठकों की जिज्ञासा तृप्ति का प्रयास किया गया है। डॉ॰ नरेश कुमार ने प्रस्तुत कृति के लेखन में अत्यन्त परिश्रम किया है और बधाई के पात्र हैं।

—कंवर सिंह

पर्यावरण क्विज़

[पुस्तकः पर्यावरण क्विज़, लेखकः शमशेर अ. खान, प्रकाशकः हिंद पाकेट बुक्स प्रा॰ लि॰, दिलशाद गार्डन, जी॰ टी॰ रोड़, दिल्ली-95, मूल्यः 30 रुपए, प्रथम संस्करणः 1997]

दुनिया भर में पर्यावरण-प्रदूषण का भयानक खतरा मंडरा रहा है। तेजी से फैलता प्रदूषण आज सारे संसार के अपने भयानक पंजों में जकड़कर महाविनाश की ओर ले जा रहा है। सभी देश इसकी चिन्ता में डूबे हैं। समय रहते इससे छुटकारा नहीं पाया गया तो ऐसा भयंकर विस्फोट होगा कि प्राणि मात्र त्राहि-त्राहि कर उठेगा।

आज के पर्यावरण की समस्या पर विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। पर्यावरणविद भी इस समस्या के समाधान के लिए अनेक उपाय सुझाते आ रहे हैं, लेकिन इस दिशा में आम जनता का भी सहयोग आवश्यक है। जनता से सहयोग की अपेक्षा से पूर्व उन्हें पर्यावरण-प्रदूषण के कारकों की जानकारी दी जाए तो यह काफी लाभकारी सिद्ध होगा।

श्री खान की प्रस्तुत पुस्तक में कुछ ऐसे ही प्रश्नोत्तर दिए गए हैं जिनकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। उन्होंने प्रश्न व उनके उत्तर एक क्रमबद्ध ढंग से दिए हैं जिन्हें कोई भी पाठक आसानी से समझ सकता है।

प्रस्तुत कृति में प्राचीन काल से लेकर आज तक के पर्यावरण को समेटा गया है। प्रश्नोत्तर शैली में लेखक ने भरपूर जानकारी देने की कोशिश की है। सृष्टि विज्ञान की प्रथम पुस्तक के बारे में सवाल-जवाब से शुरू हो कर सृष्टि के आधारभूत तत्व कौन-कौन से हैं समाने रखती है। पुराणों, उपनिषदों और वेदों में प्रकृति से लेकर धीरे-धीरे यह जीव मंडल, परिस्थिति संतुलन, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, आक्सीजन चक्र और हाइड्रोजन चक्र तक जा पहुंचती है। पृथ्वी की उम्र क्या है, गिरगिट रंग क्यों बदलते हैं, वृक्ष में जड़ों का क्या काम है, पेड़-पौधे अपनी रक्षा कैसे करते है, सौर-ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र कहां है, पशु कल्याण में लगी प्रमुख संस्थाएं कौन-कौन सी है? आदि सभी तरह के सवालों के जवाब तथा बीच-बीच में चित्र देने का प्रयास किया गया है।

इस पुस्तक में दी गई जानकारी से पाठकों को पता चलता है कि यदि समय रहते सही कदम न उठाए गए तो यह धरती नष्ट होती चली जाएगी। इन सवालों को यदि गंभीरता से समझा जाए तो आज की दुनिया में छा रहे महाविनाश के खतरे से बचा जा सकता है।

—शान्ति कुमार स्याल

गुणवत्ता के संगः श्रमिक और प्रबंध

[पुस्तकः गुणवत्ता के संगः श्रमिक और प्रबंध, लेखकः रामेश्वर दूबे, प्रकाशकः गायत्री प्रकाशन, 111-बी, ऊना इनक्लेव, मयूर विहार-1, दिल्ली-110091, मूल्यः 120 रु॰ वर्षः 1997]

'गुणवत्ता के संगः श्रमिक और प्रबंध' काव्य-नाटक श्री रामेश्वर दूबे के प्रथम काव्य-नाटक 'उत्पादकता के संगः श्रमिक और प्रबंध' का ही अगला सोपान है। लेखक का मानना है कि श्रमिक और प्रबंधन 'उत्पादकता' रूपी रथ के दो पहिये हैं। इन दोनों में परस्पर सामांजस्य, स्नेह और सौहार्द्र अनिवार्य है। यह उत्पादकता रूपी रथ तभी सुचारू गति से चलेगा जब श्रमिक अपने अज्ञान को, स्वार्थों को और लोलुपवृत्ति को छोड़कर संगठित और ज्ञानी बन जाएंगे तथा प्रबंधन अपनी कूटनीति और फायदावृत्ति को त्यागकर समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान दे। उत्पादकता वृद्धि के ये 'दोनों हाथ' श्रमिक और प्रबंध जब 'उत्पादकता को धर्म, गुणवत्ता को जाति और मानवता को लक्ष्य बना लेगें' तब राष्ट्र का विकास होगा यही लेखक की मूलभूत अवधारणा है।

अपनी इस पुस्तक में दूबे जी ने अपने व्यावसायिक अनुभवों के आधार पर 'गुणवत्ता', 'गुणवत्ता विकास', 'गुणवत्ता-चक्र', 'आई॰एस॰ओ॰ नौ हजार' तथा 'आई॰एस॰ओ॰ चौहद हजार' का अत्यंत सूक्ष्म एवं बोधगम्य विश्लेषण किया है। लेखक ने वर्तमान भारतीय परिवेश में व्याप्त बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, हिंसा, धोखा, ठगी, फरेब, सन्देह, मंहगाई, गरीबी, अशिक्षा मानसिक विक्षिप्तता, उद्देश्यहीनता, अकर्मण्यता, जड़ता और निरंतर बढ़ती पाखण्डवृत्ति को 'पांचवे दृश्य' के अंक में बड़ी निर्लिप्तता को उघाड़ते हुए सम्पूर्ण राष्ट्रीय एकता की अनिवार्यता को उद्घाटित किया है।

"ऊंच, नीच, जाति, पांति
अगली, पिछड़ी, भाषा सम्प्रदाय की
संकुलित ग्रन्थियां निकले सबके मनके,
और सभी मानवता के रस गटके।"

लेखक ने जापान के विकास का प्रमाण देते हुए भारत के विकास का दिशा-निर्देश किया है। लेखक का मत है कि आज की वैश्विक प्रतिद्वंद्विता के युग में गुणवत्ता के आधार पर टिका जा सकता है और इस गुणवत्ता का आरंभ व्यक्ति से करते हुए परिवेश, समाज और उत्पादन में करना होगा तभी राष्ट्र का विकास होगा। इस गुणवत्ता के लिए शिक्षा, ईमानदारी, निष्ठा और परिश्रम की आवश्यकता है। अपनी संस्कृति के उच्चादर्शों को आत्मसात् करने की आवश्यकता है। 'अतिथि देवो भव' की तरह 'ग्राहक देवो भव' की भावना पैदा करने की आवश्यकता है। यदि इन सब गुणों का विकास व्यक्ति में नहीं होगा तो असीम संपत्ति और अक्षय भंड़ारों के बाद भी हम निर्धन, परजीवी और परमुखापेक्षी रहेगें। विपत्ति के काले बादल हम पर मंडराते रहेंगे।

नाटक की सफलता और असफलता की कसौटी रंगमंच है। चूंकि नाटक गद्य की अन्य विधाओं से इत्तर दृश्य-माध्यम है। इसमें विचार कहे नहीं जाते वरन् पात्रों के क्रिया-कलापों से उनका स्वतः प्रगटीकरण होता है। दूबे जी का यह नाटक चूंकि औद्योगिक आर्थिक काव्य-नाटक है अ इससे साहित्यिक नाटकों जैसी अपेक्षा करना अनुचित होगा। लेखक क सफलता इस बात में निहित है कि उसने औद्योगिक क्षेत्र की बौद्धिक संकल्पनाओं को कितना सुबोध, सारवान् और सरल तरीके से प्रस्तुत किया है। इस दृष्टिकोण से देखने पर यह कहना अतिश्योक्ति न होगा कि लेखक अपने विचार-सूत्र को प्रकट करने में पूर्णतः सफल हुआ है। 'गुणवत्ता-विकास', 'गुणवत्ता-चक्र' 'आई॰एस॰ओ॰ 9000' तथा 'आई॰एस॰ओ॰ 14000' जैसी गूढ़ पारिभाषिक संकल्पनाओं को लेखक ने अत्यंत सूक्ष्मता और सरलता से विश्लेषित किया है। इसी सरलता और बोधगम्यता के परिणामस्वरूप यह नाटक केवल प्रबंधकों, श्रमिकों, उत्पादकों और व्यापारियों का न रहकर आम आदमी के देखने का नाटक बन सका है। इस नाटक की परिकल्पना इसके मंचीयता को ध्यान में रखकर की गई है। अतः दूबे जी के पहले नाटक की भांति यह नाटक भी विभिन्न संस्थाओं द्वारा खेला जाएगा इसका आशापूर्ण विश्वास है। लेखक ने प्रबंधन और श्रमिक की एकता के बल पर, गुणवत्ता की अभिवृद्धि हेतु जिस 'गुणवत्ता-विकास' प्रणाली का प्रतिपादन 'सुनीता जी' के द्वारा कराया है वह समाज और देश के लिए उपादेय सिद्ध होगा तथा अपनी काव्यात्मकता से आनन्द देने वाला होगा।

— रेणु अरोड़ा
ई-34, सेक्टर-15, नौएडा-201301.

जहं जहं चरन परे गौतम के

[पुस्तक: जहं जहं चरन परे गौतम के, लेखक: तिक न्यात हन्ह, रूपांतर: डॉ० रामचंद्र तिवारी, प्रकाशक: हिंद पॉकेट बुक्स प्रा० लि०, दिलशाद गार्डन, जी० टी० रोड, दिल्ली-110025, मूल्य: 195 रु०]

'जहं जहं चरन परे गौतम के' तिकन्यात हन्ह वियतनामी बौद्ध भिक्षु की अंग्रेजी पुस्तक 'ओल्ड पथ व्हाइट क्लाइड्स' का हिन्दी अनुवाद है। इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इस पुस्तक को किसी विशेष जाति-धर्म का सम्प्रदाय के राग द्वेष से मुक्त होकर लिखी गई है और लेखक ने स्वयं अपने लेखकीय वक्तव्य में सपष्ट किया है, "बुद्ध के जीवन को लोकोत्तरता प्रदान करने वाले ऐसे सूत्रों को इस पुस्तक में सम्मिलित नहीं किया गया है जिनमें बुद्ध के चमत्कारों का वर्णन है। बुद्ध ने स्वयं अपने शिष्यों को समझाया था कि वे लोकोत्तर शक्तियां प्राप्त करने या प्रदर्शन करने में समय और शक्ति का अपव्यय न करें। इस पुस्तक में उन विषय स्थितियों का समावेश अवश्य किया गया है, जो तात्कालिक सामाजिक स्थितियों अथवा उनके अपने शिष्यों के कारण उनके समक्ष उपस्थित हुई थीं।"

स्वास्ति भैंसों का चरवाहा था और जो गौतम बुद्ध के संबोधि प्राप्ति करने के समय तक उनसे मिला करता था। बाद में गौतम बुद्ध उसे बौद्ध धर्म में दीक्षा देने के उपरान्त भिक्षु स्वास्ति बन गए। भिक्षु स्वास्ति ने गौतम बुद्ध के जीवन को विस्तृत चित्रण किया है।

गौतम बुद्ध से स्वास्ति की भेंट निरंजना नदी के तट पर हुई और यही गौतम बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई। गौतम बुद्ध ने स्वास्ति को आश्वासन दिया था कि वह स्वयं उसे एक दिन अपने नए धर्म में दीक्षित करेंगे। स्वास्ति जब बड़ा हो गया और उसका पारिवारिक दायित्व बंट गया तब गौतम उसे स्वयं लेने आए। और तब से गौतम बुद्ध के महानिर्वाण तक वह उनके साथ बराबर रहा। इस पुस्तक में उसने जो देखा और जो सुना उसे स्वास्ति ने लिखा है।

यह पुस्तक नए-नए दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जैसे राजकुमार सिद्धार्थ नौ वर्ष की अवस्था में जब वृक्ष के नीचे सहजालन पर बैठ गए और भूमिकर्षण समारोह में घटित घटनाओं पर ध्यान करने लगे। राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा—"माताजी वेद्र मंत्रों के उच्चार ने उन कीड़ों और उस चिड़िया को बचाने की खातिर तो कुछ नहीं किया।" (पृ० सं० 60)

"राजकुमार सिद्धार्थ उठ खड़ें हुए और दौड़कर गौतमी का हाथ थाम लिया।

उसने देखा कि बच्चे उनकी ओर गौर से देख रहे हैं। वे सब उन्हीं के उम्र के थे। उनके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरे धूल भरे थे और उनके हाथ-पांव बहुत ही पतले थे। राजकुमार की वेशभूषा पहने हुए सिद्धार्थ को अपने सामने खड़ा देख उन्हें अपने वस्त्र बड़े अटपटे से लगे। लेकिन वह उनके साथ खेलने के लिए बहुत इच्छुक था। वह मुस्कुराए और उनकी ओर देखकर हाथ हिलाया। एक बच्चे ने मुस्कुराकर सिद्धार्थ की मुस्कान का प्रत्युत्तर दिया। इतना ही प्रोत्साहन सिद्धार्थ के लिए पर्याप्त था। उसने बच्चों को उत्सव की दावत में निमंत्रित करने की माताश्री से अनुमति मांगी। पहले तो वह थोड़ी हिचकी, किन्तु बाद में उन्होंने सहमति दे दी।" (पृ०सं० 60)

पुस्तक तीन भागों में विभक्त है। पहले भाग में गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर संबोधि प्राप्ति, धर्मचक्र-प्रवर्तन और महाभिक्षु सारिपुत्त और मौद्धगल्यापन के बौद्ध धर्म में प्ररिब्रजित होने तक का विवरण है। वितीय भाग में महात्मा बुद्ध को राजा विम्बिार द्वारा वेबुवन दान के प्रसंग से लेकर गौतम बुद्ध का एक रोगी भिक्षु की सेवा और भिक्षुणी उत्पलवणी का वर्णन है। भाग दो में पच्चीस अध्याय हैं।

भाग तीन 26 अध्यायों से विभाजित है। इसमें पूर्णतम सचित्र प्राणायाम से लेकर पुरातन पथ, धवन मेघ तक का वर्णन है।

पुस्तक की भाषा सरल है और अध्याय एक-एक विषय को लेकर बांटे गए हैं जो अमूल्य रत्नों की भांति हैं।

बहुत कम लोगों को मालूम है कि राजकुमार सिद्धार्थ की जिस अनुपम राजकुमारी यशोधरा से शादी की गई थी वह एक समाज-सेविका थी और दोनों की भेंट नगर के निकट ग्राम धयबं में रोगियों की सेवा करते हुए हुई थी और दोनों एक-दूसरे से प्रेम करने लगे थे।

इतना ही नहीं 29 वर्ष की अवस्था में राजकुमार सिद्धार्थ के गृहत्याग करते समय अभी तक यह बताया गया है कि राजकुमार सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में सोते हुई यशोधरा को छोड़कर चले गए किन्तु दृष्टव्य है.... "गौतमी देर रात गए तक यशोधरा से बातें करती रही और इसके बाद वह अपने कक्ष में चली आई। यशोधरा उसके साथ बाहर आई तो इसने देखा कि आकाश में पूर्णचन्द्रमा चांदनी फैला रहा है। संगठित वार्तालाप और ठहाकों की आवाजें अन्दर तक आ रही है। द्वार तक आई यशोधरा स्वयं ही चन्ना को खोजने निकल पड़ी। वह सो चुका था; अतः यशोधरा ने उसे जगाते हुए फुसफुसाकर कहा — "संभव है राजकुमार को आज ही रात तुम्हारी आवश्यकता पड़े। इसलिए 'कंतक' अश्व को सवारी के लिए तैयार रखना।"

"राजकुमारी जी, राजकुमार कहां जा रहे हैं? "कृपया, यह सब मत पूछो। जैसा मैंने कहा है, वैसा करो क्योंकि राजकुमार को आज रात ही धोड़े पर सवार होकर जाना पड़ सकता है।"

... यशोधरा महल में वापस चली आई। उसने माता के लिए उपयुक्त वस्त्र निकालकर सिद्धार्थ की कुर्सी पर रख दिया। — (प्र० सं० 95)

ऐसे अनेकों प्रसंग इस पुस्तक में हैं जो पाठकों में गौतम के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हैं।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि गौतम बुद्ध पर लिखी गई पुस्तक हिन्दी जगत में स्वागत योग्य है। इस पुस्तक में जहां गौतम, गौतम का धर्म प्रचार, उनका बाल्यकाल, लालन-पालन, युवाअवस्था, उनके किशोर अवस्था के गुण, ज्ञान की खोज में दर-दर भटकना, ज्ञानकी खोज, धर्मप्रचार का इरादा, धर्म प्रचार में आने वाली बाधाओं पर विजय, उनके आचरण पर लगाए गए दोष और इनका स्वतः निराकरण, राजा विम्बसार, प्रसेनजित, राजकुमार अजातशत्रु, जीवक, आम्रपाली, महाप्रजापति, विशाल आदि का चरित्र चित्रण किया गया है वहीं ऐतिहासिक घटनाओं का भी उल्लेख मिलता है।

—अफरोज अहमद खान
एम-69/ए, संजय नगर, सेक्टर-23,
गाजियाबाद-201002

अल्पना स्मृति

[पुस्तकः अल्पना स्मृति (शोक काव्य), लेखकः डा॰ इन्द्र सेंगर, मूल्यः 60-/, संस्करणः 1996, प्रकाशकः साहित्य वीथी, 27/111 विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032]

डा॰ इन्द्र सेंगर द्वारा रचित 'अल्पना स्मृति' नामक काव्यकृति हिन्दी-शोककाव्य की परंपरा में एक नया अध्याय है। अपनी प्रथम पुत्री के अल्प जीवनकाल की मधुर स्मृतियों और तत्पश्चात रुग्णावस्था में उसके द्वारा भोगी हुई व्यथाओं की स्मृतियों को उन्होंने इस पुस्तक की अड़तीस कविताओं में उकेरा है।

कवि हृदय में पुत्री अल्पना रूपी अमूल्य निधि के प्रति स्नेह की अगाध धारा प्रवाहित हुई जिसने उसे एक स्वर्गिक आनन्द के सागर में डुबो दिया। अतः इस कृति में पुत्री के प्रति कवि के हृदय का सहज प्रेम सर्वथा परिलक्षित हो रहा है जिसे विधि ने साढ़े चार मास की अल्पायु में ही कवि से छीन लिया। उसके बिछोह ने कवि की संवेदनाओं को इतना क्षत-विक्षत कर दिया कि उसे अपना जीवन निरर्थक प्रतीत होने लगा। ऐसी स्थिति में कभी उसे पुत्री के प्रति माता की क्रूरता तो कभी चिकित्सालयों की कुव्यवस्था पर आक्रोश आया जिसकी भावाभिव्यक्ति इस काव्य में सहज और सरल रूप में हुई है।

पुत्री के प्रति पिता का अगाध प्रेम और उसके बिछोह के कारण अनुभूत शोक कवि और पाठक के हृदय को संवेदना के स्तर पर एकाकार कर देता है। कवि हृदय मार्मिकता के चरम शिखर पर पहुंचकर पुत्री के परलोक गमन के लिए स्वयं को दोषी मानते हुए सहज भाव से कह उठता है:

"हो अपावन तुम मेरी परछाइयों से
वसन-काया का यहीं पर त्याग करके,
'शीर्णचरणा' व्याधि का लेकर सहारा
स्वर्ग जाने के लिए
अनगिन बहानों की धरोहर सौंपकर,
जा वसीं तुम दूर तारों के नगर में।"

हिन्दी-जगत के साहित्य मनीषी डा॰ श्रीरंजन सूरिदेव ने इस पुस्तक की प्रस्तावना में इस शोक-काव्य का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि:—

'पुत्री-वियोग से उत्थित शोक ही उनकी इस काव्य-वैखरी में फूट पड़ा है:

"मौन कविता बन गई अपने रूदन की।" (कविता सं॰ 13)

अवश्य ही भावुक हृदय सेंगर जी को पुत्री के निधन से गंभीर आघात लगा है और वह निर्वेद और विषाद से आप्लावित अपनी कविताओं में अश्रुविदन हो पड़े हैं। उनका यह शोककाव्य वैक्तिक वेदना के अश्रुसागर में अवश भाव से बहते हुए उनके आर्त्त हृदय के लिए आश्वस्ति-नौका की भूमिका का निर्वाहक बन गया है।' इतना ही नहीं,

'अन्त में कवि ने अपनी दिवंगता पुत्री की आत्मा को विराट प्रकृत्यात्मा में व्याप्त देखकर छायावादी शैली में उसके महनीय गुणों की अवतारणा द्वारा अपने उक्त अपराध बोध की समन्वयमूलक दाम्पत्य की पृष्ठभूमि में, आवर्जक काव्य-भाषा के माध्यम से सांस्कृति आच्छादन प्रदान कर परम निर्वृति का अनुभव किया है:

".... आ रही है याद बेटी 'रजतचरणा' अल्पना की/... जो कि स्वर्णिम रश्मियों पर बैठ आंगन में उतरकर/घनश्याम-सी काली घटा के आंचलों में हंस रही है।/सिहरकर मैं देखता हूं/श्यामला पत्नि लता मुझको अमा सी लग रही है/ और पूनम की रूपहली चंद्रिका बिटिया/अमा का सांवला तन ढक रही है।"

(कविता-सं॰ 38)

कवि की भाषा सहज, सरल और प्रांजल है। यत्र-तत्र ब्रज और कौरवी भाषा में प्रयुक्त शब्दों ने काव्यगत अनुभूति को अभिव्यंजित करने में सफल भूमिका का निर्वाह किया है।

कवि के ऐसे सहज एवं निर्मल भावों में ढली प्रिय सुता के विरह की टीस अवश्य ही भावुक हृदय पाठक को भावह्विल कर देगी तथा हिन्दी काव्य जगत में न केवल अपनी अमिट छाप छोड़ेगी प्रत्युत शोक काव्य परंपरा को भी समृद्ध करेगी।

— मीनाक्षी रावत
ए॰ 2/ए॰—121,
जनक पुरी
नई दिल्ली-110058

राष्ट्र के एकीकरण के लिए सर्वसामान्य भाषा से अधिक कोई तत्व नहीं है। मेरे विचार में हिन्दी ही ऐसी भाषा है।

- लोकमान्य तिलक

राजभाषा सम्मेलन / संगोष्ठियां

रेलपथ आधुनिकीकरण

दिनांक 17.1.98 को दक्षिण रेलवे, चेन्नै के प्रधान कार्यालय में "रेलपथ आधुनिकीकरण" विषय पर हिन्दी में तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। श्री एल० सी० जैन, मुख्य इंजीनियर व मुख्य राजभाषा अधिकारी, दक्षिण रेलवे ने इस संगोष्ठी को अध्यक्षता की। डा० महेश चन्द्र गुप्त, निदेशक, राजभाषा, रेलवे बोर्ड, संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

इस संगोष्ठी में दक्षिण रेलवे के सिविल इंजीनियरों ने भाग लिया तथा अपने अपने लेख प्रस्तुत किए। इन अधिकारियों ने अपने लेखों में रेलपथ आधुनिकीकरण तथा रेलों के संरक्षापूर्ण संचालन के विविध पहलुओं पर अपने मौलिक विचार प्रकट किए। इस संगोष्ठी में भाग लेने वाले तीन अधिकारी हिन्दीतर भाषी थे।

रेल संचालन के क्षेत्र में रेलपथ एक महत्वपूर्ण संरचना है। बेहतर यात्री सेवा रदान करने के लिए मजबूत रेलपथ को अनिवार्यता सर्वविदित है। भारत में रेलों के विकास के साथ-साथ सुदृढ़ रेलपथ के निर्माण, उसके आवधिक अनुरक्षण तथा आवश्यकतानुसार उसके प्रतिस्थापन आदि के लिए नई-नई तकनीकी पद्धतियां अपनाई जा रही हैं। इस तकनीकी संगोष्ठी में वक्ताओं ने अपने लेखों में रेलपथ-संरचना के स्वरूप, रेलपथ के सुरक्षण, रेलपथ के सुदृढ़ीकरण आदि के लिए प्रयोग में लाई जानेवाली विभिन्न आधुनिक तकनीकियों पर सविस्तार प्रकाश डाला।

निदेशक (राजभाषा) ने इस तकनीकी संगोष्ठी के आयोजन पर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए, आगे भी ऐसी संगोष्ठियों का आयोजन करने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि बड़े-बड़े व दुरूह शब्दों के स्थान पर छोटे-छोटे व सुगम्य शब्दों के प्रयोग से विषय को समझने में आसानी होती है तथा भाषा की सुन्दरता भी बढ़ जाती है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि तकनीकी विषयों पर छोटी-छोटी संगोष्ठियां आयोजित की जा सकती है।

तसर उद्योग आज के संदर्भ में

मिथिलेश कुमार झा द्वारा लिखित "ट्रॉपिकल तसर उद्योग की उत्पादन एवं व्यावहारिक प्रौद्योगिकी" नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए प्रो० रामदेव भण्डारी जी ने ऐसे मूल वैज्ञानिक साहित्य का अधिक से अधिक सृजन एवं प्रकाशन करने की आवश्यकता पर बल दिया। तकनीकी राजभाषा सेमिनार छः सत्रों में दिनांक 23 जनवरी से 24 जनवरी, 97 तक सम्पन्न हुआ।

प्रथम सत्र के मुख्य विषय — साल बन सम्पदा के उपयोग की संभावना, तसर खाद्य पौधों (अर्जुन एवं आसन) की खेती की समेकित प्रणाली, यथा अनुरूप पौधों के प्रगुणन एवं विभिन्न कीटों के दुष्प्रभाव से भोज्य पौधों का बचाव आदि रहे। इस सत्र की अध्यक्षता डा० पी० के० सिन्हा, अवकाश प्राप्त प्राध्यापक, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने की एवं संवक्ता का कार्य संस्थान के पूर्व संयुक्त निदेशक डॉ० धर्मनाथ प्रसाद तथा श्री राजेश खरे, वरिष्ठ अनसंधान सहायक ने किया। इस सत्र में 7 शोध पत्र की मौखिक प्रस्तुति एवं 4 की पोस्टर प्रस्तुति की गई।

द्वितीय सत्र तसर कोयों के परिरक्षण, शिशु कीटपालन, रोगों की रोकथाम, हानिकर कीटों के नियंत्रण आदि विषयों से संबंधित रहा। सत्र अध्यक्ष डॉ० उमापति सहाय, प्राध्यापक, रांची विश्वविद्यालय तथा संवक्ता संस्थान के उपनिदेशक श्री गोपाल चन्द्र राय तथा वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी श्री शशिकान्त शरण रहे। इस सत्र में 7 शोध पत्र पढ़े गये एवं 6 की पोस्टर प्रस्तुत हुई।

तृतीय सत्र में तसर बीज उत्पादन के प्रबन्धन एवं प्रसार से संबंधित समस्याओं एवं उनके समाधान पर परिचर्चा हुई। डॉ० आर० एम० श्रीवास्तव, उपनिदेशक, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय सत्र के अध्यक्ष तथा श्री नन्दगोपाल ओझा, व०अ०अ०, के०त०अ० व प्र०सं०, रांची सत्र के संवक्ता रहे। इस सत्र में कुल 7 शोध पत्रों की मौखिक प्रस्तुति हुई।

चतुर्थ सत्र ओक तसर जो भारत के उत्तरपूर्व एवं उत्तर पश्चिम हिमालयी क्षेत्रों से जुड़ा है एवं भारत के रेशम उद्योग के लिए एक संभावना है के विभिन्न पहलुओं यथा भोज्य पौधों का रोपण, देखरेख, कीटपालन, कीटाण्ड उत्पादन एवं कीटों के जीवनचक्र के नियमन से संबंधित विषयों पर केन्द्रित रहा। संस्थान के संयुक्त निदेशक श्री केदारनाथ सिंह तथा उपनिदेशक विश्वमोहन कुमार सिंह क्रमशः इस सत्र के अध्यक्ष एवं संवक्ता रहे। इस सत्र में कुल तीन शोध पत्र पढ़े गए एवं दो की पोस्टर प्रस्तुति हुई।

केन्द्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रांची में 'तसर उद्योग आज के संदर्भ में' आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा तकनीकी सेमिनार का उद्घाटन दिनांक 23.1.97 को भारत सरकार के संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष एवं संयोजक माननीय सांसद श्री रामदेव भण्डारी ने किया। यह सुखद संयोग है कि सेमिनार का आयोजन नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्मशती के अवसर पर किया गया। हिंदी के विषय में नेताजी की मान्यता राष्ट्रभाषा के प्रति उनके सम्मान एवं ज्ञान को दर्शाती है। अगर आज हिंदी राष्ट्रभाषा मान ली गई है तो इसलिए नहीं कि वह किसी प्रान्त विशेष की भाषा, बल्कि इसलिए कि वह अपनी सरलता, व्यापकता व क्षमता के कारण सारे देश की भाषा है। इस अवसर पर मंचस्थ सभी गण्यमान्य व्यक्तियों के द्वारा नेताजी के चित्र पर उनके सम्मान में माल्यार्पण किया गया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता श्री हर प्रसाद दास, प्रमुख महालेखाकार (बिहार), रांची ने की।

माननीय सांसद ने उद्घाटन भाषण में इस आवश्यकता पर भी बल दिया कि राष्ट्रभाषा से जुड़ी राष्ट्रीय भावना का सम्मान किया जाना चाहिए

क्योंकि हिन्दी सरलता, सहजता एवं व्यापकता के कारण राष्ट्रीय सम्पर्क की भाषा है। अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री हर प्रसाद दास ने राजभाषा हिन्दी के संबंध में इस विडम्बना को रेखांकित किया कि आजादी के 50 वर्षों के बाद भी विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां राष्ट्रीय संकल्पनाओं से जुड़ी भावनाओं को उत्प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है एवं यह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ी हुई है। गलत अंग्रेजी बोलना सही हिन्दी बोलने से अधिक गरिमा की बात समझी जाती है। ऐसी स्थिति में उन्होंने राजभाषा नीति को सख्ती से लागू किए जाने पर बल दिया। स्वागत भाषण में संस्थान के निदेशक डा॰ शशिशेखर सिन्हा ने इस बात पर जोर दिया कि भारत-भारती हिन्दी मात्र फाइलों की भाषा न बनकर हमारे हृदय का उद्गार बने। आवश्यक यह है कि ज्ञान-विज्ञान के नये क्षेत्रों में भी इसका उत्तरोत्तर विकास किया जाए। उन्होंने वैज्ञानिकों का आह्वान करते हुए कहा कि तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शब्दावली एवं साहित्य के नवनिर्माण की प्रक्रिया में वे अपना योगदान उसी प्रकार दें जिस प्रकार रेशम उद्योग के विकास में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भाषा और विज्ञान एक दूसरे के अनुपूरक हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियां जन-जन तक तभी पहुंचाई जा सकती है जबकि मौलिक चिन्तन एवं मूल अनुसंधान कार्य उनकी भाषा में किया जाए।

इस अवसर पर रांची नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव श्री ओमेश्वर प्रसाद, महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशा॰), मेकन ने रांची नगर में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के क्षेत्र में नगर स्तर पर किये जा रहे प्रयासों का ब्यौरा प्रस्तुत किया और यह कहा कि प्रस्तुत राजभाषा तकनीकी सेमिनार राजभाषा के क्षेत्र में नगर स्तर पर किये जा रहे प्रयासों की एक मिसाल है।

विशिष्ट अतिथि के रूप में रांची विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष एवं हिन्दी के प्रख्यात विद्वान दिनेश्वर प्रसाद ने कहा कि हिन्दी भाषा पर क्लिष्टता और वैज्ञानिक एवं तकनीकी पारिभाषिक शब्दों की कमी का आरोप लगाया जाता है। वस्तुतः यह सही नहीं है। सभी भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत है एवं इस अर्थ में विज्ञान एवं तकनीकी, साहित्य अथवा प्रशासन के क्षेत्र में भी शब्द वहीं से आये हैं एवं एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं। इतना ही नहीं वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण का कार्य आज से करीब सौ वर्ष पहले आरंभ हो चुका था एवं इसकी निरन्तरता बनी हुई है। जिससे इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिह्न लगाना उचित नहीं होगा।

इस अवसर पर मूल रूप से हिन्दी में डॉ॰ शशिशेखर सिन्हा एवं श्री मिथिलेश कुमार झा द्वारा लिखित "ट्रॉपिकल तसर उद्योग की उत्पादन एवं व्यावहारिक प्रौद्योगिकी" नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए प्रो॰ रामदेव भण्डारी जी ने ऐसे मूल वैज्ञानिक साहित्य का अधिक से अधिक सृजन एवं प्रकाशन करने की आवश्यकता पर बल दिया। तकनीकी राजभाषा सेमिनार छः सत्रों में दिनांक 23 जनवरी से 24 जनवरी, 97 तक सम्पन्न हुआ।

प्रथम सत्र के मुख्य विषय — साल बन सम्पदा के उपयोग की संभावना, तसर खाद्य पौधों (अर्जुन एवं आसन) की खेती की समेकित प्रणाली, यथा अनुरूप पौधों के प्रगुणन एवं विभिन्न कीटों के दुष्प्रभाव से भोज्य पौधों का बचाव आदि रहे। इस सत्र की अध्यक्षता डा॰ पी॰ के॰ सिन्हा, अवकाश प्राप्त प्राध्यापक, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने की एवं संवक्ता का कार्य संस्थान के पूर्व संयुक्त निदेशक डॉ॰ धर्मनाथ प्रसाद तथा श्री राजेश खरे, वरिष्ठ अनुसंधान सहायक ने किया। इस सत्र में 7 शोध पत्र की मौखिक प्रस्तुति एवं 4 की पोस्टर प्रस्तुति की गई।

द्वितीय सत्र तसर कोयों के परिरक्षण, शिशु कीटपालन, रोगों की रोकथाम, हानिकर कीटों के नियंत्रण आदि विषयों से संबंधित रहा। सत्र अध्यक्ष डॉ॰ उमापति सहाय, प्राध्यापक, रांची विश्वविद्यालय तथा संवक्ता संस्थान के उपनिदेशक श्री गोपाल चन्द्र राय तथा वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी श्री शशिकान्त शरण रहे। इस सत्र में 7 शोध पत्र पढ़े गये एवं 6 की पोस्टर प्रस्तुत हुई।

तृतीय सत्र में तसर बीज उत्पादन के प्रबन्धन एवं प्रसार से संबंधित समस्याओं एवं उनके समाधान पर परिचर्चा हुई। डॉ॰ आर॰ एम॰ श्रीवास्तव, उपनिदेशक, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय सत्र के अध्यक्ष तथा श्री नन्दगोपाल ओझा, व॰अ॰अ॰, के॰त॰अ॰ व प्र॰सं॰, रांची सत्र के संवक्ता रहे। इस सत्र में कुल 7 शोध पत्रों की मौखिक प्रस्तुति हुई।

चतुर्थ सत्र ओक तसर जो भारत के उत्तरपूर्व एवं उत्तर पश्चिम हिमालयी क्षेत्रों से जुड़ा है एवं भारत के रेशम उद्योग के लिए एक संभावना है के विभिन्न पहलुओं यथा भोज्य पौधों का रोपण, देखरेख, कीटपालन, कीटाण्ड उत्पादन एवं कीटों के जीवनचक्र के नियमन से संबंधित विषयों पर केन्द्रित रहा। संस्थान के संयुक्त निदेशक श्री केदारनाथ सिंह तथा उपनिदेशक विश्वमोहन कुमार सिंह क्रमशः इस सत्र के अध्यक्ष एवं संवक्ता रहे। इस सत्र में कुल तीन शोध पत्र पढ़े गए एवं दो की पोस्टर प्रस्तुति हुई।

पंचम सत्र में कोसोत्तर प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इस सत्र में 5 शोध पत्र पढ़े गए। अंतिम सत्र में तसर उत्पादन वाले मुख्य राज्यों यथा बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में विकास एवं विपणन प्रबंधन की समस्याओं एवं उनके समाधान के बारे में विचार-विमर्श किया गया।

समापन सत्र में विशिष्ट अतिथि हिंदी की प्रख्यात कथाकार डा॰ (श्रीमती) ऋता शुक्ल ने वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों का आह्वान करते हुए कहा कि भाषा का संबंध मनुष्य की आत्मा से है। हिंदी के विकास के लिए व्रतबद्ध होना होगा। वास्तविकता तो यह है कि हिंदी हमारा स्वाभिमान है, जन मन की गंगा है एवं इसके विकास में अहिंदी भाषियों का अप्रतिम योगदान है।

इस अवसर पर आकाशवाणी की केन्द्र निदेशक श्रीमती रोजलि लकड़ा ने कहा कि देश मौजूदा जिन आर्थिक समस्याओं का सामना क रहा है उनके समाधान का दायित्व हमारे वैज्ञानिकों एवं तकनीशियनों पर है। इसके लिए यह आवश्यक है कि वे शोध निष्कर्षों एवं प्रौद्योगिकियों को लोकभाषा में आम आदमी तक पहुंचायें। इसके लिए हिंदी का कोई विकल्प नहीं है।

बोर्ड के संयुक्त सचिव (तक॰) मो॰ मुनीर पाशा एवं उप निदेशक (राजभाषा) श्री कृष्णकांत दूबे ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अन्तर्गत पूरे देश में अवस्थित इसकी करीब 500 इकाईयों में हिंदी की प्रगति विवरण पर प्रकाश डाला। समापन सत्र की अध्यक्षता, संस्थान के निदेशक डॉ॰ शशिशेखर सिन्हा ने प्रतिभागियों के प्रयास की सराहना की।

अंतर-बैंक राजभाषा संगोष्ठी

बैंक ऑफ इंडिया के जयपुर स्थित राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय के राजभाषा प्रभारी श्री एस॰पी॰ गर्ग "सुमन" के नेतृत्व में जून, 1997 अन्तर-बैंक राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

बैंक नगर राकास, जयपुर के तत्वावधान में आयोजित इस संगोष्ठी का उद्घाटन समिति के अध्यक्ष एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के उपमहाप्रबंधक श्री

के०सी० गुप्ता ने किया एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता बैंक ऑफ इंडिया की जयपुर मुख्य शाखा के मुख्य प्रबंधक श्री एस०सी० झा ने की। अनुदेशकों में श्री गर्ग "सुमन" एवं बैंक के राजभाषा मुख्याधिकारी श्री शैलन मेहता थे। अतिथिवक्ता श्री कलानाथ शास्त्री, भूतपूर्व निदेशक, भाषा विभाग ने राजभाषा के कार्यान्वयन में वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका पर प्रकाश डाला व शब्दावली सम्बन्धी समस्या पर चर्चा की। खुले सत्र में बैंक ऑफ इंडिया के श्री एस०पी० गर्ग "सुमन" व श्री शैलन मेहता के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के श्री ज्ञान प्रकाश शर्मा एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के नये सदस्य-सचिव डा० के०के० गुप्ता ने उपस्थित अधिकारियों की शंकाओं का समाधान किया।

उक्त संगोष्ठी में 19 बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया एवं उन्होंने इस आयोजन की काफी सराहना की।

यह उल्लेखनीय है कि जहां भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में राजभाषा के क्षेत्र में बैंक ऑफ इंडिया को "क" क्षेत्र का चतुर्थ पुरस्कार प्रदान किया है, वहां बैंक के प्रधान कार्यालय ने भी राजस्थान क्षेत्र को राजभाषा का चतुर्थ पुरस्कार देकर क्षेत्र की राजभाषा सम्बन्धी महत् उपलब्धियों को स्वीकार किया है।

मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए श्री के०सी० गुप्ता ने बैंकों में राजभाषा के प्रयोग के महत्व एवं आवश्यकता को प्रतिपादित करते हुए बताया कि जयपुर की बैंक समिति ने पूरे देश भर में नये कीर्तिमान स्थापित कर अद्वितीय स्थान प्राप्त किया है।

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, करनाल

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, करनाल द्वारा 30.4.97 को एक दिवसीय हिंदी सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करते समय राजभाषा अधिकारी ने प्रतिभागियों से कहा कि वे रिपोर्ट में वास्तविक आंकड़े भरें और रिपोर्ट को यथासमय संबंधित कार्यालय को भिजवायें। सभी शाखाओं में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को गठित करने पर भी जोर दिया गया। प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि वे लेखन सामग्री की विभिन्न मदों में हिंदी का ही प्रयोग करें क्योंकि यह सामग्री अब द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराई गई है। राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संबंध में चैक बिंदुओं पर चर्चा करते समय शाखा प्रबंधक/हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि वे हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही भेजें। सरकारी कामकाज में सरल हिंदी के प्रयोग करने पर भी बल दिया गया। इस सेमिनार में प्रतिभागियों ने विशेष रुचि दिखाई और इसे उपयोगी बताया।

हिन्दी जानने वाला आदमी सम्पूर्ण भारत में यात्रा कर सकता है और उसे हर जगह हिन्दी बोलने और समझने वाले व्यक्ति मिल सकते हैं। हिन्दी सीखने का कार्य एक ऐसा त्याग है जिसे दक्षिण भारत के निवासियों को राष्ट्रीय एकता के हित में अवश्य करना चाहिए।

श्रीमती एनी बेसेंट

हिंदी कार्यशालाएं

भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन, तमिलनाडु

दिनांक 26 एवं 27 मार्च, 1997 को संयंत्र के हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, श्री के० श्रीनिवासन ने अपने संबोधन में कहा कि सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग करना हमारे लिए गौरव की बात है तथा यह हमारे संविधान की अपेक्षा भी है। हिंदी हमारे देश के प्रत्येक भाग में बोली, लिखी और समझी जाती है। अतः इसका प्रचार-प्रसार करके हमें देश का गौरव बढ़ाना है।

राजभाषा अधिकारी व प्रशासन अधिकारी श्री वी० दयाल ने कहा कि हिंदी जानने वाले और हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला में उपयोग होने वाली पाठ्य सामग्री हिंदी और तमिल में तैयार की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी इससे लाभान्वित हों।

श्री के० मुनीश्वरन, अनुरक्षण प्रबंधक, ने बताया कि हिंदी जानना बहुत ही आवश्यक है। एल टी सी लेकर हम जब तमिलनाडु से बाहर जाते हैं तो हिंदी न जानने से व्यावहारिक जीवन में बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। केन्द्र सरकार के कर्मचारी होने के कारण यह हमारा कर्तव्य है कि सभी कर्मचारी हिंदी सीखें।

श्री एस० सुन्दरेशन, उत्पादन प्रबंधक ने कहा कि भाषाएं देश व समाज की महत्वपूर्ण अंग होती हैं और सभी भारतीय भाषाएं हमारे देश की सम्पत्ति हैं। अतः संविधान की धारा 361 में निहित भाषाओं के साथ राजभाषा हिंदी का विकास किया जाना चाहिए।

ग्यारहवीं हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन संयंत्र के महा प्रबंधक श्री एम० पी० महाजन ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने बताया कि हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी सीखने के लिए भारत सरकार ने बहुत सी सुविधाएं प्रदान की हैं। अतः प्रशिक्षार्थियों को इन सुविधाओं का पूरा लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल सरकारी कामकाज हिंदी में ही नहीं, बल्कि दैनंदिन कार्यों में भी हमें हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को हिंदी, हिंदी टंकण, आशुलिपि प्रशिक्षण संबंधी भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

संकाय सदस्यों ने इस दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला में हिंदी भाषा-संचना, व्याकरण, सरल हिंदी, हिंदी शिक्षण योजना, प्रोत्साहन योजनाएं तथा राजभाषा नियमों की संक्षिप्त जानकारी दी जिससे सभी प्रतिभागियों की मानसिकता पर हिंदी के प्रति गहरी लगाव भावना उत्पन्न हुई। फलतः सभी अधिकारियों/कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी के प्रति मोह जाग उठा।

समापन सत्र के दौरान आमंत्रित संकाय सदस्यों ने इस कार्यशाला की सराहना की। प्रशिक्षार्थियों ने यह मत व्यक्त किया कि कार्यशाला का आयोजन सुनियोजित ढंग से किया गया, किन्तु प्रशिक्षण अवधि बहुत कम है।

महा प्रबंधक श्री एम०पी० महाजन ने हिंदी गतिविधियों को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कराने का आश्वासन दिया। तदनंतर, उन्होंने संकाय सदस्यों को मानदेय एवं प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किये।

अंत में, संयंत्र के हिंदी अनुवादक श्री के० अनिल कुमार के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ।

बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान, जयपुर

बैंक ऑफ इंडिया के राजस्थान क्षेत्र के राजभाषा कक्ष ने जून, 97 के मध्य में अपनी 26 शाखाओं के विशेष सहायकों के लिए दो दिवसीय उन्नत हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में बैंक के 28 विशेष सहायकों ने भाग लिया। उन्हें कार्यशाला के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति, राजभाषा कार्यक्रम, बैंकिंग शब्दावली, प्रोत्साहन नीतियों, तिमाही रिपोर्टों आदि की विस्तृत जानकारी दी गई एवं पर्याप्त व्यावहारिक कार्य करवाया गया।

अनुदेशकों में बैंक के राजभाषा अधिकारी श्री एस० पी० गर्ग "सुमन", राजभाषा मुख्य अधिकारी श्री शैलन मेहता एवं दो अन्य अतिथिवक्ता थे। सहभागियों ने इस आयोजन की भूरि-भूरि सराहना करते हुए इस व्यावहारिक प्रशिक्षण को काफी उपयोगी एवं सार्थक बतायां। कार्यशाला के दौरान वितरित संदर्भ सामग्री को भी उन्होंने अत्युत्तम व महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस प्रशिक्षण के फलस्वरूप वे शाखाओं में हिन्दी का कार्यान्वयन काफी बेहतर बना सकेंगे एवं अपनी सूचना प्रणाली को भी प्रभावी व चुस्त बनाने में समर्थ होंगे।

कार्यशाला के अंत में इस अवधि में कराये गये व्यावहारिक कार्य का मूल्यांकन कर उच्चतम अंक प्राप्तकर्ताओं को पुरस्कार देकर भी उनका मनोबल बढ़ाया गया।

भिलाई इस्पात संयंत्र

दिनांक 17 दिसम्बर, 96 को प्रबंध प्रशिक्षणार्थियों हेतु पूर्ण दिवसीय राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि माननीय श्री एस० के० रस्तोगी, महाप्रबंधक (सुरक्षा) ने अपने सम्बोधन में कहा कि इस्पात उद्योग में सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि उत्पादन। सुरक्षा और उत्पादन में सबकी सक्रिय भागीदारी के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि सुरक्षा तथा उत्पादन की विधि, प्रविधि, उपाय, संबंधी सम्यक् सूचना व जानकारी श्रमिकों को उनकी ही भाषा अर्थात् हिन्दी में उन तक पहुंचाई जाए। चूंकि भिलाई हिन्दी भाषी क्षेत्र में है अतः श्रमिकों के साथ ही साथ प्रबंधकों को भी हिंदी भाषा सहित स्थानीय प्रचलित बोली भाषा का सम्यक् ज्ञान होना जरूरी है। इन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों को आप तक पहुंचाने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन जरूरी ही नहीं अपरिहार्य है।

उप महाप्रबंधक (संपर्क प्रशासन व जन संपर्क) तथा राजभाषा अधिकारी श्री विनय कुमार चतुर्वेदी ने प्रबंध प्रशिक्षणार्थियों को भिलाई इस्पात संयंत्र के स्वर्णिम भविष्य का आधार निरुपित करते हुए कहा कि देश की, सेल की और भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन की आशा—लक्ष्य तभी पूर्ण हो सकते हैं जब हम प्रबंधन का विशिष्ट अंग होने के नाते उत्पादन तथा सुरक्षा की सभी प्रक्रिया में सभी सहभागी कार्मिकों की समर्पित भागीदारी प्राप्त करें—यह संभव होगा—सम्प्रेषण से और प्रभावी सम्प्रेषण की एक ही भाषा है—राजभाषा हिन्दी।

पूर्ण दिवसीय कार्यशाला को 5 सत्रों में विभाजित किया गया था। प्रथम सत्र में डॉ० गिरीश जी० सिंघल, प्रबंधक (राजभाषा) ने "आपके, मेरी सहजता तथा प्रेम की भाषा हिन्दी" विषय पर तथा दूसरे सत्र में "संवैधानिक प्रावधान तथा राजभाषा हिन्दी" विषय पर श्री के० एस० तिवारी तथा तीसरे सत्र में श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, मुख्य सामग्री प्रबंधक द्वारा "प्रबंधन में हिन्दी की भूमिका" विषय पर सारगर्भित प्रस्तुत की गई।

चतुर्थ सत्र में डॉ० अनुराग श्रीवास्तव, वरिष्ठ परामर्शदाता एवं प्रभारी, जीव रसायन विज्ञान द्वारा "तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग हमारे प्रयास को सार्थकता प्रदान करता है"—विषय पर तथा पांचवे सत्र में "व्यवहार कुशलता तथा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन" विषय पर डॉ० टी० के० पाण्डेय, वरिष्ठ परामर्शदाता, काय चिकित्सा विभाग ने अपने विचारों की प्रस्तुति की।

कार्यशाला के अंत में प्रश्नोत्तर विचार-विमर्श तथा फीडबैक का एक सत्र आयोजित किया गया। इंजीनियरिंग स्नातकों ने इस कार्यशाला को अत्यन्त उपयोगी बताया तथा संकल्प लिया कि जनभाषा का उपयोग कर वे स्वयं को स्थापित करेंगे—सबका विश्वास प्राप्त करेंगे तथा संयंत्र प्रबंधन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सार्थक प्रयास करेंगे।

आशुलिपिकों हेतु हिन्दी आशुलिपि पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

भिलाई तकनीकी संस्थान के सहयोग से दिनांक 3 से 5 फरवरी, 97 तक तीन दिवसीय हिन्दी आशुलिपि पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन भिलाई तकनीकी संस्थान में किया गया जिसमें संयंत्र के निजी सचिवों एवं अवर निजी सचिवों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

कार्यक्रम का प्रारंभ दिनांक 3 फरवरी, 97 को हुआ तथा समापन एवं फीडबैक सत्र का आयोजन दिनांक 5.2.97 को किया गया जिसमें मुख्य अतिथि श्री विनय कुमार चतुर्वेदी, उप महाप्रबंधक (संपर्क प्रशासन व जन संपर्क) तथा राजभाषा अधिकारी उपस्थित थे, उन्होंने अपने सारगर्भित सम्बोधन में कहा कि आप सब हिन्दी के प्रचार-प्रसार में प्रमुख कार्य कर सकते हैं क्योंकि आप सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हैं। हिंदीतर भाषियों हेतु कार्यसाधक ज्ञान दिलाने के साथ-साथ व्याकरण, भाषा ज्ञान संबंधी पुस्तिकाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रतिभागियों को आश्वस्त किया गया। साथ ही सभी से यह अनुरोध किया गया कि कार्यालयों में कार्य कर रहे सभी कार्मिक राजभाषा विभाग, भारत सरकार, गृह मंत्रालय के निदेशानुसार राजभाषायी नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में हमें सहयोग प्रदान करें।

इस अवसर पर डा० गिरीश जी० सिंघल, प्रबंधक (राजभाषा) ने कहा कि सम्प्रेषण के दो माध्यम हैं जिसमें एक बोलकर तथा दूसरा लिखकर। आशुलिपि का प्रारंभ रोमन के समय से प्राचीन काल से हुआ है। हिन्दी आशुलिपि का अपने आप में एक महत्व है। आप सभी महत्वपूर्ण कार्यों में लगे हुए हैं जिससे संयंत्र में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग व पत्राचार प्रतिशत में निरंतर वृद्धि की जा सके।

इस सत्र में कुछ प्रतिभागियों ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किए तथा कार्यक्रम को अत्यन्त उपयोगी बताया तथा संकल्प लिया कि जनभाषा का उपयोग कर वे स्वयं को स्थापित करेंगे। कार्यक्रम के संकाय सदस्य थे श्री गिरीश कुमार चौरसिया, निजी सचिव, नगर प्रशासन विभाग एवं श्री भुनेश्वर प्रसाद नायक, निजी सचिव, अग्निशमन विभाग। इस अवसर पर श्री दिलीप नन्नोरे, वरिष्ठ प्रबंधक (संपर्क) भी उपस्थित थे।

केन्द्रीय जालमा कुष्ठ रोग संस्थान, आगरा

संस्थान में दिनांक 23 व 24 जून, 97 को द्वि-दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। डा० महेन्द्र नाथ दुबे, निदेशक, के०एम० हिंदी इन्स्टीट्यूट आगरा, विशिष्ट अतिथि थे। संस्थान के निदेशक डा० यू० सेनगुप्ता ने कार्यशाला की अध्यक्षता की। डा० मधु भारद्वाज, हिंदी अधिकारी ने कार्यशाला के महत्व को बताते हुए कहा कि हिंदी कार्यशालाएं अत्यन्त उपयोगी हैं। कार्यशालाओं के माध्यम से कर्मचारियों में कार्य करने का उत्साह बना रहता है और झिझक दूर होती है।

डा० वी०एम० कटोच, उपनिदेशक ने कहा कि संस्थान में पहले की अपेक्षा अब ज्यादातर काम हिंदी में हो रहा है। हिंदी अनुभाग ने अपने अल्पकाल में ही संस्थान में हिंदी की प्रगति को अकल्पनीय रूप से बढ़ाया है। क्योंकि संस्थान में कुछ वर्ष पहले वैज्ञानिक क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अपने इस प्रयास के लिए संस्थान का हिंदी अनुभाग सराहना का पात्र है।

संस्थान के निदेशक डा० यू० सेनगुप्ता ने कहा कि हिंदी कार्यशाला आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य संस्थान के दैनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग में आने वाले झिझक को दूर करना व अपनी गल्तियों को सुधारना है। उन्होंने प्रतिभागियों से अपील की कि वे हिंदी कार्यशाला का अधिक से अधिक लाभ उठाएं क्योंकि अपने कामकाज में सुधार के लिए कार्यशाला ही एक मात्र माध्यम है।

डा० महेन्द्र नाथ दुबे, निदेशक के०एम० हिन्दी इन्स्टीट्यूट ने "हिंदी में अनुवाद की आवश्यकता एवं समस्याएं" विषय पर व्याख्यान देते हुए बताया कि हमारे लिए यह बड़ी लज्जा की बात है कि हम हिंदीभाषी हैं फिर भी हमें अनुवाद की आवश्यकता होती है सिर्फ अनुवाद से ही हिंदी लागू नहीं होगी। जो भाषा हम घरों में बोलते हैं यदि उसी भाषा को हम बाहर भी प्रयोग में लाये तो अनुवाद की समस्या ही समाप्त हो जायेगी सिर्फ एक व्यक्ति से ही हिंदी का उद्धार नहीं हो सकता। ज्यादातर व्यक्ति हिंदी में सोचते हैं और उसे फिर अंग्रेजी में बोलते हैं अगर हिंदी में सोचे और हिंदी में ही बोलें तो अनुवाद की आवश्यकता ही नहीं है।

दूसरे सत्र में बोलते हुए श्री एस० कुमार, प्रशासनिक अधिकारी ने कार्यालय में हिंदी में किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि अधिकांश सेवा पंजिकाएं, रबड़ की मुहरें, नामपट्टिकाएं, उपस्थिति पंजिका एवं कम्प्यूटर आदि पर हिंदी में कार्य जोरों पर है। शेष कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हिंदी के कार्य में कभी कमी नहीं आयेगी और शीघ्र ही कार्यालय में पूरी तरह से हिंदी में कार्य होने लगेगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष संस्थान के वैज्ञानिकों ने तीन शोध पत्र हिंदी में प्रकाशित किए गये है यह हिंदी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है।

दूसरे सत्र के मुख्य वक्ता श्री शीलेन्द्र कुमार वशिष्ठ, राजभाषा अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक, आगरा ने "वर्तनी में अशुद्धियां विषय पर व्याख्यान देते हुए कई शब्दों जैसे टिकिट, मोटर साइकिल, स्टेशन, कम्प्यूटर आदि शब्दों की जानकारी दी। उन्होंने कहा यह बड़े खेद की बात है कि हिंदी को 50 साल बाद भी अपना स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। आज हिंदी निष्ठा का विषय बन गई है। आप अपने मन में ऐसा विचार लायें कि हमें हिंदी में काम करना है तो आप अवश्य ही हिंदी में लिख सकते हैं। हिंदी में काम करते समय अपने मनोबल को कम नहीं करना चाहिए। अस्पष्टता से हमें बचना होगा कम से कम हमें स्पष्ट हिंदी का प्रयोग करना होगा। उन्होंने विभिन्न हिंदी शब्दों के अंग्रेजी में प्रयोग के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि जब अंग्रेजी में हिंदी शब्दों का प्रयोग हो सकता है तो हम प्रचलन में आ चुके अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में अपनाकर हिंदी की व्यापकता का परिचय दे सकते हैं। अंत में उन्होंने एक पत्र लिखवाकर वर्तनी के अशुद्धियों की जांच की।

दूसरे दिन कार्यशाला के अंत में फिल्म प्रभाग मुंबई, द्वारा निर्मित फिल्में "जयहिंद" तथा 14 सितम्बर, 1949 "भारत की वाणी" का प्रदर्शन किया गया।

कार्यशाला का संचालन संस्थान की हिंदी अधिकारी डा० (श्रीमती) मधु भारद्वाज द्वारा किया गया।

आकाशवाणी, चेन्नई

कर्मचारियों को अपने दैनिक कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से इस केन्द्र पर दिनांक 2.4.97 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला के प्रथम सत्र में डा० आर०एम० श्रीनिवासन, सहायक निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना ने अहिन्दी भाषियों को हिन्दी भाषा सीखने में आने वाली कठिनाइयों को स्पष्ट किया और कुछ आसान मार्ग बताया।

दूसरे सत्र में, श्री ईश्वर चन्द्र सहायक प्रबंधक, न्यू इंडिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड ने कर्मचारियों को शुरू में अपने दैनदिन कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि ऐसे करने पर वे अपने सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं।

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र (एन एफ सी), हैदराबाद

सममिश्र में दिनांक 25.4.1997 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें प्रशासन व लेखा के 15 अधिकारियों/कर्मल चारियों ने भाग लिया। सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री गजानन पाण्डेय ने कार्यशाला के आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। इसका उद्घाटन करते हुए श्री सी०आर०पी० शेट्टी, महाप्रबंधक ने कहा कि—"हिंदी देश की भाषा है, इसे सीखें और इसमें काम करने की कोशिश करें।" श्री वी०आर० विजयन ने सम्मिश्र में हिंदी प्रचार के क्षेत्र में दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने का अनुरोध किया। इस कार्यशाला के वक्ता श्री रामप्रकाश विश्वकर्मा, भारी पानी संयंत्र, मणुगुरू ने—संघ सरकार की राजभाषा नीति, पारिभाषिक शब्दावली, हिंदी प्रारूपण विषयों पर व्याख्यान दिया। श्री प्रवीण कुमार चोपड़ा, सहायक निदेशक (राजभाषा), परमाणु खनिज प्रभाग, हैदराबाद ने सामान्य टिप्पणी लेखन-अभ्यास विषय पर व्याख्यान दिया। प्रशिक्षणार्थियों को हरिबाबू कंसल लिखित "हिंदी प्रशासन की" पुस्तक भी प्रदान की गयी।

समापन सत्र के मुख्य अतिथि श्री चिंतामणि, महाप्रबंधक जी ने आह्वान किया कि "इस कार्यशाला में आपने जो सीखा है उसका रोजमर्रा के काम में उपयोग करें।" इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किये। सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री गजानन पाण्डेय ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। इस कार्यशाला के आयोजन में सर्वश्री एस० गोवर्धन राव, प्रशासनिक अधिकारी, जगदीश प्रसाद, वैज्ञानिक अधिकारी तथा आशुलिपिक श्री सैयद मासूम रज़ा ने विशेष रूप से सहयोग दिया।

दूरसंचार विभाग का मुख्य महा प्रबंधक, अनुरक्षण, दक्षिण दूरसंचार क्षेत्र, मद्रास

3 से 7 फरवरी, 1997 तक दक्षिण दूरसंचार क्षेत्र और उपक्षेत्र, चेन्नई के कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला आयोजित की गयी। श्री टी० राममूर्ति, मुख्य महा प्रबंधक ने उद्घाटन समारोह में अध्यक्षता ग्रहण की और श्री आर० एन० श्रीनिवासन, सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना चेन्नई, मुख्य अतिथि रहे। श्री एस० वेंकटेशन, सहायक महा प्रबंधक ने स्वागत भाषण दिया। अध्यक्ष ने अपने भाषण से अधिकाधिक राजभाषा हिंदी का प्रयोग करने का आग्रह किया। डा० आर० एन० श्रीनिवासन सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना ने "राजभाषा नीति" शीर्षक पर विस्तार रूप से भाषण दिया। दिनांक 3.2.97 को श्री एलमलै, हिंदी अधिकारी, भारतीय खाद्य निगम, चेन्नई ने "कार्यालयीन हिंदी" पढ़ाया। श्रीमती चन्द्र रमणन, सहायक निदेशक (रा०भा०) ने पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग बताते हुए कार्यालयीन संरचना बताया। दिनांक 4.2.97 को श्रीमती गीता जोन्स, सहायक निदेशक हिंदी शिक्षण योजना ने व्याकरण पढ़ाया।

सुब लक्ष्मी गणेशन, का० हिंदी, दूरदर्शन, चेन्नेई ने अनुवाद एवं समस्याओं के बारे में बताया। दिनांक 5.2.97 को श्री एस० बशीर, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम ने "प्रयोजनमूल्य हिंदी" विस्तार रूप से पढ़ाया। दिनांक 6.2.97 को श्री एस० तिरूमलै, सेवानिरवृत, उप निदेशक हिंदी शिक्षण योजना ने कार्यालय में वाक्य संरचना शीर्षक पर अपना भाषण दिया। दि० 7.2.97 को श्री जे० सत्यनारायण, उप निदेशक, रा० भा० तमिलनाडु परिमंडल, कार्यालय चेन्नेई ने राजभाषा नियमें बताए।

दि० 7.2.97 को 3 बजे आयोजित समापन समारोह में श्री आर० नागराजन, महा प्रबंधक ने अध्यक्षता ग्रहण की। श्री प्रेमकुमार, उपनिदेशक, आन्ध्र प्रदेश परिमंडल, हैदराबाद मुख्य अतिथि रहे। समारोह में सभी उच्च अधिकारी उपस्थित थे। श्रीमती पी० विजयलक्ष्मी, उपमंडल अभियंता द्वारा प्रार्थना गीत के साथ समारोह संपन्न हुआ। सर्वप्रथम श्री एस० वेंकटेसन, सहायक महा प्रबंधक ने उपस्थित सज्जनों का स्वागत किया। अध्यक्ष ने कार्यशालाओं के उद्देश्य बताते हुए आयोग द्वारा परिचालित सभी योजनाओं में कर्मचारियों को भाग लेने के लिए कहा। श्री प्रेम कुमार, उपनिदेशक ने अपने अतिथि भाषण में भागीदारों की उत्सुकता की सराहना की और राजभाषा हिन्दी में कार्यालय में काम करने का महत्व बताया। महा प्रबंधक द्वारा भागीदारों को प्रमाणपत्र वितरित किया गया। हर प्रतिभागी ने मंच पर आकर कार्यशाला से उठाये लाभ के बारे में विस्तार रूप से अपना-अपना विचार प्रकट किया। श्रीमती चन्द्रा रमणन, सहायक निदेशक (रा०भा) ने मंच पर बैठे अधिकारियों को धन्यवाद दिया और उन लोगों को आभार प्रकट किया जिनके सक्रिय सहयोग से कार्यशाला सफलतापूर्वक चलाई जा सके।

सी०एम०सी० लिमिटेड, नई दिल्ली

हैदराबाद स्थित सीएमसी के अनुसंधान एवं विकास केन्द्र में 3-5 अक्टूबर, 1996 के दौरान आयोजित हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर इलेक्ट्रानिकी विभाग के सचिव श्री श्यामल घोष ने कहा कि किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास संगठन में गैर-तकनीकी विषयों पर सेमीनार या कार्यशालाओं का आयोजन अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अतः "ग" क्षेत्र पर हैदराबाद स्थित अपने अनुसंधान एवं विकास केन्द्र में राष्ट्रीय स्तर हिंदी कार्यशाला का सफल आयोजन करके आपने सीएमसी में राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

उन्होंने आशा व्यक्त कि उक्त कार्यशाला में लिए गए निर्णयों पर अमल किया जाएगा और भविष्य में देश के अन्य क्षेत्रों में स्थित आपके केन्द्रों/कार्यालयों में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

महालेखाकार (लेखा परीक्षा) राजस्थान जयपुर

दिनांक 10.3.97 से 14.3.97 तक महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम तथा द्वितीय, राजस्थान, जयपुर कार्यालयों के संयुक्त तत्वाधान में वर्ष 1996-97 की चतुर्थ पूर्णकालिक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कल्याण अधिकारी ने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से कार्यशाला का पूर्ण लाभ उठाने एवं राजकार्य में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम की अनुपालना में सभी अनुभागों में शत प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने का प्रयास करें तभी कार्यालय अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो सकेगा।

पांच दिवस तक चली इस कार्यशाला में निर्धारित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त सरकारी कामकाज में काम आने वाले शब्दों तथा वाक्यों की जानकारी के साथ-साथ प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न समूहों की कार्यप्रणाली से संबंधी जानकारी भी प्रशिक्षणार्थियों को दी गई।

दिनांक 14.3.97 को कार्यशाला के समापन के अवसर पर हिन्दी अधिकारी ने आशा प्रकट की कि सभी प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी हिन्दी में कार्य करने की मानसिकता जागृत करने का प्रयत्न करेंगे तथा अन्य कर्मचारियों को भी कार्यशाला में अर्जित जानकारी का प्रसार करेंगे, ताकि हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित जानकारी का लाभ सभी को प्राप्त हो सके।

प्रशिक्षण समाप्ति पर प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों को श्री मदन सिंह शेखावत, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम महोदय द्वारा प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा समस्त राजकार्य हिन्दी में करने के संकल्प के साथ चतुर्थ हिन्दी कार्यशाला का समापन हुआ।

पंजाब नैशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय करनाल

दिनांक 5 से 7 मई, 97 तक बैंक की विभिन्न शाखाओं में श्री विजय कुमार अरोड़ा, राजभाषा अधिकारी द्वारा व्यवहारिक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न मदों का निरीक्षण भी किया गया तथा राजभाषा के प्रयोग में आ रही कठिनाईयों एवं समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श किया गया।

शाखा प्रबंधक ने सुझाव दिया कि व्यावहारिक कार्यशाला के आयोजन कर्मचारियों एवं अधिकारियों को हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने में काफी सहायक रहेंगी।

राजभाषा अधिकारी श्री अरोड़ा द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को व्यक्तिगत रूप से एक-एक सीट पर जाकर बताया कि हिंदी का प्रयोग किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। साथ ही पत्राचार में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए कुछ मानक प्रारूप तैयार कर भी दिए गए।

हिन्दुस्तान जिंक लि०, विशाखापट्टनम

अधिकारियों के लिए हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

इकाई के उच्च अधिकारियों का राजभाषा नीति से संबंधित सही जानकारी देने हेतु दिनांक 3.6.97 को एक-एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला

आयोजित की गई। उक्त कार्यशाला में कुल 20 उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में व्याख्याता के रूप में विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के उप प्रबंधक (हिन्दी) डा० एस० कृष्ण बाबू ने पधारकर राजभाषा नीति नियम व अधिनियम एवं तत्संबंधित विषयों पर स्लाइडस व ट्रांस्परेंसी के माध्यम से जानकारी दी।

तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

राजभाषा हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों की सरकारी काम-काज हिन्दी में करने की झिझक को दूर करने हेतु दिनांक 9.6.1997 से 11.6.1997 तक एक तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई। उक्त कार्यशाला में 24 कर्मचारियों ने भाग लिया। उक्त कार्यशाला में पहले दिन विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के उप प्रबंधक (हिन्दी) डा० एस० कृष्ण बाबू ने स्लाइड्स व ट्रास्परेंसी के माध्यम से कर्मचारियों को राजभाषा नीति, नियम, अधिनियम एवं तत्संबंधित विषयों की जानकारी दी। कार्यशाला के दूसरे व तीसरे दिनों पर इकाई के राजभाषा अधिकारी श्री ओ० सत्यनारायण राव ने अनुवाद संबंधी अभ्यास तथा व्याकरण संबंधी विषयों की जानकारी दी। अंत में कार्यशाला के प्रतिभागियों हेतु एक मौखिक परीक्षा भी रखी गई। इसमें कार्यशाला के प्रतिभागियों ने सोउत्साह भाग लिया। कार्यशाला के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इकाई के मुख्य प्रबंधक (कार्य)-जस्ता परिपथ श्री एस० के० वर्मा पधारे थे।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, राजपुरा दरीबा खान

18-20 जून, 1997 तक तीन दिवसीय उच्च स्तरीय हिंदी कार्यशाला तथा तकनीकी वर्ग के कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में सम्पूर्ण कार्यालयीन कार्य करने की प्रेरणा देने, हिन्दी में कार्य करने में होने वाली कठिनाइयों का निराकरण करने के उद्देश्य से दि० 26 से 27 जून, 97 तक "दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला" का आंयोजन किया।

उद्घाटन सत्र में मुख्य प्रबंधक (खान उत्पादन), श्री के०सी० जैन ने कार्यालयीन काम-काज में अधिकाधिक हिन्दी का प्रयोग करने का आह्वाहन किया।

कार्यशाला में प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) श्री जी० के० राही ने अनुवाद के सिद्धान्तों तथा डा० जयप्रकाश शाकद्विपीय ने राजभाषा संबंधी संवैधानिक व्यवस्थाओं, अधिनियम, नियम हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण आदि की जानकारी दी तथा पत्राचार टिप्पणी लेखन एवं देवनागरी में तार का अभ्यास करवाया वहीं आमतौर पर हिन्दी लिखने में होने वाली अशुद्धियों एवं उनके शुद्ध रूपों की जानकारी भी दी गई।

विख्यात साहित्यकार श्री जगदीश चन्द्र शर्मा ने शब्दों के अर्थ परिवर्तन के सिद्धान्तों की जानकारी देते हुए कार्यालय कामकाज के दौरान आम बोलचाल एवं सरल शब्दों का प्रयोग करने पर जोर दिया।

साहित्यकार डा० ज्योतिपुंज ने आंचलिक शब्दों का हिन्दी के विकास में योगदान कर विचार व्यक्त किए एवं अधिकाधिक कार्यालयीन कार्य हिन्दी में करने का आह्वाहन किया।

समापन सत्र में अभियंता (खान) श्री टी०एन० मित्रा तथा कार्यशाला के प्रतिभागियों सर्व श्री चन्द्र प्रकाश गौड़ विद्युत (धरातल) विभाग, श्री जसवन्त सिंह चौहान, चिकित्सा विभाग, श्री विष्णु शंकर आमेरा, कार्यशाला (भूमिगत), श्री भरतराज सेन, खान विभाग ने कार्यशाला की उपयोगिता पर विचार रखे।

"देश की भाषाओं के बीच हिंदी को सम्पर्क भाषा के रूप में कार्य करना है। इसे इसलिए मान्यता नहीं मिली है कि यह सबसे अधिक विकसित भाषा है वरन् इसलिए क्योंकि इसे अहिंदी भाषी लोगों ने अंगीकार किया है।"

इंदिरा गांधी

हिन्दी दिवस

दक्षिण रेलवे मदुरै मण्डल

3-3-97 से 27-3-97 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए विविध कार्यक्रमों/प्रतिल योगिताओं का आयोजन किया गया। दिनांक 27/3/1997 को समापन समारोह के उपलक्ष्य में एक राजभाषा प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका उद्घाटन मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य इंजीनियर श्री एल०सी० जैन ने किया। इस अवसर पर उनके द्वारा "मधुरैलध्वनि" के अद्यतन अंक का भी विमोचन किया गया। समापन समारोह के अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन में कर्मचारियों ने हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में रचित अपनी कविताएं पढ़कर सुनाई। इसके अतिरिक्त "रेल के आधुनिकीकरण" विषय पर एक तकनीकी सेमीनार का भी आयोजन किया गया। समापन समारोह की अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक श्री आर० शिवदासन ने की। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि मदुरै मंडल में भी राजभाषा हिन्दी की प्रगति कदाचित उत्तर क्षेत्र के किसी कार्यालय में हुई हो। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं तथा राजभाषा हिन्दी में अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

दक्षिण रेलवे, प्रधान कार्यालय, मद्रास

फरवरी, 1997 में दक्षिण रेलवे के प्रधान कार्यालय में राजभाषा उत्साह समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के अन्तर्गत हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान/प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों के लिए निबंध, वाद, टंकण, टिप्पण वाले लेखन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस समारोह के अवसर पर 17/1/97 को "रेल पथ आधुनिकीकरण" विषय पर एक संगोष्ठी भी आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता मुख्य इंजीनियर तथा मुख्य राजभाषा अधिकारी ने की। इस संगोष्ठी में रेलवे बोर्ड के निदेशक (राजभाषा) डा० महेश चन्द्र गुप्त भी उपस्थित थे। दिनांक 9/4/1997 को राजभाषा प्रदर्शनी का उद्घाटन महाप्रबंधक श्री वि० टू० अग्निहोत्री ने किया। इस प्रदर्शनी में मंडलों/कर्मशालाओं द्वारा हिन्दी में किए जा रहे कार्यों की प्रगति का विवरण चार्टों आदि द्वारा आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया था। मंडलों में से तिरूचि मंडल तथा कर्मशालाओं में से लोकोवर्कस पैरम्बूर को इस अवसर पर पुरस्कृत भी किया गया। इसी दिन राजभाषा नीति, सांविधिक स्थिति के कार्यान्वयन आदि पर प्रकाश डालने वाले "राजभाषा नीति मार्गदर्शक" नामक पुस्तक का विमोचन महाप्रबंधक द्वारा किया गया। भारत की आज़ादी की स्वर्ण जंयती के उपलक्ष्य में प्रत्येक मंडल/कर्मशाला से हिन्दी के प्रयोग प्रसार में उल्लेखनीय कार्य करने वाले एक-एक व्यक्ति को नगद पुरस्कार भी प्रदान किए गए। हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करने के लिए कन्याकुमारी स्टे के कर्मचारियों को महाप्रबंधक द्वारा विशेष नगद पुरस्कार प्रदान किए गए।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पटियाला

दिनांक 16/10/96 को हुई बैठक में किए गए निर्णयानुसार नराकास पटियाला के सदस्य कार्यालयों/विभागों/निगमों/उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों तथा स्टाफ के सदस्यों के लिए 28/4/1997 को राजभाषा समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता श्री जवाहर लाल नेगी, आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पटियाला ने की। विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ-साथ इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। आकाशवाणी पटियाला के सदस्यों ने इस कार्यक्रम को रूचिकर बनाया। इस अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं, प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए तथा साथ ही हिन्दी में अधिकतम कार्य करने वाले अनुभागों को भी शील्डें प्रदान की गई। इस परिप्रेक्ष्य में सर्वश्रेष्ठ कार्य भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा किया गया।

मध्य रेलवे सोलापुर मंडल

वर्ष 1996-97 का राजभाषा सप्ताह समारोह 12 मई से 14 मई 1997 तक मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। राजभाषा सप्ताह का शुभारम्भ राजभाषा प्रदर्शनी के उद्घाटन से किया गया। इसके पश्चात् मंडल रेल प्रबंधक श्री डी० लाकरा की अध्यक्षता में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक भी आयोजित की गई। मंडल रेल प्रबंधक ने कहा कि इस अवसर पर आयोजित राजभाषा प्रदर्शनी से प्रेरणा लेकर कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक सभी शाखा अधिकारी इसके लिए कटिबद्ध नहीं होंगे तब तक हिन्दी की प्रगति वांछित गति से नहीं बढ़ेगी।

उप मुख्य भाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री एस०पी० खाई ने नए देवनागरी टाइपराइटरों का भरपूर उपयोग करने तथा कंप्यूटर पर हिन्दी में काम करने के साफ्टवेयर खरीदने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी भी स्वयं हिन्दी में काम करें और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करें।

दिनांक 13 मई 1997 को हिन्दी प्रश्नमंच का आयोजन किया गया। इसके अन्तर्गत विविध प्रश्नों के साथ-साथ राजभाषा अधिनियम/नियम के अनेक प्रावधानों के बारे में भी चर्चा की गई। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को तत्काल नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

दि० 14 मई, 1997 को राजभाषा सप्ताह के समापन समारोह की शुरूआत मंडल रेल प्रबंधक श्री डी० लाकरा द्वारा सरस्वती पूजन तथा दीप प्रज्वलन से हुई। इस समारोह में महिला समाज सेवा समिति की अध्यक्षा श्रीमती इंदु लाकरा प्रमुख अतिथि थीं। श्री पांडुरंग मुगले, राजभाषा अधिकारी ने समारोह में सबका स्वागत किया तथा राजभाषा के प्रयोग के बारे में पिछले वर्ष किए गए प्रयासों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरित करते हुए अपर मंडल रेल प्रबंधक एवं उप मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री एस०पी० पांडे जी ने कहा कि सोलापुर मंडल पर मराठी, कन्नड़, तेलुगु, उर्दु आदि अहिन्दी भाषा कर्मचारी बड़ी संख्या में होने के बावजूद कर्मचारी अपने मन से हिन्दी में काम कर रहे हैं।

इसके पश्चात समारोह की प्रमुख अतिथि श्रीमती इंदु लाकरा के कर कमलों द्वारा वर्ष 1996 के दौरान हिन्दी के सर्वाधिक प्रयोग के लिए शाखा राजभाषा शील्ड सोलापुर स्टेशन को प्रदान की गई। समारोह में राजभाषा सप्ताह के उपलक्ष्य में आयोजित विविध प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी श्रीमती लाकरा द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए।

पुरस्कार वितरण समारोह में अधिकारियों और कर्मचारियों का मार्गदर्शन करते हुए समारोह के अध्यक्ष मंडल रेल प्रबंधक श्री डी० लाकरा जी ने कहा कि रेलों को सुरक्षित और तेजी से चलाना हमारा लक्ष्य है और इसे हासिल करने के लिए हम हर रोज निर्देश जारी करते हैं। इन सभी निर्देशों का हमारी अपनी भाषा में होना बहुत जरूरी है ताकि सभी कर्मचारी उसे आसानी से समझ सकें और मैं समझता हूं कि, यह भाषा हिन्दी ही हो सकती है, अंग्रेजी नहीं। यदि सभी निर्देश आसानी से समझी और बोली जाने वाली हिन्दी में हों तो निश्चिति रूप से हमारी दक्षता बढ़ेगी। समारोह का संचालन श्री पांडुरंग मुगले राजभाषा अधिकारी, अधीक्षक श्रीमती रोहिणी जी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

****

"शिक्षा जब पराई भाषा में दी जाती है तब केवल शब्दों को याद रखने का बोझ ही विद्यार्थी के दिमाग पर नहीं पड़ता, बल्कि विषय को समझने में भी उसे बड़ी कठिनाई होती है। यह तो स्पष्ट है जहां रटने की शक्ति बढ़ती है वहां समझने की शक्ति मन्द पड़ जाती है। हमारे मुल्क की संस्कृति एक ही है - यह हिन्दी संस्कृति है।"

- सरदार बल्लभ भाई पटेल

****

****

"हिन्दी का उद्देश्य यही है, भारत एक रहे अविभाज्य,
यों तो रुस और अमरीका जितना है उसका जन राज्य।
बिना राष्ट्रभाषा स्वराष्ट्र की, गिरा आप गूंगी असमर्थ,
एक भारती बिना हमारी भारतीयता का क्या अर्थ।।"

- राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त

****

समिति समाचार

संसदीय कार्य मंत्रालय

संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक 31 मार्च, 1997 को गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री कैप्टन जय नारायण प्रसाद निशाद की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम मंत्री महोदय ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने सदस्यों को अवगत कराया कि पिछली बैठक में सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की गई और जो सुझाव अन्य मंत्रालयों से संबंधित थे उनको संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। तत्पश्चात बैठक की कार्य सूची पर चर्चा हुई और पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की कार्रवाई पर सभी सदस्यों ने अपना सन्तोष व्यक्त किया। प्रोफेसर रासासिंह रावत ने श्री बालकृष्ण शर्मा "नवीन" की काव्य ग्रंथावली के संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी चाही। इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने कहा कि काव्य ग्रंथावली के प्रकाशन के लिए एक पत्र संसदीय कार्य मंत्री की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्री को भेजा गया था और वे इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई कर रहे हैं। डा० लक्ष्मीनारायण दूबे ने बैठक में श्री बालकृष्ण शर्मा "नवीन" की प्रतिमा संसद भवन में स्थापित किए जाने का मुद्दा उठाया, जिस पर मंत्री महोदय ने बताया कि संसद भवन में "नवीन" की प्रतिमा स्थापित करने के लिए माननीय अध्यक्ष ने स्वीकृति प्रदान कर दी है और प्रतिमा प्राप्त होने पर इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में यह जोर दिया गया कि हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में उन्हीं मुद्दों को उठाया जाए जिनका संबंध इस मंत्रालय से हो तथा कार्यसूची में भी उन्हीं मुद्दों को सम्मिलित किया जाए जिनका संबंध इस मंत्रालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने से संबंधित हों। इसका समर्थन कई अन्य सदस्यों ने भी किया। हिंदी सलाहकार समितियों की बैठक प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से बुलाने के बारे में राजभाषा विभाग की भूमिका क्या है। इस संबंध में राजभाषा विभाग के निदेशक (अनुसंधान) श्री प्रेमकृष्ण गोरावारा ने कहा कि राजभाषा विभाग द्वारा मंत्रालयों/विभागों को बैठक आयोजित करने के लिए सलाह/सुझाव दिया जा सकता है। लोकसभा, राज्यसभा सचिवालय में नियुक्तियों के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं हिन्दी माध्यम से भी करने के बारे में लोकसभा तथा राज्य सभा सचिवालय को पत्र भेजने के लिए कहा गया तथा राजभाषा विभाग की भी यह जिम्मेदारी बताई गई कि राजभाषा नीति के अनुरूप लोकसभा एवं राज्यसभा सचिवालयों द्वारा भर्ती संबंधी आयोजित की जाने वाली परिक्षाएं दोनों भाषाओं में हों। इस पर संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने कहा कि वे संसद के दोनों सचिवालयों और राजभाषा विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र भिजवाएं।

गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 42वीं बैठक 31 मार्च, 1997 को संयुक्त सचिव (प्रशा०) श्री एम० वेंकटेश्वर अय्यर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा की गई। तत्पश्चात् 31 दिसंबर 1996 को समाप्त तिमाही की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई। पिछली तिमाही की तुलना में इस तिमाही में जिन अनुभागों में हिंदी में निपटाए गए कार्य की प्रतिशतता में गिरावट आई है उन्हें इस दिशा में अपेक्षित प्रगति लाने के लिए कहा गया। हिंदी सलाहकार समिति के गठन के संबंध में सदस्यों को बताया गया कि इस बारे में सारी कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। हिंदी शिक्षण योजना के अधीन हिंदी भाषा, हिंदी टाइपिंग एवं हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण के बारे में चर्चा के दौरान समिति को बताया गया कि मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को हिंदी भाषा के कार्यसाधक ज्ञान के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं हिंदी टाइपिंग एवं हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक सत्र में कर्मचारियों को नामित किया जा रहा है। इस दिशा में अभी 145 टाइपिस्टों और 173 आशुलिपिकों का क्रमशः हिंदी टाइपिंग एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाना बाकी है। बैठक में यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक सत्र में हिंदी टाइपिंग एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए अधिक से अधिक कर्मचारियों को नामित किया जाए। अन्त में अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त हुई।

आकाशवाणी, हजारी बाग

आकाशवाणी, हजारी बाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 6.1.1997 को केन्द्र निदेशक श्री एस०के० राय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कर्मचारियों के हिंदी शिक्षण, हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के संबंध में चर्चा करते समय यह निर्णय लिया गया कि सभी अधिकारी/कर्मचारी हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं। अतः उन्हें हिंदी शिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके अध्ययन का माध्यम हिंदी रहा है, जिसकी प्रविष्टि उनकी सेवा पंजियों में भी की गई है। हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण में सुधार लाने के लिए हिंदी अधिकारी को अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए। राजभाषा अधिनियम की

धारा 3 (3) का शत-प्रतिशत अनुपालन करने, हिंदी पत्राचार के शत-प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने तथा हिंदी कार्यशाला आयोजित करने के संबंध में भी निर्णय किए गए।

आकाशवाणी, कलकत्ता

आकाशवाणी, कलकत्ता की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक 24/4/97 को केन्द्र निदेशक डा० अमित चक्रवर्ती की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाही की पुष्टि की गई। तत्पश्चात हिन्दी प्रशिक्षण, प्रोत्साहन योजनाओं को प्रभावी ढ़ग से लागू करने, कार्यशाला आयोजित करने आदि के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। हिन्दी शिक्षण/प्रशिक्षण के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में स्वयं प्रशिक्षित होने वाले कर्मचारी को यह जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिक से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि प्रत्येक सोमवार हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाए और इस दिन सभी प्रशिक्षित एवं कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारी/कर्मचारी अपना अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करेंगे। कार्यशालाओं में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कर्मचारियों को आमंत्रित करने का भी निर्णय लिया गया।

भारतीय जीवन बीमा निगम, वाराणसी

भारतीय जीवन बीमा निगम, मंडल कार्यालय, वाराणसी की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक 31.3.97 को वरिष्ठ मंडल प्रबंधक श्री नगेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। जिन विभागों द्वारा हिन्दी पत्राचार के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है, उन्हें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। समिति को बताया गया कि वर्ष 1996-97 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है। लेकिन देवनागरी टाइपराइटरों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को अभी प्राप्त किया जाना है। क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त पत्रों/परिपत्रों पर चर्चा करते हुए राजभाषा अधिकारी ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय से पेंशन समूह बीमा इकाई से जारी होने वाली पालिसी का हिन्दी अनुवाद प्राप्त हो गया है और अब इन पालिसियों से प्रारूप द्विभाषी रूप में प्रकाशित किए जाएंगे।

ग्रेफ सेन्टर, दिधी कैम्प, पुणे

ग्रेफ सेन्टर की राजभाषा कार्यान्यवन समिति की 18वीं बैठक 29 फरवरी, 1997 को कर्नल बी०के० शर्मा, कमांडर ग्रेफ सेन्टर एवं रिकार्डस की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में राजभाषा अधिकारी ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत किया। तत्पश्चात बैठक के कार्यवृत पर चर्चा की गई। हिन्दी शिक्षण एवं हिंदी टंकण प्रशिक्षण के लिए नामित किए गए कर्मचारियों से यह अपेक्षा की गई कि उन्हें जब प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए तो वे अवकाश पर न जाएं, अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में देवनागरी टाइपराइटरों की उपलब्धता के बारे में भी चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया कि इनकी उपलब्धता के अनुपात में ही टंक को प्रशिक्षित किया जाए। अन्त में समिति के अध्यक्ष ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे सरल हिंदी का प्रयोग करें और अंग्रेजी में तैयार किए गए पत्रों पर हस्ताक्षर न करे तथा इन पत्रों को हिंदी में तैयार करवाएं।

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, नागपुर

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय की पुनर्गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 25वीं बैठक 27.3.97 को श्री टी०एच०के० गौरी, अपर आयुक्त (तकनीकी), केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा की गई, जिसके अन्तर्गत कंप्यूटर की सहायता से 'वैनगंगा' की सामग्री की छपाई करने, संगोष्ठी में ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को आमंत्रित करना जिन्हें पहले आमंत्रित न किया गया हो 'खामगांव' एवं 'यवतमाल' में हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करने, सभी कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य करने की सुविधा प्रदान कराने आदि निर्णयों पर सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की। बैठक में 31.12.1996 को समाप्त तिमाही की हिंदी की प्रगति रिपोर्ट की भी समीक्षा की गई। जिन अनुभागों एवं प्रभागीय कार्यालयों द्वारा हिंदी पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है, उन्हें अलग से पत्र भेजने का निर्णय लिया गया तथा साथ ही समिति के अध्यक्ष ने कहा कि आयुक्त कार्यालय की रिपोर्ट में जो प्रगति दिखाई जाती है, उस पर सभी प्रभागों एवं अनुभागों की प्रगति का समावेश होता है। इस संबंध में पर्यवेक्षीय अधिकारियों को गम्भीरता से कार्य करने का भी अनुरोध किया गया। समिति को बताया गया कि धारा 3(3) का शत प्रतिशत अनुपालन किया जा रहा है। राजभाषा के निरीक्षण के विषय पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी जब भी निरीक्षण के लिए जाएं तो अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में राजभाषा हिंदी की प्रगति का भी उल्लेख करें और इस रिपोर्ट की एक प्रति हिंदी अनुभाग को भिजवाएं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

केन्द्रीय परिमण्डल के०लो०नि० विभाग, इलाहाबाद की राजभाषा कार्यान्यवन समिति की बैठक 18.3.97 को निर्माण सर्वेक्षक एवं कार्यपालक इंजीनियर श्री आर० एस० सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्य सचिव ने बताया कि लखनऊ केन्द्रीय मंडल प्रथम को छोड़कर अन्य मंडलों से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में अधीक्षण इंजीनियर की ओर से कार्यपालक इंजीनियरों को पत्र भेजने तथा साथ ही कार्यपालक इंजीनियरों को राजभाषा नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए भी कहा गया। हिंदी शिक्षण, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण संबंधी मदों पर चर्चा करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों तथा हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण

के लिए शेष बचे लिपिकों / आशुलिपिकों की भी एक सूची बनाई जाए। इसके अतिरिक्त धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन करने, समिति की बैठकें समय से करने तथा पुरस्कार योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने आदि के बारे में सभी संबंधितों को आवश्यक निदेश दिए गए।

पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 19.3.97 को सम्पन्न हुई। बैठक में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के संबंध में मुख्य राजभाषा अधिकारी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हिंदी का प्रयोग व्यवस्थित ढंग से बढ़ाने के लिए रेल के राजभाषा संगठन को सक्रिय किया जा रहा है। रेल के वर्ग "क" के अधिकारियों में राजभाषा नीति के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए "कसौटी माला" नाम से एक स्वपरीक्षा योजना शुरू की जा रही है। महाप्रबंधक ने अपने वक्तव्य में कहा कि पूर्वोत्तर रेल पर हिंदी के प्रयोग-प्रसार में सहज एवं आत्मीय ढंग से वृद्धि हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी कामकाज में सहज हिंदी के प्रयोग के लिए मुंशी प्रेमचंद के साहित्य से प्रेरणा लेनी चाहिए। अपर महाप्रबंधक तथा रेलवे बोर्ड के उप निदेशक (राजभाषा) ने भी राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। तत्पश्चात क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति में लिए गए निर्णयों की समीक्षा प्रशासनिक स्तर पर करने, वर्ष 97-98 की कार्य योजना का कड़ाई से पालन करने, अंग्रेजी-हिंदी शब्दावली का एक जेबी संस्करण प्रकाशित करने आदि महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

दक्षिण गोवा

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दक्षिण गोवा की बैठक 19 मार्च, 1997 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रियर एडमिरल बी०आर० मेनोन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और कहा कि बैठक में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति से संबंधित सूचनाएं सही आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए जिससे संसदीय राजभाषा समिति एवं अन्य निरीक्षण समितियों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जा सके। तत्पश्चात पिछली बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की गई। समिति के अध्यक्ष ने प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की स्थापना करने, हिंदी टंकण प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक कार्यालय से कम-से-कम एक कर्मचारी को प्रशिक्षण के लिए भेजने, हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों की सूची नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को भेजने तथा जिन कार्यालयों में हिंदी आशुलिपिक मौजूद हैं उन्हें केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, मुम्बई में पुनश्चर्या कार्यक्रम में भेजने आदि विभिन्न मदों पर विचार विमर्श करने के पश्चात निर्णय लिए गए। इसके अतिरिक्त हिंदी कार्यशाला में व्याख्यान देने के लिए अधिकारियों / विद्वानों की सूची तैयार करने तथा राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित सरकारी आदेशों के बारे में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत करवाने हेतु सेमीनार आयोजित करने, शब्दकोश, शब्दावली सहायक तथा संदर्भ साहित्य की व्यवस्था करने, बैठक में वरिष्ठतम अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा राजभाषा के कार्यान्वयन की प्रगति के लिए निर्धारित विभिन्न जांच बिन्दुओं के संबंध में भी विस्तृत चर्चा करने के पश्चात निर्णय लिए गए।

हिसार

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हिसार की 28वीं बैठक 21 / 5 / 97 को आयकर विभाग के उपायुक्त श्री विनोद कुमार बतरा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों की उपस्थिति के संबंध में खेद प्रकट किया और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अगली बैठक में सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक हो। इस संबंध में उन्होंने सदस्यों को अर्द्धशासकीय पत्र लिखकर, दूरभाष पर सम्पर्क कर, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गाजियाबाद के माध्यम से पत्र लिखवाकर तथा स्थानीय समाचार-पत्रों में भी समिति की बैठक की सूचना देने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इस बैठक में जो सदस्य उपस्थित नहीं हुए हैं, उनसे बैठक में न आने का कारण पूछा जाए।

सूरत

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सूरत की 18वीं बैठक 12 / 2 / 1997 को आयकर आयुक्त श्री एम० के० पाण्डेय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। समिति के अध्यक्ष ने बैठक में सदस्यों को सरल हिंदी का प्रयोग करने के लिए कहा। उन्होंने सदस्यों को यह भी बताया कि सूरत शहर में लगभग 10 माह पूर्व तक हिंदी का एक भी समाचार-पत्र नहीं था लेकिन अब "लोकतेज" नामक पत्र प्रकाशित किया जा रहा है और इसकी प्रसारण संख्या भी बढ़ती जा रही है। उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपने कार्यालयों में "लोकतेज" पत्र जरूर मंगाए ताकि हिंदी के प्रयोग के प्रति अधिकारियों / कर्मचारियों में रूचि बढ़े। बैठक में राजभाषा विभाग, मुम्बई की उपनिदेशक श्रीमती सुधा श्रीवास्तव ने कहा कि देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए संविधान में राजभाषा संबंधी नियमों का प्रावधान किया गया है लेकिन अभी इन नियमों की जानकारी अधिकारियों / कर्मचारियों को कम है। उन्होंने समिति के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपने कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से भेजें। उन्होंने राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा हिंदी से संबंधित जारी किए गए आदेशों, परिपत्रों को दूसरे कार्यों संबंधित पत्रों से अधिक महत्वपूर्ण बताया क्योंकि ये आदेश संविधान की शक्ति होती है तथा मंत्रिमण्डल की सहमति से महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर जारी किए जाते हैं। हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के विषय में श्रीमती सुधा श्रीवास्तव ने बताया कि ये प्रशिक्षण पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा, गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निरीक्षण में हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र को स्थापित करके प्राप्त किया जा सकता है।

रायपुर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रायपुर की 37वीं बैठक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क श्री सी० सेन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में 24 अधिकारियों / कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक

में समिति के सदस्यों को बताया गया कि समिति के तत्वावधान में स्थानीय, क्षेत्रीय, कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा एक पांच दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सदस्य कार्यालयों के 20 कर्मचारियों ने भाग लिया। हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के संबंध में चर्चा करते समय यह निर्णय लिया गया कि जिन कार्यालयों में अप्रशिक्षित टंकण एवं आशुलिपिक हैं, वहां कम से कम आशुलिपिक और दो या तीन टंककों को प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाए। बैठक में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न पुरस्कार योजनाओं की जानकारी दी गई तथा साथ ही एक पांच सदस्यीय कार्यान्वयन समिति गठित करने का निर्णय भी किया गया जो राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्य कार्यालयों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित करेगी।

हैदराबाद

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, (बैंक), हैदराबाद की बैठक दिनांक 31.3.97 को श्री एन० आर० कण्णन, महाप्रबंधक, नाबार्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक की कार्यसूची पर चर्चा करने से पूर्व सदस्य सचिव श्री डी० राममोहन राव ने नराकास दशक समापन समारोह के अवसर पर आंध्र प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री कृष्ण कांत के संदेश को मूर्तरूप देने के लिए कहा। इसके बाद समिति के सदस्यों को बताया गया कि वर्ष 1995-96 के दौरान उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा समिति को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

पिछली बैठक में किए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करते समय हिंदी शिक्षण में कार्य में तेजी लाने, हिंदी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक सत्र में 25/टंककों/आशुलिपिकों को अनिवार्य रूप से नामित करने तथा जिन सदस्य बैंकों ने धारा 3(3), हिंदी पत्राचार आदि के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है, उन्हें इस दिशा में आवश्यक प्रयास करने के लिए तथा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देने के लिए कहा गया।

बैठक में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के प्रभारी श्री एन० ठाकुर ने कुछ सुझाव दिए जिनमें सहायक महाप्रबंधक एवं उनसे उच्च कार्यपालकों के लिए हिंदी अनुकूलन कार्यक्रम चलाने, "हिंदी में काम कितना आसान" विषय पर संगोष्ठी आयोजित करने आदि प्रमुख हैं।

भुवनेश्वर

भुवनेश्वर बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की विशेष बैठक दिनांक 5.3.97 को स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक श्री विश्वजीत मजुमदार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सचिव श्री चन्द्रधर त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा की मान्यता दी गई है। अतएव इस संवैधानिक दायित्व का पालन हम सभी को करना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ओड़िया महाभारत के रचियता महापुरूष शारलादास की जयन्ती मनाने का भी सुझाव दिया। बैठक में बैंकों द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा भी की गई। अंत में भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय के मुख्य प्रबंधक (रा०भा०) श्री तुषार कांत सतपथी के धन्यवाद ज्ञापन से बैठक समाप्त हुई।

मंगलूर

मंगलूर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 29 अप्रैल, 97 को कारपोरेशन बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर० एस० हगार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में राजभाषा का कार्यान्वयन राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य के रूप में निभाने की प्रेरणा दी। मंगलूर नराकास की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने सदस्य कार्यालयों से आग्रह किया कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करें। उन्होंने समिति की बैठकों में कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति पर भी बल दिया।

"राष्ट्रभाषा की उपेक्षा से
देश का भविष्य
अन्धकारमय हो जायेगा।"

– महादेवी

समाचार दर्शन

भारतीयता की पहचान हिन्दी से ही संभव है

आप्रवासी भारतीयों की नई पीढ़ी के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती अपनी जड़ों को समझने और अपनी पहचान बनाए रखने की है। यह विचार अंतराष्ट्रीय हिन्दी समिति, अमरीका के तत्वाधान में आयोजित तीन दिवसीय मंत्रणा शिविर में विशेष रूप से प्रतिध्वनित हुआ। इस शिविर में अमरीका, कनाडा एवं भारत से आए विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए।

सम्मेलन में आए विद्वान प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर राम चौधरी ने कहा कि हिंदी के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। विदेशों में बसे हुए भारतीय मूल के लोगों के लिए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए हिन्दी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः इस दिशा में भारत के हिन्दी विद्वानों तथा आप्रवासी भारतीयों का पारस्परिक सहयोग वांछनीय ही नहीं, आवश्यक भी है।

अमरीका में अनेक वर्षों से कार्यरत चिकित्सक दंपत्ति डा॰ तरूण एवं डा॰ कमल कोठारी की सद्य-प्रकाशित 'तृप्ति' का विमोचन डा॰ ऋतुपूर्ण ने किया और कोठारी दंपत्ति ने अपनी कविताओं का पाठ किया।

तीन दिनों तक चला यह शिविर अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक था। इसमें किशोरों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरुचिपूर्ण थे। रात्रि को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अमरीका में रह रहे आप्रवासी कवियों ने अपने काव्य पाठ से सभी का मन मोह लिया।

निर्यात प्रक्रिया पर हिन्दी में कार्यक्रम

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान निर्यात प्रक्रिया व प्रलेखन पर हिन्दी माध्यम में 26-28 फरवरी 1997 तक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है।

वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्तशासी इस संस्थान द्वारा वर्ष में दो बार निर्यात प्रक्रिया व प्रलेखन पर कार्यक्रम हिन्दी माध्यम में आयोजित किया जाता है।

संस्थान द्वारा आज यहां जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि निर्यात बढ़ाने के लिए छोटे व्यवसायियों और दस्तकारों को निर्यात प्रक्रिया के बारे में जानना आवश्यक है। यह अब तक मात्र अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध थी। संस्थान ने इस दिशा में पहल कर न केवल हिन्दी में एक सफल पाठ्यक्रम तैयार किया है बल्कि समस्त अध्ययन सामग्री भी हिन्दी में तैयार की है। उत्तर भारत के छोटे व्यवसायियों में यह कार्यक्रम लोकप्रिय हो रहा है।

इस कार्यक्रम के तहत निर्यात विपणन ढांचा, विदेशी मुद्रा विनिमय नियम, निर्यात संबंधी कागजात, निर्यात बिक्री करार, लेटर आफ क्रेडिट सहित आय की अदायगी के तरीके निर्यात बिक्री, उत्पाद शुल्क एवं कस्टम क्लीयरेंस प्रक्रिया, ड्यूटी ड्रा बैंक, निर्यात वित्त व्यवस्था, आयात-निर्यात नीति, बैंक के साथ कागजात विनिमय तथा निर्यात आर्डर की प्रोसेसिंग की जानकारी दी जाएगी।

जापानियों का रामायण प्रेम

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1997 के एक समाचार के अनुसार राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान व रावण आदि रामायण के पात्रों को एनिमेशन विद्या में देखना अपने-आप में एक अनोखा व दिलचस्प अनुभव है और भारतीय दर्शकों को इस अनुभव से रूबरू किसी रामानंद सागर या बी॰ आर॰ चोपड़ा ने नहीं अपितु जापानी निर्माता-निर्देशक युगोसाको ने कराया है। करोड़ों रुपये की लागत से बनी 'रामायण-श्रीराम कथा' शीर्षक वाली यह एनिमेशन फिल्म हिन्दी में 'डब' कर प्रदर्शित की गई।

फिल्म कलात्मक व तकनीक दोनों स्तर पर काफी अच्छी बन पड़ी है। हालांकि इसे पर्दे पर उतारना कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। एनिमेशन फिल्मों का निर्माण अधिक खर्चीला व श्रमसाध्य कार्य है। 'रामायण-श्रीराम कथा' को पूरा होने में बारह साल व साढ़े चार सौ लोगों की मेहनत लगी।

लगभग दो घंटे में रामायण के मुख्य प्रसंगों को युगोसाको ने कुशलता व कलात्मकता से समेटा है—वह भी बगैर ज्यादा फेरबदल के।

युगोसाको के दिमाग में यह फिल्म बनाने का विचार 1983 में आया जब वे पहली बार भारत आए। हालांकि अपनी कल्पना को मूर्त रूप देने में उन्हें काफी वक्त लग गया लेकिन यह उनके लिये फख्र की बात है कि उनकी इस कृति को भारत में खूब प्रशंसा मिल रही है और उनके प्रशंसकों में कमल हासन जैसा विश्व स्तरीय अभिनेता भी है जो इस फिल्म के वितरकों में से एक है।

केन्या में हिन्दी द्वितीय भाषा

केन्या (अफ्रीका) में भारतीय मूल के अनेक डॉक्टर हैं जिनमें एक डा० माथुर भी हैं। उन्होंने बताया कि हिन्दी का शिक्षण विश्वविद्यालय स्तर तक प्रारंभ करवाना और हिन्दी की उद्देश्यपूर्ण फिल्में दिखाना हमारे हिन्दी के भावी कार्यक्रमों में शामिल है। मेरे प्रयासों से केन्या सरकार ने हिन्दी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता दे दी है।

जूनियर इंजीनियरों की भर्ती परीक्षा में हिन्दी का पूरा विकल्प

साप्ताहिक रोजगार समाचार के 5 अप्रैल 1997 के अंक में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ है जिसके अनुसार 550 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती के लिए एक प्रतियोगात्मक परीक्षा 27 जुलाई 1997 को ली जाएगी। परीक्षा वस्तुपरक प्रकार की होगी और इसमें अंग्रेजी भाषा के विकल्प में हिन्दी भाषा का विकल्प भी रखा गया है। इंजीनियरी से संबंधित प्रश्न-पत्र भी द्विभाषी रूप में छपेंगे। इस प्रकार उक्त परीक्षा में हिन्दी का पूरी तरह विकल्प होगा।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रचार कार्य में भारतीय भाषाओं को प्रमुखता

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से निवेदन किया था कि अपने बॉण्ड निर्गम के संदर्भ में भारतीय भाषाओं में अधिक प्रचार किया जाए। अब बैंक ने अपने 5 मार्च 1997 के पत्र संख्या-हिन्क०/3.2/30 द्वारा सूचित किया है कि हमारे द्वारा जनवरी 1997 के बांड निर्गम के संबंध में किए गए प्रचार-कार्य का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

	प्रेस प्रकाशन	प्रेस विज्ञापन	दूरदर्शन	रेडियो	होर्डिंग्स
1. हिन्दी	24	137	374	335	408
2. अन्य भाषाएं	29	148	171	551	663
3. अंग्रेजी	24	142	08	शून्य	212
4. कुल	77	427	553	886	1283

कुल व्यय में से हिन्दी एवं अन्य भाषाओं पर व्यय की गई राशि 70% थी जबकि इसकी तुलना में अंग्रेजी पर केवल 30% राशि व्यय की गई।

बैंक ने यह भी सूचित किया है कि हिन्दी कार्यान्वयन के प्रति हमारा रवैया काफी गंभीर है और स्टाफ को निरंतर इस ओर प्रेरित किया जाता है।

बुकिंग पर्यवेक्षक पुरस्कार

मध्य रेल झांसी मंडल के फरीदाबाद स्टेशन पर कार्यरत बुकिंग पर्यवेक्षक श्री लाखन सिंह कर्दम को हरिबाबू कंसल धर्मार्थ ट्रस्ट, दिल्ली द्वारा हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया। श्री कर्दम को यह सम्मान केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली द्वारा मार्च, 97 में आयोजित अखिल भारतीय पुरस्कार, वितरण समारोह में प्रदान किया गया। भारती परिवार की ओर से श्री कर्दम को बधाई।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में टंककों की भर्ती परीक्षा में हिन्दी का विकल्प

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 550 लिपिकों (टंककों) की भर्ती की जानी है। निगम के 28.5.97 के पत्र संख्या-ए-36(13)/97-परीक्षा के अनुसार सभी प्रश्न-पत्र वस्तुपरक (आब्जेक्टिव टाइप) होंगे, जिनमें सामान्य बुद्धिमता एवं लिपिकीय अभिरुचि, संख्यात्मक योग्यता तथा सामान्य जानकारी के प्रश्न-पत्र द्विभाषी में छापे जाएंगे। निगम के विज्ञापन के अनुसार अंग्रेजी भाषा का एक प्रश्न-पत्र पृथक से होगा।

समाचार

[इस स्तम्भ के अंतर्गत संकलित सूचनाएं केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली के संयोजक श्री जगन्नाथ के सौजन्य से प्राप्त हुई हैं।]

राजभाषा प्रदर्शनी

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की इकाई राजपुरा दरीबा खान में केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद की शाखा द्वारा राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु राजभाषा गतिविधियों की प्रदर्शनी का दिनांक 25.6.97 को आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन अपर अधिशासी निदेशक (कार्मिक) श्री एस० एन० प्रसाद ने किया।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की कम्पनी स्तरीय बैठक के अवसर पर लगाई गई इस प्रदर्शनी में केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के उद्देश्यों, प्रतियोगिताओं की जानकारी देने संबंधी चार्टों के साथ ही शब्दावली चार्ट एवं दरीबा शाखा की राजभाषा गतिविधियों, छायाचित्रों, पोस्टर, फार्मों, कम्प्यूटर पर हिन्दी कार्य, सन्दर्भ साहित्य का प्रदर्शन भी किया गया।

हिन्दी परिचय, राजभाषा किरण, राजभाषा भारती, राजभाषा पुष्पमाला एवं अन्य समाचार पत्रों में छपी इकाई की राजभाषा गतिविधियों की खबरें प्रदर्शनी का एक आकर्षण थी।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की सभी इकाइयों के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

प्रोत्साहन / पुरस्कार

दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर

दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर में गत वर्ष हिन्दी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतियोगियों एवं साथ ही हिन्दी में कार्य सम्पन्न करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए इस केन्द्र में दिनांक 6.5.97 को राजभाषा पुरस्कार वितरण-समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि श्री डी० एन० प्रसाद, महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान तथा विशिष्ट अतिथि डा० विश्वंभर नाथ उपाध्याय पूर्व कुलपति कानपुर विश्वविद्यालय थे। श्रीमती विमला मित्तल, निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र जयपुर ने समारोह की अध्यक्षता की।

डा० मित्तल मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि श्री उपाध्याय ने अपने व्याख्यान के द्वारा राजभाषा एवं उसके कार्यान्वयन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी।

तत्पश्चात् केन्द्र की हिन्दी अधिकारी एवं कार्यक्रम की संचालिका श्रीमती सुधा रानी के अनुरोध पर मुख्य अतिथि ने पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण-पत्र दिए।

अंत में मुख्य निर्माता श्री एल० पी० मंडरवाल के द्वारा धन्यवादार्पण के उपरांत समारोह समाप्त हुआ।

पुरस्कार वितरण समारोह

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, भारतीय रिज़र्व बैंक शाखा, नई दिल्ली का वार्षिक पुरस्कार वितरण एवं विशेष राजभाषा सम्मान समारोह 1997 दिनांक 10 मई, 1997 को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे सुप्रसिद्ध साहित्यकार डा० नरेन्द्र कोहली। इस समारोह में वर्ष 1997 में परिषद द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं—हिंदी आशुचित्र लेख प्रतियोगिता, हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता, हिन्दी वाक प्रतियोगिता, हिन्दी टंकण प्रतियोगिता, हिन्दी शब्द ज्ञान प्रतियोगिता, हिन्दी प्रश्न मंच प्रतियोगिता, हिन्दी कविता पाठ प्रतियोगिता तथा हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता के विजेताओं तथा गृह पत्रिका 'जनभाषा संदेश' के ग्यारहवें अंक की सर्वश्रेष्ठ दो रचनाओं को संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर श्री नन्द किशोर के सौजन्य से श्री जगन्नाथ अग्रवाल की स्मृति में दिए जाने वाला विशेष राजभाषा सम्मान 1997 बैंक में हिन्दी के प्रचार प्रसार में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए शाखा उप प्रधान श्री जयनारायण शर्मा को दिया गया। समारोह की अध्यक्षता शाखा संरक्षक तथा महाप्रबन्धक श्री मधुसूदन जोगलेकर व संचालन शाखा प्रधान श्री भीमबली वर्मा ने किया। शाखा मंत्री डा० (श्रीमती) निर्मल सिंहल ने शाखा की गतिविधियों का परिचय दिया। श्री सुरेशकान्त, प्रबन्धक (राजभाषा) ने मुख्य अतिथि का परिचय दिया। इस अवसर पर राजभाषा प्रदर्शनी भी लगाई गई।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, जिंक लेड स्मेल्टर, विशाखापट्टनम-530015

राजभाषा हिन्दी की रचनात्मक गतिविधियों के तहत इकाई में दिनांक 31.5.1997 को हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता तथा दिनांक 2.6.1997 को हिन्दी वाक् प्रतियोगिता आयोजित की गई।

उक्त प्रतियोगिताओं का परिणाम निम्न है:

दिनांक 31.5.1997 : हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता

प्रथम:श्रीमती डी० बी० एस० पद्मावती, क्रम० सं० 42869 सतर्कता विभाग

द्वितीय: श्री के० अप्पल नायुडु, क्रम सं० 41337, मुख्य प्रबंधक (अनु०) का कार्यालय

तृतीय:श्रीमती सी० एच० सत्यवती, क्रम सं० 42870, समयपाल कार्यालय

दिनांक 2.06.1997 : हिन्दी वाक् प्रतियोगिता

प्रथम: श्री वी० वी० अनन्त राम, लेखा अधिकारी क्रम सं० 41021, ,लेखा विभाग

द्वितीय: श्री बेबी सूर्यनारायण, वरि० सहायक, क्रम सं० 41378, जिंक आक्साईड

तृतीय: श्री ए० श्रीनिवास राव, वरि० सहायक, क्रम सं० 41827, विक्रय विभाग

उक्त प्रतियोगिताओं में सफल उपरोक्त प्रतियोगियों को पुरस्कार दिनांक 11.6.97 को प्रशासन भवन के सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक भव्य समारोह में इकाई के मुख्य प्रबंधक (कार्य) जस्ता परिपथ श्री एस० के० वर्मा ने प्रदान किया।

हिन्दी सेवा हेतु डा० कैलाशचन्द्र गुप्त सम्मानित

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली की ओर से 29 मार्च, 1997 को केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री कैप्टन जय प्रकाश निषाद द्वारा हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लि०, कोरापुट प्रभाग के हिन्दी अधिकारी डा० कैलाशचन्द्र गुप्त को उनकें निरंतर हिन्दी के प्रचार-प्रसार में पूरी लगन के साथ समर्पित रहने, हिन्दी परिषद की लक्ष्य पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान एवं उत्कृष्ट हिन्दी सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र एवं परिषद की स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया।

ज्ञातव्य हो कि डा० गुप्त उत्कल हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति सुनाबेड़ा-कोरापुट (उड़ीसा) के सचिव भी हैं। उनकी तीन पुस्तकें गीत संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं।

गुणता आश्वासन महानिदेशालय में हिन्दी पुरस्कार

दिनांक 06 जून 97 को : गुणता आश्वासन महा निदेशालय (मुख्यालय) रक्षा मंत्रालय के मावलंकर ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में वार्षिक राजभाषा हिन्दी का पुरस्कार वितरण समारोह सम्पन्न हुआं। इसमें हिन्दी पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित हिन्दी व अहिन्दी भाषी कार्मियों के लिए हिन्दी टंकण, आशुलिपि, निबन्ध, टिप्पण, प्रश्नोत्तरी, वाक् प्रतियोगिताओं के सफल प्रतियोगियों को लै० जनरल—अशोक कुमार अग्रवाल, महा निदेशक गुणता आश्वासन महा निदेशालय ने नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए।

हिन्दी पखवाड़ा आयोजित समिति के संचः श्री जीवन कुमार सहगल ने संगठन में राजभाषा हिन्दी की उपलब्धियों की जानकारी दी। इस अवसर पर लै० जनरल—अशोक कुमार अग्रवाल ने गुणता आश्वासन महा निदेशालय की अधीनस्थ निदेशालाओं तथा स्थापनाओं द्वारा तकनीकी संगोष्ठियों और हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इससे तकनीकी क्षेत्र में अधिक कार्य करने की संभावनाएं बढ़ेंगी। उन्होंने जुलाई 96 में गुणता आश्वासन महा निदेशालय द्वारा "विज्ञान भवन" में हिन्दी में आयोजित "उद्योग उत्कृष्टता की ओर" सम्मेलन की भूरि-भूरि प्रशंसा की। मुख्य अतिथि ने 48 प्रतियोगियों के अतिरिक्त रगां-रंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को पुरस्कृत करने एवं स्मृति चिन्ह वितरण करने के उपरान्त अपने अभिभाषण में महा निदेशालय में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन की सार्थकता तभी सिद्ध होगी, जब अपना शत्-प्रतिशत् सरकारी कार्य हिन्दी में करने का संकल्प लें। सर्वाधिक कार्य के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय नम्बर की शील्डें क्रमशः कमोडोर सुभाष चन्द्र अरोड़ा, निदेशक (नौ सेना) ब्रिगेड़ियर—आर०,एन, राधाकृष्णन, कार्यकारी निदेशक (इंजी० उपस्कर) एवं कमोडोर—राजन मैथ्य, निदेशक (युद्धपोत परियोजना) को प्रदान की गई। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की प्रथम शील्ड (चल वैजयन्ती) तथा द्वितीय शील्ड (स्थाई वैजयन्ती) क्रमशः युद्ध पोत परियोजना एवं इंजिनियरिंग उपस्कर निदेशालय ने प्राप्त की। तदुरान्त अपर निदेश (प्रशासन) श्री आर० आर० सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

समारोह के आयोजन का मुख्य आकर्षक गुणता आश्वासन महा निदेशालय के कलाकारों द्वारा किया गया रोचक एवं मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा।

हिंदी साहित्य संगम बोकारो में हिंदी पुरस्कार वितरण समारोह

03.04.1997 को स्थानीय कलाकेन्द्र बोकारो, में संध्या 6 बजे हिन्दी साहित्य संगम के तत्वावधान में एक भव्य पुरस्कार वितरण समारोह सम्पन्न हुआ। इस समारोह की अध्यक्षता की—श्री संतोष कुमार चौधरी, उप-महाप्रबन्धक, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो ने। विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच को सुशोभित करने वालों में; इसी प्रतिष्ठान के सहायक महा-प्रबन्धक, श्री जयप्रकाश लाल तथा जनसम्पर्क विभाग के उप-मुख्य, श्री घनश्याम सिंह के नाम उल्लेखनीय हैं। साथ ही यहां विस्तृत नहीं किया जा सकता; संतजेवियर्स कॉलेज, राची के डा० जयप्रकाश पाण्डेय को भी जिन्होंने अनेक कठिनाईयों के बावजूद इस मंच पर, विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई। राजेन्द्रसोनी के विचारों को रेखांकित करते हुए—

हर ग़म को
गीत बनाता चल।
कांटों में भी
मुस्काता चल।

जिन चार साहित्यकारों को "हिन्दी साहित्य संगम पुरस्कार वर्ष 1996" से सम्मानित किया गया; ये हैं (i) श्री के० पी० अभागा, प्रशिक्षण एवं विकास केन्द्र, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो (ii) डा० राजेन्द्र रलेशं, 52 नेहरु नगर, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान 303011 (iii) श्री राजेश श्रीवास्तव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (iv) श्री अमर नाथ चौधरी 'अब्ज', सम्पादक 'रडारपत्रिका' जिला-बोकारो, बिहार। सभी अतिथियों का स्वागत किया श्री कन्हाई महतो ने तथा संस्थागत अवदानों को जनमानस-पटल पर रखा; इसी संस्थान के फौलादीकवि श्री अवधेश कुमार 'अभिनव दिनकर' ने। राजभाषा/राष्ट्रभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण और राष्ट्र के विकास में हिन्दी साहित्यकारों की देन की सुधि सभी अतिथियों/पुरस्कार विजेताओं ने जो ताजी की; उसका स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से हुआ। एक ओर जहां उद्घोषक की सफल भूमिका अदा की संस्थागत उपाध्यक्ष डा० परमेश्वर भारती ने; वहीं दूसरी ओर पुरस्कार वितरण समारोह का व्यवस्थित रूप; बोकारो प्रतिष्ठान के मनोनीत हिन्दी अधिकारी; श्री दयानाथ लाल ने जो उपस्थित किया; उसके चलते यह कहावत सार्थक साबित हुई कि—"हाथ कंगन को आरसी क्या?"

पानी से ऊपर बर्फ दिखाना उचित नहीं; पर हकीकत को क्यों टाला जाय?" हिन्दी साहित्य संगम पुरस्कार "वितरण समारोह के पश्चात् एक भव्य" गीत-गज़लकार सम्मेलन" जो हुआ और जिस सुरलहरी के साथ हुआ; उसे वर्षों तक भूला नहीं जा सकता। उसकी अध्यक्षता की—बोकारो स्टील प्लांट के भूतपूर्व राजभाषा हिन्दी अधिकारी; माननीय श्री देवता प्रसाद सिंह ने और उसका सफल ऐतिहासिक संचालन किया;

अपनी लचकती एवं लपकती भाषा में—"संस्थागत संस्थापक तथा हिन्दी साहित्येतिहासकार श्री दयानाथ लाल ने।" सर्वप्रथम श्री लाल ने बशीर बद्र के छन्दों से श्रोताओं का ध्यान अपनी और खींचा—

उजाले अपनी यादों के
हमारे साथ रहने दो।
न जाने किस गली में
जिन्दगी की शाम हो जाए।

श्री लाल ने अपने इस कथ्य को प्रमाणित कर दिखाया कि

"गीत या गजल किसी बधाई लीक का अन्धानुकरण नहीं और न तो किसी वासी शैली की भोंड़ी नकल ही है। यह तो फूलों से लदी रजनीगंधा को चूमकर;

नोएडा रत्न एवं साहित्य सम्मान समारोह

दिनांक 29 मार्च 1997 को दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन "सनेही मण्डल' द्वारा आयोजित ठहाका सम्मेलन एवं नोएडा रत्न सम्मान समारोह, नोएडा कल्ब सैक्टर-27 में पधारे डा० रत्नाकर पाण्डेय ने दीप प्रज्वलित कर एवं मां सरस्वती की प्रतिमा में पुष्पहार चढ़ाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सनेही मण्डल द्वारा प्रकाशित रोचक पठनीय पत्रिका 'रचना-रंगोली' का लोकार्पण करने के बाद उन्होंने नोएडा के प्रथम उद्योग पति श्री राजेन्द्र सिंह नलवा को शाल, प्रशस्ति-पत्र एवं प्रतीक चिह्न भेंटकर 'नोएडारत्न' सम्मान से विभूषित किया और डा० अनिल चतुर्वेदी का उनकी हिन्दी साहित्य सेवा के लिए सार्वजनिक अभिनंदन किया। डा० चतुर्वेदी को भी शाल, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिह्न प्रदान किया गया। डा० महेश शर्मा ने पुष्पहार, से उनका स्वागत किया।

सुश्री अर्चना द्विवेदी के वाणी वंदना के बाद युवा हास्य-व्यंगकार दीपक गुप्ता ने अपनी कतिवाओं से पूरे वातावरण को ठहाकों से भर दिया। कुछ पंक्तियां—

'मेरी कविताओं में नहीं है शब्द जाल कोई/सीधी सादी भाषा ही में बात कहता हूं मैं/पर हास्य व्यंग्य कविताएं लिखने के लिए जीवन के सारे जख्मों को सहता हूं मैं।"

"एक से हैं बढ़कर एक कवि एक यहां पर/इन कवियों का करूं कैसे मैं बखान जी/इनकी ही कविताएं झेल-झेलकर कंई/निर्दोष प्राणियों ने त्याग दिये प्राण जी"।

इसके बाद मंच को हास्य की ऊंचाइयों में ले जाने का सफल प्रयास किया पत्रकार-कवि पुरूषोत्तम बज्र ने उनकी 'देवगौड़ा' कविता की हर पंक्ति पर तालियों की गड़गड़ाहट और ठहाकों से पूरा हाल गूंजता रहा।

"नाम फिसड्डी लेकिन देखो ऐसा दौड़ा है / दल-बादल जिसपर सवार हैं / ऐसा घोड़ा है / हरदन अल्ली डोडे गौड़ा देवेगौड़ा है।"

ठहाकों के बीच रसरंग वर्षाया लोकधुन के सफल कवि आर०एस० रमन ने। उनके एकगीत की कुछ पंक्तियां—

"ठाढ़ी गोरी चितवे बदरिया की ओर हो।
बार-बार भीजै कजरिया की कोर हो।"

मंच को पुनः ठहाको के वातावरण में परिवर्तित किया दिल्ली के हर दिल के प्रिय युवा कवि सुनील जोगी ने। श्रोताओं ने उन्हें खूब सुना और पूरे काव्यपाठ के दौरान हाल तालियों से गूंजता रहा। पंक्तियां इस प्रकार हैं—

"दमड़ी न दाम मिला डायरी में नाम मिला/नाक कटी साख घटी कट गयी कुर्सी/आपस में फोड़-फोड़ आदमी को बाटा गया। आदमी तो बटा नहीं बट गयी कुर्सी।"

आज विदेशी कम्पनियों का है भारत में जोर/देशी चीजें अपनाने का करोगे कब तक शोर/गली-2 में मिल जायेंगे लुच्चे-गुण्डे-चोर/थाने जाते जाते बापू हो जाओगे बोर/भृष्टाचारी नेताओं को पड़ेगा जुतियांना। अब देश में गांधी मत आना, मत आना/मत आना।"

रोहतक से पधारे हास्य कवि डॉ० श्याम सखाश्याम की यें पक्ति बहुत पसंद की गयीं—**"मज़ा इन्तजार का बेवजह जाता रहा/वो कम्बख्त हमेशा वक्त पर आता रहा।"**

हास्य रस के साथ करुण रस का अद्भुत संयोग मिला धनवाद से पधारे हास्य कवि दिलीप चंचल की रचनाओं में। "संसद भवन के सामने टकटकी लगाये। एक नेता से मैंने कहा/मौके का फायदा उठा/बत्तीस दांतों में खाली पान चबा रहा है/अगर चबाना है तो हर्षद मेहता की तरह/पूरा देश चबा।"

कानपुर से पधारे वीररस के कवि रामचंद्र नेमी ने कश्मीर समस्या के हल का रास्ता साफ करते हुये रचना पढ़ी। उन्होंने कवि धर्म का भी पाठ पढ़ाया—**"जिसकी कलम में सत्य की ललकार नहीं है। वह स्वयं को कवि कहने का हकदार नहीं है।"**

ओजस्वी कवि राधेश्याम बंधु ने एक अफसर की नजर से प्यार की परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत की—**"प्यार जब से हो गया है एक अफसर की तरह/जिंदगी लगने लगी है एक दफ्तर की तरह/रोज मिलकर भी जहां हम लोग मिल पाते नहीं/दिल भी अब मिलने लगे हैं रांग नम्बर की तरह।"**

हास्य व्यंग्यकार उपेन्द्र मिश्र के व्यंग्य भी श्रोताओं को गुदगुदाते रहें—**"नेता जी ने एक बच्चे से कहा/हम रंग लगायेंगे। आपके हाथ तो खून से रंगे हैं। आप तो बच जायेंगे। हम घर लिये जायेंगे।"**

हलचल मीरजा पूरी कुछ खास हलचल नहीं कर सके लेकिन उनकी छोटी-छोटी हास्य की फुलझड़ियों की श्रोताओं ने आनंद लिया।

ठहाका सम्मेलन की अध्यक्षता दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन के महामंत्री रमेश बाबू शर्मा 'व्यस्त' ने की संचालन बाबा कानपुरी ने। इस अवसर पर राजमणि तिवारी, मूर्तिकार राम वी सुतार, बी० पी० श्रीवास्तव, शायर पी० पी० श्रीवास्तव, मलिक जादा जावेद, मण्डल अनियंता फोन्स भानु प्रकाश सक्सेना, ओ० एस० डी० त्रिपाठी समेत नोएडा के सैकड़ो गड़मान्य नागरिक उपस्थित थे।

कार्यक्रम के अन्त में बहादुरगढ़ के हास्य कवि कृष्ण गोपाल विद्यार्थी की कविता—'बुड्ढे बेशरम' पर तालबद्ध तालियों से हाल गूंज उठा। उनकी यह कविता बहुत पसंद की गयी।

प्रस्तुतिः बाबा कानपुरी
मंत्री 'सनेही मण्डल'

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चण्डीगढ़: साहित्य अकादमी पुरस्कार

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़ में दिनांक 14 मार्च, 1997 को साहित्य अकादमी पुरस्कारों सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित विख्यात साहित्यकार श्री गिरिराज क्रिशोर के व्याख्यान का आयोजन किया गया। आपने "भाषा का मनुष्य से रिश्ता" विषय पर व्याख्यान दिया। साहित्यकार ने अपनी बात इन पंक्तियों से शुरू की "लेखक जिन्दगी का अन्वेषण करने वाला वैज्ञानिक होता है व भाषा से लगातार जूझता और संवेदना का विकास करता है।" भाषा और मनुष्य सहोर्द की तरह हैं और दोनों का विकास एक-दूसरे पर निर्भर करता है। उन्होंने आगे कहा कि "भाषा की सबसे बड़ी शक्ति और पहचान सम्प्रेषण है। सम्प्रेषणियता के बगैर कोई भी भाषा अस्तित्व में नहीं आ सकती। आज यदि विश्व में "सम्प्रेषण बन्द हो जाए तो विकास रुक जाएगा।" उन्होंने भाषा का मनुष्य के विकास के साथ गहरा सम्बन्ध बताया है। उनके अनुसार सभ्यता के बिल्कुल शुरूआती दौर में जब भाषा नहीं थी, तब विकास भी न के बराबर था। ज्यों-ज्यों सभ्यता का विकास हुआ, त्यों-त्यों भाषा भी विकसित हुई। श्री गिरिराज किशोर ने कहा कि भाषा ने मुनष्य के अन्तर्मन को बदलने की कोशिश की है। उन्होंने भाषा को विकास का साक्षी माना।

व्याख्यान के दौरान उन्होंने भाषा के भाव व अभिव्यक्ति की बात भी की। उन्होंने कहा कि भाव-अभिव्यक्ति की सार्थकता केवल मनुष्य के लिए है। भाषा के जिस स्तर पर मनुष्य आज खड़ा है, वह उच्चतम स्तर है। आज अभिव्यक्ति की हमारे पास अनेक भाषाएं हैं। उन्होंने कहा कि भाषा का विकास निरन्तर हुआ है, न कि किन्हीं अन्तरालों के बाद। अंग्रेजी माध्यम के कारण विद्यार्थियों को होने वाली समस्याओं की ओर भी उन्होंने संकेत दिया। मनुष्य से भाषा का रिश्ता बताते हुए मनुष्य का अर्थ भाषा और भाषा का अर्थ मनुष्य बताया।

उत्तर-प्रदेश साहित्य अकादमी के भारतेन्दु पुरस्कार से सम्मानित श्री गिरिराज किशोर के अनुसार भाषा मनुष्य के व्यक्तित्व तथा पहचान का रास्ता है। संवेदनशील और विकासशील राष्ट्र के लिए उन्होंने भारतीय भाषाओं की जरूरत पर बल दिया।

इससे पूर्व कार्यक्रम के प्रारम्भ में संगठन निदेशक प्रो० के०आर० शर्मा ने श्री गिरिराज किशोर, श्री दिलीप कुमार, संयुक्त सचिव एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली एवं उपस्थित अन्य अतिथियों का स्वागत किया। श्री गिरिराज किशोर के व्याख्यान से पूर्व श्री दिलीप कुमार ने भी संगठन स्टाफ एवं अन्य उपस्थित जन को सम्बोधित करते हुए संगठन को इस आयोजन के लिए मुबारकबाद देते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार की ओर गतिविधियों के आयोजन की आशा व्यक्त की।

व्याख्यान के बाद इस अवसर पर उपस्थित पंजाब विश्वविद्यालय के प्राध्यापक वर्ग, चण्डीगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष व सदस्यों तथा नगर के अन्य साहित्यकारों ने श्री गिरिराज किशोर के साथ उनके साहित्य व रचनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

हिन्दुस्तान जिंक लि० (राज०) में हिन्दी प्रयोग के लिए पुरस्कार

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में यह एक स्वस्थ परम्परा प्रारंभ की है कि राजभाषा कार्यान्वयन में सहयोग देने वाले तथा कार्यालय कामकाज अधिकाधिक हिन्दी का प्रयोग करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को कम्पनी की ओर से पुरस्कृत किया जाता है। इसी सिलसिले में वर्ष, 1996 के लिये प्रधान कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर पुरस्कार व प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया:

1. श्री सी०पी० गंधर्व—लेखा विभाग
2. श्री रमेशचन्द्र—प्रबंधन सेवाएं विभाग
3. श्री खूबीलाल मेनारिया—कार्मिक विभाग
4. श्री नरेन्द्र मेहता—भविष्य निधि प्रभाग
5. श्री प्रकाश दूदानी—प्रशासन विभाग
6. श्री मुरलीधर यादव—सचिव विभाग

बैंक ऑफ इंडिया में हिन्दी प्रतियोगिता

बैंक ऑफ इंडिया के जयपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के राजभाषा कक्ष द्वारा दि० 30 मई, 97 को एक रोचक प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सहभागियों से बैंकिंग, राजभाषा, हिन्दी, सामान्य ज्ञान व शब्दावली से सम्बन्धित प्रश्न मौखिक रूप से पूछे गये थे, प्रतियोगिता का प्रथम दौर बैंक के राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय व बैंक की जयपुर स्थित शाखाओं में पहले ही राजभाषा अधिकारी श्री एस० पी० गर्ग "सुमन" के मार्गदर्शन में हो चुका था।

प्रतियोगिता के अंतिम दौर में उक्त दलों के विजयी प्रतियोगी ही सहभागी थे, तथापि श्रोताओं से भी कुछ प्रश्न पूछे गये थे।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बैंक के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक श्री चन्द्र शंकर जौहरी ने की, जबकि निर्णायक की भूमिका बैंक ऑफ बड़ौदा के वरिष्ठ प्रबंधक, (प्रशिक्षण) श्री कृष्ण कान्त तोतला ने निभायी एवं उन्होंने पूछे गये प्रश्नों व स्टॉफ सदस्यों के उत्तरों की समीक्षा की।

बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी श्री प्रमोद शर्मा ने इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, द्वितीय स्थान बैंक की सेवा शाखा के श्री राकेश भार्गव व रमेश कर्मचन्दानी ने संयुक्त रूप से प्राप्त किया। प्रतियोगी टीमों को शाखावार भी पुरस्कृत किया गया, जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय की टीम प्रथम रही, द्वितीय एवं तृतीय स्थान क्रमशः जयपुर सेवा व जयपुर मुख्य शाखा ने प्राप्त किया। जयपुर मुख्य शाखा के श्री योगेश शर्मा ने तृतीय व्यक्तिगत पुरस्कार भी प्राप्त किया।

उक्त प्रतियोगिता के आयोजन का श्रेय क्षेत्रीय राजभाषा अधिकारी श्री एस० पी० गर्ग "सुमन" ने अपने मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक श्री जौहरी को देते हुए कहा कि श्री जौहरी के कार्यकाल में क्षेत्र को प्रधान कार्यालय ने राजभाषा पुरस्कार प्रदान किया है। श्री जौहरी ने इस आयोजन की भूरि-भूरि सराहना की।

यूको बैंक में हिंदी प्रयोग: "राजभाषा चलशील्ड" योजना

यूको बैंक ने भारत सरकार की राजभाषा नीति की अपेक्षाओं के सुचारू कार्यान्वयन एवं दैनिक कामकाज में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग में गति प्रदान करने के दृष्टि से अपने पश्चिमअंचल स्थित विभिन्न कार्यालयों / शाखाओं में वर्ष 1996-97 की अवधि के दौरान राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के क्षेत्र में सम्पन्न कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया। मूल्यांकन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारियों के कार्यसाधक ज्ञान, यांत्रिक सुविधाओं हिंदी पत्राचार, आंतरिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग, धारा 3(3), राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन, तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा, देवनागरी तार तथा हिंदी पुस्तकालय के लिए हिंदी पुस्तकों / पत्रिकाओं आदि विषयों का समावेश किया गया। निर्धारित मानदण्डों / अंकों के आधार पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले कार्यालयों / शाखाओं को वर्ष 1996-97 के लिए "यूको बैंक राजभाषा चल शील्ड" प्रदान किए गए हैं। पश्चिम अंचल स्थित महाराष्ट्र, गुजरात तथा गोवा राज्यों के मुंबई, अहमदाबाद, बड़ौदा, नागपुर तथा पूणे मंडलों में से मंडल स्तर पर यह शील्ड बैंक के पूणे मंडल को दिया जा रहा है। दूसरा स्थान नागपुर मंडल का रहा जिसे मुंबई अंचल द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जा रहा है। शाखा स्तर पर गुजरात राज्य में बांधणी शाखा (बड़ौदा मंडल), महाराष्ट्र राज्य में विद्यानगर कोल्हापुर (पुणे मंडल) तथा गोवा राज्य में मार्दोल शाखा (मुंबई मंडल) को चलशील्ड दिया जा रहा है। इसी क्रम में क्रमशः माउण्टरोड शाखा (नागपुर मंडल), आजवा रोड शाखा (बडौदा मंडल) तथा पणजी शाखा, गोवा (मुंबई मंडल) को अंचल द्वारा प्रमाण-पत्र दिए जा रहे हैं। ये सभी पुरस्कार मंडल प्रबंधकों / शाखा प्रबंधकों विशेष अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। "राजभाषा शील्ड" पुरस्कारों की घोषणा पश्चिम अंचल मुंबई के अंचल प्रबंधक श्री सतपाल गुलाटी ने आवश्यक मूल्यांकन के बाद की। इस उपलब्धि पर विजेता शाखाओं / कार्यालयों के सभी कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की गई। यूको बैंक राजभाषा चलशील्ड योजना 1989 से लागू है जिसके चलते अंचल की शाखाओं / कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में उत्तरोत्तर गति आयी है और राजभाषा नीति की सांविधिक एवं कानूनी प्रकार की अपेक्षाओं के अनुपालन / कार्यान्वयन के क्षेत्र में भी आशातीत प्रगति हुई। उल्लेखनीय है कि बैंक में बेहतर ग्राहक सेवाओं के लिए सभी प्रकार की सूचनाएं आदि हिंदी तथा अंग्रेजी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में लगवायी गई है।

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि० रामगुंडम

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय हिन्दी टिप्पण व आलेखन प्रतियोगिता में स्टेशन के वरिष्ठ अभियंता श्री ए० के० सिन्हा को प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अंतर्गत उन्हें 151/- रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र प्राप्त हुए। इसी संस्थान द्वारा आयोजित अखिल भारतीय हिन्दी निबंध प्रतियोगिता तथा टिप्पण व आलेखन प्रतियोगिताओं में निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रशस्ति-पत्र प्राप्त हुए हैं:—

हिन्दी निबंध प्रतियोगिता:	हिन्दी टिपपण व आलेखन प्रतियोगिता:
1. श्री बी० राजेशम, पर्यवेक्षक, सामग्री	1. श्री बी० आत्माराम, वैयक्तिक सहायक, तं०से
2. श्री टी० प्रवीणकुमार, पर्यवेक्षक, सतर्कता	2. श्री बी० एस० मल्होत्रा, रसायनज्ञ, रसायन
3. श्री सी०एस०आर० मूर्ती, उपप्रबंधक, कार्मिक	3. श्री ए० महेंद्रनाथ, नियंत्रक, जलोपचार
4. श्री ए० महेंद्रनाथ, नियंत्रक, जलोपचार	4. श्री बी० राजेशम, पर्यवेक्षक, सामग्री
	5. श्री एस० मुत्यालू पर्यवेक्षक, कार्मिक

मैं सच कहता हूँ, जब तक आपके देश का कार्य और शिक्षा प्रसार हिन्दी के माध्यम से नहीं होगा, यह देश वास्तविक उन्नति नहीं कर सकेगा ।

—— डा० मे.पी. चेलिशेव

हिन्दी में पुरातन भारतीय परम्पराओं की अभिव्यक्ति के साथ आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की भी अपूर्व क्षमता है ।

——— बसप्पा दासप्पा जत्ती

प्रशिक्षण

कंप्यूटर प्रशिक्षण

हावड़ा में स्थित एक निजी प्रशिक्षण संस्था "अक्षर कंप्यूटर्स" ने द्विभाषी रूप में कंप्यूटर्स प्रशिक्षण देना शुरू किया है। इस संस्था में एक साथ लगभग 50 व्यक्ति प्रशिक्षण ले सकते हैं। सरकारी कार्मिकों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण शुल्क 3000/- रु० तथा गैर सरकारी कार्मिकों के लिए 5000/- रु० है।

यह प्रशिक्षण वहीं व्यक्ति ले सकता है जो देवनागरी लिपि के अक्षरों की जानकारी रखता हो। इसके लिए भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। संस्था द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पटना (केन्द्रीय/उपक्रम) तथा मुख्य आयकर आयुक्त, पटना द्वारा प्रशिक्षण के संबंध में अक्षर कंप्यूटर, द्विभाषी कंप्यूटर, प्रशिक्षण केन्द, 71, जी० टी० रोड, लिलुआ, हावड़ा से आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र, मुम्बई के 49वें सत्र का समापन समारोह

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र मुम्बई पर दिनांक 31 मार्च, 1997 को पूर्वाहन 12.00 बजे से त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के 49वें सत्र का समापन समारोह आयोजित किया गया।

इस अवसर पर आयकर विभाग, मुम्बई के मुख्य आयकर आयुक्त, श्री नेमीचंद जैन "मुख्य अतिथि" के रूप में उपस्थित होकर इस समारोह को गौरवन्वित किया।

मुख्य अतिथि का स्वागत एवं परिचय देने के उपरान्त केन्द्र की कार्यालयाध्यक्ष, श्रीमती साधना त्रिपाठी ने प्रशिक्षणार्थियों के प्रति यह विश्वास व्यक्त किया कि वे इस प्रशिक्षण का लाभ अपने कार्यालय के कामकाज में अवश्य उठाएंगे और अनुवाद में सरलता एवं बोधगम्यता का विशेष ध्यान रखेंगे। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के गतिविधियों के विषय में चर्चा करते हुए यह भी जानकारी दी कि ब्यूरो न केवल अनुवाद प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। अपितु असांविधिक एवं कार्यविधि साहित्य का अनुवाद तथा अनूदित सामग्री के पुनरीक्षण का कार्य भी करता है। उन्होंने यह भी बताया कि इच्छुक कार्यालय अपने अनुवाद सामग्री एवं अनुवाद प्रशिक्षण के विषय में ब्यूरो से संपर्क कर सकते हैं।

मुख्य अतिथि श्री जैन जी ने सफल प्रशिक्षणार्थियों को बधाई देते हुए अनुवादकों के विशिष्ट दायित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने उद्‌बोधन में यह भी बताया कि प्रशासन में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः यह अनुवादक का दायित्व है कि वह सही और सरल अनुवाद प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी बताया कि प्रायः सरारी कार्यालियों में अंग्रेजी में परिपत्र पहले जारी हो जाते हैं और हिन्दी अनुवाद बाद में भेजे जाते हैं। यह परम्परा राजभाषा नियमों के प्रतिकूल है। अतः कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों का यह दायित्व बनता है कि वे राजभाषा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रशिक्षित अनुवादकों का सहयोग लें ताकि इस प्रशिक्षण का पूरा-पूरा लाभ कार्यालय को मिल सके।

मुख्य अतिथि ने 439वें सत्र में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, यरवदा, पुणे कार्यालय की कु० बबीता गावड़े, हिन्दी अनुवादक को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर "स्वर्ण पदक" एवं केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, भोपाल की श्रीमती इंदिरा एम० ए०, वरिष्ठ हिन्दी अनुवाद को "रजत पदक" प्रदान किए।

अनुवाद प्रशिक्षण के विषय में प्रशिक्षणार्थियों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बताया कि यह प्रशिक्षण विशेष रूप से अनुवादकों के लिए अत्यन्त उपयोगी है। यदि इस प्रशिक्षण में कंप्यूटर में अनुवाद प्रशिक्षण जोड़ दिया जाए तो संभवतः अनुवादक आज के हाई-टेक युग में काम करने में अधिक सक्षम हो सकेंगे।

श्री नरेश कुमार, प्रशिक्षण अधिकारी ने मुख्य अतिथि को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समारोह के समापन की घोषणा की।

कवर पृष्ठ 2 का शेष

भारत छोड़ो आन्दोलन तथा "स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्व अधिकार है " और "मेरा नाम आजाद है" जैसे वैचारिक सूत्रों में भी हिन्दी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।

5. इस विशाल बहुभाषी राष्ट्र को एक मंच पर लाने और स्वाधीनता का स्वर एक साथ मिलकर उठाने में हिंदी की एक अहम भूमिका रही है । गुरूदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य विनोबा भावे ने स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान हिंदी को देश की प्रमुख राष्ट्रभाषा, सम्पर्क भाषा और राजभाषा के रूप में अपनाने के लिए अपने- अपने ढंग से उद्गार प्रकट किए थे । इसी संदर्भ में तमिल के महान कवि सुब्रह्मण्य भारती की याद आना स्वाभाविक है । हमारे देश के प्रमुख राष्ट्रीय कवियों में उनकी गणना की जाती है । महाकवि सुब्रह्मण्य भारती हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के सबसे बड़े कवियों में से एक हैं । महाकवि सुब्रह्मण्य भारती ने 1906 में "इंडिया" नामक पत्रिका में लिखा था-" भारत विभिन्न क्षेत्रों का देश है, सभी क्षेत्रों की अलग-अलग भाषाएं हैं, लेकिन पूरे भारत के लिए एक आम भाषा (कॉमन लेंग्वेज) आवश्यक है ।" भारती जी ने इस प्रकार एक सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने का सुझाव दिया था । दक्षिण भारत में हिंदी कक्षाएं चलाने की परम्परा की शुरूआत राष्ट्र कवि सुब्रह्मण्य भारती की प्रेरणा पर हुई थी । हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन सभी महापुरूषों की भावनाओं को याद रखें और हिंदी को देश की सम्पर्क भाषा, राष्ट्र भाषा और राजभाषा के रूप में अपनाएं । मैं यह भी कामना करता हूं कि आने वाले समय में हिंदी का रूप और भी व्यापक होगा और यह अपनी सामर्थ्य-शक्ति से ज्ञान-विज्ञान तथा तत्संबंधी सभी क्षेत्रों में और भी अधिक प्रयोग में लाई जाएगी ।

6. देश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती तथा हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम संकल्प लें कि अपने समस्त दैनिक कार्य-कलापों के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रयोग करें और देश का गौरव बढ़ाएं ।

जयहिंद ।

(इन्द्रजीत गुप्त)

आई एस एस एन .0970-9398

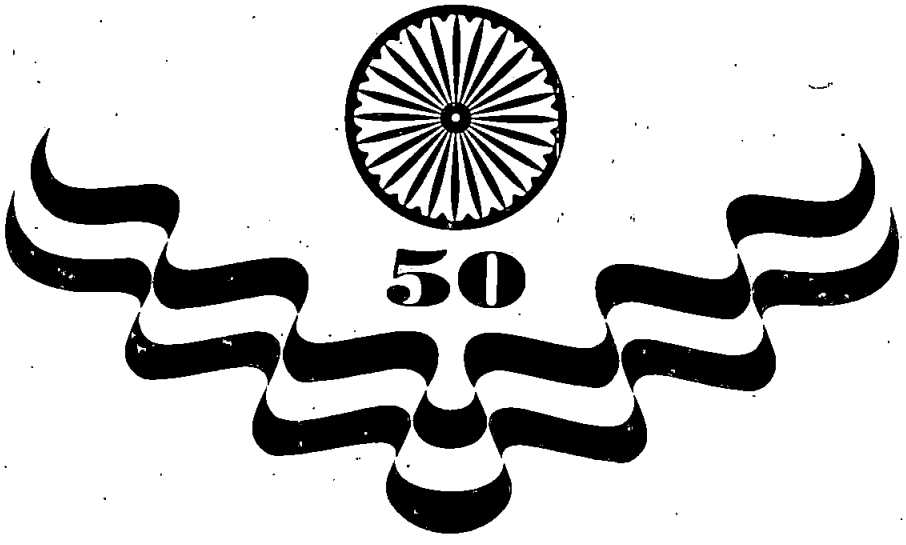

स्वतंत्रता आन्दोलन के वीर सिपाहियों को शत् शत् प्रणाम

राजभाषा विभाग, भारत सरकार, (गृह मंत्रालय) लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 के लिए उप संपादक द्वारा प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार फोटोलिथो मुद्रणालय फरीदाबाद द्वारा मुद्रित ।